खण्ड-140, अंक-7
शुक्रवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(17 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 140 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्रगुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री

गुलजार, श्री
गँदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंदवल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचंद, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्याविनोदिनी परीक्षा की मान्यता

**१—श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या यह सच है कि महिला विद्यापीठ प्रयाग की विद्याविनोदनी परीक्षा की मान्यता बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडिएट, उत्तर प्रदेश, द्वारा छीन ली गयी है? अगर हां, तो इसका कारण क्या है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्याविनोदिनी परीक्षा पास बालिका किसी इंटरमीडिएट कालेज में भर्ती हो सकती है?

डाक्टर सीताराम—अगर वह लड़की एडवांस अंग्रेजी लेकर पास है तो दो साल के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठ सकती है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह विद्याविनोदनी परीक्षा को हाई स्कूल की मान्यता दे रही है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिन्दी की कौन-कौन परीक्षाओं की मान्यता छीन ली गयी है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---इसके लिये सूचना चाहिये।

प्रदेश में पाकिस्तानी गुप्तचर

**२-३---श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या सरकार को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी गुप्तचर सक्रिय कार्य कर रहे हैं ?

क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि अपने प्रान्त में सुनियोजित साम्प्रदायिक भावनाओं को फैलाने में किसी विदेशी शक्ति का हाथ है जिसके गतमास प्रमाण भी मिले हैं ? यदि हां, तो वह कौन सी शक्ति है ?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इन प्रश्नों का उत्तर देना जनहित में न होगा।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रान्त के विभिन्न स्थानों में ऐसे अनेक व्यक्ति पाये गये हैं जिन पर पाकिस्तानी गुप्तचर होने का संदेह है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी कोई निश्चित सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल---क्या यह सही है कि पिछले ५ सितम्बर को बनारस में कोई ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जिस पर पाकिस्तानी गुप्तचर होने का संदेह है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने पहले ही कहा कि इसके बारे में मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---[२४ सितम्बर, १९५४, के लिये स्थगित किये गये।]

*३-५---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[स्थगित किये गये।]

सीनियर तथा जूनियर ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती तथा उनमें हरिजन

*६---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग में जो १,००० सीनियर ग्रेड और २,२०० जूनियर ग्रेड के टीचरों की भर्ती होने वाली थी उसमें से सीनियर ग्रेड और जूनियर ग्रेड में अलग-अलग कितने टीचर भर्ती किये गये ?

डाक्टर सीताराम---सीनियर ग्रेड में ७६४, जूनियर ग्रेड में १,७८४।

*७---श्री बाबूनन्दन---इनमें अलग-अलग कुल कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम---सीनियर ग्रेड में ८, जूनियर ग्रेड में ११८।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर ग्रेड और जूनियर ग्रेड के टीचरों की क्या योग्यता रखी गयी है ?

डाक्टर सीताराम---सीनियर ग्रेड जिसका वेतन १२०-३०० रुपया है उनकी योग्यता बी० एस-सी० (ए० जी०), बी० ए०, एल० टी० और एम० ए०, एल० टी० है, जूनियर ग्रेड जिसका ग्रेड ७५-२०० रुपया है उसमें बुलन्दशहर और गोरखपुर का ऐग्रीकल्चर

डिप्लोमा, इंटरमीडियट ऐग्री०, हाईस्कूल डिप्लोमा, इन्टर साइंस, इन्टर सी० टी० और जे० टी० सी० पास लिये जाते हैं ।

श्री बाबूनन्दन—यह जो जूनियर और सीनियर ग्रेड का सेलेक्शन हुआ था वह एक बार ही हुआ था या बाद में और लोग लिये गये थे ?

डाक्टर सीताराम—एक ही बार हुआ था ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो जे०टी०सी० और इन्टर पास हैं और हाईस्कूल में टाइप सिखाते हैं उनके ग्रेड की क्या मान्यता है ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल इससे नहीं उठता ।

श्री शिवनारायण—जो जे० टी० सी० हाईस्कूल में काम कर रहे हैं उनको सरकार क्या वेतन देना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष—इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के लिये जो १८ परसेंट का रिजर्वेशन है, उसका कोटा पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—योग्यता नहीं थी ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जितने लोग लिये गये हैं उनसे अधिक लोगों की योग्यता थी जिन्होंने कि अप्लाई किया था लेकिन उनको नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—यह तो विवाद है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इन अध्यापकों की नियुक्ति के पहले कितने हरिजनों ने सरकार को आवेदनपत्र दिया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना तो नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि योग्यता का पैमाना क्या है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो अभी जवाब दिया जा चुका है।

जगरनाथ सिंह डाकू की गिरफ्तारी पर पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कार

*८—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रसिद्ध डाकू श्री जगरनाथ सिंह की गिरफ्तारी जो ३१ दिसम्बर, सन् १९५२, को तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में हुयी थी उसके सम्बन्ध में किन-किन सरकारी कर्मचारियों को सरकारी पुरस्कार तथा मान्यता दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में पुलिस के एक सर्किल इन्सपेक्टर, दो सब-इन्सपेक्टर, दो हेड कांसटेबिल तथा दस कांस्टेबुलों को आर्थिक पुरस्कार दिये गये। अन्य प्रकार की मान्यता किसी को नहीं दी गयी ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य प्रकार की मान्यता क्यों नहीं दी गयी जबकि फायरिंग होते हुए वहां के कर्मचारियों ने वीरता के साथ मुकाबिला किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस व्यक्ति को इनाम दिया जाय, इसका निर्णय इस विभाग के अफसर ही कर सकते हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुरस्कार वितरित किया गया है वह बराबर-बराबर किया गया है या कम बेश ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कम बेश।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जगरनाथ सिंह के ऊपर कितने मामले चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी।

*९-१०—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थगित किये गये।]

नवाब रामपुर द्वारा पाकिस्तान को जवाहरात भेजने का प्रयत्न

*११—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व शासक (H:s Highness) ने कई करोड़ रुपए के जवाहरात पाकिस्तान भेजने का प्रयत्न किया ? यदि हां, तो किसने ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी।

*१२—श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सच है कि इसका पता केन्द्रीय सरकार को फरवरी में लगा और उसने जवाहरात रोक लिये ?

*१३—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४ करोड़ रु.ये के जवाहरात जो पकड़े गये हैं उसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने लायड बैंक से पूछा है ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ५० लाख रुपये के जेवरात ईस्ट पाकिस्तान को नवाब साहब रामपुर ने भेजे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप एक ही व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में जानकारी से सरकार इंकार कर चुकी है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने का प्रयत्न करेगी कि यह बात सही है या गलत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में जो कुछ जांच कराना आवश्यक होगा वह भारत सरकार ने करायी होगी और उसे इसकी सूचना होगी लेकिन यह प्रादेशिक सरकार के क्षेत्र के अन्दर नहीं आता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस संबंध में भारत सरकार से लिखा पढ़ी की गई है और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारा उनका क्षेत्र अलग-अलग है, हम खामख्वाह उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करने क्यों जायं ?

बनारस सेंट्रल जेल में छिछोर केस के कम्युनिस्ट राजबन्दियों की दुर्दशा

*१४--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छिछोर केस के २२ राजबंदियों (कम्युनिस्ट) की वे सभी पुस्तकें, साहित्य तथा कापियां आदि जो उन्हें बलिया जेल में दी गयी थीं और जिन पर जेल की मुहर भी लगी है बनारस सेंट्रल जेल में उन्हें नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—छिछोर केस के जो २२ कैदी बनारस सेंट्रल जेल भेजे गये थे, उनके नाम से बलिया जिला जेल में कोई पुस्तक, साहित्य तथा कापियां आदि बाहर से नहीं जमा हुयी थीं, इसलिये उन चीजों का बनारस सेंट्रल जेल में दिये जाने का सवाल नहीं उठता।

*१५--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि बनारस सेन्ट्रल जेल की खपरैल की छतों की सारी बैरकें चूती हैं। अगर हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। हर वर्ष इन छतों की मरम्मत की जाती है। पिछले वर्ष में इस जेल की दो बैरकों की खपरैल की छतों को सीमेंट की चादरों से छा दिया गया था। इसी तरह धीरे-धीरे और बैरकों को भी सीमेंट की चादरों से छाये जाने की कार्यवाही हो रही है।

*१६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---२६-२-५४ के प्रश्न संख्या ३ के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिछोर केस (जिला बलिया) के कितने और कम्युनिस्ट राजबन्दी किस २ बीमारी से सजा होने के बाद जेल में ही मर चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—छिछोर केस बलिया का केवल एक बन्दी सजा होने के बाद जेल में गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस नामक बीमारी से मरा है।

जगतबेला स्टेशन पर घटित विस्फोट की जांच तथा उस पर कार्यवाही

*१७—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि North Eastern Railways की जगतबेला स्टेशन की explosion दुर्घटना के विषय में २१-४-५४ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ से ३ के सम्बन्ध में जो जांच सरकार ने की थी वह पूरी हो गई या नहीं? यदि हां, तो क्या सरकार उस report की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश गोरखपुर तथा भारत सरकार के डिप्टी चीफ इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्ज ने जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट भेज दी है परन्तु गवर्नमेंट इन्सपेक्टर आफ रेलवेज की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

*१८—श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जांच किसके द्वारा करायी गई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश गोरखपुर, डिप्टी चीफ इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्ज और गवर्नमेंट रेलवे इन्सपेक्टर।

*१९—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस जांच के नतीजे पर उन्होंने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका निश्चय गवर्नमेंट इन्सपेक्टर आफ रेलवेज की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और उसके ऊपर कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसलिये कि भारत सरकार के जो अफसर हैं वह कब तक रिपोर्ट देंगे यह तो उनसे भारत सरकार ही पूछ सकती है और तब तक कार्यवाही करने बारे के में भी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भगवान सहाय—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि भारत सरकार को इस मामले में जल्दी करने के लिये यह सरकार कोई लिखापढ़ी करने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विचार तो इस पर किया जा सकता है लेकिन इस मामले में जितनी जल्दी हमको है उतनी ही भारत सरकार को भी है और वह खुद ही जल्दी कर रहे होंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गई रिपोर्ट की मुख्य २ बातें सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक सब रिपोर्ट्स पर भारत सरकार और प्रादेशिक सरकार गौर न कर ले तब तक उसको बताना अनुचित होगा ।

प्रदेश में पादरियों के आक्षेपार्ह कार्य

*२०—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार २३ अप्रैल, १९५४, के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के पूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि जो पादरी धर्म के अलावा दूसरे आक्षेपार्ह कार्य कर रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने के विषय में उत्तर प्रदेशीय तथा भारत सरकार जो विचार कर रही थी उसका क्या फल हुआ और इस सम्बन्ध में निश्चित कार्यवाही क्या की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विदेशी मिशनरियों के प्रति साधारण नीति का विषय भारत सरकार से सम्बन्ध रखता है और उनके विचाराधीन है। ऐसे मिशनरियों की कार्यवाहियों पर निगरानी रक्खी जाती है और यदि प्रदेश में उनकी कोई गैर-कानूनी कार्यवाही दृष्टि में आ जाय तो निश्चय ही उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करें कि धार्मिक प्रचार की आड़ में ट्रान्समिटर द्वारा बाहर खबरें भेजने और धर्म परिवर्तन करने का काम गैर-कानूनी नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि मेरे लिये यह बहुत ही अनुचित होगा कि मैं किसी कानूनी मसले पर सदन में राय दूं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार के पास मथुरा, अल्मोड़ा और गोरखपुर डिवीजन से शिकायत आयी है कि धार्मिक प्रचार की आड़ में विदेशी पादरियों द्वारा बहुत से गैर-कानूनी काम करने की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं कि जो हममें से किसी को अच्छे न लगें लेकिन अगर वह गैर-कानूनी न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वह गैर-कानूनी होते तो हम जरूर कुछ करते और जो कानून के अन्दर हमें अधिकार हैं उन के अनुसार कार्यवाही करते ।

*२१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में आबपाशी-कर आन्दोलन में कुल कितनी गिरफ्तारियां हुईं

उनमें से कितने को सजा हुई और कितने आदमी माफी मांग कर छूट गये? इन गिरफ्तार हुये आन्दोलनकारियों में कितने आबपाशी देने वाले थे और कितने ऐसे लोग थे जिनका आबपाशी से कोई संबंध नहीं था?

*२२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अरदाया गांव में अश्रु गैस का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया गया? क्या इससे कोई मृत्यु हुई?

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि श्री देवकी नन्दन विभव ने अपने प्रश्न वापस ले लिये हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अगर वह अजेण्डा में छप गये हैं और किसी को दिलचस्पी है तो वह.....

श्री अध्यक्ष—वह नियम के अनुसार वापस लेते हैं तो ले सकते हैं और फिर वह नहीं आ सकते।

गोरखपुर जिले में बिन्दासिंह साधु की गिरफ्तारी तथा हथियारों व लड़कियों की बरामदगी

*२३—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि अप्रैल, १९५४, में गोरखपुर के कुसमी जंगल में, जो सरकारी जंगल है, बिन्दासिंह नाम के के कथित साधू और उसके कई साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और असलहे भी बरामद किये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२४—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि असलहों के साथ और क्या-क्या पुलिस ने बरामद किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है।
(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२६पर।)

*२५—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि पिछले वर्ष इसी बिन्दासिंह के आदेश पर एक आदमी ने अपनी जान दे डाली?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन १९४९ में एक व्यक्ति की मृत्यु बिन्दासिंह की कुटी के पास हुई थी उसकी वहां समाधि है। जांच से यह तस्दीक नहीं हो सका कि उसने बिन्दा सिंह के आदेश पर समाधि ले ली।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह बिन्दा नाम का जो साधू गिरफ्तार किया गया है उसके साथ जो असलाह बरामद हुये हैं वह कहां से आये और क्या ऐसा भी है कि वह किसी सरकारी मुलाजिम के भी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह राइफल और रिवाल्वर हैं और २, ३ सरकारी मुलाजिम के भी हैं।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह असलाह जो सरकारी मुलाजिम के थे वह किस तरह से बिन्दा के पास आये और उन सरकारी मुलाजिम के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह जो सरकारी अफसर हैं वह बिन्दा के चेले हैं जो बहुत दिनों से किसी कारण से उनको महात्मा मानते हैं। वह उनके गुरू हैं और यह अफसर उनके शिष्य हैं। इसलिये उन्होंने गुरू की सेवा में असलाह भी दे दिये। मुकदमा दोनों के खिलाफ चल रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि श्री बिन्दासिंह वहां पर "पिता जी" के नाम से विख्यात थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, विशेष लोग उनको "पिता" पितामह" सभी कुछ कहते होंगे।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिन्दा सिंह ने वहां पर कुछ डकैतों का गिरोह बनाया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका पता तो नहीं लगा। लेकिन इतना पता तो जरूर है कि उनकी कुटिया से दो तीन नाबालिग लड़कियां बरामद हुई थीं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये किस विभाग के सरकारी अफसर थे जिनके अस्लहा बरामद हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक अफसर का तो पता नहीं है कि वे किस विभाग के थे लेकिन दूसरे सज्जन तो फारेस्ट विभाग के थे जिनकी वजह से वे उस जंगल में आये और उन्होंने अपनी कुटी बनाई।

श्री शिवनारायण—इन अफसरों के साथ अब तक क्या कार्यवाही हुई और क्या वह अब भी सरकारी कार्य में लगे हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। पूरी तहकीकात हो रही है। यह देखना है कि उनका जुर्म कहां तक है। सम्भव है उनका जुर्म साबित न हो।

श्री शिवनारायण--सरकार ने अभी जवाब में कहा है कि वह सरकारी अफसर उनके चेले हैं और उस अफसर ने उनको अस्लहा दिये हैं तो ऐसे सरकारी अफसरों को मुअत्तल करने का क्या सरकार विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। यदि जरूरी होगा तो मुअत्तली भी की जायेगी। और अगर और भी किसी कड़ी सजा की गुंजायश होगी तो वह भी दी जा सकती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन अफसरों ने इन हथियारों की चोरी के बारे में इस घटना के पहले कोई रिपोर्ट लिखाई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चोरी का सवाल तो कम है उन्होंने बड़ी भक्ति से खुद गुरू जी की सेवा में अर्पित किये थे।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि वह सामान जो अस्लहा के अलावा बिन्दा सिंह जी के यहां पाये गये उसका पता लगा कि वह किसी डकैती वगैरः के साथ आया हुआ माल था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सामान तो बहुत थोड़ा था जैसे सूची से मालूम होता है। बिन्दा सिंह जितने आराम से रहते थे उसको देखते हुये अगर उनके शिष्यों के द्वारा मिला तो सामान के लिये रुपया भी मिल गया होगा।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बिन्दा सिंह जो जिस जमीन पर थे वह सरकारी जमीन थी, वह कब से उनके पास थी और अगर नाजायज तौर पर थी तो सरकार ने उनके खिलाफ बेदखली की क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो मैंने बतला दिया कि सरकारी जंगल था और फारेस्ट रेंजर जो थे उन्होंने ही इन साहब को बुलाया। वह लोग आये और वहां बस गये। अब उनके खिलाफ़ मुक़दमा चल रहा है बेदखली का सवाल क्या? कुटी उनकी अब खत्म हो गई है।

कानपुर में धारा १४४ के उल्लंघन में प्रजा सोशलिस्टों की गिरफ्तारी

*२६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कानपुर से पहली अगस्त, १९५४, से १६ अगस्त तक दंड विधि संग्रह की धारा १४४ के उल्लंघन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कितने कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये? उनकी गिरफ्तारी किन-किन तारीखों में तथा किन-किन स्थानों में हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर में पहली अगस्त से १६ अगस्त, १९५४, तक प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के १८४ कार्यकर्त्ता दंड विधि संग्रह की धारा १४४ के उल्लंघन के अपराध में गिरफ्तार किये गये। उक्त गिरफ्तारियों का विवरण इस प्रकार है:—

४ व्यक्ति—पहली अगस्त, १९५४, को मेस्टन रोड पर।
१३३ व्यक्ति २—अगस्त, १९५४, को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास।
४७ व्यक्ति—अगस्त ११, १९५४, को कर्नलगंज पुलिस स्टेशन के पास।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता फर्रुखाबाद में सत्याग्रह करने जा रहे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना तो उन्हीं लोगों को हो सकती है जो कानपुर में १४४ तोड़ते हुये गिरफ्तार किये गये। उनके मन में क्या बात थी यह उन्हीं को मालूम होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है कि पुलिस जिसने इन कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया वह उनके स्वागत के लिये पहले से कानपुर स्टेशन के प्लैटफार्म पर मौजूद थी और उनको घेरे में बाहर लाकर पुलिस ने स्टेशन के बाहर उनको गिरफ्तार किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे सूचना नहीं है लेकिन पहले ही उनसे बतला दिया ग या कि वे जुलूस बना कर स्टेशन से बाहर न निकलें क्योंकि दफ़ा १४४ लगी हुई है और वे उस कार्य के दोषी होंगे। तो उन्होंने उसकी परवाह न कर के जुलूस बना कर निकलना उचित समझा और तब वह गिरफ्तार किये गये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन कार्यकर्त्ताओं ने पुलिस को क्या जवाब दिया था कि वे किस मकसद से कानपुर जा रहे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं जानता। उसमें उनका मकसद भले ही कुछ रहा हो लेकिन कानपुर में उन्होंने धारा १४४ तोड़ कर जुलूस निकाला और उनका] अपराध हो गया और इसलिये वह गिरफ्तार किये गये।

तुर्तीपार तथा लार रोड स्टेशनों पर डाका व चोरी तथा सुरक्षा का प्रबन्ध

*२७—श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या सरकार को मालूम है कि नार्थ ईस्टर्न रेलवे के तुर्तीपार स्टेशन पर ९ जुलाई, १९५४, की रात्रि को डाका पड़ा और डाकुओं ने खजाने को लूट लिया और स्टेशन मास्टर को क्वार्टर पर बुरी तरह जख्मी किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२८—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी—क्या सरकार को मालूम है कि लार रोड स्टेशन पर २३ जून, १९५४, को डाका पड़ा जिसकी सूचना स्टेशन मास्टर ने ३० जून, १९५४, को सम्बन्धित अधिकारियों को दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्टेशन पर कोई डाका नहीं पड़ा। २३, २४ जून, १९५४, को लार रोड स्टेशन के स्टेशन मास्टर के घर में चोरी अवश्य हुई जिसकी लिखित सूचना लार थाने में २४ जून, १९५४, को प्राप्त हुई।

*२९—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी—क्या सरकार ऐसे स्टेशनों पर रक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध करने जा रही है जिससे स्टेशन वालों के जान और माल का खतरा न हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लार रोड, तुर्तीपार तथा अन्य खास-खास स्टेशनों पर ड्यूटी के लिये कान्सटेबुल तैनात कर दिये गये हैं।

श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तुर्तीपार स्टेशन पर जो डकैती हुई थी उसमें अब तक कितने आदमी गिरफ्तार हुए और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विदित सूचना तो यह है कि उसमें से ४०० रुपये के नोट बरामद हुए हैं और कुछ सामान और बरामद हुआ है और उस सिलसिले में जांच जारी है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस डाके में कितने की क्षति हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसमें कुछ तो सरकारी सामान था और कुछ स्टेशन मास्टर का। सरकारी ३६३ रुपया ११ आना का सामान ले गये और स्टेशन मास्टर का क्या था, मैं कह नहीं सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुर्तीपार स्टेशन पर पुलिस मौजूद रहती है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा खयाल है कि नहीं रहती। बहुत से छोटे-छोटे स्टेशन ऐसे हैं कि जहां पुलिस नहीं रखी जाती, लेकिन अब रक्खी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री कोई ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे कि तुर्तीपार स्टेशन के आस-पास कोई गांव न होने के कारण वह बड़ा असुरक्षित रहता है और वहां पुलिस का इन्तजाम अब से करने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस का इन्तजाम तो किया ही गया है लेकिन अगर वहां गांव बसाने की आवश्यकता हो तो मैं माननीय माल मंत्री के पास यह सुझाव भेज दूंगा।

*३०—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किया गया।]

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, महोबा के मैनेजर द्वारा दुर्विनियोग तथा कालेज की मान्यता

*३१—श्री जोरावर वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी० ए० वी० इन्टर कालेज, महोबा की मान्यता (recognition) छीनने के क्या कारण थे और मान्यता कब छीनी गई ?

डाक्टर सीताराम---डी० ए० वी० कालेज महोबा, की मान्यता २८ जून, १९५४, को निम्नलिखित कारणों से छीनी गई थी :—

(१) समिति के पदाधिकारियों के कारण समिति का निर्वाचन न होना,

(२) प्रबन्ध समिति में दलबन्दी होने के कारण कालेज का कार्य चलाना असम्भव हो जाना,

(३) संस्था के दो मैनेजर बनना और उनमें परस्पर मतभेद होना,

(४) अध्यापकों का वेतन आदि का वितरण समय पर न होना,

(५) छात्रों के कोष से धन निकाल कर व्यय करना।

*३२---श्री जोरावर वर्मा---क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उपर्युक्त कालिज को मान्यता पुनः प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, ७ सितम्बर, १९५४ ई०, को।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मान्यता छीनने के पहले उन्होंने दोनों दलों को समझौता करने के लिये आगाह किया था ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सीताराम---सन् १९५२ में किया था।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि छात्रों के किस कोष का दुरुपयोग मैनेजिंग कमेटी ने किया था ?

डाक्टर सीताराम---छात्रों के जो कोष का रुपया जमा होता है जैसे गेम फंड या चिकित्सा में इस तरह की जो फीस थी उसमें से ४,०८० रुपया ले करके संस्था के मैनेजर ने अपने काम में लगाया था, जो अनुचित था।

श्री जोरावर वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय कालेज का प्रबन्ध किसके हाथ में है और कब तक इस हालत में रहेगा ?

डाक्टर सीताराम---वहां की मैनेजिंग कमेटी ने सरकार को लिखा है कि सरकार एक ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे। इस पर विचार कर रही है सरकार।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार इन स्कूलों को सुधारने के लिये जो बेटर मैनेजमेंट को प्रभावकारी बनाने का बिल लाने वाली थी, वह विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---क्या बिल के बारे में आप पूछ रहे हैं या इस विद्यालय के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री शिवकुमार शर्मा---प्रश्न ३०-३१ के सम्बन्ध में ही पूछ रहा हूं कि जब कालेज का मैनेजमेंट खराब हो जाता है तो उसको सुधारने के लिये कोई बिल लाने का विचार कर रही है, सरकार।

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कालेज का जो कान्स्टीटचूशन है उसके अनुसार मैनेजिंग कमेटी का चुनाव कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार अभी मैनेजिंग कमेटी का चुनाव नहीं कराना चाहती।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनेजर ने जो लड़कों की फीस को इस तरह से अनियमित रूप से अपने कार्य में लगाया, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—पहले ही बता दिया गया है कि चूंकि यह अनुचित था इसलिये उसकी मान्यता छीन ली गई।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—क्या उन मैनेजर महोदय के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गई, गबन आदि का कोई मुकदमा चला ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं। कोई कार्यवाही शिक्षा विभाग की ओर से नहीं की गई।

जिला हमीरपुर में शस्त्रों के लाइसेंस

*३३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५३ ई० में हमीरपुर जिले में बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और कितने लाइसेंस दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६६५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और १७२ लाइसेंस दिये गये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी के पास कोई लिस्ट है जिससे यह पता चल सके कि कितने लाइसेंस बन्दूक, रिवाल्वर, राइफिल के अलग-अलग दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। वह लिस्ट मांगी नहीं गई इसलिये मैंने मंगवायी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—लाइसेंसों में सुविधा होने के ख्याल से क्या सरकार तत्सम्बन्धी कानून में कोई संशोधन उपस्थित करने वाली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शस्त्रों का कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हम कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं।

मालगुजारी की रकम के आधार पर भूमिधरों को बन्दूक के लाइसेंस

*३४—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार ने कभी कोई निश्चित निम्नतम रकम तक मालगुजारी अदा करने वाले भूमिधरों को बन्दूक के लाइसेंस देने का विचार किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*३५--श्री जगन्नाथ प्रसाद--यदि हां, तो कब तक यह आदेश लागू होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि मालगुजारी में ऐसी कौन सी निश्चित रकम होगी जिसके आधार पर भूमिधरों को लाइसेंस दिये जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हथियारों के कानून का जहां तक सम्बन्ध है, प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकार की एजेन्ट है। तो हमने कुछ जरूर थोड़े से नियम बनाये थे लेकिन उनके सम्बन्ध में अभी केन्द्रीय सरकार और हमारे बीच लिखा पढ़ी हो रही है। जब तक निश्चित रूप से न हो जाय तब तक कुछ कहना सम्भव नहीं होगा।

लेदुकी ग्राम, जिला मिर्जापुर में पानी का अभाव

*३६--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेदुकी ग्राम (मिर्जापुर तहसील) में जलकष्ट निवारणार्थ उसने अभी तक कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लेदुकी ग्राम के लोग तीन चार मील दूर से पानी लाकर पीते हैं और अगर कोई मेहमान आ जाता है तो पड़ोसी-पड़ोसी से पानी उधार लेते देते हैं ?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना तो सरकार के पास नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार गांव के जलकष्ट को दूर करने के लिये कोई जलाशय या कुआं बनवाने का विचार करती है ?

डाक्टर सीताराम--मिर्जापुर जिले के लिए सन् १९५३-५४ में ८ हजार रुपये की धनराशि डी० पी० ओ० को दे दी गई है और अगर उस गांव के निवासी डी० पी०ओ० के पास आवेदन-पत्र दें तो वह उन पर विचार करके इन्तजाम कर सकता है। डी० पी० ओ० की रिपोर्ट है कि वहां के किसी रहने वाले ने ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। वह यदि प्रार्थना-पत्र दें, तो उस पर विचार हो सकता है।

मिर्जापुर में बम-विस्फोट दुर्घटना

*३७--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर शहर में गत नवम्बर या दिसम्बर माह में एक भीषण बम-विस्फोट हुआ था, जिसमें बम बनाने वाले एक आदमी का हाथ उड़ गया था ? इस बम कांड का रहस्य क्या साबित हुआ तथा किस पर मामला चला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। यह घटना २३ दिसम्बर, सन् १९५३ ई०, को हुई जिसमें बम बनाने वाले व्यक्ति श्री लाल बिहारी सुनार के दोनों हाथ उड़ गये थे। बम-कांड के सम्बन्ध में किसी विशेष रहस्य का पता ठीक-ठीक नहीं चल सका है। श्री लाल बिहारी पर Explosives Substances Act, 1908, की धारा ४-५ के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया जो इस समय न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस आदमी का हाथ उड़ गया वह जनसंघ से सम्बध रखता था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ऐसा खयाल है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने जांच किस सूत्र से करायी, सी० आई० डी० से या पुलिस से या अन्य सूत्र से?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सी० आई० डी० तो पुलिस का ही एक अंग है। पुलिस और सी० आई० डी० ने मिलकर जांच की। अन्य कोई सूत्र तो है नहीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—इस बम-विस्फोट के और क्या-क्या विवरण सरकार को प्राप्त हुये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस तारीख को बम फूटा और इनके दोनों हाथ उड़ गये। वहां पर सब सामान बरामद हुआ। लेकिन इनके अलावा और कोई शख्स इनके साथ था या कोई षडयंत्र था, किसी खास नियत से, इसका पता नहीं लग सका।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि घटनास्थल पर और भी बम बरामद हुए थे? और दूसरे सामान क्या-क्या थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बम तो बरामद नहीं हुए और सामान दूसरे थे थे—एक तो हथौड़ा था, एक छरी थी जिसमें से गन्धक की गन्ध आ रही थी। दो कारतूस थे ३०३ नम्बर के। पत्थर के २३ टुकड़े थे जिनमें से गन्धक और बारूद की गन्ध आ रही थी। एक पत्थर का हथौड़ा था। कुछ लोहे और शीशे के टुकड़े थे और कोई आधा छटांक पाउडर था। इसके अलावा एक खिड़की पर कुछ लोहे के टुकड़े पाये गये जो टूट गई थी बम के टुकड़ों के टूटने से।

पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमे

*३८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री २ अप्रैल, सन् १९५४, के प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि कितने थानेदारों एवं कांस्टेबिलों के विरुद्ध अदालत में जुर्म साबित हुये और कितनों को सजायें हुईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक किसी के विरुद्ध जुर्म न्यायालय में साबित नहीं हुआ। तीन मुकदमे अभी न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन मुकदमे जो अदालत में विचाराधीन हैं वह कहां-कहां के थानेदारों के ऊपर हैं और यह मुकदमे कब चलाये गये थे तथा कितनी पेशियां हुईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो अदालत में मुकदमे हैं उनमें एक तो राधाकिशन सिंह, सब-इन्सपेक्टर हैं कन्थरापुर के। उन पर मुकदमा फाइल हुआ ८ सितम्बर, १९५३, को। अगली पेशी की तारीख बतायी गई थी ७ सितम्बर, १९५४। कितनी पेशियां हुईं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। एक हैं दुर्गा प्रसाद, स्टेशन आफिसर, और चन्द्रभान सिंह, कांस्टेबिल, निजामाबाद स्टेशन। इनके ऊपर ८ जनवरी को मुकदमा फाइल हुआ। क्रास केसेज चल रहे हैं। दोनों तरफ से मुकदमे दायर हुए हैं। इसलिये अदालत में देर हुई। तीसरा मुकदमा है कोई मुरारीमोहन शर्मा, स्टेशन आफिसर हैं, और कोई कांस्टेबिल हैं खदेरन। इनके ऊपर १५ जनवरी, १९५४, को मुकदमा हुआ। अदालत में करीब करीब खत्म हो गया है। लेकिन बीमारी की वजह से हाजिर नहीं हो सके। २८ अगस्त तारीख रखी गई थी। आगे क्या हुआ, मुझे पता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन थानेदारों और कांस्टेबिलों के विरुद्ध मुकदमा है क्या यह सही है कि वह अदालत में हाजिर नहीं होते हैं और पेशी बढ़ जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक की बाबत तो मुझे पता है कि वह आखिरी तारीख में बीमार पड़ गये थे, औरों के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

हाई कोर्ट व सेशन्स न्यायालयों द्वारा पुलिस पर आक्षेप

*३९---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३ में हाई कोर्ट व सेशन न्यायालयों ने कितने केसेज में पुलिस के ऊपर आक्षेप (Strictures) किये तथा उस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हाई कोर्ट ने १८ तथा सेशन न्यायालयों ने ९७ केसेज में आक्षेप किये । प्रश्न के दूसरे भाग में मांगी गई सूचना बहुत लम्बी है । अतः सदस्य महोदय किसी विशेष केस की सूचना चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने केसेज में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया और कितनों में महज वार्निंग दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, १०४ केसेज की बात है यदि आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं । लिस्ट बहुत लम्बी है, पूरी लिस्ट देख कर बतला सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार हाई कोर्ट से जो आक्षेप हुए हैं उनकी सूची में से पढ़ कर बता देगी कि उनमें क्या ऐक्शन हुआ ? वह केवल १८ ही हैं ।

श्री अध्यक्ष---मैं अलग-अलग बताने की तो इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप टोटल देखकर बतला दें । आप यह पूछ रहे थे कि वार्निग कितने केसेज में हुई और कितनों में सजा हुई । यदि आप टोटल बतला सकते हों तो बतला दें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास अलग-अलग नहीं है जो मैं बतला दूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सदन का समय नष्ट न हो इसलिये यदि आप टोटल बतला सकते हों तो अच्छा है । माननीय शम्भूनाथ जी गृह मंत्री जी के आफिस से यह जानकारी ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा । एक-एक के ऊपर अलग-अलग बताने में सदन का काफी समय नष्ट होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय ने जो आक्षेप लगाये हैं उनका टोटल और विभाग ने जो कार्यवाही की है उसका टोटल बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक आक्षेप का सवाल है, तो वह तो बताया गया है क १८ केसेज में हाई कोर्ट से और ९७ में सेशन्स से आक्षेप किये गये हैं । हर एक केस में क्या हुआ, इसको देखने के लिये छांटना पड़ेगा क्योंकि एक जगह नहीं दिया हुआ है ।

जिला आजमगढ़ में फूलपुर के जुडिशियल आफिसर द्वारा थाना इञ्चार्ज अहरोला के विरुद्ध आक्षेप

*४०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि जुडिशियल आफिसर, फूलपुर, आजमगढ़ ने इंचार्ज थाना अहरोला, जिला आजमगढ़, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का संकेत अपने जजमेंट, स्टेटमेंट वर्सेज नर सिंह एण्ड ३ अदर्स में किया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। फलस्वरूप जांच की गई थी परन्तु इञ्चार्ज के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी उचित नहीं मालूम हुई।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आफिसर द्वारा जांच कराई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने जांच की और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खुद इस मामले को देखा।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूरे जजमेंट में मजिस्ट्रेट ने क्या रिमार्क दिये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मजिस्ट्रेट की मुख्य शिकायत यह थी कि एफ० आई० आर० में ६ आदमियों का नाम लिया गया और चालान ४ आदमियों का किया गया और दो आदमियों का नहीं किया, इसमें संदेह मालूम हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मजिस्ट्रेट के जजमेंट के बाद जिला एस० पी० से उस जजमेंट की या उस वाक़ये की जांच कराने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो साधारण नियम है कि किसी अदालत की तरफ से किसी जजमेंट में किसी पुलिस अफसर की बाबत कोई रिमार्क होता है तो उसकी जांच करायी जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री जी को मालूम है कि जो जजमेंट मैजिस्ट्रेट ने दिया है उसी तरह का जजमेंट सेशंस कोर्ट में भी हुआ है उस मुकदमे में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, इसकी मुझको सूचना नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि मजिस्ट्रेट ने थाना इंचार्ज की कार्यवाही के सिलसिले में क्या लिखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसमें उन्होंने यह लिखा है कि कोई गवाह थे प्रासिक्यूशन के, उनका १६२ में उनको बयान नहीं लेना चाहिये था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जजमेंट में ही जिला मजिस्ट्रेट को ताकीद की गयी थी कि वह पुलिस अफसर के ऊपर कार्यवाही करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मेरे खयाल से ऐसा नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डी० एस० पी० ने इस सम्बन्ध में कोई अन्य साक्षी ली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एवीडेंस का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। डी० एस० पी० ने रिपोर्ट दी है कि ६ आदमी फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में थे, उनमें से पुलिस ने ४ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की, दो के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इतनी सीधी सी बात है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट को कोई सन्देह हुआ तो उन दोनों पर भी मुकदमा चलना चाहिये था, उनको कोर्ट में तलब कर लिया होता तो मालूम हो गया होता कि उनके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)— क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि मजिस्ट्रेट को केवल डाउट हुआ है, संदेह है, या सर्टेंटी के साथ जजमेंट में लिखा है कि थानेदार ने ऐसा नहीं किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— यह फैक्ट तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने यह लिखा है कि उनकी बोनाफाइडीज पर मुझको संदेह होता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह थानेदार अभी तक उसी अपनी जगह पर उसी जिले में हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन इतनी बात पर उसको हटाने का कोई कारण तो मालूम नहीं होता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि मैजिस्ट्रेट के फैसले के बाद पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जिलाधीश ने इसकी इंक्वायरी नहीं की और सरकार के पास प्रश्न करने के बाद जब आदेश गया है तो इंक्वायरी की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस तारीख को इंक्वायरी हुई, यह तो मुझे सूचना नहीं है।

मथुरा जिले के नन्दगांव तीर्थस्थान पर ट्यूबवेल लगाने का विचार

*४१—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में नन्दगांव एक तीर्थ स्थान है जो ऊंचाई पर बसा हुआ है और जहां हर वर्ष लाखों यात्री ब्रज के महत्व को ध्यान में रख कर दर्शन करने आते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*४२—श्री रामहेत सिंह—यदि हां, तो नन्द गांव में पीने के पानी के कष्ट को ध्यान में रखते हुये एक ट्यूबवेल लगवाने का सरकार विचार करती है ?

डाक्टर सीताराम—इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामहेत सिंह—क्या यह सही है कि गत वर्ष स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया था तो वहां की हालत को देख कर ट्यूबवेल के लिये ८ हजार रुपये देने का वादा किया था कि यह योजना तुरन्त जारी हो जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—८ हजार नहीं बल्कि १० हजार कहा था।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब तक पूरी हो जायगी और कब से काम शुरू होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जब वहां के गांव वाले और मजीद १५ हजार रुपये का इन्तजाम कर लेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ट्यूब वेल के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो गांव वाले बता सकते हैं। जहां तक स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि अगर गांव वाले १५ हजार रुपये इकट्ठा करके देंगे तो हम १० हजार रुपये देंगे वह गवर्नमेंट का वादा वैसे का वैसे ही है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार इस स्थान की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुये पूरा रुपया देकर ट्यूबवेल बनवा देगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका संबंध स्वास्थ्य विभाग से है, मुझसे नहीं है।

आलूखेत, जिला नैनीताल में पहाड़ गिरने के कारण निवासियों का स्थानान्तरण

*४३---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम आलूखेत (आनन्दनगर) गेठिया, जिला नैनीताल के हरिजन निवासियों को पहाड़ के गिरते रहने के कारण जानमाल का भारी खतरा पैदा हो गया है ? अगर हां, तो सरकार उन्हें दूसरी जगह बसने के लिये क्या कुछ सहूलियत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सीताराम---जी हां। इन हरिजनों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस आलूखेत ग्राम के निवासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयत्न हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम---डिवीजनल फारेस्ट आफिसर इस संबंध में अपने आफिसर्स के द्वारा जांच कर रहे हैं और जहां पर भी उपयुक्त जगह पायी जायगी वहां पर उनका प्रबन्ध किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस गांव के निवासियों को कितने अरसे से पहाड़ गिरने से भयानक खतरा है ?

डाक्टर सीताराम---इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस साल गांव का भी एक हिस्सा गेठिया के नीचे पहाड़ गिरने से बरबाद हो गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह आपको अधिक मालूम होगा, यहां कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जंगलात विभाग ने ही पिछले तीन साल से इन गांव वालों को सुरक्षित स्थान देने में आपत्ति की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसी कोई सूचना तो सरकार को नहीं है और मेरा खयाल है कि यह आपकी इत्तला भी गलत है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बावजूद इसके कि बहुत मर्तबा सरकारी कर्मचारियों ने गांव वालों को वहां से हटने के लिये कहा लेकिन गांव वाले वहां से हटने को तैयार नहीं हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, यह भी मुमकिन हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जिला प्लानिंग कमेटी ने इसके लिये एक सब-कमेटी बनायी और गांव वालों ने एक मत से उस कमेटी के सामने रिपोर्ट दी कि हम जाने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी कोई इत्तला सरकार को नहीं है।

बुलन्दशहर-गाजियाबाद-देहली जी० टी० रोड पर मोटर दुर्घटनाएं

*४४---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जनवरी, सन् १९५४, से जून १९५४ तक जी०टी० रोड पर बुलन्दशहर से गाजियाबाद और गाजियाबाद से देहली प्रांत की सीमा तक कितने एक्सीडेंट लारियों व कारों द्वारा हुये और इनमें सरकारी बसों की संख्या क्या थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुल ५ दुर्घटनायें हुयीं जिनमें सरकारी बस द्वारा कोई भी नहीं हुई।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी इन पांच मृतकों के नाम और पता बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नाम किसका मैं नहीं समझा, ब्योरा में बता सकता हूं, एक दुर्घटना में एक साइकिल चालक ११-५-५४ को एक पब्लिक लारी से धक्का खाकर गिरा तो उसकी मृत्यु हो गयी। मामला इस वक्त अदालत में विचाराधीन है। दूसरी दुर्घटना में एक स्त्री १४ जून, १९५४, को एक लारी द्वारा दब कर मर गयी। वह मुकदमा अदालत में है। तीसरी दुर्घटना में एक सवारी लारी पेड़ से टक्कर खा कर एक गड्ढे में गिरी जिसके फलस्वरूप १४ आदमियों को चोट आयी और दो मर गये। बाकी दो मामले हैं जिनमें दो बोझा लादने वाली ट्रकों द्वारा गाजियाबाद से जाने वाली जी० टी० रोड पर दो दुर्घटनायें हुईं जिनमें दो व्यक्ति घायल हुये।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ट्रक वाले जिनसे ऐक्सीडेंट्स हुये हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किये गये हैं या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं जानता। जो इसका नियम होता होगा उसके अनुसार कार्यवाही होती होगी। मुकदमा चलता हो तो शायद लाइसेंस कैंसिल होता हो। ट्रांस्पोर्ट के क्या नियम हैं, मैं ठीक तरह से इस समय बतला नहीं सकता।

बद्रीनारायण मन्दिर का प्रबन्ध व प्रवेश नियम

*४५---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि भारतीय संसद के एक सदस्य को पिछले दिनों बद्रीनारायण के मंदिर में प्रवेश और भगवान के दर्शन और पूजन से वंचित रखा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

प्रश्न संख्या ४५ से ४७ तक श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

*४६—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि बद्रीनारायण मंदिर का प्रबन्ध एक सरकारी कमेटी के सिपुर्द है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मंदिर का प्रबन्ध कानून द्वारा स्थापित एक कमेटी करती है।

*४७—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वहां हरिजनों के लिये मंदिर प्रवेश में कोई रोक है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या गृह मंत्री जी संसद के सदस्य का नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो बद्रीनाथ की यात्रा के लिये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री प्रयागी लाल।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि जो मंदिर कमेटी का सेक्रेटरी है वह स्वयं ही हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को सूचना बिल्कुल गलत मिली है।

*४८-४९—श्री उमाशंकर—[स्थगित किये गये।]

जे० टी० सी० और वी० टी० सी० अध्यापिकाओं के कार्यक्षेत्र व वेतन-क्रम

*५०—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० टी० सी० हाई स्कूल पास अध्यापिकाओं को हायर सेकेंड्री स्कूल में पढ़ाने की मान्यता दी गई है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*५१—श्री रामदास रविदास—यदि हां, तो किस कक्षा तक पढ़ाने की आज्ञा दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—कक्षा आठ तक।

*५२—श्री रामदास रविदास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जे० टी० सी० तथा बी० टी० सी० हाई स्कूल पास अध्यापिकाओं का वेतन बराबर है ?

डाक्टर सीताराम—सहायता प्राप्त संस्थाओं में इन दोनों प्रकार की अध्यापिकाओं के वेतन-क्रम में कोई अन्तर नहीं है। राजकीय विद्यालयों में आरम्भ में वी० टी० सी० अध्यापिकाओं की नियुक्ति रु० ३५-२-४५-२-६५ के वेतन-क्रम में की जाती है और ज्येष्ठानुसार यथासमय उनको भी ४५-८० का वेतन-क्रम दिया जाता है।

श्री रामदास रविदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी .....

श्री शिवनारायण—सवाल लिख करके पढ़ रहे हैं।

श्री रामदास रविदास—कि सहायता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल को इसकी सूचना भेजी गयी है कि जे० टी० सी० तथा बी० टी० सी० अध्यापिकाओं का वेतन बराबर है ?

श्री अध्यक्ष—आप जरा तैयार हो कर आया कीजिये। प्रश्नों को लिखकर लाकर और पढ़ देने की आदत छोड़नी चाहिये।

डाक्टर सीताराम---जी हां।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अध्यापिकाओं की तनख्वाहें रूरल और अर्बन एरियाज में डिफर करती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जहां तक मालूम है ऐसी बात तो नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह आदेश जिलों को कब भेजा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी सूचना चाहिये।

श्री कमला सिंह---क्या यह सत्य है कि म्युनिसिपल बोर्ड में अव्वल, दोयम और तृतीय श्रेणी के जैसे म्युनिसिपल बोर्ड होते हैं उसी के मुताबिक इनको तनख्वाहें भी मिलती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी सूचना चाहिये। लेकिन मेरा खयाल है कि ऐसा होना नहीं चाहिये ।

हाथरस के औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकानों की योजना

*५३---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस में औद्योगिक मजदूरों के लिये मकान बनाने की कोई योजना उसके विचाराधीन थी ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। परन्तु वहां के कारखानों की स्थिति अच्छी न होने के कारण फिलहाल यह विचार स्थगित कर दिया गया है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मकान बनाने की योजना को फिर से चालू करने के लिये वहां के कारखानों की स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने अबतक क्या-क्या कार्य किये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मकानों के बनवाने के लिये तो कारखाने चालू नहीं किए जाते लेकिन सालों से कारखाने के न चलने की वजह से कई सौ मजदूर बेकार पड़े हुये हैं। दो-ढाई वर्ष हो गये। कारखानों के मालिकों के पास पैसा नहीं है। इस वास्ते कारखाने बन्द हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मकानों के लिये जो रुपया केन्द्रीय सरकार की तरफ से अलाट किया गया था वह कहीं दूसरे काम में ले लिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खासकर हाथरस के लिये रुपया अलाट नहीं हुआ। प्रदेश को रुपया अलाट हुआ। अगर साल के अन्दर मकान नहीं बन सकेंगे तो वह रुपया और कहीं बांट दिया जायगा।

*५४-५५---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---[२४ सितम्बर, १९५४, के लिये स्थगित किये गये।]

जिला अलीगढ़ के थाना सिकन्दराराऊ में अपराधों की संख्या

*५६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में सन् १९५४ में अब तक कितने कत्ल हुये तथा ताजीरात हिन्द की धारा ३९५, ३९६ तथा ४५७ अथवा ४५८ के अन्तर्गत कितने जुर्म हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कत्ल की कोई घटना नहीं हुई। ताजीरात हिन्द की धारा ३९५ तथा ४५७ के अन्तर्गत क्रमशः २ और ३७ जुर्म हुये। धारा ३९६ तथा ४५८ के अन्तर्गत कोई जुर्म नहीं हुआ। ये आंकड़े २५ अगस्त सन् ५४ तक के हैं।

ताजमहल के म्यूजियम की समाप्ति

*५७—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि ताजमहल का म्यूजियम वहां से हटा कर अन्यत्र भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ताजमहल संग्राहलय को भारत सरकार ने सन् १९३८-३९ में Hargreaves and Markham's Report on Indian Museums .... की सिफारिश के अनुसार समाप्त कर दिया है।

बाबूनगरा, जिला बरेली में हुई डकैती की जांच

*५८—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली के थाने भमोरा के अन्तर्गत मौजा बाबूनगरा में माह मार्च में डकैती हो गई ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। मामले की जांच की गई परन्तु अपराधियों का पता न लगने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगा देनी पड़ी।

श्री नत्थूसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डकैती पड़ने के बाद इस गांव के आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गये लेकिन वह रिपोर्ट नहीं लिखी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमको यह सूचना मिली है कि रिपोर्ट ठीक-ठीक सेक्शन में उस वक्त नहीं लिखी गई और बाद में डकैती के सेक्शन में लिखी गई।

श्री नत्थूसिंह—इसकी जांच किसके द्वारा कराई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस वक्त रिपोर्ट ठीक-ठीक नहीं लिखी गई यह तो मैं बतला ही रहा हूं। बाकी इस मामले की जांच स्टेशन आफिसर ने की और वह कुछ पता नहीं लगा सके।

श्री रामचरन लाल गंगवार (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस मामले की रिपोर्ट किसने और कब की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अंतिम रिपोर्ट वहां के स्टेशन आफिसर ने लिखी है और उसका पता नहीं लग रहा है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी स्टेशन आफिसर, थाना भमोरा के खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देर से लिखी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

पी० ई० सी० के मिलिटरी इन्सट्रक्टर्स तथा उनकी योग्यताएं

१—श्री भगवान सहाय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि P.E.C. में कितने Military Instructors कहां-कहां और कितनी संख्या में नियुक्त हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आवेदित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२३—६२६ पर।)

२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार इनकी मिलिटरी योग्यतायें बताने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह सूचना भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२३—६२६ पर।)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १७ सितम्बर, १९५४ तक पारित करने के संकल्प का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात सदन के सामने इस विधेयक के बारे में कह देना चाहता हूं। जिस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन ने मंजूर किया है उसके अनुसार आज इस विधेयक को पारित होना चाहिये और जो २ दिन में प्रगति हुई उसके अनुसार अगर आज भी प्रगति रही तो मैं समझता हूं कि १२ बजे तक बैठना पड़ेगा, यह उसका परिणाम होता है क्योंकि प्रस्ताव में लिखा है कि जब तक यह पारित न हो जाय तब तक बैठना है और आज ही बैठना है। तो आज का समय १२ बजे रात तक है। इसलिये सदन की आज्ञा पालन करने में आवश्यक कार्यवाही करने का जो अधिकार मुझे है उसके अनुसार तो मैं साढ़े ११ बजे रात जितने संशोधन रह जायेंगे उन पर विवाद खत्म कर दूंगा और उन संशोधनों पर राय ले लूंगा यही तरीका मुझे अख्तियार करना पड़ेगा तब कार्य समाप्त हो सकेगा। इससे मैं एक सुझाव विचारार्थ सब लोगों के रख देता हूं क्योंकि जिन संशोधनों पर माननीय सदस्य विशेष ध्यान देना चाहते हैं संभव है कि अगर अब तक का तरीका जारी रहा तो उन पर कुछ भी प्रकाश न डाला जा सकेगा। यह ऐसा कठिन विधेयक है कि बहुत से लोगों की समझ में बहुत सी बातें केवल खंडों को पढ़ने से नहीं आतीं, इसलिए विवाद करके प्रकाश डालने की आवश्यकता होती है। अतएव मेरे लिये यह उचित होगा कि मैं एक सुझाव दे दूं। कुछ संशोधन तो ऐसे होंगे जिन्हें उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें प्रस्तावक पेश ही न करें और हर दल के नेतागण अपने दल के सदस्यों को पहले से आगाह कर दें कि जो बहुत आवश्यक और महत्व के संशोधन हों उन्हीं पर वे भाषण दें। दूसरे यह भी हो सकता है कि अगर कोई मामूली संशोधन हो तो उसे केवल पेश कर दें किन्तु भाषण न दें।

इस तरह से कार्यवाही यदि हम लोग दिन भर करते रहें तो सम्भव है कि इस समय के बीच में ११।। बजे रात तक करीब-करीब सभी संशोधन समाप्त हो जायं। इसके ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत विचार कर लें। यदि एक-एक पर ३, ४ भाषण होने लगे तो मैं समझता हूं कि आखिर में शायद ३०, ४० खंड एकदम ही पेश करने पड़ेंगे और इस प्रकार एक-एक संशोधन पर लेंगे तो धाराओं पर विवाद द्वारा विचार नहीं हो सकेगा। मैं सिर्फ इतनी ही सूचना देना चाहता था।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक निवेदन आपकी सेवा में यह करना है कि सरकार क्या अभी तक इस बात को नहीं सोच सकती है कि जिन धाराओं पर विचार नहीं हुआ है उनको वापस ले और उन पर फिर विचार किया जाय ?

दूसरी आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि जो उस दिन प्रस्ताव पेश हुआ उसका दूसरे तरीके से यदि भाष्य किया जाय तो यह होगा कि उस दिन हम तब तक बैठेंगे जब तक कि वह पारित न हो। तो हम लोग आज भी बैठे रहें १२ बजे के बाद भी बैठे और कल भी हम उस पर विचार करते रहें क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री जी का प्रस्ताव था कि शनिवार को भी इस पर विचार किया जाय। यदि सरकार बहुत उत्सुक है कि यह शीघ्र पास हो तो हम सैटरडे को बैठें, संडे को भी बैठें और अगर जरूरी हो तो हम मंडे को भी बैठने के लिये तैयार हैं अगर यह सरकार हठवादिता का परिचय न दे। अगर मैं बहुत मुलायम शब्दों में कहूं तो यह कि यदि यह सरकार उदारता के दृष्टिकोण को अपनाये, अपना जनहित का दृष्टिकोण रखे और किसानों के हानिलाभ का ख्याल करे तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि आज हम ६ बजे तक इसको चलायें। फिर कल बैठ जायं फिर परसों बैठ जायं और जरूरत हो तो सोमवार को भी बैठ जायं क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभी तक १।३ हुआ है और २।३ बाकी है। इस विधेयक में सरकार की तरफ से ५० संशोधन है जो केवल पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब की तरफ से आये हैं। यह विधेयक उनकी सरकार की मर्जी के मुताबिक हो इसलिये उन्होंने वे संशोधन रखे हैं। मैंने जनहित को सामने रख कर यह बात कही है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान जो रामनरेश शुक्ल जी ने प्रस्ताव पेश किया था उसकी शब्दावली की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा था कि उस दिन यह सदन उस समय तक बैठा रहेगा जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय। तो उस प्रस्ताव में यह नहीं था कि यह विधेयक रात के १२ बजे तक पारित किया जाय। ऐसे प्रस्ताव इस सदन में पहले भी आये हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपका ध्यान १५-५-१९५४ की प्रोसीडिंग की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव खासतौर से १६ सितम्बर, सन् १९५० ई० को माननीय मुख्य मंत्री ने रखा था जिसमें कहा गया था कि यह सदन उस समय तक बैठेगा जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय। तो उस दिन १२ बजे रात को चेयरमैन की रूलिंग हुयी तो उन्होंने यह कह दिया कि यह सदन १२ बजे के बाद भी चलता रहेगा और उसका यह अर्थ नहीं है कि १२ बजे तक ही चले। तो १ बजकर १५ मिनट पर उस दिन के चेयरमैन ने यानी १७ सितम्बर को खुद उन्होंने सदन स्थगित कर दिया यानी १२ बजे के बाद भी कोई रुकावट नहीं पड़ी।

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब यह है कि १२ बजे रात को दिन समाप्त नहीं होता बल्कि वह सबेरे ६ बजे समाप्त होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---वह सदन चलता ही रहेगा जब तक कि वह बिल समाप्त न हो। इसमें १२ बजे की कोई रुकावट नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की तरफ दिलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि हर एक बात साफ-साफ होनी चाहिये। पहली बात तो यह है कि जो प्रस्ताव उस दिन पेश हुआ था उसकी नकल मेरे पास नहीं है नहीं तो मैं शब्दों को पढ़ कर स्पष्टीकरण कर देता। जहां तक मेरा ख्याल है उसमें यह लिखा है कि १७ सितम्बर को खत्म हो जाय, १७ सितम्बर को पारित कर दिया जाय, यह नहीं है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन कब तक बैठा रहे। बाद के शब्दों में ऐसा जरूर है कि कुछ विरोधाभास सा दिखाई देता है। लेकिन उसमें यह है कि १७ को पारित हो जाय तथा दूसरी बात यह है कि इसके बाद भी जब तक वह पारित न हो जाय यह सदन बैठे। इन दोनों चीजों का मुझे समन्वय करना है। इस संकल्प में यह तो निश्चित मालूम होता है कि यह १७ को पारित हो जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी---इसीलिये मैं आपका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर ले जाना चाहता था क्योंकि इस प्रस्ताव में कुछ विरोधाभास मालूम होता है। पहले तो इसमें यह कहा गया है कि 'तारीख १७ को पारित कर दिया जाय' लेकिन बाद में यह कहा गया है कि 'यह सदन तब तक बैठेगा जब तक पारित न हो जाय'। इसका समन्वय आपको ही करना है। इसी सम्बन्ध में मैं हाउस आफ कामन्स की नजीर रखना चाहता था। हाउस आफ कामन्स में ऐसा प्रस्ताव हाल ही में दो बार आया। एक बार हाउस आफ कामन्स ३४ घंटे बैठा।

श्री अध्यक्ष---आप हाउस आफ कामन्स के प्रस्ताव की भाषा पढ़ें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---हाउस आफ कामन्स में दो लाइन का प्रस्ताव आया है। वहां की प्रणाली दूसरी ही है लेकिन वहां इस सम्बन्ध में जो परिपाटी रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---लेकिन जो शब्दावली है मुझे तो उसी के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---इस सम्बन्ध में आप लंच के बाद निर्णय दे दें। मैं भी आपको सब चीजें बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं तो केवल एक सूचना देना चाहता था, उससे शायद आपको कुछ ग़लतफहमी हो गयी है। मैं यह चाहता हूं कि अपने-अपने दल के नेता भाषणों में कुछ इस प्रकार का संयम रखें जिसमें जो प्रस्ताव पास हो गया है उसके अनुसार अपने आप कार्यवाही हो जाय। इसके बाद मैंने यह कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो मैं यह करूंगा कि जिसमें साढ़े ग्यारह बजे बहस समाप्त हो जाय, लेकिन यह मेरा फैसला नहीं है, इस प्रकार का मेरा एक सुझाव है क्योंकि मैं यह चीज नहीं चाहता कि मुझे इस किस्म की कोई चीज करना पड़े इसलिये मैंने यह सुझाव दिया था कि भाषणों में अगर कुछ संयम और अनुशासन रहे जिससे अधिक संख्या में संशोधनों पर भाषण न होने पायें।

इसके पश्चात् माननीय राजनारायण जी ने एक नई बात कही। सदन में इसके ऊपर विचार नहीं हो सकता, यह बाहर की बात है। दोनों दल मिल कर कोई भी बात तय कर सकते हैं, उस दिन यह बात तय हुई थी कि शनिवार को बैठक नहीं होगी लेकिन अगर तैयार हैं तो राजस्व मंत्री से वे बात कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव में या कार्यक्रम में कोई फर्क करना चाहते हैं तो सदन हर समय कर सकता है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमन्, मैं बाअदब यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपने अर्थ लगाया है रेजोल्यूशन का उससे मैं सहमत हूं और मुख्तसरन जो माननीय नेता जी विरोधी दल ने बात फरमायी उसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस बिल को वापस ले लिया जाय, मुझे उनका यह सुझाव अस्वीकार है। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने अभी फरमाया कि लंच टाइम में आप बातचीत कर लें तो श्रीमन् मेरा तजुर्बा उनसे बातचीत करने का

[श्री चरण सिंह]

बड़ा तल्ख रहा है इसलिये मैं उस गलती को दुहराना नहीं चाहता, मैं साफ कहे देता हूं। तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा, अगरचे कि गैर मुताल्लिक बात है लेकिन वे उससे बाज नहीं आते उसे कहने से और वे बातें फैलती रहती हैं कि यह जो किसानों का गला काटने वाला कानून है, वापस हो जाय, श्रीमन् मैं यह सुना करता था कि पहले अगर कोई गलत बयानी करता था तो बिजली गिर जाती थी लेकिन अब यह छत भी नहीं गिरती।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--- अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो सुझाव माननीय राजनारायण जी ने दिया है कि हम शनिवार व एतवार को भी बैठने के लिये तैयार हैं, वे उस पर फिर विचार कर लें और यदि सम्भव हो तो स्वीकार कर लेने की कृपा करें तो अच्छा होगा। वैसे तो जैसा कि आपने कहा कि साढ़े ११ बजे बहस बन्द करके पूरा विधेयक पारित हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जी इसे न चाहते हैं और इस सदन के लिये भी शोभाजनक नहीं होगा। शनिवार को न बैठने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय और सरकार की ओर से ही आपत्ति उठायी गयी थी। श्री राजनारायण जी ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठायी थी इसलिये हम समझते हैं कि शनिवार और एतवार को बैठ लिया जाय तो ठीक है क्योंकि इससे अधिक समय भी मिल जायगा और फिर भी अगर बहस समाप्त न हो तो उस अवसर पर भी जो उचित कार्यवाही हो, की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष---सब दल के नेताओं ने अपनी-अपनी बातें बतला दीं। तो मैं इस प्रश्न को यहीं छोड़ता हूं और कार्यवाही शुरू होती है। इस बीच में जो प्रार्थनायें की गयी हैं उसके ऊपर सभी दल के नेता लोग विचार कर लेंगे और मैं समझता हूं कि अगर कोई रास्ता निकल आये तो ठीक है और अगर न निकला तब मैं उसके ऊपर कोई फैसला दूंगा कि क्या कार्यवाही होगी और श्री नारायण दत्त जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके ऊपर मैं बाद में निर्णय दूंगा। लेकिन इस बीच में आपस में विचार कर लें तो अधिक अच्छा होगा।

*उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड ५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--- अब उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन् एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रात को हम लोग यहां बैठेंगे तो खाने का प्रबन्ध आप की ओर से होगा या माननीय राजस्व मंत्री की ओर से होगा ?

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि बीच में लंच के टाइम में विचार कर लिया जायगा।

श्रीमती चन्द्रवती के संशोधन पर बहस जारी है।

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ को कार्यवाही में छपा है।

† खंड (५) १६ सितम्बर, १९५४ को कार्यवाही में छपा है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया चन्द्रवती जी ने जो संशोधन रखा है उसको अगर वास्तव में देखा जाय तो मैं समझता हूं कि जो हिन्दू धर्म के अन्दर फिलासफी नहीं है उसको वे लाना चाहती हैं जिसको मैं समझता हूं कि यहां के ऐबोरिजिनल (आदिम) जातियों में जो परम्परा थी उसको वे यहां कायम करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि मेल डिसेंडेंट (पुरुष उत्तराधिकारी) के बदले फिमेल (स्त्री) डिसेंडेंट जो है वही उत्तराधिकारी हुआ करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस परम्परा को कायम करने की बात है उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इस परम्परा को कायम करने से जो यहां के गरीब हैं और जो छोटे किसान हैं और जो अभी तक सीर और खुदकाश्त के काश्तकार रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर उन्होंने विचार नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस विषय पर कई बार विवाद हो चुका है कि हमारे जो भूतपूर्व जमींदार थे या इस समय जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं, अगर उनके संशोधन को मान लिया जाय तो वह यह नीति बरतेंगे कि जितनी उनकी जायदाद हैं जिस पर वह स्वयं काश्त नहीं करते हैं, चाहे वह भले ही काश्त करने के योग्य न हों वह हमेशा अपनी काश्त स्त्रियों के नाम करा देंगे। यह जो संशोधन हैं उनके अनुसार मैं समझता हूं कि स्त्रियां दोनों ओर पति की ओर से और पिता की ओर से भी वह दोनों ओर उत्तराधिकारिणी होंगी। कहीं भी अगर उनके नाम से काश्त कर ली गई तो उस पर काश्त करने वाले लोग कभी भी कब्जा नहीं पा सकेंगे जो वाकई में काश्तकार उसके होंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि श्रीमती चन्द्रवती जी यहां नहीं हैं अगर वह होतीं तो मैं उनसे अपील करता। पता नहीं कि किस स्वार्थवश उन्होंने यह संशोधन रखा है अगर देखा जाय तो स्त्रियों में सब से अधिक अंश मातृत्व का होता है, उनमें दीन दुखियों की सहानुभूति की अधिक भावना होती है। मुझे विश्वास है कि अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो जब वह मातृत्व पद को प्राप्त होंगी तो उन्हें यह.....

श्री अध्यक्ष—आप थोड़ी सी उपमा ठीक नहीं दे रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)— मैं यह प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि "आपने स्वार्थवश यह संशोधन रखा है"। क्या यह सदन में कहना उचित है?

श्री अध्यक्ष—मैंने सुना तो नहीं लेकिन यह वैधानिक नहीं है अगर कहा है तो यह अनपार्लियामेंटरी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें वापस लेना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—अगर वह पार्लियामेंटरी नहीं है तो मैं उसको वापस लेता हूं। तो जैसा कि कई बार कहा जा चुका है कि अब तक जो रवैया रहा है कि पहले 'विधवा' न होकर 'स्त्री' लिखा हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि कई बड़े काश्तकारों ने अपनी स्त्रियों के नाम जमीन करा दी। यह संशोधन उस समय अधिक उपयुक्त होता यदि जहां 'विधवा' आया है वहां 'विधुर' होता। विधवा को ही सुविधा दी गई है कि उसके शिकमी काश्तकारों को मौरूसी हक़ प्राप्त न होंगे और वह चाहें तो बेदखल करा सकती हैं। इसलिये विधवा स्त्री के नाते जो सरकार की पालिसी हो सकती है उसमें काफी हद तक उनको सुविधा दी गई है कि स्त्रियों को पुरुषों से अधिक अधिकार दिये जायं। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह उसे वापस कर लेंगी क्योंकि इससे मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो हिन्दू फिलासफी है कि मेल डिसेन्डेंट माना जाता है लेकिन उनके अनुसार फीमेल डिसेंडेंट हों तो हमें इस तरह से फिर अपनी पुरानी परिपाटी पर जाना पड़ेगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन पर अभी जो माननीय सदस्य ने एतराज किया कि इससे बहुत से लोग अपने खेतों को बचाने के लिये स्त्रियों के नाम कर देंगे। अगर मेरे मित्र इस संशोधन को पढ़ते तो ऐसी बात कभी नहीं कहते इसमें लिखा है कि "जो उनको उत्तराधिकार में प्राप्त हो"। इसके माने यह है कि अगर कोई पिता या पति हस्तांतरित करे तो वह इसमें नहीं आता है, इसमें केवल वही आता है कि जो उसे उत्तराधिकार में मिले। माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में काफी विश्लेषण किया था। इसमें दो मामले रह जाते हैं कि जब खाता पिता से पुत्री को पहुंचा या भाई से बहिन को पहुंचा यह उत्तराधिकार का मसला है। कोई अपनी खेती को बचाने के लिये ट्रांसफर कर दे वह मामला इसमें नहीं आता है। अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस जमाने में जिसमें हम आज कल हैं परिवर्तनशील हैं उसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। आज तक हिन्दू समाज में कभी भी डाइवोर्स का सिस्टम नहीं था लेकिन जैसा अभी हम पत्रों में पढ़ रहे हैं कि लोक सभा में तय किया जा रहा है कि हिन्दू समाज में भी डाइवोर्स हो। वह आपस में रजामन्दी से भी हो सकेगा। मुस्लिम समाज में तो पहले से डाइवोर्स चला आता है और हमारे हिन्दू समाज में भी वह जातियां जो छोटी कहलाती हैं उनमें भी लोग स्त्रियों को छोड़ देते हैं और फारिग़खती लिख देते हैं। तो इस तरह हम आज जिस जमाने में चल रहे हैं उसमें स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जा रही है और पति उनको छोड़ सकता है और स्त्रियां भी तलाक दे सकती हैं। ऐसी दशा में जब उनके पास कोई जायदाद हो, कोई सम्पत्ति हो उस पर भी वह अपना कब्जा रख सकें तो ठीक होगा। हिन्दू कानून में भी स्त्री धन होता था और वह धन उनके पास सदैव रहता था, उसी को अधिकार होता था कि जिस तरह वह चाहे प्रयोग में लावें। इसी तरह से जो खाते उत्तराधिकार में मिले हैं उसकी हैसियत बिल्कुल स्त्री धन के तुल्य है। जब स्त्री धन के तुल्य ह तब मुझको उचित जान पड़ता है कि वह स्त्री धन के समान ही उसको प्रयोग में ला सकें।

श्री अध्यक्ष---सदन में बातचीत बहुत चल रही है इसलिये शब्द सुनाई नहीं देते। मैं चाहता हूं कि शान्ति रहे।

श्री रतन लाल जैन---मैं अर्ज करना चाहता हूं कि विवाह के बाद स्त्री अकसर दूसरे स्थान पर चली जाती है। जहां उसको सम्पत्ति मिली वह अगर एक स्थान पर है और विवाह होने के पश्चात् वह दूसरे स्थान पर चली जाती है। अब वहां पर यह सम्भव है कि वहां का वह प्रबन्ध कर सके और यह भी सम्भव है कि उसका पति मुलाजिम हो या नौकरी पेशा हो। ऐसी हालत में बड़ी दिक्कतें पड़ेंगी। तो ऐसी दशा में यह उचित ही जान पड़ता है कि केवल वह खाते जो लड़कियों को या बहिनों को अपने पिता से या भाई से मिलते हैं उनको वह स्त्री धन के तुल्य प्रयोग में ला सकें और उनको जैसा कि अब तक होता रहा है उनको सबटेनेंट्स को शिकमियों को उठा सकें। यह उचित जान पड़ता है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। गवर्नमेंट ने आज कई सालों से इसका एक्सपेरीमेंट करके देखा और स्त्रियों को जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में अधिकार दिये। लेकिन प्रतिफल उसका हमने देखा कि जिन स्त्रियों के नाम लिखा हुआ था उन्होंने वह नंगा नाच किया जैसा कि ठाकुर साहबों ने किया। श्रीमती चन्द्रवती जी यहां नहीं हैं नहीं तो मैं उनसे पूछता कि उनका अपने यहां के हरवाहों के साथ कैसा व्यवहार है। मैं अपने यहां की बात कहता हूं। हमारे गांव के जो जमींदार साहब हैं उन्होंने अपनी स्त्री के नाम सारी जमीन लिखा रखी है। वह स्वयं वहां रहते नहीं और वह उनकी स्त्री साहबा जैसा कि पुरुष शासन करते हैं ठीक वैसा ही करती हैं। क्या-क्या जुल्म नहीं होता है। मैंने देखा है। इस सदन में ही कल जो यह स्त्री स्वतंत्रता का रूप चला है उसका प्रतिफल हमने यहां सदन में देख लिया कि यह जो अमेंडमेंट था वह माननीय जैन साहब के नाम में था लेकिन उन्होंने स्वयं पेश न करके श्रीमती चन्द्रवती जी से उसको पेश करवाया।

श्री अध्यक्ष---अब आप और आगे न बढ़ें।

श्री शिवनारायण---मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती चन्द्रवती देवी ने कल यहां सदन में फरमाया था कि हम स्त्रियों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उन्होंने कहा था कि हम ११ स्त्रियां यहां हाउस में हैं और ४२० पुरुष आप एम० एल० ए० हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम एक्चुअल मेम्बर्स ४१९ हैं, इसके बाद एक आदमी गवर्नर महोदय का नामिनेट किया हुआ है। वह यह समझ लें कि हम ४१९ हैं...

श्री राजनारायण---आपका मतलब है कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को ४२० कर दिया।

श्री शिवनारायण---मैं आपकी बात का जवाब इस वक्त नहीं देता। तो मैं श्रीमती चन्द्रवती देवी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जितने सदस्य यहां बैठे हैं ४२० नहीं हैं, भले आदमी हैं। और कल वह दूसरी बात समता की कह रही थीं। भारत के संविधान में हमने स्त्रियों को बराबर कसमानता दी है और आज उसी का फल है कि वह इस सदन की सदस्या हैं, वह वकालत पढ़ रही हैं लेकिन कोई प्रतिबन्ध उन पर नहीं है। सरकार उनके ऊपर, उनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं कर रही है। आज हम अपने समाज को उठाना चाहते हैं, वह चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब के साथ एक सम भाव का व्यवहार हमारी प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार कर रही है। हम कोई दकीका नहीं उठा रहे हैं। मैं माननीया चन्द्रवती देवी से प्रार्थना करूंगा कि वह जरा भारत की दशा को देखें, अपने गांव के नंगे भूखे किसानों की दशा देखें कि जिनके लिये यह बिल सदन में उपस्थित किया गया है और आज रात १२बजे तक पास किया जायगा और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि ऐसा बिल इस सदन में लायें कि जिससे पिछले बिल की खराबियां दूर हो कर वास्तव में गरीब किसानों की भलाई हो सके। मैं पुनः देवी जी से कहूंगा कि "गरीबों को मिले रोटी तो हमारी जान सस्ती है" आज हमारी सरकार इसी कदम पर, इसी रास्ते पर जा रही है। अन्त में मैं उनसे अपील करूंगा कि वह ऐसी बाधायें उपस्थित करके गरीब किसानों की राह में रोड़ा न अटकायें और अपने इस अमेंडमेंट को वापस ले लें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के साथ हाउस की कितनी शक्ति है यह केवल इस बात से प्रतीत होती है कि यह संशोधन १० सदस्यों के नाम में है। हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि यदि स्त्रियां विडो हों, सेपरेटेड हों या डाइवोर्स्ड हों तो उनको वैसे ही अधिकार हैं लेकिन जैसा कि हमारे मित्र जैन साहब ने कहा कि हमारी हिन्दू स्त्रियों में अभी तक डाइवोर्स नहीं हो सकता था, शायद दो ढाई महीने बाद, जब हमारा स्पेशल मैरिज विधेयक लोक सभा द्वारा पास हो जाय तब हो सके, लेकिन जैसा कि मोहमडेन ला में है उसके विपरीत यह डाइवोर्स तभी हो सकता है जब कि दोनों पति-पत्नी की सम्मत्ति हो जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों की स्वीकृति होना एक असंभव सी चीज है इसलिये कि आज हमारे समाज में स्त्रियां और पतियों के बुरे, स्ट्रेन्ड रिलेशन्स हैं, अच्छे ताल्लुकात आज नहीं रहते हैं और इसलिये मैं समझता हूं कि स्त्रियों के पति आसानी से अपनी स्वीकृति नहीं देंगे क्योंकि आज की सोसाइटी में ऐसा करने से उनके परिवार के ऊपर एक धब्बा आता है। अगर वह स्वीकृति दें तभी डाइवोर्स का कोई सवाल उठता है।

सेपरेशन का भी हिन्दू-समाज में प्रश्न नहीं उठता है। हां, यह ठीक है कि कुछ लाभ यदि होता है तो हमारी विधवाओं को अवश्य होता है।

[श्री वीरेंद्रपति यादव]

फिर मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि जिन स्त्रियों के नाम में खाते होंगे वह खाते उसी गांव में होंगे जहां पर उनके पति रहते हों। यह खाते उनकी ननिहाल में हो सकते हैं या और दूसरी जगह हो सकते हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह से संभव है कि उसका पति मुरादाबाद में रहता हो और यदि उस स्त्री का खाता इटावा जिले में है तो उसका पति इटावा जाकर वहां खेती कर सके ? इसी तरह से यह भी एक तर्क हमारे जैन साहब का ठीक मालूम पड़ता है कि यदि पति सरकारी कर्मचारी है या मंत्री के पद पर इस हाउस में बैठा है तो क्या मंत्री या सरकारी कर्मचारी उस गांव और जिले में जाकर अपनी पत्नी की तरफ से खेती कर सकेगा ? तो मैं समझता हूं कि जो अब तक धारा १० में था वह उचित था और मैं समझता हूं कि स्त्री जाति के प्रति यह बड़ा अन्याय होगा अगर सरकार ने श्रीमती चन्द्रवती देवी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

जहां तक यह कहना है कि अक्सर ऐसा होता है कि पति लोग या दूसरे उनके परिवार के स्त्रियों के नाम खाते पर दिया करते हैं, मैं समझता हूं कि कुछ ही उदाहरणों से आप एक सिद्धांत नहीं बना सकते हैं, बल्कि एक आम चीज लेते हुये किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा । मैं तो समझता हूं कि यह जो अधिकार का प्रश्न है, सब-लेटिंग का प्रश्न है वह सरकार को मंजूर करना चाहिये। वरना मैं तो समझता हूं कि स्त्री वर्ग के प्रति एक अन्याय होगा और जैसा कि मंत्री महोदय के सामने भी आया होगा, एक अपील बिजनौर की स्त्रियों की तरफ से निकली हुई है और वह इस सदन के सदस्यों को भी भेजी गई है । उन्होंने बहुत से तर्क देते हुये यह कहा कि यह अधिकार देना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि बिजनौर की स्त्रियों की जो अपील है वह ५१ जिलों की पुकार है और मैं समझता हूं कि ६ करोड़ में तीन सवा तीन करोड़ जो जनता है उनकी अपील है । तो मैं समझता हूं कि जो अधिकार मांगा जा रहा है यह उचित ही है और जो संशोधन माननीया चन्द्रावती देवी जी की तरफ से किया गया वह ठीक है और वह स्वीकार होना चाहिये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय माननीया चन्द्रवती जी ने जो संशोधन रखा है दुर्भाग्यवश सदन में उसके संबंध में भावनाओं का प्रश्न अधिक आ गया और तर्क का प्रश्न कम रह गया। भावनावश माननीया चन्द्रवती जी ने अनुभव किया कि पुरुष जाति बहुत अन्याय करती है और इस छोटे से अधिकार को नहीं देना चाहती। और उसके बिलकुल विपरीत पुरुष वर्ग के प्रतीक माननीय शिव नारायण ने कुछ और ज्यादा बढ़ कर कुछ ऐसी बातें कह दीं कि जिनसे जो भावनाओं को पहले चोट लगी हो, इनसे कुछ और ज्यादा चोट लगे। मैं इस सदन से श्रीमन् के द्वारा केवल यही निवेदन करूंगा कि माननीया चन्द्रवती जी के इस संशोधन को यदि सदन स्वीकार करता है तो उसका तार्किक परिणाम दुष्परिणाम या सुपरिणाम क्या होगा। धारा २१ का संबंध मूल अधिनियम में केवल इस बात से है कुछ उल्लिखित वर्ग के किसानों को कुछ वह सुविधायें प्राप्त हों जो कि दूसरे कृषकों को न हों और उनमें कुछ वर्गीकरण है जिनके द्वारा जिन कृषकों के खाते पर दूसरा व्यक्ति काबिज है तो उसको अधिकार प्राप्त न हो और उसकी संज्ञा केवल असामी की रहे । इसमें धारा १५७ का उल्लेख है और मैं इस सदन के सामने उस धारा १५७ की उपधारा केवल पढ़े देता हूं जिससे इस संबंध में बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है—

"A bhumidar or a sirdar or an asami holding the land in lieu of maintenance allowance under section 11 (a):

an unmarried woman or if married, divorced or separated from her husband, or a widow,

तो हमारे पास में इस प्रकार की उपधारा के होते हुये माननीया चन्द्रवती देवी जी के संशोधन की कोई आवश्यकता है या नहीं यह सदन को विचार करना है। अगर माननीया चन्द्रवती जी का यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका अर्थ यह है कि वैधानिक रूप से आज अगर कोई मेरे माननीय मित्र पुरुष या स्त्री एक दूसरे से विपरीत होने की बात या एक दूसरे से बड़े छोटे होने की बात करते हैं तो मैं केवल उनको यह स्मरण दिलाऊंगा कि वैधानिक रूप से आज पुरुष और स्त्री का एक सा स्थान है और उसमें बड़े छोटे होने का कोई प्रश्न नहीं है। और ऐसी स्थिति में यदि माननीया चन्द्रवती देवी जीका संशोधन स्वीकार किया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि स्त्री वर्ग भी चाहे उसमें कुछ वह असुविधायें हों या न हों जिनका कि उल्लेख धारा १५७ की (ए) में है, तो भी उनको कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिनका कि परिणाम यह हो सकता है कि उन अधिकारों के द्वारा यह पुरुष वर्ग जिसके संबंध में माननीया चन्द्रवती जी ने कुछ बातें कहीं, उस आड़ में कुछ अपना दूसरा स्वार्थ सिद्ध करे। मैं इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण यह रखूंगा कि माननीया चन्द्रावती जी के कथनानुसार अगर सदन उसको स्वीकार कर ले, तो मैं यह सदन से निवेदन करूंगा कि उनके कहने के अनुसार कुछ भूमि ऐसी हो सकती है जो कि दान के रूप में या और किसी दूसरे प्रकार से स्त्री वर्ग को दी जाय, मैं स्वीकार करता हूं कि दी जा सकती है, दी जाती रही है और भविष्य में भी दी जायगी, तो उस स्त्री वर्ग को यदि कुछ भूमि दी जाती है और उसको वह अपने स्वत्व से, अपने अधिकार में रखती है तो इसका परिणाम क्या होगा। स्त्री का विवाह हो गया? विवाह के पश्चात् कुछ भूमि का अंश स्त्री के नाम से है कुछ पुरुष के नाम से है, पुरुष की भूमि पर कोई भी कृषक या कोई भी व्यक्ति अगर कब्जा करता है तो उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है, स्त्री की भूमि पर अगर कब्जा करता है तो उसको कुछ अधिकार नहीं प्राप्त होता। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि नित्य प्रति यह किया जायगा कि अधिक से अधिक भूमि स्त्री के नाम करायी जायगी। फिर हमारे सारे भूमि सुधार संबंधी अब तक किये गये कार्य जो हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जायगा। तो मैं इन शब्दों के साथ सदन से यह निवेदन करूंगा कि जहां तक माननीया चन्द्रवती जी के संशोधन का प्रश्न है उसकी भावना में कोई दोष नहीं है और उसके संबंध में यदि माननीय मंत्री महोदय कोई और दूसरा नियम निकालें और कोई और संशोधन लायें तो मैं उसे स्वीकार करूंगा किन्तु यदि इस स्थान पर इन शब्दों को जोड़ा जाय तो मैं बहुत निष्ठापूर्वक केवल यह निवेदन करूंगा कि उसका दुष्परिणाम हो सकता है और माननीया चन्द्रवती जी जो शिकायत कर रही हैं और जो याचना कर रही हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा।

(श्री अध्यक्ष ने राजा वीरेंद्र शाह का नाम पुकारा।)

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय वीरेंद्रशाह के भाषण के बाद मैं इसे लूंगा।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, जो संशोधन श्रीमती चन्द्रवती जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक शिकमी को अधिवासी के राइट देने के लिये कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक उन लोगों को जो शिकमी हों उनको सीरदार बना दिया जाय या अधिवासी बना दिया जाय, केवल इस चीज के लिये जितने भी हमारे सोशलिस्ट भाई या हमारे कांग्रेसी भाई हैं वह इस बात को भूल जाते हैं कि और भी चीजें हैं? यह मैं मानता हूं कि जो आदमी जोतता है उसको जमीन से बेदखल न किया जाय इस बात को तो मैं मानता हूं कि कोशिश की जाय लेकिन यहां इस बात को भी देखना है कि आपने इस ऐक्ट में धारा १०(२) में यह रखा है "औरत" और तब जबकि इसका कोई सवाल नहीं था कि इस तरह की चीजें आयेंगी और इस तरह से लोगों को परेशानियां होंगी, उस समय इस भवन ने यह तय किया था। चन्द्रवती जी तो और भी आगे जाती हैं। उन्होंने तो यह कहा कि जो जमीन

[राजा वीरेन्द्रशाह]

उसको मिली हो उत्तराधिकार में मिली हो या वारिसन मिली हो। मैं श्रीमन् कहता हूं कि हमारा जो बिल है उसमें भी १०(२) में उनकी रक्षा की गई है और हमारे धर्म शास्त्रों में तो, श्रीमन् मैं वह शब्द लेना नहीं चाहता हूं स्त्रियों को अबला माना है और उनकी सम्पत्ति तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिये हमने हर प्रकार की उनको सुविधायें दी हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि फिर क्या बात है कि हम स्त्रियों को यह अधिकार न दें। मैं मानता हूं जैसा कि कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बहुत से गरीब काश्तकार सीरदार होने से वंचित रह जायेंगे जो उनका संशोधन मान लेने के बाद होगा। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को बेदखल होना पड़ेगा। श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि आपके इस कानून के होते हुये जबरदस्ती लोगों ने लेली और आपका कानून रखा रह गया। उनका सरकार क्या करेगी। बहुत से लोगों ने अपनी जमीन जोत ली। अपने उनके व्यवहार थे, उन्होंने ईमानदारी से छोड़ दी। वह नहीं चाहते हैं कि इस तरह से सरकार ५-५ साल लगाकर उनको बेईमानी सिखाये। हमें मजबूर किया जाता है और कानून के द्वारा भावना बताकर, लोगों के साथ दगाबाजी और धोखा देने की प्रवृत्ति पैदा करना सिखाया जाता है।

श्रीमन्, यह हालत है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कल माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि इन इन औरतों को बेदखली के हक मिलेंगे लेकिन जो विवाहिता स्त्री है और जिनके पति जिन्दा हैं उनको बेदखली का हक नहीं मिलेगा। एक स्टेट कोर्ट आफ वार्ड्स की है जो स्त्री के नाम से थी उनके पति मौजूद हैं। क्या उनके पति उस स्टेट का इंतजाम नहीं देख सकते थे? लेकिन सरकार ने उचित समझा उनकी स्त्री के हक की सुरक्षा के लिये स्टेट कोर्ट आफ वार्ड्स कर दी। यह इसी मंत्रिमंडल की बात है और २-३ साल पहले की बात है उनकी स्टेट को कोर्ट आफ वार्ड्स में ले लिया गया है यह जानते हुये कि उनके पति मौजूद हैं और उनमें कोई झगड़ा भी नहीं है। एक दूसरे को मानते हैं और साथ-साथ रहते हैं और स्टेट का उनके पति इंजताम भी करते हैं। लेकिन सरकार ने उनकी स्टेट कोर्ट आफ वार्ड्स में लेकर यह साबित कर दिया कि उनके हाथ में स्टेट के रखने में उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को मालूम है। जो स्टेट का इन्तजाम रने वाले उनके पति हैं वह धारा सभा के सदस्य आज भी हैं और पहले भी रहे हैं। लेकिन यह कहना कि स्त्री के पति के होने पर यह मुमकिन नहीं है कि वह इंतजाम न करे, ठीक नहीं है। इसके लिये गुन्जाइश है। मैं मंत्री जी से पूछता हूं और अगर उनको नाम न मालूम हो और वह चाहेंगे तो मैं उनको नाम बतला दूंगा।

श्रीमन्, श्रीमती चन्द्रवती जी को एक भय है मान लीजिये कि किसी स्त्री के सौत है और वह चाहती है कि उसकी प्रापर्टी का इंतजाम पति न करे तो वह नहीं करेगा और यदि करेगा तो दूसरी औरत को देगा। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये यदि कुछ अधिवासी रह जायेंगे तो रहने दीजिये। उन्होंने काफी समय तक लाभ उठाय है। मैं इसको सपोर्ट करता हूं और समझता हूं कि यह उचित है

श्री ब्रजविहारी मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि जो दलीलें दी गई हैं उनमें केवल जजबात से और जोश से काम लिया गया है। कल मैंने बहुत ही तफसील के साथ अपना नुक्ते निगाह बतलाया था कि बेटियों और बहिनों को हक बेदखली देने की क्यों जरूरत नहीं है इसके अलावा और कोई नई दलील मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "रहे हों" और शब्द "तो" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"या, यदि क्षेत्रपति स्त्री हो और उसको खाता उत्तराधिकार में मिला हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७

विपक्ष में—१३७।)

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) की पंक्ति ६ में शब्द "धारा २० के खंड (क) के उपखंड (२) या खंड (ख) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार या अध्यासीन व्यक्ति" के स्थान पर कामा (अर्धविराम) तथा शब्द "धारा २० के खंड (क) के उपखंड (२) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार या उक्त धारा के खंड (ख) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट अध्यासी" रख दिये जायं।

यह शाब्दिक संशोधन है। पहले काश्तकार और अध्यासी दोनों खंडों को एक जगह रख दिया गया था। अब इस संशोधन से काश्तकार का खंड अलग और अध्यासी का खंड अलग रख दिया गया है। पहले वाला जरा अच्छा नहीं लगता था इसलिये दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) की पंक्ति ६ में शब्द "धारा २० के खंड (क) के उपखंड (२) या खंड (ख) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार या अध्यासीन व्यक्ति" के स्थान पर कामा (अर्धविराम) तथा शब्द "धारा २० के खंड (क) के उपखंड (२) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार या उक्त धारा के खंड (ख) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट अध्यासी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—संभव है कि इसमें थोड़ी देर लग जाय और इसके बाद बीच में जिस समय खंड ४ आये और उस पर राय लेने का प्रश्न आये उस समय शायद मैं न रहूं। इसलिये मैं उस पर निर्णय दे देना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि खंड ४ में जो शब्द "अतएव" के पहले आये हैं वे सब शब्द और सब वाक्य क्या उस खंड के भाग रहेंगे या नहीं।

श्री चरणसिंह—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें वजह बयान की गयी है। जो उसकी मंशा है केवल वही संशोधन के तौर पर मूल अधिनियम की धारा में जायगी और उसमें बयान करने की जरूरत यों भी हुई कि उसको रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी इसी विधान सभा से इसी तरह के दो अधिनियम पास हो चुके हैं जिनमें बीच में कारण दिया हुआ है और हमारे लीगल ऐडवाइजर्स ने इस ड्राफ्ट को देखा है और वे कहते हैं कि इस तरह का ड्राफ्ट जायज है और देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो जहां तक इस प्रकार का मसौदा किसी कानून का है कि जिसमें कारण भी दिये जाते हैं, इसको असाधारण सा मसौदा कहा जा सकता है। साधारण नियम मसौदे के संबंध में यह है कि कारण न दिये जायं क्योंकि अगर हर एक कानून में कारण दिया जाता है तो विधेयक की कोई इंतहा ही नहीं होगी। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कारण देने की प्रथा, मैं समझता हूं कि यद्यपि कम रही है लेकिन रही अवश्य है। परन्तु बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग जो है उसमें ऐसा नहीं होता। यह पहले पुरानी प्रथा रही है कि अधिनियमों और विधेयकों में ऐसी बातें पायी जाती थीं और आगे चल कर इस तरह का कोई कारण पेश करने का तरीका

[श्री अध्यक्ष]

नहीं रहा। लेकिन परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है जैसी कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने अभी बतायी, मसविदा तैयार करने के जिम्मेदार हैं। ऐसी अवस्था में अध्यक्ष का सिर्फ आगाह करने का ही काम है कि जिसमें मसौदा ठीक हुआ करे और इसी प्रकार अन्य माननीय सदस्य भी आगाह कर सकते हैं। मैं सदन का वह अधिकार अपने इस निर्णय से नहीं छीनना चाहता हूं चाहे कोई शब्दावली वाजिब हो या गैरवाजिब हो कि सदन उस पर विचार करे और उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इस प्रकार की शब्दावली विधेयक में विचारार्थ पेश न हो सके। यह अध्यक्ष नहीं कह सकता। वह तो विचारार्थ पेश हो ही सकती है और सदन उस पर अपना निर्णय दे ही सकता है। अध्यक्ष बीच में उसमें नहीं पड़ सकता है अगर इस प्रकार की शब्दावली स्वीकृत होने पर भी गलत हो या व्यर्थ हो या कानून के हिसाब से अनुचित हो तो उसका निर्णय मैं समझता हूं कि बाद में अदालत के द्वारा ही हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी सदन की और सरकार की जिन्होंने पेश किया, रहेगी। इसलिये जब राजस्व मंत्री जिम्मेदारी लेते ही हैं और वह चाहते हैं कि कानून में यह भाग रहना आवश्यक है तो मैं उसको अवैधानिक करार देने के लिये तैयार नहीं हूं। वह वैधानिक है और अध्यक्ष को ऐसे कानूनी प्रश्न के बीच में पड़ना उचित भी नहीं है केवल थोड़ा सा आगाह करने का सवाल था। वह मैंने इस विषय में उनसे स्पष्टीकरण ले कर कर दिया और उन्होंने अपनी लाचारी बतायी। ऐसी अवस्था में सदन को निर्णय करना है कि उक्त शब्दावली को रखना चाहिये या नहीं। सदन इस पर स्वयं विचार कर सकता है और निर्णय भी दे सकता है यह वैधानिक है।

श्री राजनारायण---अनावश्यक वैधानिक है।

श्री अध्यक्ष---अनावश्यक तो सदन कह सकता है। मैं तो कोई राय दूंगा नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है, नम्बर तीस पर, वह विधेयक की धारा 'जे' में है और विधेयक की धारा 'जे' में सदन श्री बेचनराम गुप्त का संशोधन स्वीकार कर चुका है जिसमें यह शब्द है ही नहीं, जिनमें यह संशोधन रखा जा रहा है।

श्री चरणसिंह---आप तो खंड ५ के उस संशोधन की बात कह रहे हैं जो मंजूर हो चुका है। उसके मुताल्लिक मैं यह बतलाना चाहता हूं कि श्री बेचनराम गुप्त जी ने पूरा उपखंड पेश नहीं किया था, कुछ शब्द किये थे और जो बाकी शब्द बच गये थे उनके मुताल्लिक माननीय त्रिपाठी जी का संशोधन था जिसमें शब्दों का रिअरेंजमेंट था।

श्री अध्यक्ष---आपका तात्पर्य यह है कि बेचनराम जी का जो संशोधन स्वीकृत हो चुका है उसके विपरीत यह नहीं जाता है बल्कि उसमें 'फिट इन' चस्पां हो सकता है।

श्री चरणसिंह---जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें एक नहीं, ४, ५ बार यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार का संशोधन बिल्कुल ही अनियमित है और आउट आफ आर्डर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं तो अब उस पर निर्णय दे चुका हूं, उसके बाद आप कुछ कह नहीं सकते। यह बात पहले ही लिख कर मेरे पास आपको भेज देना चाहिये थी मेरे विचार के लिये, अब निर्णय देने के बाद उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, खंड ४ पर राय ले ली जाती।

श्री अध्यक्ष---मैंने इसीलिये अपना निर्णय दे दिया ताकि राय लेने के लिये रास्ता साफ हो जाय। ५वें खंड पर बहस होते होते अगर सवा बज गया तो उस वक्त मैं नहीं रहूंगा तो माननीय उपाध्यक्ष को मौका रहेगा इस फैसले के अनुसार राय ले लेने का।

श्री चरणसिंह---आप ही राय ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष---मुझसे तो रिक्वेस्ट की नहीं गई थी।

श्री चरणसिंह---मैं रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष---५वें खंड पर जो संशोधन चल रहा है उस पर विचार हो जाने के बाद उस पर राय ले ली जायगी।

श्री चरणसिंह---बहस तो हो चुकी है केवल रूलिंग की वजह से रुका हुआ है।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, बहस नहीं करनी है। वह खाली राय ले लेंगे।

श्री चरणसिंह---उनको मालूम भी नहीं है कि यहां क्या-क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष---उनको मेरा निर्णय मालूम हो जायगा और उसी के मुताबिक वह राय ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---बहस पूरी नहीं हुई थी, ये दोनों शायद उपस्थित किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---मुझे तो यही मालूम हुआ है कि पूरा विवाद हो चुका है और सिर्फ राय लेना बाकी रह गयी थी। सिर्फ राय लेना बाकी इसलिये रह गयी थी कि चूंकि वैधानिक प्रश्न पर मेरा कोई फैसला नहीं हुआ था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---आप कार्यवाही मंगा कर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष---उसे भी मंगाकर देख लेंगे अगर विवाद कुछ बाकी रह गया था तो विवाद हो जायगा, लेकिन यह बात तो देखी ही जायगी कि कार्यवाही किस प्वाइंट पर छोड़ी गई, उसको लिया जायगा और माननीय राजस्व मंत्री को घबड़ाना न चाहिये उनके हाथ में भी एक तरीका है, वह प्रश्न को उपस्थित करने की मांग कर सकते हैं और विवाद किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

श्री चरणसिंह---घबड़ाने की बात नहीं है लेकिन कोई रूलिंग को रूलिंग ही नहीं मानता।

श्री राजनारायण---यह तो उपाध्यक्ष पर आक्षेप किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---यह आक्षेप उपाध्यक्ष पर नहीं है बल्कि आप पर है। माननीय सदस्य ही कोई हो सकता है जो रूलिंग को न माने, न कि उपाध्यक्ष।

खण्ड ५ (पुनरागत)

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि जिस स्त्री का पति या वयस्क (adult) पुत्र जीवित हो उसे धारा १५७ का लाभ उठाने का अधिकार न होगा।"

अध्यक्ष महोदय, १५७ धारा जिसमें स्त्रियों को सुविधा दी गयी है जिसके बारे में बहस हो चुकी है वह यह है कि विधवा, परित्यक्ता स्त्रियां इस धारा से लाभ उठा सकती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जिन्होंने जमीन को अपने कब्जे में रखा है और जो काश्तकार उस पर खेती करते आ रहे हैं तो ऐसे लोग यदि यह देखेंगे कि जमीन हमारे हाथ से न निकल जाय तो ऐसे लोगों को स्त्रियों को त्यागने में देर नहीं लगेगी और जो विधवा हैं हो सकता है कि उनके कोई ऐसा लड़का हो जो वयस्क हो। जब स्त्रियों को १५७ के अनुसार यह सुविधा दी गयी है कि जो विधवा स्त्री है उसकी जमीन है और उस पर काश्तकार खेती करता आ रहा है तो जब वह देखेगी कि यदि वही उसका मालिक बना रहेगा तो उसके अधिकार से यह भूमि काश्तकार छीन नहीं सकता है क्योंकि उस काश्तकार को मौरूसी अधिकार उस पर प्राप्त नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि जो विधवा स्त्री हैं जिनके लड़के वयस्क हैं उनके ऐसे शिकमी काश्तकारों को और अधिवासी को यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह उस जमीन को जो विधवा के नाम है जिसका वयस्क लड़का है उनको उसकी जमीन पर सीरदार मान लिया जाय। उसको यह अधिकार प्राप्त हो कि यदि आवश्यक हो तो वह १० गुना लगान देकर उसका भूमिधर बन सके।

जहां तक परित्यक्ता स्त्रियों का सम्बन्ध है तो यदि किसी बड़े काश्तकार के पास इतनी अधिक जमीन है कि जिस पर वह खेती नहीं कर सकता है अगर वह जानता है कि उसके पास जमीन पड़ी रहेगी तो यह शिकायत हो कि उस पर वह शिकमी काश्तकार से खेती करा रहा है तो अपनी स्त्री को त्याग भी सकता है क्योंकि त्याग होने से यह मतलब नहीं कि वह घर से दूसरी जगह चली जाय या सम्बन्ध विच्छेद हो जाय। यह हो सकता है कि कानूनन सम्बन्ध विच्छेद हो जाय तो जो उनकी जमीन शिकमी को दी हुयी है वह निकल नहीं पायेगी। इस कारण कायदे से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है और वास्तव में उनका सम्बन्ध विच्छेद नहीं हुआ है। मैं आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन ऐसा है कि जिसको मान लेने से बहुत से शिकमी काश्तकारों की रक्षा होगी। आज इसमें अगर यह प्रतिबन्ध नहीं रखा जायगा तो मैं यह समझता हूं कि लोगों शिकमी काश्तकार जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं और जिन्होंने स्त्रियों के नाम जमीन कर दी है वह भी इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। जो किसान हैं और जो खेती करते हैं तो खेत उनके नाम ही होना चाहिये और उनको मौरूसी का हक मिलना चाहिये। जिनके पति जिन्दा हैं उनको लाभ उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिये। ऐसे पति जो यह देखेंगे कि वह उस वजह से खेती नहीं कर सकते हैं तो वह अपनी स्त्री को इस लोभ में आकर त्याग भी कर सकते हैं और इस प्रकार से ऐसे किसान जो कई साल से काश्तकारी करते चले आ रहे हैं इस धारा से उनका बहुत ही अनहित होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। आपके संशोधन में यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि जिस स्त्री का पति या वयस्क लड़का जीवित हो उसको १५७ के अनुसार लाभ उठाने का अधिकार नहीं होगा। जिस स्त्री का पति

जीवित है उसको तो इस समय भी फायदा नहीं होता है। मुझे शिकायत यह करनी है कि जो कानून है, जो विधेयक है उसको अच्छी तरह से भी लोग देखने की कोशिश नहीं करते हैं। आज क्या है जिनका पति जिन्दा है उनको उठाने का अधिकार नहीं है लेकिन उसके लिये यह कहा जा रहा है कि जिनका पति जीवित है उनको भी इजाजत दे दी जाय। मैंने कहा कि नहीं होना चाहिये। फिर संशोधन के लिये स्थान कहां रह जाता है?

श्री अध्यक्ष--उनका मतलब परित्यक्ता से मालूम होता है, पति जिन्दा हो तब भी परित्यक्ता को यह अधिकार हो सकता है?

श्री चरणसिंह--तो यह तो बहुत दूर की कौड़ी लाये हैं। लेकिन अगर वह परित्यक्ता है, दोनों में अनबन हो गयी है फिर दोनों के हित एक कहां रहे हैं। इसलिये मैं इसको गैर जरूरी समझता हूं। अगर वे सेपरेशन के बाद भी एक जगह पर रहते हैं या सेपरेशन के बाद फिर रिकंसाईल हो जाते हैं तो फिर वह चीज कि डाईवोर्स्ड स्त्री को जमीन उठाने का अधिकार होगा, यह चीज उनसे लागू नहीं होती। जिसके बालिग पुत्र होंगे वे तो खुद ही मालिक हो जायेंगे फिर विडो का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर जी वर्मा अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री राजनारायण--श्रीमान् जी, यह जो संशोधन यहां प्रस्तुत है यदि एक तरह से देखा जाय तो गेंदा सिंह जी का भी संशोधन करीब करीब इसी तरह का है। मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के जो संशोधन आ जाया करते हैं उसके पीछे भी कोई बात होती है और यही कि इस प्रकार की स्त्रियों ने जोतने वालों के हकों का जो हनन किया है उससे लोग चिन्तित हैं और इसी प्रकार के भावों को रखने के लिये ये संशोधन आया करते हैं। मैं राजस्व मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की भी विधवा हो सकती हैं जो अत्याचार करती हैं। इस तरह की भी विधवा हैं जिनके बड़े-बड़े लड़के हैं, सब हृष्ट-पुष्ट हैं, जो अलग-अलग रहते हैं, कमाऊ हैं और विधवा का भरणपोषण कर सकते हैं तो उस विधवा के लिये माननीय राजस्व मंत्री की क्या राय है, उसके अधिकार लेने में तो माननीय राजस्व मंत्री को कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी? माननीय राजस्व मंत्री हर वक्त जस्टिस और इक्विटी का नाम लिया करते हैं लेकिन यहां उनकी जस्टिस में क्या है? उस विधवा के जिसके बालिग पुत्र है, कई पुत्र हैं, सब कमाने वाले हैं तो फिर उस विधवा का यह हक क्यों रहे कि वह गरीब किसानों की जमीन बेदखल करा ले? माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी विधवा स्त्री जिसके कई कमाने वाले पुत्र हों और वे अपनी कमाई से अपनी माता का भरणपोषण कर सकते हों तो ऐसी विधवा स्त्री को यह अधिकार क्यों रहे कि वह उस गरीब किसान से जिसका केवल वही खेत है, उसको ले लेने का हक रहे? माननीय राजस्व मंत्री जी या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब इसको साफ कर दें तो हम भी उनके साथ हो जायेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे यह आश्चर्य होता है कि अगर माननीय वर्मा जी ने पढ़ने का ध्यान किया होता तो सम्भवतः उनको इसे पेश करने की आवश्यकता ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

न होती। धारा १५७ में यह साफ दिया हुआ है कि उन औरतों को जिनके पति हैं उनको कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी काश्त शिकमी को उठा सकें। केवल उन औरतों को यह अधिकार है कि जो विधवा हैं या परित्याग कर दी गई हैं या पति से अलग हैं तो उनको अधिकार दिया गया है अगर यहां हम ऐसी औरतों को भी अधिकार नहीं देते हैं तो यह उनके साथ अन्याय होगा और यह सरकार को ऐसा कदम उठाने के लिये कहा जा रहा है जिसके लिये सरकार कभी भी तैयार नहीं हो सकती। यह आज ही नहीं बल्कि यू० पी० टीनेन्सी ऐक्ट में और साथ ही साथ जब कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम इसी सम्मानित सदन से पास हुआ था, उस समय भी इस बात पर ध्यान रखा गया था कि जो विधवा हैं या जिनका परित्याग कर दिया गया है पति द्वारा उनको विशेष सुविधा दी जाय। उनका कहना है कि जिन औरतों के वयस्क पुत्र हों, उनको यह सुविधा न दी जाय। यह जानकर मुझे आश्चर्य और ग्लानि दोनों होती हैं जब कि इस तरह की बात उनकी तरफ से लाई जाती है। मैं समझता हूं कि भावना के वशीभूत होकर या किसी ऐसी दुर्भावना के कारण यह संशोधन रखा गया है जो कि कभी भी सराहनीय नहीं हो सकती और उसका विरोध करना विवश होकर हर मनुष्य का धर्म हो जाता है। मुझे कहना यह है कि आज ही नहीं बल्कि यह संशोधन श्री जोरावर वर्मा ने रखा तो इसमें मुझे ताज्जुब नहीं हुआ लेकिन जब श्री राजनारायण जी ने इसका समर्थन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी कहा कि जो औरतें विधवा हैं या परित्यक्ता हैं या अलग जो शौहर से रहती हैं उनको भी शिकमी का अधिकार नहीं होना चाहिये तब मुझे आश्चर्य हुआ। मैं माननीय राजनारायण जी से जानना चाहूंगा कि सन् ३९ में जब कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट इसी कांग्रेस मिनिस्ट्री द्वारा इस सदन में लाया गया था और एक अधिनियम के स्वरूप में इस प्रदेश में प्रसारित किया गया था और वह उस वक्त जब कि समाजवादी जो आज अलग हैं उस वक्त उनके साथ ही थे, क्या उस वक्त उनको इस बात का ध्यान नहीं आया था ? आज माननीय राजनारायण जी को जब इस बात का ध्यान होता है कि इसमें अन्याय हो सकता है, उन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। परन्तु क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि सन् १९३९ में जब कि कांग्रेस पार्टी के साथ थे और जब कि कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को बनाया था उस वक्त क्या वे भूल गये थे ? यही नहीं बल्कि जमींदारी विनाश अधिनियम में भी इस बात के लिये सुविधा रखी गयी थी और वह धारा १० की उपधारा (२) में। उस समय भी शब्द केवल 'औरत' रखा गया था न कि १५७ में। उसमें जो व्याख्या की गयी थी वह उस समय नहीं थी। उस समय केवल इतनी इच्छा थी सरकार की या इस विधान मंडल का इतना अभिप्राय था कि जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के उपरान्त जिन औरतों की बात है उनको यह अधिकार न दिया जाय लेकिन दफा १० (२) में यह स्पष्ट है कि इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया गया था। बल्कि वह पुराने शिकमियों की बेदखली के लिये कोई रुकावट न थी और यह माना गया था कि औरतों की जो परिभाषा की जाय उसमें इस प्रकार का कोई वर्गीकरण न किया जाय। मुझे दुख है कि माननीय राजनारायण जी तब तशरीफ लाये जब लाल बत्ती हो चुकी है। मेरे लिये यह लाल बत्ती और लाल टोपी दोनों बड़ी भयानक वस्तु हो जाती हैं। इस समय अधिक न कह कर माननीय राजनारायण जी से इतना कहना चाहता हूं कि यदि १९३९ में वह विद्यार्थी रहे और इन पार्टीबन्दियों में भाग न लिया हो और कांग्रेस के अनुयायी न थे लेकिन ५१ में जब यह अधिनियम आया था उस समय भी तो यह नहीं माना गया कि उन स्त्रियों को जिनके पति हो या बालिग बच्चा हो उनको यह अधिकार न दिया जाय और वह अपने शिकमियों को बेदखल कर सकें। अगर मुझे मौका मिला तो दूसरे संशोधन में इस पर अधिक प्रकाश डाल सकूंगा और माननीय राजनारायण जी का ध्यान आकर्षित कर सकूंगा। मैं समझता हूं कि इस समय हम दोनों के दोनों क्षम्य हैं क्योंकि वह न सुन पाये हैं और उनकी सौजूदगी में कह न पाया हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन की पूरी शब्दावली का तो नहीं परन्तु उसके आशय का समर्थन करना चाहता हूं। जहां तक शब्दावली का सम्बन्ध है माननीय मंत्री जी ने स्वयं कई धाराओं की शब्दावली को बदलने के लिये और कानूनवेत्ताओं की राय जानने के लिये प्रयत्न किया था कि उसको स्थगित रखा जाय। उसी प्रकार अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो इसकी शब्दावली को ठीक किया जा सकता है लेकिन जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि अगर विधवा स्त्री के कोई वयस्क पुत्र हो या कई पुत्र हों तो जब वह काम कर सकते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार उनको बेदखली का देना मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं है। तो इसलिये इस सम्बन्ध में बिना किसी प्रकार का अन्याय किये या स्त्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात किये कल ही माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिस समय सधवा स्त्रियों के अधिकारों का जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि जिस स्त्री का पति जीवित हो तो यह हो नहीं सकता कि कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी दूसरे को कमाने के लिये जमीन देगी और वह तभी हो सकता है जब पति के पास जरूरत से ज्यादा जमीन हो। इस प्रकार के तर्क माननीय मंत्री जी ने स्वयं दिये थे तो उसी प्रकार अगर एक तर्क हमारे सामने आता है कि मान लिया कि कोई विधवा स्त्री है और उसके चार वयस्क पुत्र हैं तो यह भी नहीं हो सकता कि चार वयस्क पुत्र रहते हुये या एक वयस्क पुत्र रहते वह विधवा किन्हीं शिकमियों को दूसरे काश्तकारों को जमीन बेदखली के लिये दे। तो मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी के तर्क का यही आशय है और जो कि जोरावर वर्मा जी के संशोधन का वह स्पष्ट है।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने अपने भाषण में एक व्यंग किया अपनी लाल जिह्वा से लाल बत्ती और लाल टोपी पर कुछ छींटाकशी की। उनको जो लाल रंग से प्रेम है या बहुत अधिक प्रेम है या चिढ़ है उसको तो मैं समझ सकता हूं लेकिन जो सन् १९३९ का हवाला उन्होंने दिया कि सन् ३९ में टेनेंसी ऐक्ट बनाते समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने इसमें साथ दिया तो श्रीमन मैं कहना चाहता हूं कि सन् ३९ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो क्या कांग्रेस भी इसके खिलाफ होगी क्योंकि उस समय तो यह एक टेम्पोरेरी मेजर के तौर पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के अनुसार यह टेनेंसी ऐक्ट लाया गया था। उस समय की लिमिटेशन्स के अन्दर वह ऐक्ट लाया गया था तो उस समय की लिमिटेशन्स को देखते हुए, और उस समय के वातावरण को देखते हुए यह कहना कि सोशलिस्ट पार्टी ने विधवा को यह अधिकार दिये या नहीं सधवा को यह अधिकार दिये या नहीं, मैं समझता हूं कि न्यायसंगत न होगा। आज की उक्ति और तर्क से मैं समझता हूं कि अगर माननीय अवधेश प्रताप सिंह सन् ३९ की बात न करते तो बहुत अच्छा होता।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्य सोचते हैं कि स्त्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है लेकिन श्रीमन्, मैं आपसे कहूंगा कि यह स्त्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है बल्कि स्त्रियों के बहुमत के अधिकार की रक्षा है क्योंकि आखिर स्त्रियां शिकमियों की भी होती हैं जो शिकमी होंगे, जो असामी होंगे, जो टिलर आफ दि स्वायल होगा, जोतने वाला जिसके अधिकारों की हम सुरक्षा करने जा रहे हैं, उसकी भी स्त्रियां होंगी तो जहां हमारे माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि हमने स्त्रियों के अधिकारों को लिमिट किया है वहीं दूसरी ओर मेहनत करने वाली स्त्रियों के अधिकारों की हमने रक्षा की है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम इस समाज की स्त्रियों के अधिकार को छीन रहे हैं बल्कि इसके विपरीत बहुसंख्यक स्त्रियों के, मेहनत करने वाली स्त्रियों के अधिकार की हम सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से, स्त्री पुरुष के बीच एक भेद की भावना से हमको विचार करना नहीं है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बल्कि उसमें एक सामाजिक भावना है कि हमारा तर्क, मंतव्य और संशोधन कितना युक्तियुक्त है और न्यायसंगत है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्रीजी को दुबारा प्रेरित करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन पर पुनर्विचार करें और कम से कम जिस आशय को माननीय राजनारायण जी ने व्यक्त किया है उसको स्वीकार करने की कृपा करें।

* श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह खंड ५ में जो संशोधन सरकार की तरफ से प्रस्तुत हुआ है उसमें वैसे ही औरतों के अधिकार बहुत कम कर दिये गये हैं। औरतें, 'बेटर हाफ' भी कही जाती हैं और हमारे कांस्टीटयूशन में या और भी कई कानून जो संसद में बन रहे हैं उनमें उनको इंडिपेन्डेंट स्टेट्स को स्वीकार किया गया है। तो जो यह खंड ५ है उसमें जहां तक मैंने पढ़ा, वैसे ही अख्तियारात बहुत कुछ उनके कम कर दिये गये हैं और जो कुछ अधिकार मौजूदा कानून में औरतों के थे उनको बहुत ही महदूद किया गया है। तो यह जो संशोधन है यह जले पर नमक लगाना है। जहां चारों तरफ आवाज यह है कि औरतों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये, जहां हमारे प्रदेश में हर तरफ से यह आवाजें आ रही हैं वहां यह करना उनको और दुखी करना है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के समक्ष वह यह है कि हमारे भारतवर्ष के मौजूदा कान्स्टीटयूशन में, जिसमें औरतों के अधिकार सुरक्षित किये गये हैं और उनका इंडिपेन्डेंट स्टेटस माना गया है तो उनको हमेशा के लिये वही पुराना जो आक्षेप था कि वह मर्दों की बिल्कुल गुलाम हैं तो एक तरफ तो उनको गुलामी से छुड़ाया जा रहा है, उनको हर किस्म के अख्तियार दिये जा रहे हैं, डाइवोर्स का अख्तियार दिया जा रहा है, मौजूदा विधान ऐसे-ऐसे बन रहे हैं, लेकिन यहां हर बात में इस कानून से जाहिर होता है कि वह आश्रित रहें मर्दों की और महज किस लिये, महज इसलिये मेरे ख्याल से कि कुछ ऐसे लोगों को खुश करने के लिये। यह हमारी सरकार कुछ ग़लतफहमी में है जो आजकल एजीटेशन है वह समझते हैं कि यह एजीटेशन आप से आप लैंड आफ हंगर है। यह नहीं समझते कि यह मैन्यूफैक्चर्ड है, कुछ एजेन्ट्स हैं, चाहे जिनके हों, मगर एजेन्ट्स हैं जो खामख्वाह के लिये मैन्यूफैक्चर करते हैं। तो इसलिये हमारी तो यही प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि वह इस पर विचार कर लें, इसमें कोई फायदा नहीं है, किसी किस्म की उन्नति नहीं होगी और यह उन्हीं के हाथों का एक खिलौना बनना है।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने ऐसे शब्द कहे जिनका उत्तर देना मेरे लिये आवश्यक है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रस्तावक ने इसको पढ़ा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस धारा को पढ़ कर सुनाया और मैं आपके द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि जितने बार उन्होंने पढ़ा होगा उससे दस बार अधिक मैंने पढ़ा है और ज्यादा समझा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट बना था उसमें स्त्रियों के लिये सुविधायें थीं, अब नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं हमारे संशोधन से सरकार यह समझ जायगी कि इस जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में क्या लूपहोल्स हैं जिनके द्वारा उनका जो मन्तव्य है जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के पास करने से, वह पूरा नहीं होता। पहले उन्होंने रखा था 'स्त्री', लेकिन बड़े-बड़े जमींदारों ने स्त्रियों के जरिये से न जाने कितने काश्तकारों को जमींन से अलग कर दिया, तब 'स्त्री' शब्द हटा कर 'विधवा', 'परित्यक्ता' और 'अविवाहिता' रख दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा प्रस्ताव निन्दाजनक है। मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति या जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज इस परित्यक्ता स्त्री के बहाने विधवा स्त्री के बहाने अपने पापी पेट के पालन पोषण के लिये ऐसे प्रस्ताव का प्रतिपादन करता है वह मुझसे कहीं अधिक निन्दनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि विधान मंडल में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहियें। मैं तो माननीय मंत्री जी से इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि वास्तव में मेरे संशोधन पर विचार करें कि अभी भी ऐसे बहुत से जमींदार या समाज विरोधी ऐलीमेंट्स हो सकते हैं जो परित्यक्ता स्त्री के बहाने, विधवा स्त्री के बहाने उनका जो जमींदारी विनाश अधिनियम है उसको लागू नहीं होने देंगे और जिस हमदर्दी के साथ उन्होंने किसानों की रक्षा की है सम्भवतः वह नहीं हो सकती है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बात को नोट कर लें कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वह यह देखें कि परित्यक्ता और विधवा स्त्री के बहाने कितने लोग इस धारा का दुरुपयोग करते हैं तब वह सम्भवतः फिर इस धारा को संशोधित करेंगे और जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसके बारे में सोचेंगे कि वह कहां तक उचित है।

जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि डाइवोर्स का अधिकार सब को नहीं है। आपको मालूम होगा कि हिन्दू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य के अलावा सभी शूद्रों को डाइवोर्स करने का अधिकार है और मुसलमानों को भी डाइवोर्स का अधिकार है और यह जो आपका विशेष विवाह बिल पास हो रहा है उसके द्वारा तो सभी तलाक दे सकते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जमींदारों ने, बड़े-बड़े काश्तकारों ने पहले स्त्रियों के बहाने छोटे काश्तकारों के साथ में अनाचार, अत्याचार और दुर्व्यवहार किया है, जमीनों से वंचित कर दिया है, मैं समझता हूं कि उसी तरह इन परित्यक्ता और विधवाओं के बहाने वह इन गरीब काश्तकारों को परेशान करेंगे और जो जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट का वास्तव में उद्देश्य है कि जो जमीन जोतता है, उसका ही अधिकार खेत पर होना चाहिये, क्योंकि वही उस पर अधिक से अधिक पैदावार बढ़ा सकता है, उसके विपरीत वह जायंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह देखें कि किस प्रकार से इन शब्दों का दुरुपयोग हो सकता है, इस पर वह विचार करें और मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, मुझे अफसोस है। कोई वजह मैं नहीं देखता कि जो मैंने अपनी राय पहले जाहिर की थी उसको बदला जाय। जैसा मैंने कल भी कहा था जिन लोगों के शिकमी मुस्तौजिब बेदखली होंगे, उनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी। २५० रुपये से बड़े जमींदार चाहे डिसएबिल्ड हों, वह अपने शिकमी को बेदखल नहीं करा सकते। २५० रुपये से नीचे के मालगुजार अगर डिसएबिल्ड हैं तो वह अपने शिकमी को बेदखल करा सकते हैं और शिकमी का मतलब यह है कि उनकी सीर का काश्तकार। गैर सीर जमीन पर जो काश्तकार चले आते हैं, उनकी बेदखली का सवाल उठता नहीं। तो छोटा जमींदार अपनी खुदकाश्त और सीर के शिकमी काश्तकारों को बेदखल करा सकता है, काश्तकार भी अपने उपकाश्तकार को बेदखल करा सकता है। बशर्ते कि वह धारा १५७ की उपधारा (१) के अन्दर जो नाकाबलियतें गिनाई गई हैं उनमें से किसी नाकाबिलियत में वह क्षेत्रपति आता हो। तो उसमें सिवाय उस स्त्री को छोड़ कर जिसका कि पति मौजूद है, सभी स्त्रियां आ गई जो कि अपने शिकमी को बेदखल करा सकती हैं। अब वह मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अविवाहिता, परित्यक्ता या तलाकशुदा और विधवा। ये अपने शिकमी को बेदखल करा सकती हैं। अब संशोधन यह है कि वह स्त्रियां भी उनको बेदखल न करा सकें, जिनका कि पति मौजूद हो। तो वह तो पहले से ही मौजूद है। जिनका पति मौजूद है वह स्त्री तो अपने शिकमी को बेदखल नहीं करा सकती। तो अब इसमें यह बारीकी निकाली गई डाइवोर्स्ड हो या सेपरेटेड हो, तो उसका पति जो जिन्दा हुआ। अब इसका मतलब यह हुआ कि डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड औरतें जो हैं वह भी अपने शिकमी को बेदखल न

[श्री चरण सिंह]

करा सके। तो अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कर दिया जाय तो यह अन्याय होगा। सधवा स्त्रियों को अपने शिकमी को बेदखल करने का हक हम यों ही तो नहीं दे रहे हैं वह और उसका हस्बैंड, दोनों एक ही इकाई हैं। स्त्री पुरुष को अर्द्धांगिनी मानी जाती है। तो वह और उसके हस्बैंड दोनों को हम एक मानते हैं। लेकिन जो स्त्री अलाहिदा कर दी गई हो, या दोनों में तलाक हो गया हो, तो कोई वजह नहीं है कि उसको क्यों न हक दिया जाय। अगर जिस वक्त उसने जमीन शिकमी को दी थी उस वक्त डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड थी। जो आर्ग्यूमेंट सधवा स्त्री को हक न देने का है वह उनके लिये लागू नहीं होता क्योंकि हस्बैंड और ये दोनों अलाहिदा हो गए। इसलिये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मैं माननीय जोरावर जी को, माननीय गेंदासिंह जी को या माननीय राजनारायण जी को, इस मोटी सी बात को समझा नहीं पा रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि क्यों वह समझ नहीं पा रहे हैं इस मोटी सी बात को बल्कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं क्यों उनको यह समझा नहीं पा रहा हूं। अब वह कहते हैं कि जिनका वयस्क पुत्र हो। यह वयस्क पुत्र होने का सवाल उन्हीं डाटर्स और सिस्टर्स का हो सकता है कि जो विधवा हो गई हों क्योंकि अगर उनका हस्बैंड लिविंग है तब तो चाहे लड़का बालिग हो या नाबालिग, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। वह बेदखल करा नहीं सकती है लेकिन बतौर पुत्री और लड़की के विरासत से जमीन पाई है और विधवा हो गई और बालिग लड़का है जिस वक्त जमीन शिकमी को उठाई है तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्त्रियों की तादाद नगण्य होगी। १०० स्त्रियों के पास जमीन है तो उनमें से पहले तो वह चार कोटि में तकसीम हुई। तीन को हमने छोड़ दिया और केवल एक को यानी सधवा को बेदखली का अधिकार नहीं है और सधवा ही बहुत ज्यादा होंगी। उनकी तादाद जो विधवा हैं बहुत कम होगी और विधवाओं में भी जिनके लड़के बालिग हों ऐसी तादाद तो और भी कम होगी और जो बतौर पुत्री और सिस्टर के आती हैं और फिर विडो हैं तो इनकी तादाद तो बहुत ही कम होगी अगर बालिग लड़का साथ है उसको भी बेदखली का हक नहीं होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कि ऐसी औरतों की संख्या एक या दो प्रतिशत मुश्किल से होगी। अगर हम तरमीम कर भी दें तो भी मुकद्दमेबाजी ही ज्यादा होगी और कुछ नहीं होगा। मसलन जिस समय जमीन उठाई गई थी लड़का बालिग था एक तो यह साबित करना कि वह विधवा हो गई थी, खैर, यह तो वह आसानी से साबित कर सकती है, लेकिन उसका लड़का बालिग था जिस समय जमीन उठाई थी मां के लिये बड़ा मुश्किल होगा, इसमें झूंठी शहादत वगैरा होंगी और इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। अगर बहुत बड़ा वर्ग होता, ज्यादा तादाद पर असर पड़ता होता तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति और हिचकिचाहट नहीं होती।

हमने १५७ में यह किया है कि नाबालिग है तो जमीन बेदखल करा सकता है। जैसे कि मां ने जमीन उठाई लेकिन उसके लड़के के बालिग होने के कारण जमीन बेदखल नहीं हो सकती है लेकिन वह लड़का कालेज में पढ़ता है तो जो अधिकार हम मायनर को दे रहे हैं वह इसको क्यों न दें। मान लें कि वह पागल है, वह खेती नहीं कर सकता है उस जमीन में जो नानी के यहां से मिली है तो उपाध्यक्ष महोदय, जो इस तरह की बातें पैदा होती हैं तो उनसे खामख्वाह मुकद्दमेबाजी होगी और कुछ लाभ नहीं हो सकता है। यदि मैं इस संशोधन को स्वीकार भी कर लूं तब भी थोड़े बहुत केसेज रह ही जाते हैं। कोई बड़ी तादाद नहीं है इसलिये मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे बहुत बड़ी किसानों की तादाद को तकलीफ होगी और वह बेदखल हो जायंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में हमें याद करना है जैसा कि श्री अवधेश प्रताप जी ने कहा कि पहले केवल फीमेल यानी स्त्री अपनी जमीन को लगान पर दे सकती थी,

यदि वह टेनेंट हैं तो सब-टेनेंट को दे सकती हैं। सीर के बारे में मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। इसमें हमने सधवा को तो निकाल दिया बाकी तीन को छोड़ दिया है। अब माननीय गेंदा सिंह जी को और जोरावर जी को मालूम है कि जो चन्द्रवती जी का संशोधन आया था, उसमें युक्ति थी, यह नहीं कि वह निस्सार था लेकिन आप तो इसको और भी खींचना चाहते हैं। यदि इसमें जनहित का सवाल होता तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती।

श्री उम्मेदसिंह जी ने कहा कि आज कल के जमाने में स्त्रियों को अधिकार मिल रहे हैं और वह पुरुषों के बराबर हो रही हैं। अगर स्त्रियों को आप पुरुषों के बराबर मानते हैं तो फिर बेदखली दिये जाने के कोई अधिकार उनको नहीं देने चाहिये बेदखली होनी ही नहीं चाहिये। अगर स्त्री ने जमीन उठा दी और माननीय उम्मेद सिंह कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में अन्तर नहीं होना चाहिये, बड़ा अन्याय हो रहा है, बराबर का मानना चाहिये, तो इस तरह तो इनको अपने शिकमी को बेदखल करने का हक होना ही नहीं चाहिये।

एक सदस्य—वीकर सेक्स है।

श्री चरणसिंह—तो फिर दोनों बात कैसे हो सकती हैं। वीकर है, तभी रक्षा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब स्त्रियों के भी दो मन हो रहे हैं। जहां कोई रिआयत की बात होती है तो हम वीकर हैं और जहां और कोई दूसरा पहलू होता है, तो हम कोई पीछे हैं, हम बराबर हैं। तो दोनों गाड़ियों में पैर नहीं हो सकता। अगर बराबरी क्लेम करती हैं तो बराबर लायबिलिटीज के लिये भी तैयार रहना चाहिये। अधिकारों के लिये वीक हो जाती हैं कि हम कमजोर हैं, बहन हैं, हमने गोदी में खिलाया है और जब दूसरा मौका हो तो भाई बहन में फर्क कैसा? तो अध्यक्ष महोदय, फर्क है, कुदरत ने फर्क बनाया है और उसी के अनुसार यह किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जोरावर वर्मा जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने क्लेम किया बहुत थोड़े ऐसे केसेज होंगे।

श्री जोरावर वर्मा—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था कि अगर एक स्त्री का पति मर गया है और उसकी स्त्री के नाम जमीन है और कुछ सालों के अन्दर उसके लड़के बालिग हो गये हैं, तब तक वह शिकमियों को बेदखल कर देती है तो उसकी मंत्री जी के पास क्या दवा है?

श्री चरण सिंह—सब चीजों की दवा रखना ठीक नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ज) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि जिस स्त्री का पति या वयस्क (adult) पुत्र जीवित हो उसे धारा १५७ का लाभ उठाने का अधिकार न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उम्मेद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ५ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय और उपखंड (२) और (३) क्रमशः (१) व (२) कर दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड से तो धारा २१ के खंड (ज) का नक्शा ही बिलकुल बदल गया। सिर्फ यही नहीं कि औरतों के अधिकार छीने गये हैं, बल्कि दफा २० के अन्दर जो असामी काश्तकारान या एक्स-जमींदारान थे उनकी कोई भी काश्त चाहे वह आकूपेंट हों २० के अन्दर और चाहे वह सीर के काश्तकार हों, कोई भी अधिवासी नहीं हो सकते। इधर यह संशोधन जो सरकार की ओर से आया है जहां इसका यह असर है कि जो उन्होंने कुल दफा २० लागू कर दी थी तो उसमें सिर्फ दो उपखंड लागू किये हैं।

श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । श्रीमन्, इसके पहले श्री बेचन राम गुप्त जी का एक संशोधन इस सदन ने स्वीकार कर लिया है जिसकी रू से खंड ५ का उपखंड (१) का भाग स्वीकृत हो गया है। अगर माननीय सदस्य का संशोधन उपखंड (१) को निकालने के बारे में है और वह स्वीकार हो जाता है तो स्वीकृत संशोधन भी अस्वीकृत हो जाता है। तो यह उसके कंट्राडिक्टरी पड़ता है इसलिये अनियमित है।

श्री उम्मेद सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो तब से बराबर खंड ५ के संशोधन पेश हो रहे हैं। माननीय सदस्य कुछ ग़लतफ़हमी में यह आपत्ति उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन का उतना हिस्सा वापस लेने के लिये तैयार हैं जो पहले स्वीकृत हो गया है उसके विरुद्ध जाता है?

श्री उम्मेद सिंह---वह बाद में एडजस्ट कर लिया जायगा। तो मैं यह कह रहा था कि खंड ५ में जो उपधारा (ज) रखी जा रही है.....

श्री अब्दुल मुईज़ खां---श्रीमन्, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जितना अंश इसका स्वीकृत हो चुका है उसके विरुद्ध तो कोई संशोधन नहीं आ सकता है।

श्री उम्मेद सिंह---मैं उस पर बहस नहीं करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने संशोधन पर कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---संशोधन का वह हिस्सा जो उसके विरुद्ध जाता है वह नहीं आ सकता है।

श्री उम्मेद सिंह---जो माननीय बेचनराम गुप्त के संशोधन को नहीं कवर करता है उस पर मैं कह रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---जो आप ने व्यवस्था दी है मैं समझता हूं कि यह परम्पराओं के अनुकूल नहीं है अगर आप इस पर विचार करें। केवल इसी लिये मैं आपका ध्यान ही आकर्षित करना चाहता हूं, रूलिगं तो आप की फ़ाइनल ही रहेगी। संशोधन खंड ५ के उपखंड (१) को निकाल देने का है। मैं संशोधन का समर्थन तो नहीं करता हूं लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी उपखंड (१) पास नहीं हुआ। केवल कुछ पंक्तियों पर एक संशोधन स्वीकार हुआ है। तो अगर आप केवल यह कह दें कि इतना माना जाय और इतना न माना जाय तो इसका कोई आशय नहीं हुआ। इसलिये उनके प्वाइंट आफ आर्डर को आप पूर्णरूपेण अस्वीकार कर दें क्योंकि यही परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो समझता हूं कि जितना स्वीकार हो चुका है उसके विरुद्ध नहीं आ सकता।

श्री उम्मेद सिंह---मैं यह कह रहा था कि स्त्रियों के मुताल्लिक मौजूदा कानून यह था कि वे जो ढाई सौ रुपये से ज्यादा के मालगुजार हैं अगर उनका कोई भी काश्तकार चाहे वह धारा २० का आक्यूपेंट हो चाहे जो हो उसको किसी क़िस्म के हक़ूक़ अधिवासियों के नहीं थे। तो अब उस पर यह कुठाराघात किया जा रहा है। धारा २० का कुछ ही जुज़ (हिस्सा) रखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां पर औरतें थीं वहां पर 'विधवा', 'परित्यक्ता' रख दिया है।

श्री अब्दुल मुईज़ खां---मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय कौन सा संशोधन विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष--संशोधन क्रम संख्या ३६ जो कि स्वीकृत नहीं हुआ है।

श्री उम्मेद सिंह--दो तरीके से सजा दी जा रही है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि हमने परस्पर विरोधी बातें कहीं। हम जहां यह कह रहे थे कि जो मौजूदा कानून सरकार बना रही है इसमें यह अस्युम कर लिया गया है कि हमेशा आश्रित हैं चाहे उनके लड़का हो, पति हो, लेकिन उन पर आश्रित रहना चाहिये। तो यह कानून कलंक का टीका है जो कि भारत में संविधान के बिलकुल खिलाफ पड़ता है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, यह इस विधेयक में सब से महत्वपूर्ण संशोधन है। माननीय उम्मेद सिंह के समर्थन हेतु जब मैं खड़ा हूं तो मैं आशा करता हूं कि आज हम माननीय सभा सचिव महोदय को एक बहुत बड़े कलंक से बचा सकेंगे यदि यह संशोधन स्वीकार कर लेते हैं। श्रीमन्, यह देखा जायगा कि जब जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम इस सदन से पारित हुआ और इस प्रदेश में प्रचारित हुआ तो उसमें भी यह स्पष्ट है, दफा १० के अन्दर आप के द्वारा मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह मुझसे असहमत रहते हुए भी कम से कम मुझे सुनने का कष्ट करें। धारा १० के अधीन वह जमींदार जो कि ढाई सौ रुपये से अधिक मालगुजारी देते थे उनके जितने शिकमी थे सीर के, वह सब मौरूसी कर दिये गये। बकिया जो ढाई सौ से नीचे के मालगुजार थे उनके शिकमी जो थे वह असामी बनाये गये। ढाई सौ से ऊपर वाले जमींदार जिनमें किसी प्रकार की अक्षमता थी, या औरत, नाबालिग, जड़, पागल, नेत्रहीन या शरीर की दुर्बलता के कारण खेती न कर सकते हों।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--प्वाइंट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक वर्ग असामी का है और आप बहस यह कर रहे हैं कि यह-यह आदमी रहेंगे, तो असामी शामिल नहीं होंगे। यह असामी की कैटेगरी है ही। अगर इसको असामी की कैटेगरी से निकाल देते हैं तो कोई असामी नहीं रहता।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, ऐसी मोटी बात हमारे सभा सचिव जी न समझ पाये। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जब मैं भाषण दे रहा था तो वह उस पार्टी के लोगों से बातें कर रहे थे और जब सो कर जगे तो एक दम से प्वाइंट आफ आर्डर पर खड़े हो गये। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वह असामी हैं। लेकिन जब कि १५७ के साथ २०२ को ले कर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ढाई सौ से कम के जो मालगुजार थे, उनके असामी जो थे उन असामियों को १९५३ में बेदखल करने का अधिकार उनको होता था और यदि आज यह सेक्शन निकाल दिया जाता है तो धारा २१-एच पहले थी तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वे अब इसमें बेदखल नहीं हो सकते हैं। श्रीमन्, यह नीति आज ही की नहीं बल्कि जब यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट आया और जब जमींदारी विनाश अधिनियम आया तो दोनों जगह एक वर्ग को जो अक्षम थे उनके साथ सुविधा देने का ऐसा प्रयास किया था जिसके देखने और समझने में कोई अन्तर नहीं होता। माननीय सभा सचिव जी से मैं दावे के साथ पूछूंगा कि इसमें मेरे समझने में क्या गलती है कि वे असामी हैं लेकिन असामी होते हुये उनको बेदखली का अधिकार नहीं रह जाता। सन् ५३ में सोते हुये नहीं बल्कि जाग कर इस उद्देश्य और लक्ष्य से आपने यह संशोधन किया था कि वे अक्षम जो अपने सीरदार वह शिकमियों को बेदखल करना चाहें उनको बेदखल कर सकते हैं। फिर इस पर श्रीमन्, इस प्रकार का इंट्रप्शन माननीय सभा सचिव ने किया यह उनको शोभा नहीं देता था। अगर कोई दूसरा सदस्य सो कर जागता तो कोई बात नहीं थी लेकिन सभा सचिव होने के नाते वह किसी संशोधन को स्वीकार करें या न करें यह दूसरी बात है लेकिन हर माननीय सदस्य इस सदन का यह आशा करता है उनसे कि जो बातें वह कहेगा उनको सुना जायेगा लेकिन अगर कोई सुनवाई न की जाय तो यह सदन का अपमान है। इससे अधिक मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्त्री को अपनी जमीन का उठाने का हक न हो इस विषय पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। परित्यक्ता हो, अविवाहित हो उनके लिये अधिकार सुरक्षित रक्खा गया है लेकिन जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको ऐसा अधिकार न मिलना चाहिये। एक संशोधन जोरावर वर्मा जी का था कि अगर किसी स्त्री का लड़का बालिग हो और जीवित हो तो भी अधिकार न मिलना चाहिये, भवन ने उसे अस्वीकार किया लेकिन अगर पति जीवित हो तो उसको अधिकार न मिलना चाहिये इस पर काफी विचार विनिमय हुआ है और भवन ने इस उसूल को माना है। इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अब आप का संशोधन है यह निकाल दिया जाय यानी स्त्री को भी अधिकार रहे अपनी जमीन को शिकमी पर उठाने का। यह संशोधन निकाला जाता है तो बात वही होती है कि स्त्री को शिकमी पर उठाने का अधिकार सुरक्षित रहता है और यह होने का नहीं क्योंकि इसको हमने काफी देख लिया है। अगर इस संशोधन को माना जाता है तो मैं भवन की याददाश्त ताजा करने के लिये कहूंगा कि बात वही हो जायगी जिसको भवन ने नामंजूर किया है।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री उम्मेद सिंह, श्री वीरेन्द्र शाह और श्री अवधेश प्रताप सिंह इन तीनों के नाम से संशोधन हैं और जब-जब अवधेश प्रताप सिंह जी इस तरह से अपना मत व्यक्त करने के लिये उठे हैं तब-तब इस सदन में एक समां बन गया है। मालूम होता है कि स्त्रियों के हक को सुरक्षित करने के लिये पूरे जिम्मेदार यही लोग हैं। मैं भी यह निवेदन कर दूं कि सही-सही बातों को हम लोग देखें कि क्यों नहीं लड़के और लड़कियों को बराबर का हिस्सा बांट दिया जाय। अगर सही मायनों में स्त्रियों को हक़ देना चाहते हैं तब तो लड़की को भी वही हक़ देना चाहिये जो लड़के को जाता है। जो लड़के का हक़ जायदाद पर है वही लड़की का भी होना चाहिये। जब लड़की को हक़ देने की बात है तब किसी तरह से फ़र्क़ नहीं होना चाहिये। इसलिये सही बात है कि ईमानदारी के साथ अगर लड़कियों को, स्त्रियों और पुरुषों का भेद मिटा कर कोई भी चीज यहां पर रखना चाहते हैं तो मैं उसका साथी हूं। आप लड़के और लड़कियों को बराबर का हिस्सा दें ताकि लड़की या स्त्रियों के या अबला को सम्बोधित कर के उनके हक़ पर कोई कुठाराघात न कर सके और न उनको कोई फिर दास बना कर रख सके। हमारे यहां स्त्रियों को, लड़कियों को हिन्दू समाज में दास बना कर रखा जाता है और वैसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। पुरुष समाज अपने उत्थान के लिये, अपनी सुविधा के लिये बराबर स्त्रियों का शोषण करते रहते हैं। किन्तु सही भाव से और सचाई के साथ तो बात यह है कि अगर कोई अपनी जायदाद को इस समय बचाना चाहता है तो वह यहां पर सीधे-सीधे नहीं आ रहा है। स्त्रियों को बीच में ले कर हिन्दू धर्म के नाम पर, हिन्दू संस्कृति के नाम पर, हिन्दू धर्म की परम्परा की दुहाई दे कर स्त्रियों के नाम पर यहां आता है और फिर यहां पर एक समां बंध जाता है। मैं आपसे इतना ही विनम्र निवेदन करूंगा कि हम भी चाहते हैं कि पुरानी रूढ़ियां टूटें, पुरानी परम्परा टूटे और सही मायने में स्त्रियों को, लड़कियों को हमारे समाज में पुरुष के बराबर हक़ हो और फिर स्त्री और पुरुष का भेद ही समाप्त हो जाय सब बराबर हो जायं। अगर पुरुष जिन्दा है तो उसकी स्त्री को भी उतना ही हक़ है और अगर जिन्दा नहीं है तब भी उतना ही हक़ है। तब फिर अगर पुरुष मर गया तो फिर यह कहना कि उसकी स्त्री को हक़ नहीं मिले तो यह बात फिर उठती नहीं है। स्त्री को पूरा हक़ होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस सिद्धांत को ठीक रूप से मानते हैं तो कोई ऐसा विधेयक लाये कि जिस विधेयक से सही मायने में स्त्रियों को समानता का हक़ मिल सके और स्त्रियों का हक़ चाहे संपत्ति के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप में और चाहे सामाजिक रूप में हो कहीं भी पुरुष अपना हक़ स्त्रियों से ज्यादा न माने। हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और अवधेश प्रताप जी, वीरेन्द्र शाह जी और उम्मेद सिंह जी का भी साथ देंगे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, नियम में यह कहा गया है कि अगर महत्वपूर्ण विषय है और उसके ऊपर पर्याप्त विवाद नहीं हुआ है तो उसके लिये आपको पूरा अधिकार है उसके लिये समय बढ़ा सकते हैं। अब ५, ७ सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये हैं मैं समझता हूं कि उदारतापूर्वक आपको उनको बोलने की इजाजत देनी चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस विषय में काफी विवाद हो चुका है और काफी सदस्य बोल चुके। पहले भी इसी विषय पर विवाद हो चुका है। माननीय अध्यक्ष ने सवेरे यह कहा था कि यह विधेयक आज ही पास करना है। इसलिये हर संशोधन पर बहस नहीं होनी चाहिये इस पर बहुत बहस हो चुकी है। इस कारण यह उचित नहीं है कि इस तरह के एक ही विषय को लेकर घंटों उस पर बहस जारी रखी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सुबह तो असेम्बली हुई ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—काफी बहस हो चुकी है, इसलिये अब मैं प्रश्न उपस्थित कर देना चाहता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, लंच से पहले माननीय अध्यक्ष का कोई निर्णय नहीं हुआ था बल्कि उन्होंने केवल एक सुझाव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अब अपना निर्णय दे चुका हूं। आप बैठ जाइये।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८४
विपक्ष में—१७)

*श्री उम्मेद सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सभा सचिव महोदय की समझ में यह बात आयी नहीं इसलिये जरूरी है कि मैं सेक्शन १० पढ़ दूं वह इस प्रकार है:—

"१०—(१) ऐसी भूमि का प्रत्येक काश्तकार जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो जिस पर निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में २५० रु० से अधिक वार्षिक मालगुजारी लगी हो और यदि मालगुजारी नहीं लगी है, तो इतना स्थानिक कर (Local Rate) लगा हो जो २५० रु० से अधिक की वार्षिक मालगुजारी पर देय हो, उस भूमि का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा और उसके लगान की दर वही समझी जायगी जो उक्त दिनांक पर उसके द्वारा देय हो और धारा १८ के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि सीर नहीं मानी जायगी।"

तो यह उपधारा (१) नहीं लागू होगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि २५० रु० से भी ज्यादा मालगुजार की स्त्री के काश्तकार शिकमी या चाहे जो कुछ भी आकुपेंट अध्यासी हों, धारा २० के अन्तर्गत वे असामी ही रहेंगे। तो मैंने यह निवेदन किया था कि अव्वल तो जो यह लिमिट किया जा रहा है औरत के हक का यह एक कलंक है और यह कलंक का टीका इस लेजिस्लेचर पर हमेशा के लिये रहेगा और वह यह कि इसका असर जो कुछ हो लेकिन जहां कहीं भी यह कानून जायगा वहां लोग यही कहेंगे कि साहब किसी स्त्री का मर्द चाहे इडियट हो, पागल हो, अन्धा हो, स्त्री हमेशा के लिये उसी के आश्रित रहेगी। आज का समाज इसको बरदाश्त नहीं कर सकता है। यह देखना है तो उपाध्यक्ष महोदय दरअसल में यही अर्ज कर रहा था और इसलिये मैंने इसके बारे में निवेदन किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मौजूदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उम्मेद सिंह]

कानून है वह यह है यानी जो धारा २१ (ज) है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात गुप्त जी के संशोधन में नहीं आई, जहां पर उन्होंने स्त्रियों को मुस्तसना किया है उसमें यह कहीं नहीं है कि अगर कोई परित्यक्ता, विडो या अनमैरीड हो वह १५७ के अन्तर्गत इस धारा को बिलकुल काट देता है। अगर हम इसको मानते हैं तो यह हमारी विधान सभा पर हमेशा के लिये कलंक होगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह संशोधन प्रस्तुत करने से पहले एक बात कहूंगा कि अब तक जो विवाद हुआ है वह पूरी धारा पर हुआ है। उसका कोई हिस्सा अलग करना संभव नहीं था। जो संशोधन बेचन राम जी ने दिया था वह हस्तलिखित था, उसको मैंने नहीं देखा और वह एक प्रकार से धारा के सुधार के निमित्त था और यह संशोधन उसको निकालने के लिये है इस रूप में यह संशोधन आ सकता था इसलिये इसको इसी रूप में सदन के सामने राय के लिये पेश किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ५ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय और उपखंड (२) और (३) क्रमशः (१) व (२) कर दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—३
विपक्ष में—९९)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*खंड ४ (पुनरागत)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के प्रारम्भिक शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर" निकाल दिये जायं और पंक्ति ३ व ४ में शब्द "अध्यासी के रूप में" तथा शब्द "अभिलिखित" के बीच में शब्द तथा संख्या "१३५६ फसली में" रख दिये जायं।

(श्री उपाध्यक्ष ने प्रश्न पर मत लिया और 'नहीं' की संख्या अधिक समझ कर यह घोषणा की कि संशोधन गिर गया।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या १८ वां यह संशोधन मेरे वाला है।

(एक क्षण के अनन्तर)

मैं विभाजन चाहता हूं।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

(विरोधी बेंचेज की तरफ से बहुत सी आवाजें)—जब डिक्लेयर हो चुका है तो अब डिवीजन नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) इस समय घंटी बज रही है।

श्री राजनारायण—ठीक है घंटी खत्म हो जाय तब कहूंगा।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर।

---

*१५ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—इस वक्त कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री जोरावर वर्मा—इसी के संबंध में तो है। मैं इस संबंध में आपकी रूलिंग चाहता हूं।

आपकी रूलिंग हो चुकी थी कि यह संशोधन गिर गया है। फिर क्या आपने अपनी रूलिंग वापस ले ली है और उसके बाद फिर क्या आपने विभाजन का अधिकार दिया है?

श्री उपाध्यक्ष—मेरी रूलिंग उस पर हो चुकी है। उस रूलिंग के विरुद्ध किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के प्रारम्भिक शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर" निकाल दिये जायं और पंक्ति ३ व ४ में शब्द "अध्यासी के रूप में" तथा शब्द "अभिलिखित" के बीच में शब्द तथा संख्या "१३५६ फसली में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। जिस बात पर एक बार आप निर्णय दे चुके हैं कि यह प्रस्ताव पास हो गया या गिर गया तो क्या उसके बाद भी डिवीजन हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—जब मैंने यह कहा था तो उसके बाद डिवीजन क्लेम करने में एक दो सेकेंड की देर जरूर हो गई थी, लेकिन वह क्लेम किया गया और मैंने उसकी इजाजत दे दी। इसमें मैं समझता हूं कि कुछ अनुचित नहीं है। (श्री जोरावर वर्मा के खड़े होने पर) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बैठने की कृपा करेंगे।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के आरम्भिक शब्द "निहित" से ले कर पंक्ति ६ के शब्द "उक्त उपखंड" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "मूल अधिनियम की धारा २० के खंड (ख) के उपखंड (१)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—आप जो अपना निर्णय दे चुके हैं संशोधन १८ के बारे में, तो क्या आप अपने उन शब्दों को वापस ले चुके हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब एक बार अपना निर्णय दे चुके कि यह प्रस्ताव गिर गया या स्वीकार हो चुका और उसके बाद भी आपने डिवीजन की आज्ञा दी तो क्या आप अपने उन शब्दों को वापस लेकर उन शब्दों को कार्यवाही में नहीं आने देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्य जानते हैं कि जब किसी प्रस्ताव पर राय ली जाती है तो यह कहा जाता है कि यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया अथवा गिर गया और इसके बाद किसी पक्ष को डिवीज़न क्लेम करने का अधिकार होता है। यहां यह जरूर हुआ कि डिवीज़न क्लेम करने में कुछ विलम्ब हुआ और जब उन्हें इस बात का ध्यान आया तो उन्होंने डिवीजन की मांग की। उनके डिवीजन मांगने पर मैंने उसकी आज्ञा दी है। यह कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे अनुचित कहा जा सके।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, प्रार्थना यह है कि माननीय अध्यक्ष ने जो रूलिंग खंड ४ के बारे में दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो ऊपर का हिस्सा है, जिसके बारे में मेरा एतराज था और जो एक्सप्लेनेटरी है उसके संबंध में सदन ही राय देगा। तो मेरा सुझाव यह था कि ऊपर के हिस्से पर अलग वोट लिया जाता और जो मुख्य क्लाज के वाक्य हैं उन पर अलग वोट लिया जाय। इसके ऊपरी हिस्से पर सदन की अलग राय तो हुई नहीं तो इसलिये मैं कह रहा था कि अध्यक्ष की रूलिंग के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---इस समय तो मैं राय ले चुका हूं कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय और इस पर सदन अपनी राय जाहिर कर चुका है। मुझे तो यह कहा गया था कि माननीय अध्यक्ष ने इस संशोधन को उचित माना है और इसी पर मैंने यह रूलिंग दी। इसलिये मैं इस प्रश्न को दुबारा उठाना उचित नहीं समझता।

नये खंड ७-क, ७-ख, ७-ग तथा ७-घ

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---जनाबवाला, पहला तो मुझे मूव नहीं करना है अगला मूव करना है।

श्री उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य ३८-ग को मूव कर चुके हैं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---जी नहीं। यह दूसरा जो है यह उसी का एक इम्प्रूव्ड फार्म है, उसे मुझे मूव करना है।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे यह बताया जा रहा है कि माननीय सदस्य पहले प्रस्ताव को पेश कर चुके थे और यहां की कार्यवाही में लिखा है कि उपस्थित किया जा चुका है। तो मैं समझता हूं कि दूसरा आइटम लेने से पहले माननीय सदस्य पहले प्रस्ताव को वापस ले लें तब आगे बढ़ें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---जी, मैं उसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अतहर हुसैन ख्वजा---जवाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि---

"खंड ७ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ७-क, ७-ख, ७-ग तथा ७-घ के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"७-क---मूल अधिनियम की धारा ५० के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ५०-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

५०-क--(१) डिस्ट्रिक्ट जज प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध धारा ५० के अधीन अपील, जो उसके समक्ष विचाराधीन हो, किसी ऐसे सिविल जज को संक्रामित (transfer) कर सकता है जो उसके प्रशासकीय नियंत्रण में हो।

(२) इस धारा के अधीन संक्रामित (transferred) अपीलें उस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित की जायंगी जो धारा ५० के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अपीलों के निस्तारण के संबंध में लागू हैं।

७-ख---मूल अधिनियम की धारा ५१ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा" तथा शब्द "दी गई" के बीच में शब्द "या धारा ५०-क के अधीन किसी सिविल जज द्वारा जैसी भी दशा हो" रख दिये जायं।

७—ग—मूल अधिनियम की धारा ५७ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ५७—क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

५७—क—(१) डिस्ट्रिक्ट जज प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध धारा ५७ के अधीन अपील जो उसके समक्ष विचाराधीन हो, किसी ऐसे सिविल जज को संक्रामित कर सकता है जो उसके प्रशासकीय नियंत्रण में हो।

(२) इस धारा के अधीन संक्रामित (transferred) अपीलें उस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित की जायंगी जो धारा ५७ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अपीलों के निस्तारण के संबंध में लागू है।

७—घ—मूल अधिनियम की धारा ५८ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा" तथा शब्द "दी गई" के बीच में "शब्द" या धारा ५७—क के अधीन किसी सिविल जज द्वारा जैसी भी दशा हो रख दिये जायं।"

जनाब वाला . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, जो संशोधन है माननीय अतहर हुसैन ख्वाजा साहब का उसमें ४ खंड हैं और इन ४ खंडों के अनुसार तीन धारायें, एक तो नयी धारा ५०—क बढ़ायी जा रही है, दूसरी ५१ का संशोधन हो रहा है और तीसरी ५८ का संशोधन हो रहा है। तो नियमों के अनुसार एक खंड के उपखंड के जरिये या एक ही खंड के जरिये अलग-अलग धाराओं का संशोधन होना उपयुक्त नहीं है। इसके लिये अलग-अलग खंडों का रखा जाना आवश्यक है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ५३० की तरफ दिलाना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दे देना चाहता हूं कि यदि उन खंडों पर राय अलग-अलग ले ली जाय तो . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मूव भी अलग-अलग होने चाहिये। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा . . .

श्री उपाध्यक्ष—वह नियम जो यह कहता है कि वह मूव भी अलग-अलग करें, न करें तो नहीं हो सकता है, वह बता देने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पेज ५३० पर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में लिखा हुआ है कि"Amendment which are . . ."

श्री उपाध्यक्ष—इस संबंध में आपको प्रक्रिया नियमावली में भी इसका नियम होगा?

श्री नारायणदत्त तिवारी—नियमावली में डिटेल्स नहीं हैं, श्रीमन्। डिटेल्स के लिये तो श्रीमन्, हमें मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को ही देखना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि—"Amendments which are irreleveant to the clause under consideration, should, as a general rule, if they are within the scope of the bill, be moved as new clauses." तो इनको नये क्लाज के रूप में रखना उचित होगा बजाय इसके कि तीन धाराओं में एक ही खंड और उसके उपखंडों के अन्तर्गत और नये खंड बढ़ाये जायं। तो तीनों धाराओं का संशोधन वह अलग-अलग रखें और अलग-अलग उन पर विवाद हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने जैसा कि अभी बतलाया है यह जो संशोधन हैं इन पर हम राय अलग-अलग ले लेंगे और प्रक्रिया नियमावली आपको इस बात का हमें अधिकार देती है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम २२३ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं "All questions not sepecifically provided for in these rules and all questtions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

[श्री उपाध्यक्ष]

तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं इस तरह से उसे ले लेने में कोई हर्ज नहीं है ।

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---इसके मुताल्लिक जब मैंने पिछला क्लाज मूव किया था, तो उस वक्त यह अर्ज कर दिया था कि इस अमेंडमेंट की मंशा महज यह है कि जो केसेज अपोर्शनमेंट के जिलों में हैं उनका फैसला जल्द हो सके। चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस कदर काम रहता है कि वह उसको जल्द तय नहीं कर सकता, इसलिये यह जरूरी है कि यह पावर्स उसको डेलीगेट कर दी जायं कि वह ट्रांसफर कर सके उन मुकदमात को और यही इसका मकसद है कि ताकि लिटीगेंट पब्लिक या वह लोग जो कि बांड होल्डर्स थे, उनका फैसला कि किसको कितना मिलेगा, यह जल्दी तय हो जाय और वह लटकता न रहे। यही गरज है इस अमेंडमेंट की और मैं समझता हूं कि इस पर कुछ और अधिक कहने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार है।

श्री जोरावर वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन ख्वाजा साहब ने रखा है यह सचमुच में जो जमींदार हैं जिनको बांड्स लेने में बड़ी दिक्कतें और परेशानियां उठानी पड़ती हैं उनको लेने के लिये आसानी तो पैदा करता है लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ थोड़ी सी घपलाबाजी हो जाने का डर है। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में इस संशोधन को स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ७--क के रूप में बढा दिया जाय।

"७--क---मूल अधिनियम की धारा ५० के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ५०--क के रूप में बढ़ा दिया जाय।

५०--क (१) डिस्ट्रिक्ट जज प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध धारा ५० के अधीन अपील जो उसके समक्ष विचाराधीन हो, किसी ऐसे सिविल जज को संक्रामित (Transfer) कर सकता है जो उसके प्रशासकीय नियंत्रण में हो।

(२) इस धारा के अधीन संक्रामित (Transferred) अपीलें उस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित की जायंगी जो धारा ५० के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अपीलों के निस्तारण के संबंध में लागू हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७--क के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ७--ख के रूप में बढा दिया जाय--

७--ख--मूल अधिनियम की धारा ५१ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा" तथा शब्द "दी गई" के बीच में शब्द "या धारा ५०--क के अधीन किसी सिविल जज द्वारा जैसी भी दशा हो" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७--ख के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ७--ग के रूप में बढा दिया जाय--

७--ग--मूल अधिनियम की धारा ५७ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ५७--क के रूप में बढा दिया जाय---

५७--क--(१) डिस्ट्रिक्ट जज प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध धारा ५७ के अधीन अपील जो उसके समक्ष विचाराधीन हो, किसी ऐसे सिविल जज को संक्रामित कर सकता है जो उसके प्रशासकीय नियंत्रण में हो।

(२) इस धारा के अधीन संक्रामित (transferred) अपीलें उस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित की जायंगी जो धारा ५७ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अपीलों के निस्तारण के संबंध में लागू है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७--ग के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ७--घ के रूप में बढा दिया जाय---

७--घ---मूल अधिनियम की धारा ५८ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा" तथा शब्द "दी गई" के बीच में शब्द "या धारा ५७--क के अधीन किसी सिविल जज द्वारा जैसी भी दशा हो" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७--क, ७--ख, ७--ग तथा ७--घ जो अभी सदन में स्वीकृत हुये हैं इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

उ०प्र०अधिनियम १,१९५१ की धारा ११७-क का संशोधन।

१०---मूल अधिनियम की धारा ११७--क की उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (५) के रूप में रख दिया जाय---

"(५) धारा ११७ के प्रथम और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंडों के निदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (१) के अधीन स्थानिक अधिकारिकी में निहित भूमि तथा अन्य वस्तुओं की वापसी के विषय में प्रवृत्त होंगे।"

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित नई उपधारा (५) निकाल दी जाय।

श्रीमन्, धारा ११७ के प्रथम और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंडों के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के सहित उपधारा (१) के अधीन स्थानिक अधिकारिकी में निहित भूमि तथा अन्य वस्तुओं की वापसी के विषय में प्रवृत्त होंगे। श्रीमन्, मैं इस विषय में यह समझता हूं कि इससे मिलता जुलता संशोधन सदन में आ चुका है और इस पर काफी विचार विनियम हो चुका है। परन्तु इतने विचार विनियम के उपरान्त भी मुझे यह आश्चर्य रहा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय अब भी तैयार नहीं हैं समझने के लिये कि पब्लिक परपज वह नहीं हो सकता है जिसको सरकार पब्लिक परपज समझे, माने। श्रीमन्, इसके संबंध में माननीय राजनारायण जी ने भी कुछ ध्यान सदन का आकर्षित किया था, लेकिन वह पब्लिक आर्डर पर ज्यादा जोर देते रहते थे। इस पब्लिक आर्डर से कोई संबंध इसलिये नहीं है कि पब्लिक परपज और पब्लिक आर्डर यह दो अलग चीजें हैं। पब्लिक आर्डर का संबंध ला एन्ड आर्डर से होता है और पब्लिक परपज का प्रयोग अमेरिकन कांस्टीट्यूशन में किया गया था और उसके पश्चात् हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९ में उसको इन दि इंटेरेस्ट आफ जनरल पब्लिक या जनहित में प्रयोग किया गया। श्रीमन्, मुझे खेद है कि मननीय मंत्री जी के जाने के उपरान्त मेरा जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने साथ ही साथ एक रूलिंग का भी जिक्र किया था। मैं जानना चाहता था कि वह रूलिंग कब की है और कहां की है। उन्होंने एक पुस्तक से उसको पढ़ दिया। मालूम नहीं वह सन् १८५७ की थी या आज १९५४ की है या १९५३ की थी। मैं उनको यह एक बात समझा देना चाहता हूं कि किसी भी समय पर, जबकि अक्वायर करने का प्रश्न उठता है तो उसके साथ ही यह परम आवश्यक है कि यह देखा जाय कि उसका प्रतिकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

मिले और साथ ही साथ प्रतिकर देकर आप तब ले सकते हैं जब कि आप अनुच्छेद १९ में दिये गये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करते । उसके लिये तीन कसौटियां हैं, एक तो यह है कि वह उचित होना चाहिये, दूसरी सूरत यह है कि जनहित में होना चाहिये। प्रापर्टी आप अक्वायर करते हैं लेकिन एक गलतफहमी में मालूम होते हैं। जब अधिनियम बन रहा था, या विधेयक के रूप में था तो उस समय संविधान नहीं था और सरकार को मालूम नहीं था कि संविधान क्या स्वरूप ग्रहण करेगा। तो उस गलतफहमी को अब दूर हो जाना चाहिये। सरकार ने जो जमीनें लोकल बाडीज या गांव सभाओं को दी थीं वह प्रबन्ध के लिये बल्कि उनका ट्रांस्फर हुआ था और जब आप अक्वायर करते हैं तो आपको प्रतिकर देना होगा और दोनों सूरतों को पूरा करना होगा। आर्टिकल २२६ और अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह एक्सटरनल रेमेडीज जैसे क्राइम की सजा कोई दे सकते हैं, अब गांव समाज या लोकल बाडीज को पूरा अधिकार होगा जबकि एक नोटीफिकेशन कैंसिल करके उस भूमि को रिज्यूम करें, कि वह यह आपत्ति कर सकें और यह अधिकार क्षेत्र में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं कि जो विधान सभा या विधान मंडल कोई अधिनियम पारित करता है तो वह जुडीशियरी के परव्यु के बाहर होता था, लेकिन अब आर्टिकल २२६ और ३२ के रहते हुये उनको पूरा मजाज है कि वह उन अधिनियमों को उस कसौटी पर उतार सकें। अगर उसके अनुसार है तब तो वैध है वरना आर्टिकल १३ के अनुसार वह उस हद तक जहां तक कि भारतीय संविधान अनुच्छेदों का विरोधाभास करते हों, वह नष्टभ्रष्ट किये जा सकते हैं, अवैध करार दिये जा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं यह बताना चाहूंगा आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय को कि वह इस भूल में न रहें कि पब्लिक परपज वह है जिसको कि वह समझें। मैंने यह माना कि पब्लिक परपज की परिभाषा कहीं नहीं दी गई हैं लेकिन वह परिभाषा करने वाले नहीं हैं बल्कि जुडीशरी है और उसको यह अधिकार सदैव रहेगा जब तक कि आप संविधान में संशोधन नहीं लाते हैं। आज हमारी सरकार पब्लिक परपज और इन दि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या पब्लिक आर्डर, जैसा कि रामनारायण जी ने कहा, यह समझने का प्रयास ही नहीं करती है। हमारी प्रदेशीय सरकार तो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देती है कि वह यह समझे कि आज हमारे भारतवर्ष में संविधान नाम की कोई चीज भी है जिसकी कसौटी पर हर अधिनियम को पूरा उतरना आवश्यक है। श्रीमन्, पब्लिक आर्डर की परिभाषा के मामले में डाक्टर लोहिया वाले केस में यह सरकार अच्छी तरह से मुंह की खा चुकी है। श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से हमारी सरकार को डेलीगेटेड अथारिटी का शौक हुआ है ।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो यह संशोधन रखा गया है मैं उसका समर्थन करूंगा और समर्थन करने का हमारा कारण भी स्पष्ट है कि सरकार के हाथ में इतनी ताकत नहीं जानी चाहिये कि सरकार जब चाहे तब उस ताकत का दुरुपयोग करे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय राजस्व मंत्री श्री चरणसिंह जी इस समय यहां नहीं हैं। उनकी बुद्धि श्रीमन, अभी ब्रिटिश साम्राज्यशाही के जमाने में ही चक्कर काट रही है, कल उन्होंने एक लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की कुछ ऐसी धारायें पढीं जिसमें उन्होंने "पब्लिक परपज" की परिभाषा कर दी कि गवर्नमेंट जो काम करे वह पब्लिक परपज है। श्रीमन्, आपकी जानकारी में भी यह बात आयी होगी कि कहीं-कहीं पब्लिक की जमीन लेकर कुछ माननीय मंत्री लोगों को हवाई जहाज से किसी खास स्थान पर पहुंचाने के लिये रास्ता बना दिया गया। अब वह कोई पब्लिक परपज नहीं रहा। कोई पब्लिक के काम से माननीय मंत्री जी नहीं गये। किसी एक बारात में जा रहे थे। तो मैं उनसे निवेदन करदूं और उनकी अनुपस्थिति में माननीय मौर्य जी से निवेदन कर दूं, क्योंकि वह बड़े जोर से आयेंगे कि अब तक तो सरकार गांव समाज के अधिकार छीनने पर तुली हुई थी अब वह टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया ।

आक्रमण कर रही है। वह यह कह रही है कि लोकल बाडीज के पास भी जो कोई इस तरह से जमीन हो तो उसको भी सरकार ले सकती है। यह सारा का सारा अधिकार माननीय राजस्व मंत्री सरकार के हाथ में देना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इस अधिकार को क्यों लेना चाहते हैं। सीधी-सादी बात, श्रीमन् है कि सिद्धांत के होते हुये बहुत से लोग समझते हैं, जब हम बहुत व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखते तो कभी-कभी उनके दिमाग में यह बात आती है कि यह बातें यहां पर उपयुक्त नहीं हैं, यह हर समय हर दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि सरकार अपने हाथ में शक्ति को केन्द्रित करना चाहती है, सरकार अपने हाथ से शक्ति बांटना चाहती है। म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया, और नोटिफाइड एरिया यह सब वहां की चुनी हुई कमेटियां हैं। वह भी एक जनता की संस्था है, जनता की प्रतिनिधि संस्था है। जिस तरीके से असेम्बली में हम लोग चुन कर आये हैं और बहुमत दल की सरकार बन गयी उसी तरीके से अपने लोकल स्थान में, स्थानीय तरीके से ये जनता द्वारा चुनी हुई कमेटियां हैं। उन्होंने अपने विकास के लिये कुछ काम किया है। उस काम को सरकार अपने हाथ में लेने के लिये लालायित है, बिना किसी बात के, बिना किसी बुनियाद के जब चाहे तब सरकार उनके हाथ से छीन ले। माननीय अवधेशप्रताप सिंह के संशोधन का यही मतलब है कि सरकार के हाथ में यह ताकत नहीं जानी चाहिये और अगर सरकार के हाथ में यह ताकत जायगी तो जिन संस्थाओं ने जन कल्याणकारी कार्य किये हैं उनको सरकार अस्त व्यस्त और उल्टा कर देगी। सरकार बताये कि कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति हो रही है जिससे सरकार यह ताकत अपने हाथ में लेना चाहती है। केवल वही मनोवृत्ति है कि कैबिनट के माननीय मंत्रीगण जो कह दें और उसमें से वह मंत्री जो कैबिनेट में ज्यादा प्रतिभा रखते हों अगर वह ऐसा कह दें तो ऐसा हो जाय और नो कह दें तो नो हो जाय। जहां भी जनतंत्र होगा वहां सत्ता निहित होती है जनता में। जनता के प्रतिनिधियों में जनता को सत्ता नहीं चली जाती। जनता का प्रतनिधित्व आप कर सकते हैं। कोई भी प्रतिनिधि जनता के हक का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर जनता यह समझती है कि वह उसके हक में काम नहीं कर रहा है तो वापस भी कर देती है। इसलिये इस बात को माननीय शिव-नारायण जी और दूसरे लोग जो बातें कर रहे हैं, इस बुनियादी बात को समझ लें। सरकारें आती हैं और जाती हैं। यह जो हमारा विधान है यह रद्दी है, जिसको माननीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि विधान को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। इस विधान में पांच वर्ष के बाद सरकार बदलने की व्यवस्था की गयी है। कैसे सरकार बदलेगी? जब जनता के हित में सरकार काम नहीं करेगी तो जनता उस सरकार को बदल देगी। इसलिये वह सार्वभौम सत्ता जनता में रहती है। आज माननीय शिवनारायण जी के गांव की कमेटी है, वह अपने गांव के उत्थान के लिये और विकास के लिये जितना समझने की परिस्थिति में रहती है उतना मौर्य जी नहीं समझ सकते, चरण सिंह जी नहीं समझ सकते चाहे उनके पास कितनी ही ताकत हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर समय फंडामेंटल और सिद्धांत आता है। इसलिये गांधी ने कहा था कि अगर जन उत्थान का कार्य करना है तो पुरानी पुस्तकों को पहले जलाओ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्व मंत्री के दिमाग में पुरानी बातें लिखी हुई हैं जब हम पहले उन्हें मिटायें तो नई बातें लिखें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने इन दलीलों को पहले ही सुन लिया था। गांव समाज के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पहले पास हो चुका है ये सब दलीलें उस वक्त आ चुकी हैं। धारा ११७ के मातहत राज्य सरकार में जो भी भूमि निहित हुई है वह राज्य सरकार ने गांव समाज को दी या लोकल अथारिटी को, इनमें गांव समाज को जो जमीनें दीं उनके सम्बन्ध में पहले ही प्रस्ताव आ चुका है और काफी वादविवाद हुआ था कि गांव समाज में जो जमींनें दी हैं उन्हें सरकार वापस ले सकती है। अब इस मौजूदा संशोधन द्वारा यह कहा जा रहा है कि वही बात जो गांव समाज के लिये इस सदन ने स्वीकार की है वही बात लोकल अथारिटीज के लिये स्वीकार की जाय तो उसूली बात में कोई अन्तर नहीं

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

पड़ता और वही बात लोकल अथारिटी के विषय में इस समय सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित है। पब्लिक पर्पजेज की बात काफी भवन के सामने पहले भी आ चुकी है इसलिये जिस तरह से गांव समाज को जो भूमि दे दी गई उसके बारे में जो उसूल भवन स्वीकार कर चुका है उसी उसूल से सरकार लोकल अथारिटीज को जो जमीन दी गई है उसके सम्बन्ध में अधिकार लेना चाहती है। ज्यादा वादविवाद की अब इसमें आवश्यकता भी नहीं है और मुझे आशा है कि भवन इसे स्वीकार करेगा।

श्री जोरावर वर्मा---अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें ११७ का जो प्रतिबन्धात्मक खंड है उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में किसी गांव में उस भूमि का क्षेत्रफल जिसमें खेती न होती हो, गांव समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग को, इस धारा के अधीन गांव समाज में निहित हो जाने से अलग रक्खे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक आज्ञाएं दें जो आवश्यक हों, और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी समय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु राज्य सरकार हस्तगत कर ले, तो गांव समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किये गए किसी विकास कार्य के निमित्त प्राप्य हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार कोई और प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा"।

तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिबन्ध के साथ लोकल अथारिटीज को भी जमीनें दी गई हैं कि अगर लोकल अथारिटीज ने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया है तो राज्य सरकार जिस दिन चाहे पब्लिक इंट्रेस्ट में उसको हस्तगत कर ले। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे ज्ञान है हाई कोर्ट में गवर्नमेंट की जो पब्लिक इंटरेस्ट की परिभाषा है शायद उसको रिजेक्ट (खारिज) कर दिया है। क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) को डिफाइन (परिभाषित) नहीं कर सकी है। 'पब्लिक इंटरेस्ट' की परिभाषा दिन ब दिन बदलती रहती है। सरकार का कोई प्रिय आदमी हो सकता है उसको कोई डेरी फार्म या सुविधाजनक दूसरी चीज खुलवाने के लिये पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर सरकार लोकल अथारिटीज से जमीन ले सकती है और लोकल अथारिटीज का जो सार्वजनिक हित है उसका अहित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को यदि इस प्रकार से जमीन के लेने की आवश्यकता पड़ जाय तो जिस प्रकार से लोकल अथारिटी ने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है तो उसका भी मुआविजा उसको मिलना चाहिये। सरकार उनको वह जमीन दे चुकी है तो उस लोकल अथारिटी से तय करके कीमत देनी चाहिये। सरकार उस जमीन को दे चुकी और उनका कोई अधिकार उस पर नहीं है। उसके ऊपर अपना अधिकार जताना कि हमने दी थी और हम इसको ले रहे हैं मैं समझता हूं यह दलील उचित नहीं है। यह तो "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली कहावत है जिसको न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। आज कल भी देहात में ऐसा होता है कि जो शक्तिशाली होता है उसकी जिसके पास जमीन होती है वह शक्ति के बल पर उससे ले लेता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह दलील ठीक नहीं है और न्यायसंगत नहीं है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जब तक पब्लिक इन्टरेस्ट डिफाइन (जनहित की परिभाषा) न हो तब तक पब्लिक के नाम पर कोई चीज लेना उचित नहीं है। सरकार को इस प्रकार के अधिकार को नहीं लेना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपकी आज्ञा से माननीय अवधेश प्रताप जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो श्रीमन्, धारा ११७–ए सन् १९५३ के विधेयक में सरकार द्वारा संशोधित की गयी थी। तब सरकार ने धारा ११७–क में यह अधिकार लिया कि किसी भी समय किसी भी स्थानीय संस्था से किसी भी वस्तु को कार्य के लिये ले सकती है। तो उस समय सरकार ने स्वयं इन प्रतिबन्धात्मक वाक्यों को रखना आवश्यक नहीं समझा। मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुये माननीय राजस्व मंत्री से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस संशोधन की आवश्यकता इन दो प्रतिबन्धात्मक वाक्यों को बढ़ाने की आवश्यकता सन् १९५३ में क्यों नहीं समझी गयी थी, आज कौन सी आवश्यकता आ गयी है कि जिसको आज उन प्रतिबन्धों को इन ग्रामीण संस्थाओं के लिये लागू करना चाहते हैं? श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री के कथनानुसार दिसम्बर, ५४ तक उस विधेयक का आना आवश्यक नहीं है। यह विधेयक जिन स्थानीय संस्थाओं पर लागू होगा वह केवल ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी ही हो सकती है। पहली जो धारा ११७–ए मौजूद है उसमें यह अधिकार मौजूद है। उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—

"The local authority aforesaid shall in the performance of or exercise of its functions, powers and duties under this section shall follow such procedure as may be prescribed."

इस सम्बन्ध में स्थानीय संस्थायें वही काम करेंगी जो सरकार उनसे कहेगी। इसलिये इसको ठीक प्रकार से रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अन्दर स्पष्ट इशारा किया गया है जो धारा १२७ में लिखा है वह यह है कि यदि किसी समय राज्य सरकार को यह सन्तोष हो जाय—

"(क) गांव पंचायत या समिति ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये अपने कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुये भी नहीं किया है,

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में गांव पंचायत या समिति असमर्थ हो गयी है या हो जा सकती है या,

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है।

तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन गांव पंचायत के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या आधिकारिकी द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निरोधों के साथ जो नियत किये जायं, किया जायगा।

(२) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक निदेश बना सकती है, जो उसको इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों।"

जब सरकार के पास पहले से ही ताकत मौजूद है कि अगर ग्राम सभायें सही माने में उसका प्रयोग नहीं करती हैं, विकास कार्य के लिये उसका प्रयोग नहीं करती हैं तो सरकार पहले ही कार्यवाही कर सकती है। फिर एक बार जो चीज पब्लिक इंटरेस्ट में गांव पंचायतों को दे दी गयी तो बिना कंपेन्सेशन के, लिया जाय यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जब माननीय मंत्री जी सिद्धान्त को मानते ही नहीं केवल संख्या को ही मानते हैं तो जब संख्या के ऊपर ही बात आती है, मेरी सिफारिश यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय और इन धाराओं को निकाल दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानपूर्वक माननीय सभा सचिव को सुनता रहा और समझने का प्रयास करता रहा कि इससे पहले जो कुछ मैंने कहा था उसके प्रत्युत्तर में वे अवश्य ऐसी बातें कहेंगे जिससे सदन को संतोष हो लेकिन उन्होंने सारा भार माननीय मंत्री जी के ऊपर रख दिया, जिसके विरोध में ही मैंने सारा समय सर्फ किया। श्रीमन्, इस समय सब से बड़ी कठिनता यह है कि एक गलती सरकार ने की। यह मैं मानता हूं कि 'पब्लिक परपज' की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। यहां ही नहीं अमेरिकन कांस्टीटचूशन में भी पब्लिक परपज की परिभाषा नहीं है। लेकिन मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि 'इन दी इन्टरेस्ट आफ जनरल पब्लिक' वही है जिसको गवर्नमेंट कह दे। उन्होंने जो रूलिंग कल पढ़ कर सुनाई उसको सुनने के बाद भी मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय हमारा कांस्टीटचूशन नहीं था और अब वह कांस्टीट्यूशन है। इस कांस्टीटचूशन के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें दफा २२६ के अनुसार हाई कोर्ट को पावर्स दी गयी हैं, तथा दफा ३२ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी गयी हैं। उनके सामने रिट हो सकता है, यह चीज भी उनके अधिकार क्षेत्र में आ सकती है। जब आपका विधान नहीं था तो तब तो आप एक प्रकार से अदालतों के ऊपर प्रतिबन्ध लगा सकते थे, उनके अधिकारों को सीमित कर सकते थे। लेकिन जब हमारे कांस्टीटचूशन में धारा २२६ और ३२ हैं तब माननीय मंत्री जी की वह रूलिंग काम नहीं दे सकती। मैंने यह माना पब्लिक परपज की परिभाषा नहीं हो सकती लेकिन उसके साथ साथ हम इस प्रकार से बच भी नहीं सकते। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको अपने दिल में स्वीकार कर रहे होंगे। जब सरकार में जमींदारी निहित हुई थी तो वह जमींन अगर उस समय गांव सभाओं और लोकल बाडीज को ट्रान्सफर न की गयी होती तब यह वैधानिक आपत्ति नहीं उठ सकती थी, जो कि भविष्य में चल कर सम्भवतः उठे और उनके पीछे काफी सार होगा। उसमें एक महत्व है और वह निराधार नहीं है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी वह इस वजह से नहीं कि वह समझते नहीं। वे वकील हैं, बुद्धिमान हैं और समझते हैं लिहाजा उन्होंने जो रूलिंग पब्लिक परपज के लिये पढ़ी वह इसलिये नहीं कि वे न जानते हों और न समझते हों। वे जानते हैं, समझते हैं और गलती इसको भी महसूस करते होंगे। लेकिन इस स्टेज पर उनके लिये कठिनाई थी लिहाजा जो कुछ भी सुधार इस परिस्थिति में हो सकता है उसमें वह नहीं कर सके। लेकिन जो मौलिक कठिनाई है वह इससे दूर नहीं की जा सकती है। श्रीमन्, जहां तक गांव पंचायतों और गांव समाज का प्रश्न था और जो यह कहा गया है कि तमाम दलीलें जो दी गयी हैं वे गांव समाज वाले संशोधन के सम्बन्ध में दी जा चुकी हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर अगर भरोसा किया जा सकता है तो इसके ऊपर सरकार अधिक भरोसा करे तो मैं समझता हूं कि कोई हानि की बात नहीं होगी। उसका मुख्य कारण यह है कि लोकल बाडीज को काफी अनुभव है। गांव समाज के बारे में तो उनको कुछ आशंका हो भी सकती है। लेकिन लोकल बाडीज के सम्बन्ध में उनको आशंका करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यदि लोकल बाडीज, लोकल अथारिटीज के सम्बन्ध में वे यह भावना रखते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी इकनामी या लोकल बाडीज का जो कुछ भी महत्व है या उनके पीछे जो कुछ भी जिम्मेदारी या उनके जो अधिकार हैं वे सब बेमाने हो जाते हैं। जिस सिद्धांत पर आप इसको चलाना चाहते हैं उस आटोनामी को धक्का पहुंचता है। जो दलील गांव समाज के लिये दी गयी थी उसी को लोकल बाडीज और लोकल अथारिटीज के लिये रखना उस हद तक तो ठीक नहीं है।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, जहां तक मैं समझा हूं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी की यह दलील है कि यह तो माना कि पब्लिक परपज की कहीं परिभाषा नहीं है लेकिन क्योंकि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी परिभाषा नहीं है लिहाजा गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह यह तय करे कि फलां काम पब्लिक परपज की परिभाषा में आता है और फलां नहीं आता है । उनकी राय में यह अधिकार अदालत को होना चाहिये । लैन्ड ऐक्वीजिशन अफसर को तो यह अधिकार हो लेकिन गवर्नमेंट को न हो। श्रीमन्, पहली बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पब्लिक परपज की परिभाषा में कोई काम आता है या नहीं आता है इसके लिये अगर गवर्नमेंट को काबिल नहीं समझते हैं ... ... ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, इसमें कुछ थोड़ा सा भ्रम है। मैं यह नहीं कहता हूं कि पब्लिक परपज को डिफाइन करने और पब्लिक परपज को समझाने से सरकार को बिलकुल वंचित कर दिया जाय । मेरा कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि जिसको आप पब्लिक परपज मानें वही सही है बल्कि जिसको जुडिशियरी पब्लिक परपज माने वही सही है और इससे कहीं पर संकीर्णता नहीं आ सकती है।

श्री चरणसिंह—जुडिशियरी माने या न माने इसका क्या प्रश्न है? आपने कहा कि जिसको जुडिशियरी माने वह सही है और वह सही नहीं है जिसको गवर्नमेंट माने। जुडिशियरी में ही लैन्ड ऐक्वीजीशन अफसर आता है, डिस्ट्रिक्ट जज भी आता है। लेकिन न तो लैन्ड ऐक्वीजीशन अफसर को, न डिस्ट्रिक्ट जज को और न हाईकोर्ट को यह अख्तियार है कि वह किसी की जमीन अपने लिये या किसी कम्पनी के लिये या किसी लोकल अथारिटीज़ के लिये या किसी पब्लिक परपज के लिये ले सके तो लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट तो जैसा है वह है। हमको जो कठिनाई है जिसकी वजह से संशोधन लाया गया है वह यह है कि लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में हमको लम्बी कार्यवाही करनी पड़ती है, इस में पब्लिक परपज का कोई प्रश्न नहीं है । वह अगर होती और उस में जज द्वारा तय होने की बात होती तो यह कहना यहां रिलेवेन्ट हो सकता था, हालांकि आज भी यह अधिकार अदालत को नहीं है कि पब्लिक परपज है या नहीं। मान लीजिए कि अगर हम लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत ही कार्यवाही करते तो क्या पोजीशन होती? यही होगी कि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत गवर्नमेंट दरख्वास्त देगी कि हमें फलां गांव में स्कूल के लिये, बाटेनिकल गार्डन के लिये या रिक्लेमेशन एक्सपेरिमेंट के लिये जमीन चाहिये, तो इस प्रोसीजर के करने में साल भर या ज्यादा लग जायगा । वहां वह यह भी तय नहीं कर सकते कि फलां काम पब्लिक परपज में आता है या नहीं। उस प्रोसीजर को केवल सिम्पलिफाई किया जा रहा है। गजट में डिक्लेयर करा दिया जायगा कि फलां काम के लिये फलां जमीन हमें चाहिये। इसलिये जो बातें लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के मुताल्लिक कही गयीं वह सब बिलकुल असम्बद्ध हैं इरेलेवेन्ट हैं और कोई ताल्लुक इस से नहीं रखती हैं और उस कानून से इस संशोधन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर माननीय मित्र चाहते हैं कि कहीं पर पब्लिक परपज को तय करने का अधिकार भी सरकार का न रहे तो वह अलग संशोधन लायें, कोई बिल लायें या लैन्ड ऐक्वीजिशन ऐक्ट में कोई तरमीम लायें। वैसे तो आज भी यह अख्तयार अदालतों को 'पब्लिक परपज, तय करने का नहीं है। हम उस कानून को संशोधित नहीं कर रहे हैं। केवल प्रोसीजर को सिम्पलिफाई किया जा रहा है। इस जरा सी बात कल भी समय खराब किया गया और आज भी खराब हो रहा है । मैं कल की दलीलों को फिर रिपीट करना नहीं चाहता। मैं आशा करता हूं कि अब माननीय सदस्य समझ गये होंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नयी उपधारा (५) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ११

उ० प्र० अधिनियम१,१९५१ की धारा११८ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा ११८ की उपधारा (१) में शब्द "प्रबन्ध" और शब्द "और" के बीच में अर्धविराम (कामा) और तत्पश्चात् शब्द "संरक्षण" रख दिया जाय और शब्द "सार्वजनिक कुओं" निकाल दिये जायं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ की अंतिम पंक्ति में शब्द "सार्वजनिक कुओं " के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक कुओं" रख दिये जायं।

यह शाब्दिक संशोधन है । "कुओं" छप गया है उसकी जगह "कुओं" होना चाहिये।

श्री नारायणदत तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शाब्दिक संशोधन के रखने की आवश्यकता नहीं है । जब स्वयं मंत्री जी तीन चार बार कह चुके हैं कि शाब्दिक संशोधन विभाग ठीक कर सकता है तो वह तो वहां ठीक हो जायगा । यहां सदन का समय बच जायगा अगर उनको हम यहां न लायें।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन का विरोध करता हूं। (थोड़ी देर बाद) मैं समझा नहीं था, मैं माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ की अंतिम पंक्ति में शब्द "सार्वजनिक कुओं" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक कुओं" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप पूरे का विरोध कर सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं, मैंने उसका संशोधन करके आपके पास भेज दिया है। मैं उसे उपस्थित करना चाहता हूं :—

खंड ११ की तीसरी पंक्ति में शब्द "और" तथा उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस खंड ११ में मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है—

"११—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में शब्द "प्रबन्ध" और शब्द "और" के बीच में अर्धविराम (कामा) और तत्पश्चात् शब्द "संरक्षण" रख दिया जाय। यहां तक तो मुझे विरोध नहीं है लेकिन उसके बाद जो "और" तथा उसके बाद का वाक्यांश है और शब्द "सार्वजनिक कुओं" निकाल दिये जायं ।" इसका मैं विरोध करता हूं और चाहता हूं कि निकाल दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन रखने की दो वजहें हैं। एक तो अपना विरोध प्रकट करना है कि जब मूल अधिनियम पहली जूलाई सन् ५२ को लागू किया गया था उस वक्त सरकार ने जमींदारों के कुओं को भी सार्वजनिक कुआं मान लिया था और उसको गांव समाज को दिया जाना स्वीकार किया था। लेकिन १० मार्च, सन् १९५३ को जो संशोधन विधेयक पास हुआ उसमें सरकार ने वह कुआं उनको फिर वापस कर दिया और अब वह जमींदारों के निजी कुयें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जमींदारों की हालात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जमींदार लोग हर तरह से नजराना लेते थे हाथी खरीदने के लिये, कुयें बनवाने के लिये और नये मकान बनवाने के लिये । तो वह कुयें जो जमींदारों के नाम पर गांवों में हैं जिसको मूल अधिनियम द्वारा ले लिया गया था वह असल में न्यायत-किसानों के कुयें थे। इसलिये कि एक तरफ उनसे बेगार ली जाती थी और दूसरी तरफ कुयें खुदवाने के लिये उनसे रुपये

वसूल करते थे। तो मेरा ख्याल है कि मूल अधिनियम के मुताबिक ये कुयें सार्वजनिक कुयें करार दिये जायं और गांव समाज को दे दिये जायं।

दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि माननीय मंत्री जी के दिमाग में सम्भवतः यह है कि सार्वजनिक कुयें अब वह नहीं रह गये। जो संशोधन १० मार्च, १९५३ को किया गया इस बिल में उसके अनुसार यह किया गया कि वह कुयें जमींदारों के पास रहें और किसानों के लिये वह ऐक्ट लागू नहीं है लिहाजा उनसे किसानों का कोई सम्बन्ध नहीं है जिसका गांव सभा द्वारा प्रबन्ध हो। एक तो वह लावारिस कुयें हैं जिनका कोई भी स्वामी नहीं है तो वह लामुहाला गांव समाज के पास जायेंगे और दूसरे भविष्य में ऐसे कुयें जो लावारिस होने वाले हैं उनका संरक्षण या प्रबन्ध या मरम्मत कौन करे तो एक दिक्कत सी पैदा हो जाती है उसको सार्वजनिक कुआं न रखने से। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि 'सार्वजनिक कुंयें' का निकाला जाना स्थगित कर दिया, इसलिये यह शब्द निकाल दिया जाय।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। श्रीमन्, उनको सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि कुआं बनवाने के लिये जमींदारों ने नजराने लिये और साथ ही साथ बेगार करायी। श्रीमन्, वह मेरे जिले से आते हैं। फैजाबाद के वह भी रहनेवाले हैं। लिहाजा मैं यह भी जानता हूं कि उनका भी सम्पर्क कुछ रियासतों से रह चुका है और जिस रियासत से उनका सम्पर्क था उस जगह अगर उस रियासत ने बेगार करवाई या नजराना लिया तो उनको भी जिम्मेदारी उसमें काफी रही है। श्रीमन्, यही नहीं इस दल में और कुछ उस दल में भी लोग हैं जो कि गालियां तक जमींदारों को देते हैं लेकिन वह भूल जाते हैं कि उनके कुकर्मों में और उनके कुकृत्यों में उसका भी एक महत्वपूर्ण हाथ कभी था। श्रीमान्, अब आज जो यह रामनारायण जी फरमाते हैं और कहते हैं कि नजराना लिया गया, उन से बेगार करवाई गयी, तो मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि हम जमींदारों और रियासत वालों की यह परिपाटी रही है, यह एक परम्परा रही है कि किसान जब कुआं खुदवाता था तो अगर उसको यह बल नहीं था कि वह कुआं खुदवा सके तो जमींदारों और रियासतों की तरफ से हमेशा नफरी का इंतजाम था और जो कुछ मदद की जा सकती थी की जाती थी। जिस प्रकार की सुविधा रियासत उसको दे सकती थी देती आयी है। कुयें के लिये नजराना और बेगार लेना, यह मैं नवीन बात आज सुन रहा हूं। अगर माननीय रामनारायण जी इस प्रदेश के न होते, या ऐसी जगह से आते जहां जमींदारी न होती, रियासतें न होतीं या वह विदेश से आये होते तो मैं मान सकता था कि उनके कहने में कुछ तथ्य हो सकता है, परन्तु आप मेरे पास के रहने वाले हैं और यह कहते हैं कि जमींदार नजराना लेते हैं, बेगार लेते हैं? मैं एक बात उनको अवश्य बता देना चाहता हूं कि अगर वह यह समझते हैं कि केवल इस तरह के दोषारोपण से वह अपने संशोधन को कोई एक रूप दे सकेंगे, तो यह उनकी भूल है। श्रीमान्, अगर वह विरोध केवल विरोध के लिये करें और उसमें कोई तथ्य न हो, सार न हो तो मैं नहीं समझ पाता कि रामनारायण जी जैसा प्रगतिशील व्यक्ति किस तरह पर ऐसी अनर्गल और असम्बद्ध, अब यह शब्द अनपार्लियामेंटरी है ऐसा कोई नहीं कह सकता, बात कैसे कह सकता है? पता नहीं कि उनकी इस बात का आधार क्या है? मैं तो यह कहता हूं कि जितने कुयें थे वे जमींदारों ने बनवाये और उन्होंने किसानों को हर तरह की सुविधा दी और आज भी ऐसे कितने ही कुयें हैं जिनको जमींदार वापस लेने को तैयार नहीं हैं, वह उनको अपना जाती कुआं भी नहीं मानते हैं इसलिये कि वह उनके हित में है क्योंकि जब तक आबपाशी का पूरा प्रबन्ध न हो जाय तब तक उनको अपना कुआं मान लेने से, उनको लगान आदि प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी। आप यदि हिन्दू धर्म और संस्कृति को कुछ भी समझ पाते हैं तो आपको मालूम होगा कि हिन्दूधर्म में कुआं खुदवाना कितना बड़ा धर्म का कार्य समझा जाता है। इसलिये मैं तो नहीं समझ पाता कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस प्रकार का दोषारोपण जमींदारों पर कर सके। हो सकता है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

उनके दोषारोपण की रूपरेखा इससे कुछ अलग हो । बहरहाल, इस तरह की बात तो मैं समझता हूं कि मेरे पड़ोसी ही कह सकते हैं । लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि यह बात मेरे लिये एक न्यूज है, एक समाचार है और मैं समझता हूं कि इसमें सत्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है । श्रीमान्, आज यदि यही भावना रही और इसी भावना के साथ चाहे इधर का दल या उधर का दल कार्य करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि वह इस प्रदेश के लिये हितकर नहीं हो सकता है । हर बात के पीछे एक न्याय होता है, जिसे नेचुरल जस्टिस हम कहते हैं, इसके मुताबिक भी यह कोई माने नहीं रखता है कि साहब पहले उनके कुयें उनको दे दिये गये, उनके पेड़ उनको दे दिये गये और अब गांव समाज को दे देना चाहिये । गांव समाज तो वही चीज पा सकता है जो सरकार के पास हो वह जब सरकार में आखिर नहीं मिले तो गांव समाज में कैसे निहित करा सकते हैं । यह तो एक ऐसी बात है जो उनको समझनी चाहिये थी और ऐसे संशोधन से कोई विशेष लाभ नहीं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि सदन का दुर्भाग्य है कि माननीय सिंचाई मंत्री या उप-मंत्री नहीं हैं । अगर वह होते या हरिजन सहायक विभाग के मंत्री होते जो पीने के पानी से संबंधित हैं तो अवश्य रामनारायण त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का समर्थन करते । क्योंकि आज इस प्रदेश में सिंचाई सार्वजनिक कुओं से होती है । तो श्रीमन्, यह बिलकुल एक व्यावहारिक ज्ञान की बात है कि आखिर गांव के सार्वजनिक कुयें गांव समाज, गांव सभा के नियंत्रण में रहने चाहिये या दूसरे अधिकारी के नियंत्रण में रहने चाहिये । यह एक इतने व्यावहारिक ज्ञान का प्रश्न है कि सरकार के समझने की कोई आवश्यकता नहीं है । श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं सरकार का पर्याय इन सार्वजनिक कुओं का आखिर गांव समाज के हाथ से लेकर क्या उपयोग करना है । किस प्रकार वह समझती है कि किस प्रणाली के अनुसार आखिर इनका नियंत्रण होना चाहिये । अगर यह वास्तव में सार्वजनिक कुयें हैं और सर्व जनता के हित के होते हैं तो वास्तव में गांव समाज के नियंत्रण में रहने चाहिये । और फिर एक और बात कहता हूं । धारा ११८ की उपधारा (२) की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस उपधारा (२) में लिखा हुआ है :--

"पूर्वोक्त निदेशों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, गांव सभा के कार्यों और कर्त्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे, इसमें आगे चलकर (झ) में लिखा हुआ है--"

मीनाशयों, कुओं और तालाबों का रख-रखाव तथा विकास, तो पहली उपधारा में तो कुओं को डिलीट करते हैं और "झ" में कुओं के विकास की बात करते हैं, चाहे वह प्राइवेट हों या सार्वजनिक हों । तो एक में हटाया और एक में नहीं हटाया । यह कैसी परस्पर विरोधी बात है । श्रीमन्, एक बात और है कि माननीय मंत्री जी ने जो शब्द 'संरक्षण' बढ़ाया है अगर ध्यान पूर्वक देखा जाय तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही धारा ११८ में "संरक्षण" का भी उपबन्ध लिखा हुआ है । मैं आपका ध्यान अंग्रेजी की धारा ११८ की उपधारा २(बी) की तरफ दिलाना चाहता हूं:--

"Without prejudice to the generality of the foregoing, the functions and duties of the Gaon Sabha shall include—

(b) the preservation, maintenance and development of forests and trees ;"

तो संरक्षण केवल जंगलात के पेड़ों का होना चाहिये । तो धारा ११८ (२) (बी) में पहले से ही प्रिजरवेशन की बात रखी है और जिनका डेवलपमेन्ट होना चाहिये वह भी लिखा है । तो जब "प्रिजरवेशन", "संरक्षण" शब्द पहले से आया है तो इसको रखने की क्या आवश्यकता है । तो मैं रामनारायण जी के संशोधन में इतना और जोड़ना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि इस खंड की वास्तव में आवश्यकता है ही नहीं। पहले से ही इस विधेयक में संरक्षण का, प्रिजर्वेशन का अर्थ आया हुआ है और कुओं के बारे में तो जैसा मैंने पहले ही कह दिया सार्वजनिक हित में भी यह आवश्यक है कि कुएं गांव समाज के पास रहें। अगर कुओं के विकास की जिम्मेदारी गांव सभा के ऊपर है तो कुएं उनके नियंत्रण में रहने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत छोटी सी बात थी जिस पर कि इतना समय लगा। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने तो बहुत जोर-जोर के साथ इस पर तकरीर की। कुओं का जहां तक सम्बंध है तो पब्लिक वेल्स तो हमने लिये ही नहीं हैं। इसमें लफ्ज आया है, 'पब्लिक वेल्स'। जमींदारी एबालिशन एंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट में इस्टेट्स ली गयी हैं। पब्लिक वेल्स के लेने का कोई प्रश्न था ही नहीं। प्राइवेट वेल्स हमने उन लोगों के पास छोड़ दिये। इसलिये ११७ में हमने यह पब्लिक वेल्स का लफ्ज निकाल दिया और यही सदन उस संशोधन को स्वीकार कर चुका है। इसमें क्लाज ९ (ए) है। यह तो क्लाज ११ चल रहा है। क्लाज ९ हम पहले मंजूर कर चुके हैं और उसमें यह है कि मूल अधिनियम की धारा ११० में मद (४) निकाल दी जाय और (४) में है पब्लिक वेल्स। तो पब्लिक वेल्स पहले ही निकल चुका है ११७ में। तो हमने वह गांव समाज को दिया ही नहीं है। अब कहा यह जाता है कि गांव सभा बाद में कुएं बना सकती है या लावारिस कुएं हैं, पुराने जमाने के पड़े हुए हैं, उनका मालिक गांव समाज होगा, गांव सभा होगी। ठीक है। कुएं बना सकती है गांव सभा और जो पुराने कुएं लावारिस पड़े हैं उनकी भी मालिक वह है। लेकिन यह विषय पंचायतराज ऐक्ट का है न कि यहां का। यहां जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में उन चीजों से मतलब है जिन्हें हमने जमीदारों से ली और जो हमने गांव समाज या गांव पंचायत को दी। लेकिन और सारा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं उसका संबंध पंचायतराज ऐक्ट से है। तो यह विषय पंचायतराज ऐक्ट का है और मुझे ठीक मालूम नहीं है, परन्तु सम्भवतः कुओं का रखरखाव, उनका बनवाना वगैरह उसमें होगा। यहां चूंकि हमने लिया ही नहीं और उनको गांव समाज को दिया ही नहीं इसलिये ११८ में लिखना बेकार है। उनके इन्तजाम का सवाल ही नहीं उठता। इसलिये इसको निकाला जा रहा है। यह नहीं कि गांव पंचायत को करना नहीं चाहिये। यह मैं फिर दोहराता हूं कि वह पंचायत राज ऐक्ट का विषय है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उसमें नहीं है।

श्री चरणसिंह---ठीक है, नहीं है तो वहां होना चाहिये। लेकिन इससे कोई उसका वास्ता नहीं है। यहां पर उन्हीं चीजों के रखरखाव का सवाल होता है जो कि हमने ११७ में उनको दी हैं। और जो माननीय नारायणदत्त जी ने बतलाया है कि ११८ (२) (एफ) में जो वेल्स हैं ये निकलना चाहिये। तो यह ठीक है। निकलना चाहिये। यह कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट है, मैं आपके पास भेज दूंगा। ११८ (२) (एफ) में है, इसे निकल जाना चाहिये। जब ऊपर निकल चुका है तो यहां भी कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट होना जरूरी है।

श्री उम्मेदसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अगर दरअसल अब भी देहातों में सार्वजनिक कुएं हैं तो उनको गांव समाज से निकालने का कोई अर्थ मालूम नहीं होता है क्योंकि गांव समाज ही ऐसे कुओं का निरीक्षण कर सकता है और उनका इंतजाम कर सकता है। अगर उनको सरकार अपने हाथ में लेगी तो हमारी समझ में उनकी कोई देखभाल नहीं हो सकेगी और बड़ी-बड़ी बातें होंगी और न उनका रखरखाव ही हो सकेगा और पानी देने के सम्बन्ध में भी निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन पानी पायेगा और कौन नहीं। अगर आबपाशी का इंतजाम इनसे किया जायगा तो जिले तक लोगों को दौड़ना पड़ेगा। इसका फैसला तो स्थानिक अधिकारी ही करें तो बहुत अच्छा होगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो यह कहा कि कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है कि इसको इस कानून में रखा जाय क्योंकि जब जमींदारी निहित हुई थी उस वक्त पब्लिक वेल्स निहित नहीं हुये थे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि एक मर्तबा बीच में संशोधन हुआ उस समय कुओं का मामला सम्मानित सदन में आया। उस पर माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक मर्तबा नहीं अनेक मर्तबा विचार किया होगा और उन्होंने यह सोचा कि जिन जमींदारों ने सार्वजनिक भूमि पर कुयें बनाये हैं, उनको छूट दे दी जाय। उस समय यह बात समझ में नहीं आयी कि कुछ ऐसे कुयें भी होंगे जिनके ऊपर गांव समाज के ऊपर बोझा पड़ेगा। जैसा कि आज यह समझा जा रहा है कि यह गांव समाज के ऊपर बोझा है और उनके ऊपर से यह बोझ हटाना चाहिये।

सबसे परेशानी की बात तो यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी यह नहीं बतला रहे हैं कि आखिर यह कुएं कहां जायेंगे, किसके पास जायंगे, किसकी मिल्कियत होगी। अगर सरकार अपनी मिल्कियत बनाये तब तो उसे कहा जा सकता है कुयें गिर रहे हैं, उनकी मरम्मत होनी चाहिये। लेकिन न तो सरकार उनको अपनी मिल्कियत ही बना रही है और न ऐसों को इनको दे रही है जो इनको अपनी मिल्कियत समझें यानी उनको अनाथ छोड़ रहे हैं और नारायण दत्त जी ने संकेत किया कि इस समय कुवों पर किस तरह से लोगों का अधिकार है। आज भी गांव में ऐसी अवस्था है कि सभी जाति के लोग सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर पाते हैं और न कोई कानूनी दबाव है कि जो सार्वजनिक कुयें हैं उन पर किसी जाति को पानी भरने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे कुएं किस की मिल्कियत बनाये जायं इस पर जरा विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि गांव में अमनो अमान बना रहे उनकी मरम्मत होती रहे। इसके लिये आवश्यक है कि यह कुयें सार्वजनिक होते हुये गांव समाज के पास रहें।

मैं देखता हूं कि जब से जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पास हुआ है तो जब भी कोई संशोधन होता है तो सार्वजनिक सम्पत्ति की दुर्व्यवस्था का संशोधन पास कर देते हैं। चाहे वह हाट बाजार हों, चाहे पेड़ों के सिलसिले में हो, चाहे भूमि के सिलसिले में हो, यह इस तरह की मनोवृत्ति हम पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और सब से पहले इस बात पर विचार करे कि इन कुवों को हम निकालकर के कहां रखने जा रहे हैं। अगर इनको अनाथ करने जा रहे हैं, इस तरह से छोड़ने जा रहे हैं कि वह बेमरम्मत होकर गिर जायं और तबाह हो जायें। तो मैं समझता हूं कि गांव समाज के जिम्मे ही रहना अच्छा है और अगर सरकार सहानुभूतिपूर्वक यह जिम्मा लेने जा रही है कि ये कुये जब गांव समाज के कब्जे से निकलेंगे तो सरकार की तरफ से मरम्मत होंगे और उनका रख रखाव ठीक तरह से होगा, तो उस पर विचार किया जा सकता है कि सरकार को ऐसा अधिकार लेना चाहिये या नहीं। लेकिन मैं इस राय का हो सकता हूं अगर सरकार की तरफ से मरम्मत का इरादा हो तो वह ले ले, अगर अनाथ छोड़ने की बात हो तो मैं चाहूंगा कि माननीय रामनारायण जी के संशोधन को स्वीकार किया जाय और जो संशोधन कानून में दिया जा रहा है वह हरगिज न माना जाय।

श्री चरणसिंह---मैं कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ की तीसरी पंक्ति का शब्द "और" तथा उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन अब से ६ बज कर ६ मिनट तक के लिये स्थगित कर दिया जाय । पता नहीं कि कब तक हमको बैठना हो। सब लोग फिर नाश्ता करके बैठ सकें और मैं समझता हूं सरकार को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। एक घंटे में ताजा होकर फिर से कार्यवाही में दिलचस्पी लेकर के हम बहस-मुबाहसा कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो समय बचाने के लिये चिन्ता हो रही है, ऐसे मौके पर सदन का स्थगित होना मुनासिब नहीं होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---श्रीमन्, जब तक यह प्रस्ताव दूसरी ओर से अस्वीकृत न हो जाय तब तक कार्यवाही कैसे हो सकती है। आप या तो इस पर वोट लीजिये या माननीय राजस्व मंत्री जी की राय लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह सदन एक घंटे के लिये स्थगित कर दिया जाय?

श्री अब्दुल मुजई खां---श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव है इसकी नोटिस पहले से दी नहीं गयी है और एकाएक यहां पर आ गया है । ऐसा प्रस्ताव तो किसी नियम को सस्पेंड करने का आ सकता है। बिला नोटिस ऐसा प्रस्ताव कि एक घंटे के लिये सदन उठ जाय नहीं आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रक्रिया नियमावली के नियम १७३ के अनुसार ऐसा प्रस्ताव आ तो सकता है। मैं समझता हूं कि मुझे इस प्रस्ताव पर सदन की राय ले लेनी चाहिये।

प्रश्न यह है कि क्या सदन की कार्यवाही अब से एक घंटे के लिये स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४
खण्ड ११ (क्रमागत)

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के अन्त में विराम को हटा कर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"तथा उपधारा (२) के खंड (झ) में शब्द "कुओं" निकाल दिया जाय।"

यह शाब्दिक संशोधन है और इसे मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री चरण सिंह---शाब्दिक क्या, कांसीक्वेन्शल है। मैं अर्ज कर चुका हूं। वह ग़लत था वह निकलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ के अन्त में विराम को हटा कर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"तथा उपधारा (२) के खंड (झ) में शब्द "कुओं" निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ११९ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा ११९ में शब्द "अधीक्षण" और शब्द "और" के बीच में अर्धविराम (कामा) और तत्पश्चात् शब्द "संरक्षण" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा १२३-क का रक्खा जाना।

१३--मूल अधिनियम की धारा १२३ के पश्चात् निम्नलिति नयी धारा १२३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

गांव पंचायत की सम्पत्ति अथवा धन के खोने, ह्रास अथवा दुरुपयोग के निमित्त दंड।

"१२३-क- (१) इस अधिनियम के अधीन संगठित गांव पंचायत, किसी संयुक्त समिति अथवा अन्य किसी समिति का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन गांव समाज में निहित किसी भी सम्पत्ति के खोने, ह्रास (waste) अथवा दुरुपयोग करने के लिये उत्तरदायी होगा यदि ऐसा खोना, ह्रास अथवा दुरुपयोग उसके गांव पंचायत, संयुक्त समिति अथवा अन्य समिति के सदस्य होते हुए उसकी अपेक्षा अथवा मिथ्याचार (neglect or misconduct) का प्रत्यक्ष परिणाम (direct consequence) हो, और गांव सभा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो सम्बद्ध मंडल में रहता हो नियत अधिकारी की आज्ञा से अथवा पंचायत द्वारा प्रतिकर के लिये वस्तुतः किया जा सकता है

(२) यदि नियत अधिकारकी उपधारा (१) के अधीन वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे देती है अथवा स्वीकृति नहीं देती है तो असंतुष्ट सदस्य ऐसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से ३० दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अथवा नियत अपील अधिकारकी (prescribed appellate authority) के पास उक्त स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(३) राज्य सरकार स्वयमेव उपधारा (१) में उल्लिखित वाद प्रस्तुत कर सकती है।"

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, श्री केशभान राय जी ने मुझे लिखित आज्ञा दी है कि मैं उनके संशोधन को पेश कर दूं जो इस प्रकार है :---

खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२३-क की उपधारा (१) की पंक्ति ६ में शब्द "अपेक्षा" के स्थान पर शब्द "उपेक्षा" रख दिया जाय। यह सिर्फ शाब्दिक ही है जो ग़लत छप गया था। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२३--क की उपधारा (१) की पंक्ति ६ में शब्द "अपेक्षा" के स्थान पर शब्द "उपेक्षा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री गेंदा सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२३--क की उपधारा (१) की पंक्ति ६ में शब्द "अपेक्षा" के स्थान पर "उपेक्षा" रख दिया जाय तथा इसी पंक्ति के शब्द "प्रत्यक्ष" को निकाल दिया जाय।

मेरे संशोधन में से आधा तो मंजूर हो चुका और वह माननीय केशभान राय जी का जो अभी संशोधन आया उस सिलसिले में "अपेक्षा" की बजाय "उपेक्षा" हो गया। लेकिन अब यह भी शाब्दिक ही है और मैं समझता हूं कि इस पर कोई भाषण देने की आवश्यकता हमको नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करने के मूड में मालूम होते हैं क्योंकि कोई खास फर्क इसमें नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ इतना पड़ता है कि यहां पर जो यह लिखा गया है मैं आपकी आज्ञा से इसको पढ़ दूं।

(इस समय ५ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

"इस अधिनियम के अधीन संगठित गांव पंचायत, किसी संयुक्त समिति अथवा अन्य किसी समिति का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन गांव समाज में निहित किसी भी सम्पत्ति के खोने, ह्रास अथवा दुरुपयोग करने के लिये उत्तरदायी होगा यदि ऐसा खोना, ह्रास अथवा दुरुपयोग उसके गांव पंचायत, संयुक्त समिति अथवा अन्य समिति के सदस्य होते हुये उसकी उपेक्षा अथवा मिथ्याचार का प्रत्यक्ष परिणाम हो, और गांव सभा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा सम्बद्ध मंडल में रहता हो, नियत अधिकारी की आज्ञा से अथवा गांव पंचायत द्वारा, प्रतिकर के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।"

बस यह है। केवल इतना फर्क पड़ जाता है कि हम यह कह रहे हैं---यहां विधेयक में लिखा है प्रत्यक्ष परिणाम और मैं कहता हूं कि 'प्रत्यक्ष' निकाल दिया जाय। इसमें यह हो जायगा कि "कोई गांव पंचायत, संयुक्त समिति अथवा अन्य समिति के सदस्य होते हुये उसकी उपेक्षा अथवा मिथ्याचार का परिणाम हो, 'प्रत्यक्ष' निकाल कर 'मिथ्याचार का परिणाम हो', तो परिणाम तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लापरवाही से हो गया हो और मैं समझता हूं कि इस समूची धारा का मतलब यही है कि उनकी लापरवाही से या नियत की ख़राबी भी हो सकती है, उससे अगर सार्वजनिक सम्पत्ति को ठेस पहुंचे, ह्रास हो, तो ऐसी हालत में उनको इस बात के लिये जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उनकी वजह से यह बात हुई, तो उसमें प्रत्यक्ष का कोई झगड़ा नहीं रह जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ऐसे शब्द को रख देंगे जिससे बड़ी मुकदमेबाजी बढ़ जायगी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के समझाने और लड़ने में। मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट तक कोई भी मामला जल्दी फैसल नहीं हो पायेगा, जिस तरह से यह धारा पेश हुई है। अगर 'प्रत्यक्ष' निकाल दिया जायगा तो माननीय राजस्व मंत्री जी की जो इच्छा है शायद वह भी पूरी हो पाये। अब मैं वक्त नहीं लेना चाहता बिना उनकी राय जाने हुये। मैं जब उनकी राय जान जाऊं कि वह 'प्रत्यक्ष' रखने पर ही कटिबद्ध हैं तो मैं फिर उनके सामने कुछ कह सकूंगा। लेकिन मैं यह अभी समझता हूं कि 'प्रत्यक्ष' हटा देने के पक्ष में वह होंगे। इसलिये मैं ज्यादा वक्त न लेकर उनकी राय जानना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि 'प्रत्यक्ष' निकाल देने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुक्सान होगा। अब तो यह है कि अगर गांव समिति का नुक्सान या खो जाना या ह्रास या उसका दुरुपयोग, किसी मेम्बर की ग़फलत या उपेक्षा का प्रत्यक्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

प्रमाण हो तो वह जिम्मेदार करार दिया जायगा। माननीय गेंदा सिंह जी चाहते हैं कि 'प्रत्यक्ष' निकाल दिया जाय। अगर नुक्सान किसी सदस्य की 'उपेक्षा का परिणाम हो' तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो मेम्बर्स होंगे ये पब्लिक बाडी के इलेक्टेड मेम्बर्स हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं। पब्लिक की सेवा करने के सिलसिले में हर आदमी की उनके काम की बाबत मुख्तलिफ राय हो सकती है और आदमी से थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है। अगर हम इसमें डायरेक्ट कांसिक्वेंस नहीं रखते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि हर आदमी जायदाद का इन्तजाम करते हुये डरेगा कि किसी गल्ती के इनडायरेक्ट नतीजे से भी अगर कोई नुक्सान होता है गांव की जायदाद को, कुवें को, रास्ते को, पंचायत घर को, चौपाल को, कुर्सी को, मेज को तो वह जिम्मेदार हो जायगा, हर्जाने की नालिश हो जायगी, 'मिस्कंडक्ट में आ जाऊंगा, निकाल दिया जाऊंगा'। अगर ऐसा हुआ तो बहुत से पब्लिक स्प्रिटेड आदमी वे चाहे ईमानदार भी हों आने से डरेंगे क्योंकि गलती हर इंसान से हो सकती है। यह वेलनोन बात है, हालांकि ठीक याद नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में सब जगह ऐसे ही शब्द इस्तेमाल होते हैं कि यह सम्पत्ति का नुक्सान किसी इलेक्टेड बाडी के मेम्बर की ग़लती का प्रत्यक्ष परिणाम है, परोक्ष नहीं, देर में निकलने वाला नुक्सान हो तो नहीं बल्कि सीधा कनेक्टेड किया जा सकता हो तब उसको उस नुक्सान के लिये जिम्मेदार करार देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मित्रों को भी मालूम होगा कि जब गांव समाजों में चुनाव हुआ तो बहुत से गांवों में जिन लोगों की बाबत राय अच्छी थी वे चुनाव में खड़े ही नहीं हुये, इसलिये कि उन्होंने सोचा कि खामख्वाह क्यों फंसते हो। इसलिये अगर ज्यादा कड़ाई करेंगे तो फिर लोग आने से हिचकिचायेंगे। हम और आप यहां काम करते हैं और पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी से बर्डेन्ड हैं, ईमानदारी से काम करते हैं फिर भी कहीं न कहीं ग़ल्ती हो सकती है और हर कदम पर यह डर रहे कि कहीं कोई हर्जाने का दावा न कर दे तो फिर काम निश्चिन्तता से नहीं चल सकता। इसलिये इससे कोई फायदा नहीं और मेरा सुझाव यही है कि माननीय गेंदासिंह जी इसे वापस ले लेंगे।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं जैसी अवस्था गांवों की देखता हूं उसको देखने से मेरा मन तो नहीं कहता है कि मैं वापस लूं लेकिन माननीय मंत्री जी उससे सहमत नहीं हैं तो फिर ठीक है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि गांव की सम्पत्ति को बचाने की चेष्टा करनी चाहिये और इस 'प्रत्यक्ष' शब्द का लोग अनुचित लाभ उठायेंगे, इस बात को कहते हुए मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी की अब जिम्मेदारी है और मैं उनसे पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि लोग इस 'प्रत्यक्ष' शब्द का अनुचित लाभ उठायेंगे, मानेंगे नहीं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२३-क की उपधारा (१) की पंक्ति ८ के शब्द "नियत अधिकारी की आज्ञा से" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इस १२३-क के आखिरी प्राविजो में यह लिखा हुआ है कि "गांव सभा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो सम्बद्ध मंडल में रहता हो नियत अधिकारी की आज्ञा से अथवा गांव पंचायत द्वारा प्रतिकर के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।" मुझे इसमें सिर्फ यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में इस भावना का हो कि वह देखता है कि सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंच रहा है और वह कोई गांव सभा का सदस्य पहुंचा रहा है और जिसके हाथ में वह काम सिपुर्द किया गया है उसकी रक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का, वही अगर उसको नुक्सान पहुंचा रहा है तो किस व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाय कि वह अदालत तक जा सके। इस खंड के मुताबिक इस मामले में यह व्यवस्था की गयी है कि वह अदालत तक जा सके। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नियत अधिकारी की आज्ञा की आवश्यकता न पड़े। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि नियताधिकारी यदि जागरुक रहता तो अदालत तक जाने की आवश्यकता न पड़ती किन्तु अगर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ जाय क्योंकि वह तो अपना पैसा खर्च करके अदालत तक जायगा। तो चूंकि नियत अधिकारी वहां लापरवाही करता है या किसी तरह से उनके पास काम का बोझ ज्यादा है या एक बात यह भी हो सकती है कि उसकी साजिश हो जिससे वहां की सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान हो रहा हो, तो ऐसी हालत में वह नियत अधिकारी जो है वह कभी भी इस बात के लिये राजी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहता है तो उसको इजाजत दे दे। इसलिये जब हम इस विधेयक के जरिये से गांव की सम्पत्ति की रक्षा के नाम पर व्यक्तियों को यह अधिकार देने जा रहे हैं कि वह अदालत तक जा सकें और जाकर कुल सम्पत्ति की रक्षा कर सकें तो बीच में यह रुकावट जो पैदा की जा रही है नियत अधिकारी की कि जो जी में आवे इजाजत दे और जी में न आवे न दे, तो फिर उसकी मन्शा के विरुद्ध यह जाकर पड़ता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि इस पर फिर सदन और माननीय राजस्व मंत्री विचार करें। इसके निकाल देने से कोई यहां पर खतरा नहीं है। जिसको जी में आवेगा वहां जाकर उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सके। आखिर मुकदमा दायर करने के लिये गांव वालों का खर्चा होता है और उनको भागना दौड़ना भी पड़ता है। तो किसको इस बात की आवश्यकता पड़ी हुयी है कि वह वहां जाकर किसी गांव की सम्पत्ति के बारे में किसी पंचायत के सभापति पर या सदस्य पर या भूमि व्यवस्था कमेटी पर वह मुकदमा दायर करे। वह खामख्वाह क्यों अपने ऊपर मुसीबत ले? कोई आदमी इस बात को चाहता नहीं है जब तक कि उसके मन में सार्वजनिक भावना जोर न मारे। ऐसे लोग जो सार्वजनिक भावना से प्रेरित हों और वे अपने गांव की सम्पत्ति को बचाना चाहें तो उनके लिये यह सुविधा रहनी चाहिये कि वह अदालत तक जा सकें। अदालत में जाकर भी उस आदमी को जिसके विरुद्ध नालिश दायर की जायगी पूरा-पूरा अवसर मिलेगा कि वह उजर कर सके और अपनी सफाई दे सके कि मैंने गलती नहीं की है। तो अदालत में इतना सफाई का मौका रहते हुये मैं यह नहीं समझता हूं कि किसी तरह से नियत अधिकारी की आवश्यकता पड़े। मैं समझता हूं कि नियत अधिकारी कानूनगो, तहसीलदार या नायब तहसीलदार ऐसे ही लोग हो सकते हैं। तब ऐसे नियत अधिकारियों को ऐसे अधिकार देना मैं उचित नहीं समझता। अतः मैं माननीय राजस्वी मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे फिर विचार करके इन शब्दों को निकालने की कृपा करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो किसी गांव सभा के सदस्य द्वारा नियत अधिकारी की आज्ञा से वाद का प्रस्तुत किया जाना इस धारा की मंशा को ही निरर्थक कर देता है। श्रीमन्, आप देखें कि माननीय मंत्री जी किस प्रकार से भेदभाव कर रहे हैं कि जब गांव पंचायत किसी वाद को प्रस्तुत करे तब तो नियत अधिकारी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं उपधारा ३ में गवर्नमेंट ने भी यह ताकत ले ली है कि स्टेट गवर्नमेंट भी वाद प्रस्तुत कर सकती है। तो ग्राम पंचायत तो नियत अधिकारी की आज्ञा न ले और ग्राम सदस्य नियत अधिकारी की आज्ञा ले। अगर किसी ग्राम सदस्य को कोई वाद प्रस्तुत करना हुआ तो बड़ा पेचीदा मामला हो जायगा। पहले गांव सभा का सदस्य नियत अधिकारी की आज्ञा के लिये वाद प्रस्तुत करेगा, वह फिर उसकी इंक्वायरी करेगा, अब यह नियत अधिकारी के मूड के ऊपर है कि वह उसकी आज्ञा दे या न दे। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और समर्पित करना चाहता हूं कि मान लिया कि किसी गांव के सदस्य ने नियत अधिकारी के पास वाद प्रस्तुत करने के लिये आज्ञा मांगी, नियत अधिकारी ने आज्ञा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नहीं दी या दे दी तो आप एक उपधारा (२) बना रहे हैं जिसमें अपील का अधिकार दे रहे हैं कि वह अपील कर सकता है कि आज्ञा क्यों नहीं दी। इधर गांव सभा के द्वारा वह वाद प्रस्तुत हो जाता है। श्रीमन्, अब आप इस विरोधाभास को देखें। क्योंकि गांव पंचायत कर सकती है इसलिये उसने बिना नियत अधिकारी की आज्ञा के वाद प्रस्तुत कर दिया और उसी मामले में एक अपील पेश हो गयी कि हमें यह अधिकार मिलना चाहिये। इस प्रकार से इस धारा के अनुसार आप एक विरोधाभास पैदा कर रहे हैं, इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह एक अजीब बात है कि एक तरफ तो गांव पंचायत का दावा चलता रहे और दूसरी तरफ अपील चलती रहे, इस प्रकार एक बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जायगी। मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है। मैं इसे किसी प्रकार से ट्रू लेजिस्लेशन भी नहीं समझता और न ऐसा होना ही चाहिये। इस प्रकार से एक गत्यावरोध पैदा हो जायगा, जिसके पैदा होने की पूरी-पूरी संभावना है तथा डबल डीलिंग की भी संभावना है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्, जी मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो संशोधन आज माननीय गेंदा सिंह जी ने प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त ही न्यायसंगत है और इससे जो गलती इस विधेयक के द्वारा हो रही है वह दूर हो जायगी। सरकार को यह अधिकार है कि वह सीधे अदालत में जा सके तो उस समय यह कहना कि गांव सभा का यदि कोई सदस्य किसी गांव पंचायत की संयुक्त समिति या किसी प्रकार की और समिति के सदस्य के विरुद्ध कोई दावा या नालिश करना हो तो वह नियत अधिकारी की आज्ञा से, उचित नहीं है। श्रीमन, वास्तविकता इसकी यह होगी कि यह जो कानूनगो तहसीलदार हैं, पंचों तक इनके आने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है परन्तु साथ ही साथ कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है कि सरकार जिसको चाहे नियत अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जो बहुत से मिथ्याचारी या इस तरह के सदस्य हैं जिनके ऊपर नालिश की जा चुकी है वे भी उन नियत अधिकारियों पर अपना प्रभाव जमा कर या किसी सिफारिश द्वारा गांव सभा के सदस्यों के लिये एक पहाड़ खड़ा कर देंगे। उस नियत अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध यदि कोई गांव सभा का सदस्य अपील करना चाहता है तो वह भी एक बहुत ही दुखदायी प्रथा होगी। दुखदायी इस माने में श्रीमन् कि अब यह पता नहीं कि नियत अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील पावर्स का अधिकार किसको दिया जा रहा है। यदि यह अधिकार सरकार के हाथ में रहा तो और भी कठिनाई बढ़ गयी और यदि स्थानीय प्राधिकारियों को यह अधिकार सौंपा गया तो कुछ सुविधा हो सकती है परन्तु उससे नालिश करने वाले को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंच सकता है। मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह ख्याल है कि गांव सभा के सदस्य इन अधिकारों का दुरुपयोग न करें लिहाजा एक तरह का नियंत्रण रखा जाय और देखा जाय कि इजाजत उसके खिलाफ दी जाय या न दी जाय। श्रीमन् जहां तक सरकार के मंशा का प्रश्न है मुझे उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है लेकिन नियत अधिकारी जो होगा हर जिले में उसकी, बुद्धिमानी पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी ईमानदारी पर कोई आघात यदि न किया जाय परन्तु यह भी कहना मेरे लिये किसी माने में गलत न होगा कि उनके ऊपर अब अधिक भरोसा भी जिले में नहीं रह गया है। श्रीमन्, इस तरह की बहुत कम परिस्थितियां मिला करती हैं और उसकी वजह यह है कि परिस्थिति के कारण न तो नियत अधिकारी किसी को इजाजत देगा और न गांव समाज का कोई सदस्य सरकार की हर आज्ञा के विरुद्ध अपील करता फिरेगा। वास्तविकता यह है कि किसके पास इतनी लगन है, किसके पास यह सरफा है, किसके पास यह समय है कि यदि वह किसी सदस्य के विरुद्ध नालिश करे और नियत अधिकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी आज्ञा न दे तो वह उसके लिये एक जगह से दूसरी जगह खाक छानता फिरे। वास्तविकता तो यह होगी कि कभी भी इस दिये हुये अधिकार का सदुपयोग हो ही नहीं सकेगा। नियत अधिकारी के लिये तो यह बहुत ही दुष्कर कार्य हो जायगा और अपील करने की बात तो मैं समझता हूं कि गांव सभा के सदस्यों के लिये यह बहुत ही कठिन होगा। गांव सभा में वे लोग हैं जो अपनी जायदाद को छोड़ सकते हैं यदि उनको अदालत में न जाना हो। वे अपने बहुत से हक का परित्याग कर देंगे यदि उनको भरोसा हो सके कि भविष्य में चल कर उनकी परिस्थिति और भी दुखदायक नहीं होगी। श्रीमन्, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन में जो मैं खड़ा हुआ हूं तो उसका मतलब माननीय मंत्री जी यह न लगावें कि मुझे उनकी नियत पर या सरकार की नीयत पर कोई सन्देह है। लेकिन उनके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भरोसा कर लेना मेरे लिये उचित नहीं है। जिस नियत, जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य को सामने रख कर यह विधेयक विधान मंडल के सामने लाया गया है उससे पूर्णतया लाभ किसी गांव सभा के सदस्य को प्राप्त नहीं हो सकता है यदि इन नियत अधिकारियों के ऊपर भरोसा किया गया। इन शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, यह जो धारा है संशोधन बिल में इसका मंशा यह है कि अगर किसी आदमी की गफलत से सार्वजनिक सम्पत्ति का नाश होता है या ह्रास होता है या खो जाती है तो उस के खिलाफ हरजाने की नालिश हो सकती है जो उस नुकसान का जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि वह नालिश कौन करे। इस धारा में यह रखा गया है कि या तो गांव पंचायत खुद दावा करे, किसी की उस में इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी प्रेसक्राइब्ड अथारिटी की सेंक्शन की जरूरत नहीं है, लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी भी खुद नालिश कर सकती है, उस को भी किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। गांव का रहने वाला कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति दावा करना चाहे तो उसे नियत अधिकारी की इजाजत लेनी चाहिये। गांव पंचायत और लैन्ड प्रबन्धक कमेटी तो बिना किसी प्रेसक्राइब्ड अथारिटी की इजाजत के ही कर सकते हैं। फर्ज कीजिये कि किसी मेम्बर ने बेईमानी की और उसकी गफलत का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि जिन दरख्तों की कीमत ५०० रुपया आना चाहिये थी वह १५० ही आयी और इस तरह से ३५० का नुकसान हो गया और उसकी जिम्मेदारी उस नुकसान की है। तो प्राइवेट आदमी अगर दावा दायर करता है तो उसको इजाजत लेना जरूरी है ताकि वह राजकर्मचारी देख ले कि कोई प्राइमाफेसी केस है या नहीं, ऐसी कोई गलती है या नहीं वह देख ले, अगर है तो इजाजत दे दे और अगर नहीं है तो वह इजाजत न दे। अगर वह इजाजत नहीं देता है तो कलेक्टर के पास उसकी अपील भी हो सकती है, यह कानून में रखा गया है। अब अगर माननीय गेंदा सिंह जी या माननीय नारायण दत्त जी या एक और माननीय सदस्य उस में यह समझें कि उससे डैमोक्रेसी का सत्यानाश हो जायगा तो सिवाय बदकिस्मती के और क्या कहा जा सकता है। मालूम नहीं वह क्या चाहते हैं, दुनियां में किसी चीज का वह कोई संतुलन रखना चाहते है या नहीं। गांव पंचायत को अधिकार, भूमि प्रबन्धक कमेटी को अधिकार उन में से किसी को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और अगर वह दोनों भी दावा करना आवश्यक नहीं समझतीं तो गांव का कोई भी व्यक्ति दावा दायर कर सकता है, केवल उस को ३५० रुपये की अगर बेईमानी हुयी है तो उस का प्राइमाफेसी केस लाना होगा और अगर उसे नियत अधिकारी इजाजत दे दे तो वह दावा दायर कर सकता है। इस पर काफी बहस हो चुकी, सेलेक्ट कमेटी ही में काफी बहस हो चुकी थी, मैं आप के द्वारा श्री गेंदा सिंह जी से शिकायत करूंगा कि जिन मामलों पर काफी बहस सेलेक्ट कमेटी में हो चुकी है, वैसे तो दुनियां में हर मामले पर दो राय तो हो ही सकती हैं लेकिन जिन बातों पर सेलेक्ट कमेटी में घंटों बहस हुयी थी और घंटों वहां खोये जा चुके हैं उन पर फिर यहां बहस हो तो मैं आप के द्वारा इतना ही कहूंगा कि ऐसा कर के माननीय गेंदा सिंह जी मेरे साथ और इस सदन के साथ अन्याय कर रहे हैं।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं कोशिश करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री को समझाऊं लेकिन मेरी परेशानी यह है कि जब-जब चाहे कोई ऐक्ट हो, चाहे श्रम विभाग का ऐक्ट हो, चाहे शिक्षा विभाग का ऐक्ट हो, चाहे माल विभाग का ऐक्ट हो, जहां भी किसी नियत अधिकारी के हाथ में शक्ति चली जाती है तो वहां शक्ति का दुरुपयोग ही होता है। माननीय राजस्व मंत्री जी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि माननीय गेंदा सिंह जी सेलेक्ट कमेटी में थे फिर उन्होंने क्यों अमेंडमेंट दिया। माननीय मौर्य जी के, श्रीमन्, चालीसों अमेंडमेंट आ गये हैं लेकिन उनके लिये उनको कोई शिकायत नहीं है। मैं अनेकों प्रमाण माननीय राजस्व मंत्री जी यदि सुनने की कृपा करें तो आपकी इजाजत से रखना चाहता हूं। गांव पंचायतें हैं, उनके पदाधिकारी हैं सही मानों में वह गांव की सम्पत्ति को नष्ट करते हैं मगर उनके खिलाफ नियत अधिकारी कोई कार्यवाही करने की इजाजत नहीं देता। यहां पर श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर दूं कि गांव पंचायत के अधिकारी अदालतों के सरपंच वह भी बेचारे जहां पर पटवारियों ने जो जमीन ऊसर, परती जमीन गांव समाज में चली गयी थी उसको फिर दूसरे के नाम में बन्दोबस्त कर दिया गलत तरीके से। अगर गांव समाज खुद चाहती है उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये तो जिलाधीश और परगना हाकिम भी उसको इजाजत नहीं देता। तो जहां भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में ताकत चली जाती है वहां वह इजाजत नहीं देता। श्रीमन्, यह अजीब परिपाटी चल रही है कि सदन की तरफ पीठ करके माननीय राजस्व मंत्री बैठ गये हैं और सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री चरणसिंह—आदमी कोई ऐसी बात भी तो कहे जो सुनने पर मजबूर करे।

श्री अध्यक्ष—वह उम्मीद करते हैं कि आप सुनेंगे। (श्री राजनारायण से) आप अब सुनाइये।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, सुबह आते ही आपने आज्ञा दी थी कि तीखी बात मत कहो लेकिन राजस्व मंत्री जी तीखी बातें सुनने के आदी हैं। अभी कहूं तो फौरन सुनने लगें। तो श्रीमान् मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार ने दो प्रतिबन्ध लगाये हैं। एक तो 'प्रत्यक्ष' शब्द का प्रयोग किया है यानी प्रत्यक्ष तरीके से अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई अनियमितता मालूम हो तो उसी के खिलाफ दावा दायर हो सकता है। माननीय राजस्व मंत्री की बात को दिल से न चाहते हुए भी माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि 'प्रत्यक्ष' को रहने दिया जाय। लेकिन दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि किसी हानिकारक व्यक्ति के प्रतिकूल दावा करने के लिये सरकार का जो नियत अधिकारी होगा उससे इजाजत लेनी होगी। यह क्यों? यह मनोवृत्ति का सवाल है। जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है वह वैसी ही धारणायें रखता है। सरकार की मनोवृत्ति यह है कि हर तरह से ताकत को अपने हाथ में रखो। जस्टिस और इनजस्टिस के खुदमुख्तयार बने रहें। इसमें रखा गया है कि नियत अधिकारी प्राइमाफेसी केस तो देखे, मालूम होता है कि गांव सभा में रहने वाली जो जनता है और जिसका नुकसान प्रत्यक्ष होता है उसको इतनी दृष्टि नहीं है कि वह इतना भी देख सके कि उसका नुकसान हुआ है या नहीं। श्रीमन्, यह उचित नहीं है। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि दो प्रतिबन्ध के बीच में सही बात तो यह आयगी, कोई पदाधिकारी, चाहे वह किसी समिति का हो, या गांव समाज का हो, नुक्सान कर देगा सार्वजनिक संपत्ति का मगर उसके खिलाफ वाद नहीं हो सकता, कोई दावा दाखिल हो नहीं सकता जिस प्रकार का प्रतिबन्ध सरकार इसमें ला रही है इसके अनुसार। इसलिये कि इसमें हर जगह आदमी पहुंच जायेंगे, नियत पदाधिकारी के पास घंटी पहुंच जायगी कि इसके खिलाफ कार्यवाही मत करो, यह हमारा खास आदमी है और इस तरह से सब खास आदमियों की बचत होती चली जायगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर "नियत अधिकारी से इजाजत लेने के बाद" सरकार इस विधेयक में रखती है तो इसका मंशा बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि कहने के लिये तो सरकार की तरफ से सफाई दे दी गयी कि हमने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानून में रख दिया है, अब नियत अधिकारी आज्ञा नहीं देता तो हमारा क्या दोष है? तो इसलिये मैं चाहता हूं कि वस्तुस्थिति पर गंभीरतापूर्वक हम विचार करें और इस इजाजत लेने वाले क्लाज को हम निकाल दें ।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग ऐक्ट में यह तो बहुत अच्छा किया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई गांव समाज का सदस्य अगर गांव की प्रापर्टी (जायदाद) का नुक्सान करता है तो कोई सदस्य या पूरी पंचायत उसके खिलाफ दावा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति दावा करना चाहता है तो उसके लिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि जो निर्धारित अधिकारी है उसे उसकी आज्ञा लेना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, गांव की जो प्रापर्टी है वह सार्वजनिक हित की चीज होती है और उस सार्वजनिक हित की चीज के लिये यदि कोई आदमी मुकदमा उस सदस्य के खिलाफ कायम करना चाहता है जिसने उस संपत्ति का दुरुपयोग किया हो तो उसको नियत अधिकारी की आज्ञा लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह पब्लिक इंटरेस्ट और सार्वजनिक हित की भावना के विरुद्ध पड़ती है क्योंकि जिस व्यक्ति ने संपत्ति का दु रुपयोग किया है उससे उस आदमी से पहले ही मनमुटाव होगा कि जो दावा दायर करना चाहता है और इसलिये एक तो वह उसके खिलाफ दावा पेश करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित में उस आदमी से बुराई ले कर दावा पेश करना भी चाहता है तो हमारी सरकार उसके लिये एक प्रतिबन्ध लगा रही है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी, जो नियत अधिकारी है उसकी आज्ञा लेनी होगी । तो मैं समझता हूं कि यह प्रतिबन्ध होने से यह कार्यवाही रुक जायगी, उसमें बाधा पड़ेगी और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि नियत अधिकारी को जिस आदमी ने सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया है, उसको इस दुरुपयोग से अवश्य ही कुछ लाभ हुआ होगा और वह उसमें से उस अधिकारी को भी शामिल कर ले, अपने लाभ का कुछ अंश वह उस अधिकारी को भी दे और इस तरह से वह अधिकारी उसके खिलाफ उस आदमी को कार्यवाही करने की आज्ञा न दे। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात की अपील करूंगा कि वह प्राय: पब्लिक इंटरेस्ट और सार्वजनिक हित की बात किया करते हैं और इसलिये मैं समझता हूं कि इस नियत अधिकारी को इसमें से हटाया जाना ही ठीक होगा तभी यह भावना सुरक्षित रह सकती है । क्योंकि हमको जो स्वराज्य प्राप्त हुआ है, हमको जो राइट (अधिकार) प्राप्त हुए हैं उनके लिये यह नियत अधिकारी एक बहुत बड़ा अड़ंगा होगा और वह इस भावना के कि हम गांव की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर सकें, प्रतिकूल पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में---८५

विपक्ष में---१७।)

***श्री गेंदासिंह**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी फिर ऐसा ही उत्तर देंगे और उलहना भी दे दिया । मैं उनसे यह नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं सारी बहस हो जाने के बाद इस पर राजी नहीं था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

कि नियत अधिकारी को अख्तियार रहे कि वह किसी सार्वजनिक आदमी को अगर यह उसकी भावना में उपजे कि वह सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना चाहे तो उसे मौका न दे। और फिर इसके पहले जो अभी 'प्रत्यक्ष' लफ्ज को हटाना चाहता था और उन्होंने कहा कि 'प्रत्यक्ष' लफ्ज को हटा देने से नुक्सान होने का खतरा है तो मैंने इस बात को मान करके और कहा कि ठीक है । हमारे मन में वह बात गवाही नहीं देती थी, लेकिन फिर भी मैं समझा कि माननीय राजस्व मंत्री जी हमसे अधिक जानते हैं, इसलिये उनकी बात स्वीकार कर ली। लेकिन इस तरह से कई प्रकार से सार्वजनिक सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने वाले को एक प्रोत्साहन मिलता है और किसी भी तरह से ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा कर सकें उनके लिये रास्ता रुकता है । मैंने बार-बार उनसे यह दुहाई दी कि कोई आदमी ख्वामख्वाह किसी गांव पंचायत के सभापति से या भूमि प्रबन्धक समिति से या किसी भी समिति से झगड़ा क्यों करने जायगा। उसको आखीर खुद भी तो परेशानी होगी, मुकदमेबाजी बढ़ेगी। तो फिर ऐसी हालत में जब कि वह मजबूर हो जाय और या उसके मन में यह बात जगे कि कोई व्यक्ति या एक कोई समिति है जो किसी न किसी तरह से सार्वजनिक सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाना चाहती है और कोई एक ऐसा क्लिक बन गया है जो न सिर्फ गांव समाज के ऊपर क़ब्जा किये हुये हैं बल्कि उसका कब्जा नियत अधिकारी के ऊपर भी है, तो अध्यक्ष महोदय, जरा इस बात को माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करें कि नियत अधिकारी लोगों का काम निगरानी करने का नहीं है इस मामले में कि गांव की सम्पत्ति जो है उस सम्पत्ति की वह देख-भाल करे ? आज मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि आज भी जमींदारी विनाश हुये दो वर्ष से ऊपर हो रहे हैं। लेकिन दो वर्ष होने के बाद भी आज बहुत से गांव ऐसे हैं, बहुत सी गांव सभायें ऐसी हैं कि जहां पर उनकी सम्पत्ति का कोई नक्शा नहीं है और बुरी तरह से कहीं लोग दरख्त काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं-कहीं तो ऐसा भी हो रहा है कि गांव का सभापति जो है वह किसी बाजार को किसी की सम्पत्ति बना रहा है, जो जमीन गरीब और भूमिहीनों को मिलनी चाहिये वह भूमिहीनों को न मिल कर के नजराने पर बन्दोबस्त हो रही है जो कानून के खिलाफ है और जो कानूनन जुर्म है लेकिन फिर भी वह काम हो रहा है । तो ऐसी हालत में अगर एक आदमी ऐसा चाहता है कि अदालत में जा कर ऐसे काम की रोकथाम कर सके तो मैं नहीं समझता हूं कि इस मामले में नियत अधिकारी को बीच में आना चाहिये। राजस्व मंत्री जी नहीं मानने को तैयार हैं, न मानें वह। मैं कहता हूं कि अगर नहीं मानते हैं तो जिस तरह से 'प्रत्यक्ष' को हटा दिया उसी तरह से मैं कहता हूं मैं भी वापस लेने को तैयार नहीं हूं। हम जानते हैं कि हम हार जायंगे। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, वह यह समझते हैं कि जरूरत नहीं, तो मैं यह कहता हूं कि आज नहीं तो कल माननीय राजस्व मंत्री जी को वहीं पहुंचना पड़ेगा और फिर वह यह समझेंगे कि हां, हमने ग़लती की। चाहे वह इसको कबूल न करें लेकिन वह समझेंगे इसे। नहीं मानना चाहते तो न मानें। लेकिन मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे मामले में कोई नीति का प्रश्न नहीं है कि जिसमें हमारी बात को न मानना ही उनका धर्म हो गया हो। मैं तो यह समझता हूं यह एक बड़ी छोटी सी बात है और नियत अधिकारी का अड़ंगा नहीं होना चाहिये ।

श्री चरणसिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुये खेद है कि कोई नयी दलील अपने कथन के बाद मुझे सुनने को नहीं मिली। सिर्फ यही कहा जाता है कि गांव की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, वह नष्ट हो रही है। तो क्या हर्ज है कि किसी भी आदमी को अख्तियार दे दिया जाय दावा दायर करने का और अदालत में जाकर वह इस बात का निर्णय करा ले, नियत अधिकारी की क्या जरूरत है। नियत अधिकारी आम तौर पर या बिलकुल कभी भी इजाजत नहीं देते हैं इस तरह पर। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि पंचायत और भूमि प्रबन्धक कमेटी तो बिना नियत

अधिकारी के दावा दायर कर ही सकती हैं। गांव पंचायत में गांव के सब नुमाइन्दे होते हैं गांव पंचायत की उप-समिति है भूमि-प्रबन्धक कमेटी। उसमें और लोग छंटकर जाते हैं, जो कि बेहतर समझे हैं, वह उसमें होते हैं। तो यह कमेटी और सब कमेटी दोनों न चाहें, फिर तो इसका मतलब यह हुआ कि वह कमेटी और सब कमेटी ऐसा केस नहीं समझती कि दावा दायर किया जाय। जब ऐसा हो कि पंचायतें ठीक काम नहीं कर रही हैं या लैंड मैनेजमेंट कमेटी काम ठीक नहीं कर रही हैं, तब तो उसका इलाज सोचना माना जा सकता है। लेकिन हमें तो जनरैलिटी को देखना है, आम बात को देखना है। हम यह फर्ज करते हैं कि आज हमारी पंचायतें ठीक काम नहीं कर रही हैं तो कल ठीक काम करेंगी। धीरे-धीरे उनका काम अच्छा होता जा रहा है। जब कि कमेटी और सब कमेटी दोनों दावा करना उचित नहीं समझती हैं तो इसके माने यह हैं कि प्राइमाफेसी दावा दायर करने का हम हर एक आदमी को अख्तियार दे रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम हाकिम इलाका या तहसीलदार को जिम्मेदार करार दे दें तो क्या हर्ज है? अगर कोई व्यक्ति कहे कि फलां आदमी ने बेईमानी की कि फलां तारीख को अगर नीलाम होता तो ५०० रुपये आते लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं दिया और २५ रुपये में ही नीलाम हो गया। इस तरह से ४७५ रुपये का नुक्सान हो गया। जो शिकायत करता है आखिर उसका क्या वास्ता है? हम चाहते हैं कि अगर कोई ईमानदारी की बात कहता है तो उसको हाकिम इजाजत दे देगा। अगर वह नहीं देगा तो अपील में इजाजत मिल जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि गांवपंचायतों के काम में या कमेटी के काम में बाधा कहां पड़ रही है? गांव पंचायत और कमेटी तो फ्री हैं।

श्री गेंदासिंह जी ने कहा कि मैंने उनको उलाहना दिया। हाँ, मैंने उनको उलाहना दिया और मैं उलाहना वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा उलाहना यह है कि इस पर काफी बहस हुई है। यह मैंने कभी नहीं कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी राजी थे। जैसा कि सिलेक्ट कमेटी में पेश किया गया था उसमें यह था:—

"and a suit for compensation may be instituted against him by the Gaon Panchayat with the previous sanction of the prescribed authority."

ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दावा दायर हो सकता है प्रतिकर के लिये गांव पंचायत की ओर से नियत अधिकारी की इजाजत से। गांव पंचायत को तो कुल अधिकार थे किन्तु एक व्यक्ति के लिये लाजमी यह था कि वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से इजाजत ले। तो माननीय गेंदा सिंह जी तथा और लोगों ने यह बात पेश की कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न हो और हर आदमी के लिये कर दिया जाये। गांव पंचायत कर सकती है, सब कमेटी कर सकती है। हां, अगर प्राइवेट आदमी चाहे तो वह नियत अधिकारी से इजाजत ले ले। इससे साफ़ जाहिर है कि बहुत गौर करने के बाद दोनों प्वाइंट आफ व्यू में से बीच की चीज ले ली। इसका मैंने उलाहना उनको दिया था और दे रहा हूं। यह मैंने नहीं कहा कि गेंदा सिंह जी राजी थे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार देखा है कि माननीय नेता विरोधी दल कड़ी बात कहते हैं। मैं श्री अब्दुल मुईज खां से बात करने लगा तो उनका तकाजा यह है कि मैं उनके एक-एक लफ्ज को सुनूं। वैसे उनका यह तकाजा सही है।

श्री अध्यक्ष—यह तो मुहब्बत की निशानी है।

श्री चरणसिंह—जी हां, यह तो ठीक है लेकिन वह जरा बिगड़ कर कहते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जब बैठे बैठे थक जाता हूं तो पड़ोसी से बात करने लगता हूं। राज नारायण जी के मुंह से हमेशा फूल नहीं झरते हैं। यदि यही बात होती तब भी ठीक था। यह मेरे साथी मेरी मदद करने के लिये तैयार रहते हैं। मैं सुबह से शाम तक हर मित्र की हर बात को कैसे सुन सकता हूं। यह भी उन्होंने याद दिलाई कि मिनिस्टर

[श्री चरण सिंह]

साहब ६ हजार रुपये पाते हैं। ६ हजार पाते हैं या २ हजार पाते हैं इससे यहां क्या वास्ता है? यह स्पीच तो बाहर देने की है। वह ६ हजार से १२ हजार कर दें कोई ग़लत साबित नहीं कर सकता है। दो आदमी मर, वह यदि कह दें कि १२ मरे तो उन्हें कौन गलत साबित कर सकता है? यह उनकी मरज़ी है चाहे जो कुछ कहें, लेकिन इस तरह से बिला वजह बात कह देना कहां तक मुनासिब है? मैं तो चाहता हूं परमात्मा से कि कल आप यहां आकर बैठ जायं और १२ हजार आ कर ले लें। वह आदमी जो मिनिस्टर होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी लेजिस्लेचर ले ही लेगा, तभी वह अपनी ड्यूटीज को सही तौर से अंजाम दे सकता है। तो इसमें मुझे याद दिलाने की क्या जरूरत थी? हां, मैं लेता हूं ६ हजार, गरीब आदमियों की आमदनी में से लेता हूं और शायद ज्यादा पाता हूं जितने का हक़दार नहीं हूं। लेकिन इस तरह से मुझे याद दिलाना मुनासिब नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२३–क की उपधारा (१) की पंक्ति ८ के शब्द "नियत अधिकारी की आज्ञा से" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

रात्रि के बारह बजे के बाद भी कार्यवाही जारी रखने के सुझाव पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—एक प्रश्न सबेरे श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने उठाया था। उसके संबंध में मैंने कहा था कि अपना निर्णय बाद में दूंगा। उन्होंने यह कहा कि जो संकल्प इस सदन ने दो रोज पहले स्वीकार किया था उसके अनुसार और जो प्रथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, उसको देखते हुये उसका अर्थ यह निकलता है कि सदन तब तक बैठा रहे जब तक यह कार्य पूरा न हो जाय और विधेयक पारित न हो जाय और उसकी कोई विधि न रखी जाय कि रात के १२ बजे के अन्दर ही वह खत्म होना चाहिये, यह उसका अर्थ नहीं हो सकता, बल्कि लगातार बैठते चले जायं, चाहे कल सबेरे तक प्रोसीडिंग खत्म हो लेकिन जब तक खत्म न हो, तब तक उठें नहीं, यह उसका अर्थ होता है और उसके लिये उन्होंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में से वहां का एक तरीका बतलाया, जो ४६३ सफे पर है कि—

"*Exemption from Ten O'clock Rule*—Another provision exempts proceedings for the purpose of concluding the business to be concluded on an allotted day from the provisions of the Standing Order."

यह उन्होंने पढ़ कर सुनाया। तो यह जो समय नियत होता है खास परिस्थितियों में, जिसको कि दूसरे शब्दों में गिलोटिन भी कहते हैं, तो गिलोटिन का हुक्म भी सदन की ओर से दिया जाता है। उसमें जो एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, उसका एक हिस्सा उन्होंने पढ़ कर सुनाया कि जिस वक्त गिलोटिन का प्रस्ताव आ जाता है, सदन हुक्म दे देता है, तो उसका परिणाम यह हो जाता है कि जो नियत समय समाप्त होने का है वह नियत समय नहीं रहता। लेकिन वह इस बात को भूल गये कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह एक स्टैंडर्डाइज्ड यानी एक ढला हुआ तरीका बताया है जो आमतौर पर बरता जाता है जब कि गिलोटिन के बारे में सदन का हुक्म होता है। इस निश्चित तरीके के उदाहरण मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में दिये हैं और जो उदाहरण उसमें दिये हैं, उनमें से उक्त उदाहरण एक है लेकिन अनेक उदाहरण उसमें और मिल सकते हैं जिसमें कि जो स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है उस तरीके से बाहर भी बातें सदन की हैं और कर सकता है। यह इसी के बाद आगे सफ़ा ४६४ और ४६५ पर दिया हुआ है। सदन

को यह अधिकार है कि वह अपना समय किसी विधेयक के सम्बन्ध में निश्चय कर ले, उसके हर एक स्टेज के लिये, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन के लिये भी समय नियत कर दे। माननीय सदस्यों के भाषण के सम्बन्ध में भी नियत कर दे और यह भी नियत कर दे कि फलां-फलां समय पर यह समाप्त होगा और फलां दिन समाप्त होगा। यानी सदन को पूर्ण अधिकार है किसी विशेष प्रोसीजर को निश्चित करने का, चाहे स्टैंडिंग आर्डर्स कुछ भी हों। यह बात मैं मानता हूं कि जो संकल्प रखा गया है उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, उसमें त्रुटि एक तो यह है कि उस वक्त यह सोचा गया कि केवल इस सिद्धांत के बरतने से ही यह समाप्त हो जायगा यानी १७ तारीख को कि १० मिनट का समय हर भाषण के लिये दे दिया जाय जो कि प्रस्तावक का हो और अन्य सदस्यों को ५ मिनट का समय दिया जाय। तो अगर हर एक एक संशोधन के ऊपर केवल प्रस्तावक और मंत्री महोदय ही बोलते तब तो ऐसा हो सकता था कि विधेयक निश्चित काल में समाप्त हो जाय, लेकिन अगर दस-दस सदस्य हर एक संशोधन पर बोलें तब तो बहुत समय लग जाता है। तो इसका अन्दाजा न लगाते हुये केवल इतने से ही समझा गया कि वह पारित हो जायगा। तो यह तो अंदाज लगाने के तरीके की बात हुई। उसमें अंदाज लगाने में ग़लती रही है। अगर उसके साथ यह संकल्प में लिख दिया गया होता कि यदि १७ तारीख को फलां समय तक यह पारित न हो तो उस समय विवाद समाप्त हो जायेगा और जो संशोधन बाक़ी रह जायेंगे उनके ऊपर बिना विवाद किये राय ले ली जायगी तो अधिक स्पष्ट होता। मसलन विवाद करने का समय ८ बजे रख देते तो वह समाप्त हो कर अन्य संशोधन उसी तारीख के अन्दर समाप्त हो जाते। इस प्रकार संकल्प वह पेश कर सकते थे और मैं समझता हूं कि आगे के लिये यह उचित होगा कि इस तरह के संकल्प जब आया करें तो ये इसी प्रकार स्पष्ट हों जिसमें किसी को तक़लीफ न हो, नहीं तो आगे भी १२ बजे तक बैठना पड़ेगा।

श्री राजनारायण—आगे ऐसा हो ही न, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—मेरा जो निर्णय होगा वह तो सब तरीकों के लिये होगा। भविष्य की बात कौन कह सकता है? ऐसी अवस्था न आये तो अच्छा ही है। सदन के सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझ कर ऐसे मौके पर आपस में तसफ़िया खुद कर लिया करें तो ऐसे संकल्पों की आवश्यकता ही न पड़े। अगर इस तरीके पर काम नहीं होता है तब इस की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि संकल्प में उक्त निर्देशित नुक्स हो सकता है। लेकिन यह नुक्स रहते हुये भी एक बात की जा सकती है। संकल्प में यह है कि १७ सितम्बर को यह विधेयक पारित होना चाहिये और उस दिन उस समय तक सदन बैठे जब तक वह पारित न हो। इतना तो इसके पढ़ने से स्पष्ट है कि १७ तारीख को यह पारित होना है। अब १७ तारीख कब तक जाती है इसका निर्णय मुझे करना है और मैं समझता हूं कि वह निर्णय स्पष्ट ही है। तारीख अपने देश में १२ बजे रात तक समझी जाती है। तो १२ बजे रात तक समाप्त कर देना चाहिये। जो बात तरीके के बारे में छूट जाय किसी संकल्प में, उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष को निर्णय करना पड़ता है कि उसमें कौन सा तरीका बरता जाय। वह अगर संकल्प में आ जाता तो अच्छा ही था लेकिन अगर नहीं आया तो मैंने यह तरीक़ा उचित समझा कि सदन को अधिक से अधिक समय दिया जाय बहस करने के लिये। तो साढ़े ११ बजे तक समय वादविवाद के लिये मैं दे दूंगा। क्योंकि १२ बजे खत्म करना है तो आध घंटा पहले तक जितने संशोधनों के ऊपर वादविवाद होना है वह हो जायगा, जो बाक़ी संशोधन रह जायंगे वे मैं स्वयं उपस्थित कर दूंगा और उन पर मत ले लूंगा। जिसमें कि मेरा अन्दाजा यह है कि पौने बारह बजे तक संशोधनों का जितना कार्य है वह समाप्त हो जायगा और उसके बाद तीसरी रीडिंग हो कर १२ बजे विधेयक पारित हो जायगा। यह मैंने तरीका उचित समझा क्योंकि तरीके के ही सम्बन्ध में संकल्प में थोड़ी सी गलती रह गयी थी। उसकी पूर्ति के लिये और सदन की जो आज्ञा है उसको पालन करने के

[श्री अध्यक्ष]

बारे में जो तरीका वाजिब हो उस तरीके को मैं रखना चाहता हूं। उस तरीके में जितना अधिक से अधिक समय दिया जा सकता है वह माननीय सदस्यों को विवाद के लिये दिया जा रहा है। वैसे मैं आठ बजे तक या दस बजे तक भी विवाद बन्द कर सकता था। लेकिन मैंने कार्य देख कर यह समझा कि बहुत से संशोधन अभी बाक़ी हैं। इसलिये बारह बजे की जो लिमिट है मैंने उस लिमिट में कार्य करने के लिये अपना निर्णय दिया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इससे भी कम समय में यह प्रयत्न करेंगे कि आठ नौ बजे ही इसे खत्म कर दें। अगर चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हर संशोधन पर दो तीन शब्द कह कर भाषण समाप्त कर दें और तमहीद न बांधें तो बहुत से संशोधन समाप्त हो सकते हैं।

यह उपस्थित प्रश्न के संबंध में मेरा निर्णय है।

श्री चरणसिंह—एक निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि अगर यह काम सवा ग्यारह बजे तक न खत्म न हो तो मेरा सुझाव यह है कि बजाय साढ़े ग्यारह बजे के आप सवा ग्यारह बजे संशोधनों को लेने की कृपा करें क्योंकि इसमें एक संशोधन ऐसा है जिसमें तीन चार सफ़े हैं। दस पंद्रह मिनट तो उसी के पढ़ने में लग जायंगे। तो पंद्रह मिनट में बाकी संशोधनों का होना कठिन है। इसलिये सवा ग्यारह बजे से लेलें तो शायद सहूलियत होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दे दी और २२३ नियम के मुताबिक आप ने कार्यक्रम ठीक कर दिया और समय भी रख दिया। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ एतराज करना माननीय राजस्व मंत्री जी के लिये ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—एतराज उन्होंने नहीं किया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं चाहता हूं कि आप की आज्ञा का शतप्रतिशत पालन हो।

श्री अध्यक्ष—वही होगा। मैं समझता हूं कि एक और भी अधिकार सदन के पास मौजूद है। मेरा तो यह अन्दाजा है लेकिन अगर मैंने सवा ग्यारह बजे शुरू किया और दफाओं के पढ़ने में देर लगती है तो यह भी सदन को अधिकार है कि घड़ी को रोक कर समय का गिनना बन्द कर दे, और बारह तभी बजे जब पारित हो जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैंने आप से प्रार्थना की थी कि कुछ खाने का भी हमारा इंतजाम होगा आपकी ओर से या माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से, तो आपने कहा था कि लंच के बाद बताऊंगा। हम इस उम्मीद में थे कि चाय मिलेगी लेकिन शायद राजस्व मंत्री जी के यहां चाय खाने के साथ पी जाती हो। जो कुछ भी फैसला हो कृपया बता दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—घड़ी को तेज चला कर जल्दी १२ बजाये जा सकते हैं अगर ऐसा हो तो जल्दी हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं उसको वाजिब नहीं समझता हूं कि अभी से यह बात कर दें।

श्री चरण सिंह—माननीय मदन मोहन जी उपाध्याय को जो सुबह से चिन्ता है क्योंकि सुबह भी उन्होंने यह सवाल उठाया था। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके का वह भोजन चाहें चाय के साथ, जैसे मिठाई, नमकीन वगैरह, उस सबका इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से हो जायगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसके बारे में यह स्पष्ट बता दें कि जनधन का दुरुपयोग नहीं होगा। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी निजी तौर से भी खिलाना चाहें तो इतना ग़लत काम करने के बाद उनका खाना भी हम खाने के लिये तैयार नहीं हैं, निजी तौर से।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, आपके सामने मैं दो सुझाव रखना चाहता हूं ताकि जहां तक सम्भव हो सके पूरा विवाद भी हो जाय और जो सदन ने फैसला किया है उसकी क़द्र में भी कमी न हो। मैं आप की रूलिंग शिरोधार्य करने के साथ साथ पहला सुझाव यह देता हूं कि जैसा कि आप ने स्वयं कहा और हाउस आफ कामन्स में पहले यह हुआ है कि घड़ी बारह बजे के पहले बन्द कर दी गयी और विवाद चलता रहा और जब विवाद समाप्त हुआ तो फिर घड़ी चालू कर दी गयी। इसको ठीक समझें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।

दूसरा सुझाव यह होगा मेरा श्रीमन्, कि नियम १७३ के अनुसार आपसे और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो सभा की सिटिंग है ११ बजे से ५ बजे तक होती है और जो सिटिंग १६ तारीख की मानी जाय वह १० बज कर ५५ मिनट तक मानी जाय और १७ तारीख की सिटिंग आज ११ बजे से कल १० बज कर ५५ मिनट तक मानी जायगी और इस तरह से ११ बजे से ११ बजे तक यानी १२ घंटे विवाद के लिये मिल जायेंगे। श्रीमन्, मेरा यह प्रस्ताव संभव भी है और प्रस्ताव की सीमा के अन्दर भी है और सिटिंग बढ़ाने का प्रस्ताव जो हाउस आफ कामंस में होता रहा है उसके अनुकूल भी होगा और हमारे यहां का कोई नियम इसमें बाधक भी न होगा।

श्री चरणसिंह---मैं क्या अर्ज करूं, आप फैसला कर चुके हैं। वही फैसला मंजूर है जो आप कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---श्री नारायण दत्त जी का जो सुझाव है कि सिटिंग को प्रोलांग कर दिया जाय और कल ११ बजे तक प्रोलांग कर दिया जाय इस पर आपकी क्या राय है?

श्री चरणसिंह---मैं तो समझता हूं कि जो फैसला आपने किया है वही ठीक है।

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)---आपने यह रूलिंग दी है १२ बजे तक के लिये। लेकिन हमारे देश की जो परिपाटी है पत्राओं के अनुसार कोई तिथि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानी जाती है। सरकारी कार्य में १२ बजे से १२ बजे तक लिया जाता होगा लेकिन पत्राओं के अनुसार और देश की परिपाटी के अनुसार तिथि मानी जाती है जब से सूर्य उदय होता है और जब तक सूर्य अस्त होता है।

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में स्पष्ट है, जहां तक पत्राओं का और हमारे देश का तरीका है उसके अनुसार दिन सूर्योदय से माना जाता है लेकिन दुर्भाग्यवश आपने प्रस्ताव में तिथि नहीं दी है, उसमें तारीख दी है और तारीख समाप्त होती है १२ बजे रात को। हमारे देश में तारीख भी चलती है और तिथि भी चलती है और देश में दोनों चलने की वजह से चूंकि संकल्प में तारीख है इसलिये वह रात के १२ बजे समाप्त होती है, यह उसका स्पष्टीकरण है।

अब नारायणदत्त तिवारी जी ने दो सुझाव दिये। एक तो यह कि घड़ी बन्द करके आज की जो तारीख है वह लम्बी बढ़ाई जाय और दूसरा यह कि सिटिंग से टाइम माना जाय। लेकिन संकल्प में तारीख दी हुई है। यह नहीं कि १७ तारीख की बैठक समाप्त होने तक इसको पारित किया जाय, इस तरह का संकल्प नहीं है बल्कि १७ तारीख को समाप्त होना चाहिये। तो तारीख जब समाप्त होगी तो उसी के साथ विधेयक समाप्त होगा, इसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरे रही घड़ी बन्द करने की बात, मैं इसको उचित नहीं समझता कि जानबूझ कर घड़ी बन्द कर दी जाय। मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि वह रास्ता इसलिये है कि जब बिल्कुल अति आवश्यक हो जाय तो उस रास्ते को अख्तियार किया जाय। हमारा जब अनुमान यह हो कि अब आध घंटे बाद विधेयक समाप्त हो सकता है या दस बीस मिनट और उसमें लगेंगे तो उसकी पूर्ति के लिये यह तरीका अख्तियार किया जा सकता है लेकिन जानबूझ कर यदि यह करना है कि समय अधिक देना ही है तब तो फिर सदन को अख्तियार है कि वह ४ रोज का प्रस्ताव क्यों न पास कर ले और समय सीधे रास्तों से बढ़ा दे। उसके लिये घड़ी के बन्द करने का उदाहरण पेश करना उचित न होगा। सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह संकल्प में परिवर्तन करके यह प्रस्ताव कर दे कि हम इस बिल के ऊपर ४ रोज और बैठेंगे, कल सबेरे बैठेंगे, परसों बैठेंगे लेकिन अगर सदन नहीं चाहता है तो उस स्थिति में यह घड़ी बन्द करने का तरीका जब तक अति आवश्यक न हो जाय तब तक उसका इस्तेमाल करना मैं अनुचित समझता हूं।

श्री राजनारायण—घड़ी के बन्द करने के बजाय आप मंत्री जी को बन्द कर दें तो जल्दी काम खत्म हो जायगा।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

खण्ड १३ (क्रमागत)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२३–क की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में शब्द "गांव पंचायत" और शब्द "द्वारा" के बीच में शब्द "अथवा धारा १२१ के अधीन स्थापित समिति" रख दिये जायं।

इस संशोधन का इतना ही अर्थ है कि जैसे गांव पंचायत वाद प्रस्तुत कर सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ या सदस्य के खिलाफ जिसकी वजह से गांव समाज की जायदाद को क्षति पहुंचती हो तो उसमें गांव पंचायत के साथ यह जोड़ दिया है कि कोई समिति जो भी स्थापित हो १२१ के अन्तर्गत तो उसको भी यह अधिकार है कि वह समिति भी दावा करने की अधिकारी है। यह छोटा सा संशोधन है और मुझे आशा है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२३–क की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में शब्द "गांव पंचायत" और शब्द "द्वारा" के बीच में शब्द "अथवा धारा १२१ के अधीन स्थापित समिति" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड १३–क

श्री अब्दुल मुईज़ खां—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड १३–क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"१३–क—मूल अधिनियम की धारा १२७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १२७-क के रूप में बढ़ा दी जाय—

"१२७–क—राज्य सरकार नियत रीति से तथा नियत कारणों के आधार पर, धारा १२१ के अधीन स्थापित समिति के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष (chairman) को अनुलम्बित कर सकती है या हटा सकती है (may suspend or remove)।"

श्रीमन्, इसके बाद आप देखेंगे कि खंड १४ की उपधारा १ में (चच) उपधारा बढ़ायी जा रही है। उसमें लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन या सदस्य के खिलाफ मिसकंडक्ट के सिलसिले में सस्पेंशन या रिमूवल करने के लिये रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट को दी जा रही है। चूंकि इस विधेयक में किसी और जगह पर ऐसे अधिकार देने वाला कोई प्राविजन नहीं है इसलिये रूल मेकिंग पावर यहां पर रखना lacuna पैदा कर देता है। उसके लिये सरकार रूल बनाये तो वह किस आधार पर बनाये, यह चीज पैदा होती है। तो उसी चीज के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मोईज खां के संशोधन में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि उनके संशोधन के शब्द "को" तथा "अनुलम्बित" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय।

"गांव समाज के तत्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव द्वारा"

अध्यक्ष महोदय, पहले तो सरकार ने बहुत से विधेयक में नियम बनाने के अधिकार लिये थे कि गांव समाज की सम्पत्ति के क्षति होने के कारण या भ्रष्टाचार के कारण या ऐसे अनुचित कार्य के लिये किसी गांव समाज के सभापति या पदाधिकारी को सरकार जब चाहे तब मुअत्तल कर सकती है या निकाल दे सकती है, लेकिन माननीय अब्दुल मोईज खां ने न्याय व्यवस्था को हटा कर एक नयी धारा बनाने की बात सोची है। लेकिन हमारी आपत्ति इसमें यह है कि राज्य सरकार को गांव समाज के सभापति या किसी मेम्बर को हटाने का अधिकार होना ही नहीं चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारी तरफ से हमेशा यह बात पेश की गयी है और जब पंचायत राज विधेयक चल रहा था तब भी हमारी पार्टी की ओर से इस सम्बन्ध में यही कहा गया था कि जो लोग चुन कर आते हैं उनको हटाने का अधिकार उन्हीं लोगों को होना चाहिये जिनके द्वारा वे चुने जाते हैं। उस समय भी हमने यह आपत्ति की थी लेकिन पंचायत राज ऐक्ट भी जल्दी-जल्दी पास हो गया और उसमें भी कदम-कदम पर नियत अधिकारी के हस्तक्षेप की बात रख दी गयी तथा इस संशोधन के द्वारा जो कमी भूमि सुधार बिल में रह गयी थी वह पूरी की जा रही है। इस संशोधन के द्वारा सरकार वह अधिकार ले लेना चाहती है कि कोई भी गांव सभा का सभापति या सदस्य अथवा लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य भ्रष्टाचार करता है या और कोई काम करता है तो स्वयं सरकार को ही उसके हटाने का अधिकार होगा। यह बिल्कुल अनुचित है और प्रजातंत्र की परम्पराओं के विरुद्ध है तथा प्रजातंत्र की जो प्रणाली है उसके भी विरुद्ध है। हमने सदैव यह मांग की है कि चाहे वह व्यवस्था पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के मातहत पार्लियामेंट के लिये हो, असेम्बली के लिये हो अथवा गांव पंचायत के लिये हो, पावर आफ रिकाल उन्हीं को होनी चाहिये जिनके द्वारा उम्मीदवार चुना गया हो। हमारा विचार यही है कि जो जनता उसको वहां चुन कर भेजे उसी को उसके वापिस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिये। यही व्यवस्था यूरोप के कई देशों में भी है। मैं समझता हूं कि जब हमारा प्रजातंत्र उदीयमान हो रहा है तो जनता द्वारा हटाने की परम्परा को कायम करके हमें एक अच्छा नमूना पेश करना चाहिये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। वह अधिकार सरकार स्वयं ले लेना चाहती है जिसका कोई सम्बन्ध गांव वालों से नहीं। इसके लिये मैंने अलग कोई संशोधन नहीं रक्खा है लेकिन जो सदन के सामने संशोधन उपस्थित है उसमें ही संशोधन के लिये कहा है। इसमें जो विशेष प्रस्ताव की बात कही है वह पंचायत राज विधेयक के मुताबिक ही हो सकती है कि पहले १५ दिन की मीटिंग का नोटिस दिया जायगा, फिर एक गांव समाज की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में गांव सभा के सदस्य इकट्ठे होंगे और उसमें गांव सभा जिसको चाहेगी उसको निकाल देगी, वह चाहे तो सबको निकाल दे सकती है और न चाहे तो नहीं। हम इस किस्म की व्यवस्था चाहते हैं। अगर सरकार के हाथ में यह अधिकार चले जाते हैं तो सरकारी अधिकारी जो वहां रहते हैं वह वहां के कुछ लोगों से प्रभावित रहते हैं और गवर्नमेंट उन्हीं के कहने पर जो कुछ करेगी वह करेगी क्योंकि वह तो वहां जाकर प्रत्यक्ष देख नहीं सकती। इसलिये अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है कि कोई व्यक्ति किसी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

पोलीटिकल पार्टी का हो तो गवर्नमेंट के रुख से उनकी भी एक अजीब मनोवृत्ति हो जाती है और वे लोग केबीनेट के मिनिस्टरों को खुश करने लियें खुल्लमखुल्ला राजनीति में भाग लेने लगते हैं । कानपुर में आपने देखा होगा कि कोई कारण नहीं था और माननीय नेता विरोधीदल को चुनाव के दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। हमको ऐसी परम्परायें कायम नहीं करनी चाहिये । जब सरकारी इशारे पर लोग चलने का प्रयत्न करेंगे तो माननीय राजस्व मंत्री की इच्छा के विरुद्ध भी राजनीति में भाग लेने लगेंगे और हिस्सा लेने लगेंगे। इसलिये मुझे आशंका है कि अगर किसी गांव सभा में कोई विरोधो पार्टी का सदस्य होगा तो उस पर अवश्य ही कोई न कोई लांछन लगा दिया जायगा । चार्ज स्वयं सरकार तो लगायेगी नहीं, चार्ज लगाने वाले लेखपाल होंगे , तहसीलदार होंगे या नायब तहसीलदार होंगे । तहसीलदार को माननीय मंत्री जी अधिकार दे सकते हैं कि किसी को निकालना हो, किसी को मुअत्तल करना हो तो उसके खिलाफ चार्ज शीट बनाया जाय और एक विशेष प्रस्ताव रखा जाय, उसके लिये १५ दिन का नियम रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सारे गांव समाज के बालिग लोग इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर वास्तविकता इस प्रकार की हो कि उसने नुकसान न किया हो तो कोई वजह नहीं है कि सारे गांव के बालिग लोग पागल हो जायेंगे और एक व्यक्ति के पीछे पड़ जायेंगे, जबकि वह अपना काम ठीक कर रहा हो। अगर लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी की बात कही जाय तब तो ठीक है लेकिन पूरे गांव के बालिग लोगों के लिये आप ऐसी बात नहीं कह सकते। तो मेरे इस संशोधन से माननीय राजस्व मंत्री जी की मंशा भी पूरी हो जाती है, साथ ही साथ प्रजातंत्र प्रणाली के लिये भी यह एक बहुत ही उत्तम नमूना पेश होगा । मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी सब चीजों को बहुत सूक्ष्म रूप से सोचते हैं और वाकई में राजस्व मंत्री की हैसियत से जैसा कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हर चीज में एक नमूना पेश करता है उसी तरह से इसमें भी एक नमूना पेश कराना चाहता हूं । मिसाल के तौर पर अधिवासियों के लिये जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेरेशन होने वाला है उसको हम भूल नहीं सकते और मैं इसके लिये उनको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता। राज्य कर्मचारियों की रिपोर्ट पर राज्य सरकार किसी को निकाले यह एक अनुचित बात होगी । इसलिये आशा है कि मेरे इस संशोधन को वे अवश्य ही कबूल करेंगे ।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे श्री राम नारायण त्रिपाठी जी को निराश करना पड़ेगा । जो संशोधन वे लाये हैं उसके पीछे यह विश्वास काम कर रहा है कि गांव पंचायत अपने चेयरमैन या किसी बाअसर मेम्बर के खिलाफ प्रस्ताव पास कर सकती है । अगर गांव पंचायत प्रस्ताव पास कर सकती है जैसा कि माननीय त्रिपाठी चाहते हैं तो फिर इसको रिन्यू करने की आवश्यकता ही क्या है ? वह तो आज पंचायत राज ऐक्ट में मौजूद है न । पंचायत राज ऐक्ट के मातहत अगर गांव पंचायत नो कांफिडेंस मोशन लाकर उसको निकाल सकती है तो फिर इसका क्या मंशा है कि उसको गवर्नमेंट रिमूव करे, सस्पेंड करे ? अगर गांव पंचायत रेजोल्यूशन पास करे फिर तो आटोमेटिकली वह आदमी अलग हो जाता है । अगर कोई सदस्य अपने अधिकार को नहीं समझता और चेयरमैन या दूसरा मेम्बर इतना बाअसर है कि वह अपने पोजीशन को एब्यूज करता है, मिथ्याचरण करता है, उपेक्षा करता है, जायदाद नष्ट करता है, ठीक मीटिंग नहीं करता है, कोई एनक्रोचमेंट होता है उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करता है, अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी के लिये तो गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वह उसे सस्पेंड कर दे। दफा १२७ के अनुसार उसे यह अख्तियार है लेकिन किसी मेम्बर विशेष या चेयरमैन को रिमूव करने का अख्तियार गवर्नमेंट को नहीं है । पंचायत को तो आज भी अख्तियार है कि वह नो कांफिडेंस मोशन पास करके किसी को निकाल दे लेकिन इसके लिये कुछ नहीं है इसलिये इसकी जरूरत पेश आयी । अगर माननीय त्रिपाठी जी का संशोधन मान लिया जाय तो जो उसके पीछे भावना काम कर रही है वह सही है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी पेश करने की । बस मुझे असल बात इतनी

ही कहनी थी। दूसरी बात यह कि जो उन्होंने इतने लम्बे मैदान में दौड़ लगायी कि राज्य कर्मचारी लोग ऐसा करते हैं कि वे सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से काम करते हैं तो मैं नहीं जानता कि इससे इस तरह की कोई आशंका हो सकती है। अगर इस तरह की आशंका हो तब तो हम किसी राज्य कर्मचारी के ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं सुपुर्द कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर को किसी पंचायत के मेम्बर को सस्पेंड करने की क्या जरूरत है कि वह इस काम को करता फिरे कि फलां काम ठीक नहीं कर रहा है, वह अपने ऊपर जिम्मेदारी काहे को लेगा ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—चपत मारते हैं।

श्री चरणसिंह—अगर ६६ हजार लैन्ड मैनेजमेंट कमेटियां हैं और दो लाख ६० हजार राज कर्मचारी हैं उनमें से किसी ने अगर किसी को या दस को ही चपत लगा दी तो फिर इसको आप जेनरल नहीं कह सकते। मैं आपके जरिये फिर अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो राज्य कर्मचारी हैं आखिर वे भी हम लोगों की तरह ही इंसान हैं वह भी तो मुझ जैसे और आप जैसे इंसान ही हैं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है श्री राज नारायण जी की बहुत सी अनर्गल बातों पर। राज नारायण जी को तो बहुत ही गुस्सा आता है, कभी पुलिस वालों पर, कभी किसी पर वह बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो यह चाहे पुलिस वाले हों, नायब तहसीलदार हों या कानूनगो हों वह सब गलती कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वह गलती स्वीकार तो नहीं होती है। हमारी तरफ से कोशिश की जाती है जो गलती करता है उसे सजा दी जाती है। अगर उसमें सरकार की तरफ से कोताही होती है तो यह सरकार या कोई सरकार हो वह यहां रहने लायक नहीं है। अगर हम यह करें कि राजकर्मचारी गलती करते हैं या अगर एक दो प्रतिशत भी करते हैं तो हम उनको कोई अधिकार ही न दें तो मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार चलना नामुमकिन है। अगर पुलिस वाला कोई गलती करता है तो उनको चालान के हकूक ही न दिये जायं अगर हम यह उसूल मानें तब तो गवर्नमेंट का कोई भी कार्य चल नहीं सकता और सब ठप हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, प्रश्न तो यह है कि माननीय राजस्व मंत्री को प्यार पर गुस्सा आता है और हमें गुस्से पर प्यार आता है। बस इतना सा फर्क है लेकिन कभी-कभी वह गलत समझ लेते हैं। असल बात यह है कि जो कहा गया (राजस्व मंत्री के उठकर सदन से बाहर जाने पर) उनको मर्ज ही ऐसा है कि हर दस-दस, पांच-पांच मिनट पर बाहर जाना पड़ता है, हमारी भी उनके साथ यही मुसीबत है। जो संशोधन माननीय मोईज खां ने रखा है उसके द्वारा बहुत बड़ा अधिकार सरकार के हाथ में जा रहा है। अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि राज नारायण जी कहते हैं कि यह नहीं मालूम होता कि जनतंत्र का हनन कहां तक होता है। सारा दृष्टिकोण ही गायब है और जब यह फर्क है तो इस फर्क की झलक तो हर चीज में आती रहती है। यह बड़ी कृपा हुयी कि अब माननीय गृह मंत्री जी विद्यमान हो गये हैं। पहले मैं यह बता दूं कि यह हम कभी नहीं मानते कि राज्य के जितने राज्य कर्मचारी हैं वह सब नालायक हैं, निकम्मे हैं लेकिन साथ ही हम यह भी नहीं मानते हैं कि हमारे सूबे की सभी जनता नालायक और निकम्मी है। मैं समझता हूं कि हमारे सूबे की जनता इतनी सचेत हो चुकी है और उसने अपने सचेत होने का परिचय भी समय-समय पर दिया है इसलिये जनतंत्र की बात यहां सामने आनी चाहिये। अगर माननीय मोईज खां का संशोधन माना जाय तो उस के द्वारा राज्य सरकार को अधिकार मिल रहा है कि वह किसी गांव समाज के चेयरमैन को या सदस्य को जब चाहे रिमूव या सस्पेंड कर दे। उनका मतलब यह है कि चैयरमैन और सदस्य उन के सामने नतमस्तक होते रहें और उन की खुशामद करते रहें, यह चाहते हैं मोईज खां साहब अपने संशोधन द्वारा। हम चाहते हैं कि स्थानिक कमेटी बनी हुयी हैं उस समिति में एलेक्टेड लोग हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

उनको अधिकार हो, वहां की जनता को अधिकार हो जो उन को चुनती है उसको अधिकार रहे, वह अपने हित अनहित को देखें लेकिन हर क्षेत्र में केबिनट के मंत्रियों का दखल कहां तक उचित है, महन्तों की तरह हर जगह उनकी ठेकेदारी कि जिसको चाहें सस्पेंड कर दें या रिमूव कर दें। श्री मोईज खां चाहते हैं कि यह सब अधिकार राज्य सरकार के हाथ में ही महफूज रहें। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि कोई और भी सरकार काल को आ सकती है लेकिन सवाल तो यह है, फंडामेंटल बात तो यह है कि ऐसा अधिकार ही जो दुरुपयोग करने का हो वह किसी के हाथ में क्यों जाय ऐसी परिस्थिति से ही बचना चाहिये। टक्साल में कोई सब आदमी ईमानदार होतो नहीं हैं लेकिन वहां का प्रबन्ध ऐसा होता है कि वहां से कोई मुद्रा लेकर जा नहीं सकता। उसी तरीके से हम ऐसे प्रतिबन्ध रखें जिससे कि कभी-कभी माननीय मंत्रीगण का मस्तिष्क जब विपरीत होने लगे और निरंकुश हो कर वह जब जनतांत्रिक परंपराओं पर कुठाराघात करने लगें तो उसको रोकें। क्योंकि जनता ही उसको रोक सकती है। जनता सचेत हो कर, अपनी आंख खोल कर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है, सरकार रक्षा नहीं कर सकती है। इसलिये हमेशा राज्य और सरकार का फर्क माना गया है। मैं माननीय मोईज खां साहब ने यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क है, जनता में और गवर्नमेंट में फर्क है। सब जन की जनता का यह राज्य है लेकिन इस सरकार को हम अपनी सरकार नहीं कह सकते। एक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, इसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत आ सकती है। हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी, इसीलिये इंगल्स ने कहा था Whithering away of the state means whithering away of tne demccracy स्टेट के खत्म हो जाने का मतलब है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गयी। इसलिये सवाल यह आता है कि जनता को पूरी ताकत हो, पूरा अधिकार हो। जनता के प्रतिनिधि उस जतना के अधिकार को ले कर यहां बैठे हैं। जनता जो सार्वभौम सत्ता है उसने अपना प्रतिनिधित्व अपने हित के रक्षार्थ अपने सम्मानार्थ आपको दे रक्खा है, यदि आप जनता के प्रतिनिधि उस जनता की सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं तो जनता को अधिकार है कि वह उस सरकार को हटा दे, ऐसे प्रतिनिधियों को हटा दे और इसी नुक्तेनिगाह से मैं माननीय मुईज साहब से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस कर लें। सरकार के पास और भी तमाम पावर हैं, उनके जरिये ऐसे लोगों के काम को अगर सरकार रोकना चाहती है तो रोक सकती है और उनको गलत काम नहीं करने दे सकती है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अब्दुल मोईज खां द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् इसके विषय में मुझे यह कहना है कि जहां पर माननीय मंत्री महोदय के कथनानुसार यदि हम यह मान लें कि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी को वह सस्पेंड कर सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं और वह अधिकार उनके पास विद्यमान है तो कोई तर्क इसमें नहीं दिखायी देता कि वह कैसे उस बाडी के सदस्य या चेयरमैन को मुअत्तल कर सकें या निकाल दे सकें और साथ ही साथ उन्होंने यह भी हवाला दिया कि वह अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा निकाले जा सकते हैं, लिहाजा इन सब परिस्थितियों को देखते हुये यह आवश्यक है कि यह चीज स्टेट्यूट बुक पर लाई जाय। श्रीमान् मोईज साहब का यह कहना था कि रूल्स में यह है लेकिन ऐक्ट में नहीं है इसलिये यह संशोधन ऐक्ट में लाया गया है। श्रीमान् जहां तक डेलीगेटेड अथारिटी का सवाल है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन्स क्या हैं और एक्जीक्यूटिव फंक्शन्स क्या हैं, यह बात सरकार को समझाने के लिये पांच मिनट तो क्या पांच घंटे भी काफी नहीं हैं, क्योंकि वह इस सिद्धांत को उस हद तक मानते हैं कि जब तक कि वह उनके हित में होता है। जहां पर वह चाहते हैं डेलीगेटेड अथारिटी को मान लेते हैं और जहां पर वह चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव फंक्शन्स हों,वह उसके अनुसार कार्य कर लेते हैं। श्रीमान्, जहां पर यह प्रश्न उठता है कि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी चाहे तो अविश्वास के द्वारा अपने सदस्यों को या अपने चेयरमैन को मुअत्तल कर सकती है, तो वहां मैं समझता हूं कि इस पावर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सरकार को कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही श्रीमान्, मैं बता देना चाहूंगा आपके द्वारा इस सदन को कि यदि यह चीज रूल्स में रक्खी जाय तो यह संभव है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी दिन इसको हटाया जा सके और रूल्स में से इसको निकाला जा सके लेकिन यदि यह ऐक्ट में आती है तो भविष्य में चल कर आपत्ति हो सकती है।

श्रीमान्, मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इस संशोधन के विरुद्ध कुछ भी कहा जाय वह बहुत थोड़ा है। आज फ़ैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव होता है। ६ महीने व्यतीत हो चुके हैं कहीं माननीय गृह मंत्री इन्क्वायरी करते हैं, कहीं माननीय मुख्य मंत्री को अरुचिकर है कि उसको न निकालें। जहां पर सरकार इस धांधली पर उतारू हो श्रीमन्, इस विधान सभा में कई बार इस प्रश्न को लाना चाहता था और रूल्स की वजह से नहीं ला सका। जहाँ पर सार्वजनिक संस्था में यह धांधले बाजी हो सकती है सरकार के अधिकार इस क़दर बढ़ाये जायं, मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से न्याय संगत नहीं हो सकता। श्रीमन्, आज उन संस्थाओं में जहां कि अविश्वास की प्रथा है यह विभाग कभी आपके भी अधीन रह चुका है, परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट में किस हद तक, माननीय गौतम जी मंत्री हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी का सर्वाधिकार है। श्रीमन्, लोकल बाडीज में यह अंधेर किया जाय और साथ ही साथ उन अधिकारों को गांव तक पहुंचा देना चाहते हैं, वह कलंक का टीका जो कि आज इस प्रदेश में हो सकता, गांव में पहुंचाना ठीक नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सम्पूर्णानन्द ऐसे मनुष्य के लिये जब कि वह राजनीति भलीभांति समझते हैं और उनके सामने यह बातें आ चुकी हैं, पर उन पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। तो ऐसी सरकार के अधीन जब अधिकार देते हैं तो हर आदमी को आशंका हो सकती है और यह निराधार नहीं है। आप स्वयं बता सकते हैं कि कोई भी मिसाल ऐसी नहीं हुई होगी जहां वोट आफ नो कांफ़ीडेंस हो गया हो वहां पर ऐसी धांधलेबाजी हुई हो। सरकार के अधिकारों का ज्वलन्त दृश्य इससे अधिक और नहीं मिल सकता जितना कि फ़ैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में है।

श्री अध्यक्ष---आप थोड़े से असंगत हो रहे हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन्, अथारिटी डेलीगेट करने का जो रूल है मैं इसे मानता हूं क्योंकि जब आप लोकल बाडीज को सस्पेंड कर सकते हैं तो यह कहना मेरे लिये संगत न होगा। लेकिन यह भय है कि जब रूल्स में है तो किसी दिन यह नियम निकाला जा सकता है। लेकिन जब सरकार को डेलीगेटेड या लेजिस्लेटिव फंक्शन्स का ख़याल न हो तो इस सिद्धांत के आधार पर अब्दुल मोईज खां का संशोधन लाना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। मैं उनके सिद्धांत के विरोध में नहीं कहना चाहता लेकिन यह सच है कि जहां पर इसका उल्लंघन किया गया है तो अगर इसका भी उल्लंघन हुआ तो सम्भवतः इस प्रदेश का हित नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मैं श्री अब्दुल मोईज खां का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में यह जिक्र किया कि १४ खंड के (चच) के नियम के सम्बन्ध में जिसमें यह लिखा है कि—

"मिथ्याचार के कारण भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य अथवा सभापति का मुअत्तल किया जाना अथवा हटाया जाना"

यही सिर्फ है और आप इसको और ज्यादा विस्तृत कर रहे हैं—"राज्य सरकार नियत रीति से तथा नियत कारणों के आधार पर", यह "नियत कारणों के आधार पर" यह जरा विस्तृत हो रहा है। आप परिवर्तन करना चाहें कि "राज्य सरकार मिथ्याचार के कारण के आधार पर धारा फलां फलां के अधीन", कुछ इस तरह का तो परिवर्तन आप कर सकते हैं क्योंकि आपके संशोधन से दायरा बढ़ता है निम्न शब्दों से "नियत कारणों के आधार पर"। लेकिन मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। सिर्फ यह चाहता हूं कि मैं आपकी अटेंशन उधर ड्रा कर दूं।

श्री अब्दुल मोईज़ खां—श्रीमन्, जैसा आपने फरमाया, मूल अधिनियम की धारा १२८ जो है उसमें वह तमाम आइटम्स दिये हुये हैं जिन पर सरकार नियम बना सकती है और उसी के संशोधन के जरिये से यह लाया जा रहा था (च च) की जगह पर कि मिसकांडक्ट की हालत में किसी लैंड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन या सदस्य को सरकार रिमूव या सस्पेंड करने के बारे में भी रूल बना सकती है। लेकिन चूंकि अधिनियम में या इस विधेयक के जरिये से कोई ऐसा प्राविजन नहीं लाया जा रहा था जिससे स्वयं सरकार को अधिकार पहले से प्राप्त होता हो जिसके बारे में नियम बनाने का अधिकार दिया जाता था इसलिये यह था और मैंने जो संशोधन रखा है उसमें "नियत" का जो शब्द रखा है वही पर्पज सर्व कर देता है कि जो रूल्स प्रोवाइड करें उन्हीं के मुताबिक हो। इसी वजह से आप देखेंगे कि.....

श्री अध्यक्ष—मैंने तो अटेन्शन ड्रा किया था कि उसमें मिथ्याचार, दुराचरण के कारण हटाने का नियम में अधिकार दिया है और आप "नियत कारणों से" यह भी शब्द बढ़ा रहे हैं। तो कारण और भी हो सकते हैं मिथ्याचार के अलावा। तो वह भी पावर आप बढ़ा रहे हैं। अगर आपका वही उद्देश्य है जो (च च) में दिया हुआ है तो आप को यहां पर केवल यह शब्द रख देना चाहिये कि "नियत रीति से"। आपने लिखा है "नियत रीति से और नियत कारणों के आधार पर" यानी दूसरे कारण भी हो सकते हैं जिन्हें सरकार नियत कर सकती है, फिर वह केवल मिथ्याचार की बुनियाद से बंध नहीं जायेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सरकार को केवल मिथ्याचार की बुनियाद पर अधिकार दिया जाय या चाहते हैं कि और भी कारणों से सरकारी हस्तक्षेप हो सके?

श्री अब्दुल मोईज़ खां—हां, श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं इतना संशोधन अपने संशोधन में करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार हो जाय—१२७ – क—राज्य सरकार नियत रीति से धारा १२१ के अधीन—और आगे का सब जैसे है वैसे ही रहे। केवल "नियत कारणों के आधार पर" यह वहां से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वह हमारा जो आगे (च च) में संशोधन है वह तो आयेगा न या उसका भी इसमें समावेश कर लिया है?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वह तो आयेगा। उस पर विचार होगा।

श्री राजनारायण—तो ठीक है श्रीमन्।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि वह भी अगर रहे कि "नियत कारणों के आधार पर" तो ठीक ही है। कारण हम नियत करेंगे।

श्री अध्यक्ष—वह करेंगे आप, तो मतलब यह कि कारण भी आप बतायें और नियम बनाने के अधिकार में तो यह बिलकुल संकुचित है। रूल बनायेंगे आप केवल मिथ्याचार के सम्बन्ध में, तो जो नियम बनाये जायंगे उसके साथ-साथ इस प्रकार के संशोधन का संतुलन नहीं हो रहा है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, तो जो उन्होंने अपना संशोधित प्रस्ताव रखा है, वही माना जायगा?

श्री अध्यक्ष—जी हां। वही माना जायगा।

श्री अब्दुल मोईज खां—श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार हो गया कि—

खंड १३ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड १३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"१३—क—मूल अधिनियम की धारा १२७ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १२७—क के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"१२७—क—राज्य सरकार नियत रीति से मिथ्याचार (misconduct) मिसकंडक्ट के आधार पर धारा १२१ के अधीन स्थापित समिति के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष (chairman) को अनुलम्बित कर सकती है या हटा सकती है (may suspend or remove)।"

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने गौर से सुना, माननीय सदस्यगणों ने जो अपोजीशन में तकरीरें कीं उनका जो बेसिस था वह मेरी समझ में यही आया, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, इसलिये इसको यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये। माननीय ठाकुर साहब ने तो यहां तक कहा है कि मैं उसके प्रिंसिपल से तो ऐग्री करता हूं लेकिन फिर भी विरोध करता हूं। सवाल इतना ही है कि सरकार को ऐसी सूरत में मिसकन्डक्ट के मामले में किसी अध्यक्ष या चेयरमैन या किसी सदस्य को सस्पैंड या रिमूव करने का अधिकार होना चाहिये या नहीं। प्रजातंत्र का भी जिक्र किया गया जहां तक फारेन कंट्रीज में और हमारे मुल्क में भी जितने लोकल बाडीज के अधिनियम हैं उन सब में इस किस्म का प्राविजन रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड का कोई सदस्य या चेयरमैन मिसकंडक्ट की हद तक जाता है तो सरकार उसको रिमूव कर सकती है। उन लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वह लोग पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल हैं। उनके बारे में इस तरह की बात रखी गयी है। माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया है और सब को मालूम है कि गांवों में आज जनता किस कदर परेशान है और तकलीफ में है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मनमानी कर रहे हैं। सदस्य भी देख रहे हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। कोई एस० डी० ओ० तक को दरख्वास्त नहीं दे रहा है। उसमें जो उनको अधिकार प्राप्त हैं उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इनको देखते हुये सरकार को इस तरह के अधिकार होने चाहिये। हो सकता है कि सरकार के नोटिस में कोई सदस्य लायें या सरकार को पता चले तो सरकार को इस तरह के अधिकार होने चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ के पश्चात्, निम्नलिखित नये खंड १३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"१३-क--मूल अधिनियम की धारा १२७ के पश्चात निम्नलिखित नई धारा १२७-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

१२७--क- राज्य सरकार नियत रीति से तथा मिथ्याचार (misconduct) के आधार पर धारा १२१ के अधीन स्थापित समिति के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष (chairman) को अनुलम्बित कर सकती है या हटा सकती है (may suspend or remove)"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में----५३
विपक्ष में----१८)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नया खन्ड १३-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

उ० प्र० अधिनियम१, १९५१ की धारा १२८ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (२) में--

(१) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (चच) के रूप बढ़ा दिया जाय :

"(चच) मिथ्याचार (miscouduct) के [दुराचरण (misbehaviour)] कारण भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों अथवा सभापति (chairman) का मुअत्तल किया जाना (suspension) अथवा हटाया जाना (removal);"

(२) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (टट) के रूप में रख दिया जाय:--

"(टट) गांव समाज में निहित भूमियों और वस्तुओं को क्षति और उन पर अनधिकार कब्जे (encroachments) के अवधारण को, अनधिकार कब्जे को हटाने की तथा क्षति के लिये प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की सरसरी प्रक्रिया।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (१) रख दिया जाय :

"(१) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(कक) ऐसी रीति जिसके अनुसार और ऐसा अधिकारिकी (authority) जिसके द्वारा, धारा ११७ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन देय प्रतिकर अवधारित किया जायगा और दिया जायगा।"

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, वह संशोधन तो माननीय अब्दुल मुईज खां ने मूव ही नहीं किया और माननीय मंत्री जी ने पहले ही स्वीकार कर लिया।

श्री अध्यक्ष—पेश कर रहे हैं, स्वीकार कहां किया ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड १४ में उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (१) रख दिया जाय :

"(१) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

(कक) ऐसी रीति जिसके अनुसार और ऐसा अधिकारिकी (authority) जिसके द्वारा, धारा ११७ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन देय प्रतिकर अवधारित किया जायगा और दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

खंड १४ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (चच) की पंक्ति २ के अंतिम शब्द.....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो अब निकल गया। उपखंड (१) निबट गया।

श्री अध्यक्ष—यह तो समाप्त ही उन्होंने कर दिया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अभी उन्होंने कहा था कि इस ऐक्ट में प्राविजन किया जा रहा है और आपने कहा कि नियम में भी वह रहेगा और नियम बनाने का अधिकार (चच) में लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—अगर उन्होंने अपना एक अधिकार छोड़ दिया तो आप को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। तो आप नहीं पेश करेंगे ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

१५—मूल अधिनियम की धारा १३४ की उपधारा (१) में वर्तमान स्पष्टीकरण को "स्पष्टीकरण १" के रूप में रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण २ के रूप में रखा जाय : उ०प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३४ का संशोधन।

"स्पष्टीकरण २—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर सीरदार द्वारा देय लगान निम्नलिखित होगा:

(क) धारा २४६ की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में सभी वृद्धियों (increases) को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि, और

(ख) उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्धात्मक खंड प्रवृत्त होता हो, उस धारा के अधीन मौरूसी दरों (hereditary rates) पर अवधारित धनराशि।"

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १५ का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, खंड १५ इस प्रकार से है—मूल अधिनियम की धारा १३४ की उपधारा (१) में वर्तमान स्पष्टीकरण "स्पष्टीकरण १" के रूप में रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण २ के रूप में रखा जाय:

"स्पष्टीकरण २—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर सीरदार द्वारा देय लगान निम्नलिखित होगा :

(क) धारा २४६ की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में सभी वृद्धियों को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि, और

(ख) उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्धात्मक खंड प्रवृत्त होता हो, उस धारा के अधीन मौरूसी दरों पर अवधारित धनराशि।"

अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट किया है इसका तात्पर्य है कि जिस समय जमींदारी अबालिशन होने वाला था उस समय जिन लोगों ने परती भूमि तोड़ ली थी और किसी तरह से वह सीरदार बन गये हैं उन्हें सीरदार मान लिया जाय। यह जो इसका खंड (क) है २४६ है इसका प्रतिबन्धात्मक खंड यह है—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संविदा की शर्तों या आचार के अनुसार, जिसके अधीन उक्त दिनांक पर भूमि कब्जे में रही हो, उस भूमि के सम्बन्ध में किसी सीरदार द्वारा देय लगान नियत अवधियों पर बढ़ता रहता हो, तो देय मालगुजारी वह धनराशि होगी जो नियत की जाने वाली रीति और सिद्धांतों के आधार पर असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा इस प्रकार से अवधारित की जाय कि अवधारित धनराशि किसी भी समय पर लगान की उस अधिकतम धनराशि से अधिक न हो जो सीरदार द्वारा उक्त संविदा या आचार के अनुसार देय होती।"

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस बिल में कई बार इस प्रकार का जिक्र आया कि जिस समय जमींदारी खत्म होने वाली थी उस समय जमींदारों ने अपने भाइयों के नाम, अपनी स्त्रियों के नाम, अपने लड़कों के नाम जितनी जमीन गांव समाज में परती होने जा रही थी उसका अधिक से अधिक हिस्सा उनके नाम पट्टा कर दिया है या उन पर कब्जा कर लिया है। जिस समय जमींदारी खत्म हुयी उस समय लगभग ४३ लाख एकड़ जमीन गांव समाज के पास थी। क्या माननीय मंत्री जी से मैं पूछ सकता हूं कि उस ४३ लाख एकड़ जमीन में कितनी जमीन अब भी गांव समाज के पास है और उसमें से कितनी जमीन फर्स्ट प्रिफ्रेंस में लैन्डलेस लेबरर को दी गयी है और कितनी जमीन गांव समाज के पास है या कितनी जमीन भूतपूर्व जमींदारों ने अपने संबंधियों या दोस्तों के नाम पट्टा कर दी है या जबर्दस्ती जोत लिया है। बजाय इसके कि वह जमीन उनसे वापस ली जाती और उन पर मुकदमा चलाया जाता, आज माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि उनकी जो 'अन्न उपजाओ' स्कीम चली थी उसमें उन लोगों ने अधिक जमीन बटोर ली या उस बिल्ली की भांति काम किया जो स्वयं नहीं पी पाती है तो उसको गिरा देती है कि शायद उसको दो-चार बूंद मिल जायं। इसी प्रकार उन जमींदारों ने जो स्वयं उनकी जमीन थी स्वयं उस पर तो काश्त नहीं किया बल्कि जो परती जमीन थी उसको नौतोड़ बना कर कुछ खेती करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उस समय जो कम से कम लगान हो सकता था वह जमींदारों ने उस पर लगाया। लेकिन माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं जैसा कि उन्होंने अपने जनरल भाषण में बताया था कि वह कम से कम लगान देंगे, उनको यह सुविधा दे दी जैसा कि उन्होंने कहा था कि लखनऊ में एक रिफ्यूजी ने कुछ जमीन परती या ऊसर तोड़ी है, एक उदाहरण उन्होंने आगरे का भी दिया था कि वहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपेरीमेंट के तौर पर ऊसरे जमीन जोत ली है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को चैलेंज करता हूं।.....

श्री चरण सिंह—मैं आपका चैलेंज स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री जोरावर वर्मा—आप चैलेंज क्यों स्वीकार करेंगे ? क्योंकि आपके पास उत्तर है ही नहीं। जमींदारों ने जो जमीन अपने लोगों को सौंप दी है आप उसको रेगुलराइज करने जा रहे हैं। वह भी लीजिये और लगान भी कम कर रहे हैं। मैं यह समझूंगा कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के इस खंड द्वारा जमींदारी बैकडोर से फिर आ रही है। उन्होंने जो जमीन ली थी इसके लिये उनको खतरा था कि गांव समाज उन पर किसी तरह से मुकदमा चला कर उस जमीन को फिर से वापस ले लेता लेकिन माननीय मंत्री जी उसको रेगुलराइज कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह—मैं आपकी इजाजत से यह जान सकता हूं कि यह संशोधन विधेयक के जरिये कैसे जमींदारी आ रही है और गांव समाज के पास जो जमीन जा रही थी वह कैसे लौट रही है ?

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, २४६ और २४७ का जिक्र आया था। जिन लोगों ने दस गुना जमा कर दिया है उसका आधा लगान हो गया है। लेकिन मंत्री जी चाहते हैं कि उन पर आधा लगान तो ऐसे ही है, चूंकि उस पर पैदावार नहीं करते हैं और नाजायज कब्जा कर लिया है इसलिये वह आधा लगान भी बिलकुल ही खत्म हो जाय। जैसा कि उन्होंने कहा था कि दो चार आने एकड़ लगायेंगे और नौ साल में पूरा लगान करेंगे। इस तरह से मैं समझता हूं कि भूतपूर्व जमींदारों या बड़े काश्तकारों को वह बड़े-बड़े अधिकार दे रहे हैं कि उन पर गांव समाज मुकदमा न चला सके और किसी प्रकार उनकी जमीन न छिन सके बजाय इसके कि उनकी जमीन वापस ली जाय। उनको छूट दे रहे हैं और उनका लगान नाम मात्र का होगा और नौ साल के बाद पूरा लगान देंगे। इस प्रकार जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का पूरा उद्देश्य बिलकुल कंडम (रद्दी) कर देते हैं, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस खंड को निकाल दें।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, क्या बतलाऊं मैं, मेरी बड़ी मुश्किल है कि बेकार की बहस हो जाती है ; लिखा कुछ और है और ठीक उसके विपरीत कहा जा रहा है। संशोधन यह है जिसको आप कह रहे हैं कि जमींदारी बैकडोर से आ रही है। "इस धारा के प्रयोजनों के निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर सीरदार द्वारा देय लगान निम्नलिखित होगा।" अब १३४ का एक्सप्लेनेशन जोड़ा जा रहा है। १३४ में यह है कि १० गुना दे कर आदमी भूमि धर बन सकता है। कौन से लगान का दस गुना दे सकता है ? सीरदार द्वारा देय लगान निम्नलिखित होगा—

"धारा २४६ की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में सभी वृद्धियों को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि।"

अर्थात् बहुत से जमींदारों ने जो खराब जमीन काश्तकारों को इस शर्त पर दी कि पहले साल ४ आने, दूसरे साल ८ आने, तीसरे साल सवा रुपया, इसी तरह ७ साल में ५ रुपए एकड़ मालगुजारी उन्हें देनी होगी। इस शर्त पर बहुत से पट्टे लिखे गये और ८ साल में कुल रेंट पेएबिल होता था। आज अगर ऐसा सीरदार भूमिधर बनना चाहे और उसे वह जमीन लिये हुये तीन चार साल हुये हैं और आज वह जो लगान देता है मान लो सवा रु० देता है फी एकड़ उसी कांट्रेक्ट के मुताबिक, तो जब वह आज ही भूमिधर बनना चाहेगा तो ७ साल बाद जो फुल रेंट होता है ५ रुपया फी एकड़ उसका १० गुना उसको देना होगा। अब सवाल यह होता है कि वह १० गुना फुल रेंट पेएबिल का दे या आज जो वह रेंट दे रहा है उसका १० गुना दे। अब श्रीमन्, इसमें क्या कहूं इसको कहा जा रहा है जमींदारों के साथ रियायत की जा रही है। मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा शख्स जब सीरदार से भूमिधर होगा, आज थोड़ा रेंट दे रहा है, अगले कुछ सालों के बाद जो पूरा रेंट होगा उसका १० गुना उसको देना होगा तब वह भूमिधर बनेगा ? यह तो उल्टे सख्ती है।

इसी तरह से दूसरा स्पष्टीकरण है "उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्ध खंड प्रवृत्त होता हो।" .....

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्वाइंट आफ आर्डर । मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी ने जोप्रस्तावित खंड (ख) पढ़ा उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । उपखंड (ख) इस प्रकार है "उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्धात्मक खंड प्रवृत्त होता हो।" इस धारा के अधीन धनराशि तो श्रीमन्, आप धारा २४७ (ख) देख लीजिये । उसमें कोई प्रतिबन्धात्मक वाक्य है ही नहीं । जब इसमें कोई प्रतिबन्धात्मक वाक्य है ही नहीं, इसलिये यह आउट आफ आर्डर है ।

श्री चरणसिंह—यह प्वाइंट आफ आर्डर तो था नहीं लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, मैं धारा ४१ की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा । धारा ४१ के जरिये प्राविजो २४७ में जोड़ा जा रहा है । पहले २४७ में यह प्राविजो जुड़ जाता तब १३४ में अमेंडमेंट आता, यह माननीय तिवारी जी का प्वाइंट आफ आर्डर है । क्या इसकी बुनियाद पर प्वाइंट आफ आर्डर वह उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको आप यहां नहीं रख सकते जब तक कि यह प्रतिबन्ध उसमें जुड़ न जाय । सदन यह भी तो कर सकता है कि उस प्रतिबन्ध को स्वीकार न करे । इसलिये मैं मान कर नहीं चल सकता कि इस विषय में बहुमत है ही । हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है । अगर बहुमत यह तै कर दे कि यह प्रतिबन्ध न हो और सदन इसे पहले ही स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब यह होगा कि जो प्रतिबन्ध नहीं है उसके बारे में एक खंड स्वीकार हो गया । इसलिये इसको थोड़ी देर के लिये स्थगित कर दिया जाय । जिस वक्त प्रतिबन्ध वाला खंड पास हो जाय उस वक्त इसे ले लेंगे इस वक्त यह नहीं लिया जा सकता ।

श्री चरणसिंह—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक इस बेसिस पर पहले भी काम करते रहे हैं । जो आगे अमेंडमेंट्स आते रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—उन अमेंडमेंट्स का आप जिक्र भी नहीं कर सकते । मैंने फैसला दे दिया ।

श्री चरणसिंह—फिर भी मेरी जो तकरीर है उसका जो बेसिस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय जोरावर वर्मा साहब यह कह रहे थे कि इससे जमींदारों को फायदा होगा और जमींदारी खत्म नहीं हो रही है मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो शख्स सीरदारी से भूमिधरी राइट हासिल करना चाहता है उसके साथ इसमें सख्ती की जा रही है । तो सख्ती का इन्टरप्रिटेशन यह करना कि शिकमी किया जा रहा है यह नतीजा वही निकाल सकते हैं । २४७ में इसका प्रोवाइजो नहीं है, इस पर प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया, यह दूसरी बात है लेकिन २४६ (१) तो मौजूद है इसमें तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । हाल में जो प्वाइंट आफ आर्डर उठा वह टेक्निकल चीज से ही ताल्लुक रखता है । लिहाजा यह कहना कि रियायत की जा रही है यह बात गलत है । उन्होंने गलत पढ़ा, ग़लत दलील दी, यही सही है । तो श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो प्राविजो हम लगाने वाले हैं उसका मन्शा यह है कि.....

श्री अध्यक्ष—अब इस विषय में आप तभी बात कर लें । इसके ऊपर बहस हुई और उसका उत्तर दिया जा चुका । अब इसके ऊपर वोटिंग तभी होगी जब उस प्राविजो के ऊपर वोट लिया जायगा और तभी यह दुरुस्ती भी कर दी जायगी ।

(खंड १५ पर मतदान स्थगित किया गया ।)

श्री गेंदा सिंह—श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जिस समय श्री जोरावर वर्मा ने अपना भाषण इस खंड को निकालने के बारे में दिया तो उन्होंने धारा को डिलीट करने की बात कही और जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया तो उस समय कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये नहीं खड़े हुये। यदि कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता तो मैं उसको अवसर देता लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैंने उनको बुलाया और उन्होंने अपना अन्तिम भाषण दिया। अब उसके ऊपर और कोई बात उस विषय में नहीं कही जा सकती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, इस किस्म का विवाद रेंट कंट्रोल पर भी हुआ था। उस समय आपने कृपापूर्वक सदन की राय ले ली थी और कहा था यदि सदन इसमें परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है। मैं उस पर जिद नहीं करूंगा। तो कृपा कर वही परम्परा यहां पर भी दोहरा दी जाय। इससे किसी को गलतफहमी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—ग़लतफ़हमी का प्रश्न यहां पर पैदा नहीं होता है। आप तो एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप विरोध कर सकते हैं। उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर कोई ग़लतफ़हमी होती तो मैं उसको दुरुस्त कर देता।

खंड १६

१६—मूल अधिनियम की धारा १३७ के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय: वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की दशाओं में सीरदार के देय धनराशि के आधे का देनदार होगा।" उस अवधि के लिये जब कि धारा २४६ या २४७ के अनुसार धारा १३७ कम की हुई धनराशि देय हो, समय-समय पर का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

१७—मूल अधिनियम की धारा १३९ में—
(१) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय, और
(२) निम्नलिखित तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :— उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३९ का संशोधन।

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा २४७ के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट दशाओं में राज्य सरकार को देय धनराशि, सभी वृद्धियां (increases) कार्यान्वित करने के पश्चात् खाते के लिये देय मालगुजारी की दसगुनी होगी और प्रमाण-पत्र (certificate) मिलने पर अथवा उसके पश्चात् देय मालगुजारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये देय मालगुजारी की आधी होगी।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन मूव करता हूं कि खंड १७ में उपखंड (१) को (२) कर दिया जाय और उपखंड (२) निकाल दिया जाय और (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (१) कर दिया जाय :—

"(क–१) शब्द तथा संख्या धारा १३१ के खंड (ख) के स्थान पर शब्द तथा संख्या धारा १३१ के खंड (ख) अथवा (ग) रख दिये जायं।"

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

यह साधारण सा संशोधन है और इसके जरिये से सीरदार होने के लिये लोगों को कुछ रियायत दी गयी है। मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ में उपखंड (१) को (२) कर दिया जाय और उपखंड (२) निकाल दिया जाय और (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) शब्द तथा संख्या 'धारा १३१ के खंड (ख)' के स्थान पर* शब्द तथा संख्या 'धारा १३१ के खंड (ख) अथवा (ग)' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदासिंह—हमारी यह दिक्कत है कि आप ने खंड १७ के दूसरे अंश को भी उसमें जोड़ दिया, कठिनाई इससे यह हुई कि हम इसका विरोध करना चाहते थे। मैं यह चाहता था कि वह हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तब आप पहले क्यों खड़े नहीं हुए?

श्री गेंदा सिंह—मेरी दिक्कत यह थी कि आप खड़े हुए थे ऐसी हालत में मैं कैसे खड़ा होता।

श्री अध्यक्ष—आप की तरफ मैंने इशारा भी किया था लेकिन आप उठे नहीं थे। उसके बाद ही मैं खड़ा हुआ था।

खण्ड १८

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १४०—क का रखा जाना।

१८—मूल अधिनियम की धारा १४० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १४०—क के रूप में रख दिया जाय :—

१४०—क—संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० की धारा ३—क की उपधारा (२) के निदेशों के अनुसार जब किसी शिकमी काश्तकार ने क्षेत्रपति द्वारा भूमि के लिये देय लगान का १५ गुना जमा कर दिया हो, और उक्त विधान (ऐक्ट) की धारा ६ के अधीन उसे प्रख्यापन (declaration) मिल चुका हो, तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जो पूर्वोक्त [उक्त] धारा ३—क की उपधारा (२) के अधीन रुपया जमा करने के प्रार्थना पत्र के दिनांक पर उसका क्षेत्रपति था, उसको उस प्रकार जमा की हुई धनराशि की एक-तिहाई धनराशि दे देगी।"

*श्री गेंदा सिंह—आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि:

"खंड १८ में प्रस्तावित धारा १४०—क की पंक्ति ५ में शब्द 'मिल चुका हो' के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को जो पूर्वोक्त धारा ३—क की उपधारा (२) के अधीन रुपया जमा करने के दिनांक पर उसका क्षेत्रपति था, उसको उस प्रकार जमा की हुई धनराशि की एक तिहाई धनराशि मनीआर्डर द्वारा भेज देगी।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष, यह कहा गया है कि–

"संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० की धारा ३–क की उपधारा (२) के (उपबन्धों) निदेशों के अनुसार जब किसी शिकमी काश्तकार ने क्षेत्रपति द्वारा भूमि के लिये देय लगान का १५ गुना जमा कर दिया हो और उक्त विधान की धारा ६ के अधीन उसे प्रख्यापन (डिक्लेरेशन) मिल चुका हो, तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर जो पूर्वोक्त (उक्त) धारा ३–क की उपधारा (२) के अधीन रुपया जमा करने के प्रार्थना-पत्र के दिनांक पर उसका क्षेत्रपति था, उसको उस प्रकार जमा की हुई धनराशि की एक-तिहाई धनराशि दे देगी ।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि उस क्षेत्रपति का इंतजार न किया जाय कि जब उसके लिये वह मांग करे तब दिया जाय । लेकिन जिस वक्त उसके नाम पर रुपया निकल जाय उसको जमा करने के बाद उसके पास मनीआर्डर कर दिया जाय। प्रतिकर के रुपये का जो बटवारा हुआ है उससे हमारा यह अनुभव होता है कि इससे लोगों को बहुत परेशानी होगी। तो उसमें लोगों को बड़ी परेशानी हुई और छोटी-छोटी रकम वालों को तो यहां तक करना पड़ा कि जो लोग तहसील तक रुपया लेने के लिये गये उनका सारा का सारा रुपया वहीं पर खर्च हो गया। अब वह इनाम वगैरह में खर्च हुआ, चाहे रेल किराया में खर्च हुआ, चाहे आने जाने के मार्ग व्यय में खर्च हुआ, लेकिन वह खर्च हो गया । तो अगर पन्द्रह गुना उसके खाते नाम जमा है और उसको एक तिहाई ही पाना है तो क्यों न उस रक़म को उसके पास मनीआर्डर द्वारा भेज दिया जाय बजाय इसके कि वह तहसील में जा कर दरख्वास्त दे कि उसको वह छोटी सी रक़म दी जाय । यह बहुत ही सीधी सी बात है और मैं समझता हूं कि इस पर काफी विचार-विनिमय भी हुआ है और माननीय राजस्व मंत्री जी ने कोई राय भी कायम नहीं की है कि इस पर हमको यह करना है । मैं समझता हूं कि और लोगों की भी ऐसी इच्छा है कि ऐसे रुपये लेने के लिये लोगों को तहसील में आना पड़े। अगर उनके घर पर ही डाकखाने के जरिये पहुंच जाय तो उससे कोई कठिनाई नहीं होगी और अगर फिर भी कोई दिक्कत लोगों को हो सकती तो वह तहसील के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी दिक्कत होगी । अगर इतनी छोटी रक़म लोगों को घर पर मिल जायगी तो उससे उनका भी भला काम हो जायगा और इसको लेने के लिये तहसील में जा कर जो उनको परेशानी उठानी पड़ती उससे भी बच जायेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चरणसिंह––श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी ने यह प्रस्ताव एक जगह पहले भी उठाया था और मैंने बहुत तफसील में उनको उत्तर देने की भी कोशिश की थी लेकिन खैर, उन्होंने फिर इस प्रश्न को उठा दिया। ऐडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से यह चीज प्रैक्टिकेबिल नहीं होगी। पहली बात तो यह कि जिस आदमी को रुपया दिया गया उसी को वह रुपया मिला या नहीं मिला इसका क्या सबूत है। डाकिया जा कर किसी आदमी की शिनाख्त करा कर किसी को रुपया दे देगा इसमें गुंजायश यह है कि ग़बन होने लगेगा। हो सकता है कि जिन लोगों को रुपया दिया जाय दरअसल उनके पल्ले वह न पड़े तो इसमें ग़बन की गुंजायश है । दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को रुपया मिला उनकी रसीद और बाकायदा कागजात हमारे यहां जमा हो जाय और फिर उसकी तसदीक होगी कि उनका रुपया इतना था या नहीं था, कौन सी होल्डिंग थी , उसका क्या नंबर था, क्या मालगुजारी थी और आखिर उसने १५ गुना जमा किया है या नहीं। तो यह सब तफसील खजाने में जहां कि अरायज नवीस और न मालूम कौन-कौन कर्मचारी हैं जिनके हाथ से वह चीज निकलेगी, वहां होनी चाहिये। क्योंकि यह पब्लिक मनी है अगर कोई दो साल के बाद फिर क्लेम करने लगे कि मुझे रुपया नहीं मिला, उसका कोई वारिस ही हो जो कहे कि हमें रुपया नहीं मिला है तो फिर उसके लिये क्या किया जा सकता है। यह ठीक है कि मुआ-

[श्री चरण सिंह]

विजे के सिलसिले में भी ऐसी बातें हुईं थीं कि जो ५० रुपये तक का मुआविजा है उसे मनीआर्डर द्वारा भेज दिया जाय। लेकिन सही आदमी तक पहुंचने का हमारे पास कुछ डाकुमेंटरी प्रूफ भी होना चाहिये और वह रुपया सही जगह पर सही आदमी के पास पहुंच गया वह हमारे यहां के रजिस्टर में दर्ज होना चाहिये। तो इस तरह से मनीआर्डर से भेजने में कठिनाई होती है मुआविजे के मुताल्लिक भी कुछ शिकायतें हुईं, जमींदारों ने शिकायतें की थीं जिससे मुझे तीन बार रूल बदलना आवश्यक हुआ। लेकिन बाद में रूल के सिलसिले में किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। तो पब्लिक फंड के लिये एहतियातन ऐसी कार्यवाही करनी पड़ती है कि इससे आगे चल कर किसी तरह की शिकायत का मौका न आवे। अभी जौनपुर जिले का ही एक मामला है कि इतना एहतियात बरतने पर भी वहां एक शख्स ने दोबारा मुआविजा ले लिया है। खैर उससे रुपया वापस लेने की कोशिश की जा रही है। मनीआर्डर से भेजने से इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। इसमें हमारी मजबूरी है, हम क्या करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने तफसील से यहां समझाने की कोशिश की मगर बात यह है कि बहुत ही सीधा सादा संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी का है कि वह बेचारे गरीब किसान जो १५ गुना जमा करेंगे उस का एक-तिहाई क्षेत्रपति को मिलेगा तो सवाल यह है कि मंत्री महोदय जी ने तो उत्तर में ऐसी व्यवस्था दे दी कि जिससे तमाम मनीआर्डर सिस्टम ही बन्द कर देना चाहिये यानी मनीआर्डर सिस्टम में शायद हमेशा गड़बड़ होती रहती है, उनकी व्यवस्था के अनुसार किसी को मनीआर्डर भेजना ही नहीं चाहिये और न किसी को यह सिस्टम अख्तियार करना चाहिये। साधारण व्यक्ति जब मनीआर्डर भेजता है तब तो वह मिल जाता है लेकिन जब सरकार का मनीआर्डर जाता है तो डाक बांटने वाला तो और भी ज्यादा अहतियात बरतेगा और इस तरह से तो मैं समझता हूं कि गलती की गुंजाइश न होगी। इसलिये मैं ज्यादा समय न लूंगा और इतना ही निवेदन करूंगा कि वह जिस तफसील के साथ माननीय गेंदा सिंह जी को समझाते हैं उस को समझते हुये वह खुद ही समझें और अहतियात बरतने में उन को क्या दिक्कत होती है। इस व्यवस्था को वह चालू कर के देखें कि कोई दिक्कत होती है या नहीं और अगर शिकायत होती है तो वह नियम को बदल भी सकते हैं और दूसरी नियमावली बना सकते हैं। वह खुद ही रूल्स बनावेंगे। उनको सोचना चाहिये कि माननीय गेंदा सिंह जी ने किस भाव से प्रभावित हो कर संशोधन रखा है, उन का ख्याल है कि रुपया लेने जाने में बहुत कठिनाई होती है और कभी-कभी तो इतनी परेशानी होती है, कचहरी के चक्कर में बहुत परेशानी होती है और उनको जो मिलना चाहिये वह भी नहीं मिलता बल्कि आने जाने का खर्चा भी उन के सिर पर लद जाता है। इन तमाम बातों का अनुभव प्राप्त कर के उन की अनुभूति प्राप्त कर के ही माननीय गेंदा सिंह जी ने संशोधन रखा था। हम सब जानते हैं कि रुपया जमा करना आसान है लेकिन जब लेने जाते हैं तो पचास तरह की दिक्कतें होती हैं और पचास तरह के चक्कर पड़ जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस को मान लेंगे तो उन को तो आसानी होगी ही साथ ही सरकारी कर्मचारियों की भी दिक्कत दूर हो जायगी और वह देख लेंगे कि किसका कितना रुपया जमा हुआ है और उस के हिसाब से मनीआर्डर करा देंगे और मनीआर्डर की रसीद मिल जायगी कि रुपया पहुंचा या नहीं। सरकार को सब बात की जानकारी भी रहेगी और अगर गड़बड़ी भी होगी तो वह भी सरकार को मालूम हो जायगा। यह एक सीधा सादा संशोधन है, मैं नहीं समझता कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ी होगी। जो गड़बड़ की आशंका मंत्री जी ने बतायी वह यह है कि रुपया पाने वालों को ठीक से नहीं मिलेगा। इस सदन में रुपया पाने वाले की गड़बड़ी को ही एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ी कहा जा रहा है तो अगर यही एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ी है तो उसी को तो दूर करने के लिये माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है और इसी तरह के संशोधन के लिये तमाम जिलों में हाहाकार है और कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे सदस्य हैं जो समझते हैं कि शायद सरकार इस को मान जाय तो अच्छा ही है। इसलिये

इन दिक्कतों को देखते हुये सरकार को यह संशोधन मान लेना चाहिये ।कहा गया कि संशोधन के लिये माननीय मंत्री जी को बड़ी परेशानी है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको मान लें ।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी की दलील पर हम कुछ ध्यान दें तो इसका अभिप्राय तो यह निकला कि पोस्टल डिपार्टमेंट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स जो हैं दोनों अब इस भारतवर्ष में नहीं होने चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट था और इस जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के पूर्व किसानों को यह अधिकार था कि वह अपने जमींदार को लगान मनीआर्डर द्वारा भेज सकें, तो क्या उस वक्त यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में यह प्राविजन रखा गया तो उस वक्त क्या नहीं सोचा जा सकता था कि उस वक्त जमींदारों को मिला या नहीं ? फिर उस वक्त भी जमीदारों की जगह पर कोई दूसरा हस्ताक्षर करके रुपया ले सकता था । श्रीमन्, इस तर्क के हिसाब से तो पोस्टल डिपार्टमेंट पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता । श्रीमन्, रसीदें तो मिलेंगी ही । इसके अतिरिक्त अंतरिम प्रतिकर का जहांतक संबंध है बहुत से भूतपूर्व जमींदारों ने तहसीलों का मुंह तक देखना पसन्द नहीं किया । मैंने माना कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार सब आपके ईमानदार है, प्रतिकर अधिकारी ईमानदार है लेकिन वह क्लर्क जो हैं जो चालान बनवाते हैं उस जमींदार से जिसको दस पांच रुपया पाना होता है उसका आधा रुपया घूसखोरी में जाता है । श्रीमन्, तहसीलों में दो दो दिन परेशान होने के उपरान्त वह घर वापस आता है । मैं चाहूंगा कि सरकार पता लगाले कि कितने लोग अंतरिम प्रतिकर लेने तहसील में गये । वास्तविकता यह है कि हर समाज में हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग हुआ करते हैं और उन जमींदारों को जो छोटे मोटे हैं जिनको तहसीलों का विशेष अनुभव नहीं है उनको नहीं बताया जाता है कि क्या तरीका है । वह दिनभर बैठे रहते हैं । अधिकारी आ कर वापस घर चला जाता है । इसके बाद कहा जाता है वह कल आयेंगे चले गये कल आकर ले जाना । वह देहात का रहने वाला आदमी जब अदालत में घुसता है तो बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर मौजूद रहता है तो कहा जाता है प्राधिकारी से कि वह हाजिर नहीं है । आज अंतरिम प्रतिकर के पाने में जो कठिनाइयां लोग उठा रहे हैं उसके लिये मंत्री महोदय को लज्जा आनी चाहिये । कहा यह जाता है कि इतने लोग अंतरिम प्रतिकर पा चुके हैं बकिया लोग नहीं आये । श्रीमन्, वास्तविकता यह नहीं है । जिस तरह से नियम है उससे १ बटा ३ भी वह लोग नहीं पायेंगे, क्योंकि जो क्लर्क, नाजिर और चपरासी वगैरह हैं उनके पास आधी रकम घूस में जायगी और बाकी आधी सरफे में चली जायगी जो तहसील में जाने में लग जायगी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन पर ज्यादा नहीं बोलना है । माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि उनकी लाख सद्भावनाओं के बावजूद हमारी तहसीलें आज लटघर बनी हुई हैं । यदि जन निर्माण विभाग के बारे में यह कहा जाय कि उसमें किसी का दस फीसदी और किसी का २० फीसदी बंधा हुआ है । ऊपर से लेकर नीचे तब ओवरसियर से इंजीनियर तक सब उसमें हिस्सा लेते हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही धांधली इस विभाग में भी हो रही है । सरकारी कर्मचारियों की वजह से जिसमें तहसीलदार से कंपंसेशन अधिकारी तक सम्मिलित हैं, मुआवजा देने की योजना विफल हो रही है । किसी एक तहसीलदार के बारे में घूसखोरी की बात नहीं कहना चाहता लेकिन मेरा तो इतना ही तजुर्बा है कि उसमें सबसे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं । और इनके शिकार १० या ५ रुपये की रकमों वाले ही नहीं ऐसे बड़े जमींदार भी हैं जिनको १०, १५ और २० हजार की रकम मिलने वाली है । मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं मेरे जिले में अयोध्या के एक बड़े महन्त हैं उन्होंने अपनी दुखभरी कहानी मुझे सुनाई । वह ६० मील दूर अपनी कार पर गये और उनको कोई न कोई बहाना बता कर रोक दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कि आपका काम आज नहीं हो सकता और वह बेकार फिर वापस चले आये। माननीय राजस्व मंत्री ने सर्कुलर भेजा कि कंपंसेशन पाने वाले अपनी रकम लगान में मुजरे कर सकते हैं लेकिन उसमें भी वहां घूसखोरी की जाती है और यह कहा जाता है कि यह नियम जो पहले पास हुआ था रद्द हो गया है या यह हमारे डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। इस तरह से लूट मची हुई है और सीरदार शिकमी जमींदार सभी तबाह होते चले जा रहे हैं। मैं राजस्व मंत्री से फिर कहूंगा कि वह इस संशोधन को मंजूर कर कंपंसेशन के बारे में ऐसी व्यवस्था जरूर करें। हमारी तरफ से यह भी कहा गया था कि जैसे तकावी बांटी जाती है तो तहसीलदार लाखों रुपयें की रकम गांव पर जा कर लोगों को बुला कर बांट देता है, उस प्रकार की व्यवस्था ही कर दी जाय कि जगह-जगह कैम्प बना दिये जायं और आस-पास के लोगों को बुला कर कंपंसेशन का रुपया बांट दिया जाय। अगर ऐसा नहीं किया जाता या संशोधन नहीं स्वीकार किया जाता है तो सरकार का सारा मंशा ही नष्ट हो जाता है और इसलिये मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री श्री गेंदा सिंह का संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि अभी जो आपने यह कहा कि माल विभाग बिल्कुल हरिश्चन्द्र है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। इसमें नीचे से ले कर ऊपर तक सब रिश्वत लेते हैं। हमारे पास के रहने वाले ठाकुर लोग अक्सर अपनी कहानी सुनाया करते हैं कि किस तरह से उनको परेशान किया जाता है। इसके बरखिलाफ आपका डाकखाने का विभाग एक बहुत ही पवित्र और ईमानदार विभाग है। जितनी सच्चाई से वहां काम होता है मैं समझता हूं कि उतनी सच्चाई से कहीं काम नहीं होता। अगर आप मनीआर्डर कर दें तो रुपया गांव में डाकिया ले जायगा और वहां सरपंच और अदालती सरपंच के सामने दस्तखत ले कर रुपया पाने वाले को देगा और उसमें कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इसमें कोई वजह नहीं मालूम पड़ती कि गलत आदमी किसी तरह पर रुपया ले सके। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी १०, ५ मील से चल कर आता है, सदर में ठहरता है और फिर लौट जाता है तो उसको अपने-खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है और इसके अलावा उसकी दैनिक मजदूरी का नुक्सान होता है। सरकार की तरफ से अगर उसकी मदद के लिये, उसको नुकसान न हो इसके लिये कोई नोटिस जाता है तो उस पर भी अमल नहीं होता है। मैं समझता हूं कि यह प्रेक्टिकेबिल बात है और इसको माना जा सकता है। मैं सरकार से बहुत ठंडे दिल से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को १०, ५ रुपया पाना है उनमें से ज्यादा का उससे ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है उस रुपये के हासिल करने में। और बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि इससे तो अच्छा था कि इस रुपये का संकल्प कर देते, गंगालाभ करते बजाय इस रुपये को पाने में खर्च करने के। मैं तो समझता हूं कि हमारी सरकार का हर काम सुन्दर होना चाहिये, उसका हर ढंग सुन्दर होना चाहिये इसके लिये यदि इस रुपये को जैसा कि राम नारायण जी ने कहा कि कैम्प बना कर रुपया देने की बात मानी जाय, अगर आश्वासन मंत्री महोदय दें, तो बहुत अच्छा होगा और उसके लिये मैं माननीय गेंदा सिंह जी से अनुरोध कर सकता हूं कि वह उस आश्वासन की बिना पर अपना यह संशोधन वापस कर लें। हां, इसके साथ यह जरूर है कि जिसको ज्यादा रुपया देना है उसको आप तहसील में बुला लें, उसको वहीं रुपया दें लेकिन जिनको थोड़ा रुपया देने की बात है उनके लिये या तो आप कैम्प बना करके रुपया बांटने की व्यवस्था करें अथवा यह मनीआर्डर से रुपया भेजने का संशोधन स्वीकार करें। इससे यह एक फायदा होगा कि वह तहसील आ कर हैरेस होने से बच जायेंगे क्योंकि यहां उनको दो दो रुपया तो सिर्फ अपनी शिनाख्त कराने के लिये वहां के मुंशियों को देना पड़ता है। मुंशी जब दस्तखत कर देते हैं तब कहीं जाकर उनको रुपया मिलता है। इन सब परेशानियों को देखते हुये, इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको मान लेंगे।

श्री अब्दुल मुईज खां---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण ने जो बातें कहीं उनको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जनता को यह तकलीफ होती है कि सरकारी खजाने में जो रुपया अदा किया जाता है उसमें जो कई स्टेजेज पड़ती हैं, जो दिक्कतें पड़ती हैं, उनको, उससे अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा रुपया अगर होता है तो जो कठिनाइयां उनको होती हैं उनकी वजह से वह लेने नहीं आते हैं या अगर लेते हैं तो वहां ठहरें उसमें काफी खर्च हो जाता है। जहां इस कठिनाई को मैं मानता हूं वहां यह भी समझना चाहिये कि सरकार के लिये यह जो सुझाव गेंदा सिंह जी ने दिया इससे बड़ी आसानी तो जरूर हो जाती है, सरकार की बहुत सी जिम्मेदारी उसके कंधे से हट जाती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि वह जरा सोचें कि सरकार के लिये एक आसानी का संशोधन उन्होंने रखा है। वह क्यों नहीं स्वीकार करेगी। उसको सोचेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो तरीका प्रचलित है उसकी कठिनाई हमारे सामने है। हम देखते हैं क्या कठिनाई होती है। लेकिन दूसरा तरीका जो उन्होंने अपने संशोधन में रखा है वह अभी प्रचलित नहीं है। इस तरह से मैं उनको याद दिलाऊंगा कि कानपुर से या बम्बई से और जगहों से जो रुपया देहातों में जाता है अगर वह पता लगायें तो मालूम होगा कि बहुत रुपया गबन होता है और यह मानता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सर्वेन्ट्स पर मुकदमा चल सकता है। लेकिन जहां तक हमारी सरकार द्वारा पेमेंट का सवाल पैदा होता है उसमें कई स्टेजेज रखी गई हैं। पहले पेमेंट के लिये बाउचर बनता है वहां पर पेमेंट लेने वाले की पहिचान होती है। उसके बाद जब एक्चुअल पेमेंट लेने जाता है तो वहां पर उसकी पहिचान होती है, दो जगह पर ऐसा प्रोटेक्शन रखा गया है कि कभी इम्पर्सनेशन नहीं हो सकता, कोई दूसरा शख्स दूसरे के नाम से पैसा नहीं ले सकता। लेकिन आप समझेंगे कि जब इस किस्म से मनीआर्डर देहात में भेजा जायगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पोस्टमैन को मिला करके रुपया ले लेंगे, दस्तखत तो बहुत कम गांवों में लोग करते हैं ज्यादातर अंगूठा लगाया जाता है और वह भी कजरौटे का या ऐसी स्याही का कि कुछ दिन बाद उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाती कि किसका अंगूठा है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मैं मानता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी इस संशोधन को वापस ले लेंगे। खासतौर से इस वजह से और कि एक उपसमिति बनाई गई थी जिसके वह सदस्य थे और यह गुजारिश की गई थी कि कोई ऐसा तरीका रखे जिससे आसानी से पेमेंट हो। लेकिन गेंदा सिंह जी ऐसा तरीका बताने में असमर्थ रहे। मैं उनको याद दिलाऊंगा कि जिस तरह से वह असमर्थ रहे उसी बात को ख्याल में रखते हुए यह नई चीज पैदा करने की कोशिश न करें। इन शब्दों के साथ मैं गेंदासिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना एक संशोधन आपके पास भेजा था।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि आपने उसे बहुत देर में भेजा है।

*श्री उम्मेदसिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन में केवल यही कहना है कि बहुत ही सीधा-सादा प्रश्न है और तमाम कठिनाइयों से किसान इस तरह से बच जाते हैं। जैसा माननीय शिवनारायण जी ने खुद तस्लीम किया। तहसील जाने-आने में खर्चा तो पड़ता ही है इसके अलावा रिश्वत देनी पड़ती है। तो इस तरीके से रकम देने का प्रबन्ध करना तो न देने के बराबर है और यह सुझाव हमारा सीधासादा है, इसे आप मान लें। जो हमारे मोईज साहब ने बतलाया वह बिल्कुल फर्जी है और मनीआर्डर की फीस तो उसके उसी रकम में से गवर्नमेंट काट ही लेगी। गवर्नमेंट के अहलकारान को भी कोई ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान जब रुपया लेने जाता है तब भी तमाम कार्यवाही वहां करनी पड़ती है। मनीआर्डर कर देंगे तो किसान घर बैठे रुपया पा जायगा। जहां तक अंगूठा लगाने की बात है कि बहुत से किसान बेपढ़े लिखे हैं तो तहसील में तो अंगूठा लगवाया जाता है तो उसी तरह का प्रबन्ध वहां भी हो सकता है। उनका ठीक अंगूठा लगवाया जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैं पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष---नहीं, वह अब उचित न होगा। आप जिक्र करिये उसका आल्टरनेटिव सजेशन के तौर पर ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, जब सरकार अपने ऊपर कठिनाइयां जो बीतती हैं, उनको देख कर उनके लिये भी कानून नहीं बना पाती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं प्रवर समिति की बात तो यहां नहीं कहना चाहता लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा जिस समय हुई थी कि मनीआर्डर द्वारा देय रकम दे दी जाय तो हम लोगों से ज्यादा प्रभावित हुए थे, राजस्व मंत्री जी और उन्होंने तो अपने जिले की अपने दोस्त के ऊपर बीती हुई कहानी सुनायी और अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनी थी तीन व्यक्तियों की। माननीय गेंदा सिंह, उप सचिव माल विभाग और निगम साहब की इसी बात पर विचार करने के लिये कि सचमुच बहुत करप्शन है और बहुत लोगों को परेशानी होती है, कोई उपाय सोचना चाहिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह कमेटी कमेटी ही रह गई और फिर वही पुरानी बात जिसके संबंध में राजस्व मंत्री जी के सलाहकारों ने कठिनाई बताई थी वही हमारे सामने फिर राजस्व मंत्री जी कहने लगे। राजस्व मंत्री जी खुद इसको महसूस करते हैं कि देय रकम के प्राप्त करने में बड़ी परेशानी होती है। तो जब परेशानी होती है, सदन सारा महसूस करता है इस बात को तो मैं नहीं समझता हूं कि कानून राजस्व मंत्री जी के पैर को खींचें, सदन को खींचे। मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से अपील करूंगा कि लाखों रुपये आज जनता को राजस्व मंत्री जी के कर्मचारी गांवों में जा-जा कर बांट रहे हैं और हमने अपनी आंखों देखा है। तीन दिन तक घूम-घूम कर देखा है कि तमाम परगना हाकिम, नायब तहसीलदार तहसीलदार, सैकड़ों रुपये एक एक आदमी को तकावी बांट रहे हैं। लेखपाल साथ में रहता है, गांव सभा का अध्यक्ष रहता है कोई भी व्यक्ति शिनाख्त कर देता है। मैं नहीं समझता हूं कि जब सरकार तकावी बटवा सकती है अपने कर्मचारियों द्वारा तो यह देय रकम क्यों नहीं बंटवा सकती ? राजस्व मंत्री जी कह सकते हैं कि इतने अफसर कहां हैं। मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि जब दस गुना की वसूली हुई थी ३३ करोड़ रुपया वसूल हुआ था तो उस समय माननीय राजस्व मंत्री जी की जो शक्ति थी वही शक्ति आज भी है। यह तरकीब अगर वह निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं और मैं आपके जरिये उनसे निवेदन करूंगा कि वह तरकीब निकालें। बिना तरकीब के वह जिनके लिये दस गुना लेना चाहते हैं, जिनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद होती नहीं। खाली हाथ वह घर से जाते हैं और खाली हाथ चले आते हैं। बहुत से भूतपूर्व जमींदारों को तो घर से पैसा देना पड़ता है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी फिर से इस पर विचार करें और उनके सलाहकार भी विचार करें। सारा रुपया ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जो इस वक्त भ्रष्टाचार और करप्शन फैलाये हुए हैं और इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक तरीका माननीय राजस्व मंत्री जी रखना चाहते हैं। अगर मनीआर्डर से भेजने में आपत्ति है, हालांकि मनीआर्डर की प्रणाली से ही लाखों रुपये गांवों में बटते हैं, मोईज साहब ने कहा कि बहुत सा रुपया दूसरे लोग ले लेते हैं, लेकिन मोईज साहब भूल जाते हैं कि इस प्रदेश में ५१, ५२ जिले हैं, हर जिले में खजाना है, अगर मनीआर्डर का रुपया गायब होने लगे तो बहुत रुपया गायब हो सकता है लेकिन मनीआर्डर से रुपया गायब नहीं होता है, वहां पर भी रुपया लेने वाले की शिनाख्त होती है, लेकिन अगर मनीआर्डर से भेजने में आपको आपत्ति है तो नायब तहसीलदार परगना हाकिम उन्हें बांट दें वह रुपया वहां जाकर। वहां पर लेखपाल वगैरह मौजूद रहें, शिनाख्त हो जायगी। इससे घूसखोरी का जो बाजार गर्म है वह भी खत्म हो जायगा और किसानों को भी सुभीता हो जायगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी सलाह-मशविरा कर रहे हैं, सलाह-मशविरा करके वह इसको मंजूर कर लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मनीआर्डर के भेजने से जो लाभ हो सकता है उस पर माननीय शिवनारायण

जी ने और कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाल दिया है। इस वक्त जो हालत है उसमें कितनी मुसीबत भूतपूर्व जमींदार लोगों को होती है और कितनी रिश्वतखोरी और करप्शन इसकी वजह से है, वह मैं समझता हूं सभी सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। मेरे अपने गांव में कई छोटे-छोटे जमींदार थे। मैंने खुद उनसे जब कहा कि आप अपना कम्पेंसेशन लेने क्यों नहीं जाते हैं तो वह कहते हैं कि आधा रुपया तो वही ले लेते हैं और अगर हम अपनी मजदूरी और दिन भर का अपना काम जोड़ें तो उससे कहीं ज्यादा पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह इतना अच्छा तरीका है कि इससे दोनों को, सरकार को भी और रुपया लेने वाले को भी फायदा हो सकता है। सरकार के कर्मचारी जो तहसीलों में रुपया बांटने में लगे रहते हैं उनको भी छुट्टी मिल जायगी और जिनको रुपया मिलता है उनको भी बिना कुछ खर्च किये हुए और घर बैठे रुपया मिल जायगा। अब रहा यह कि माननीय मंत्री जी या हमारे मोईज खां ने कहा कि मनीआर्डर से रुपया गायब हो जाता है, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने सपोर्ट (समर्थन) करने के लिये गलत बात कह दी या उनका क्या उद्देश्य था, यह मैं समझ न सका। मैं तो समझता हूं कि मनीआर्डर प्रणाली जितनी सफल प्रणाली है उसके मुकाबिले में कचहरियों में रुपया बांटा जाना कहीं लाख दर्जे असफल और खराब तरीका साबित हुआ है। इस समय उसकी वजह से जो भ्रष्टाचार और घूसखोरी बढ़ रही है उसे बतलाने की, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई पार्टी पालिटिक्स का सवाल नहीं है। इसको उस ख्याल से न सोचें और इसे मंजूर कर लें। इससे सरकार को भी लाभ होगा और जिनको रुपया मिलता है उनको रुपया आसानी से मिल सकेगा।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता था कि बहुत सोचने-विचारने के बाद राजस्व मंत्री जी इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कुछ शासकीय दिक्कतों का हवाला दिया जिसको मैं कम से कम मानने के लिये तैयार नहीं हूं। उनको कोई शासकीय दिक्कत नहीं है। वह कहते हैं कि गबन हो जाने का डर है। मैं माफी चाहूंगा यह कहने के लिये कि जमींदारी उन्मूलन कोष में कोई जिला ठीक तरह से देखा जाय और जिसने लाख दो लाख रुपया जमा किया हो तो हर जिले में कुछ न कुछ गबन जरूर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह की मैं याद दिलाता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने जमींदारी कोष के बारे में दो हिसाब दिये अगर उनको देखा जाय तो एक दूसरे के विरुद्ध जाता है। यहां पर मैं देखता हूं कि जब ऐसा मामला है तो तहसील की क्या हालत होगी। कुछ कहने की बात नहीं है जहां ३४ करोड़ रुपये में इस तरह की गड़बड़ी हो। इसको तो आप पवित्र मानते हैं लेकिन डाकखाना जो रुपये पैसे के मामले में सबसे अधिक पवित्र है उसमें कहीं गड़बड़ी पैदा हो जायगी, इसमें शासकीय कठिनाई पड़ेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि पुराने जमींदारों को जो मुआवजा की रकम दी जाने वाली है वह भी मनीआर्डर से भेजी जाय। कम से कम इस छोटी सी रकम को भेजकर अनुभव प्राप्त करें और यदि काम ठीक से निकले तो यह रकम भी इसी के मातहत भेजी जाय ताकि सरकार की बदनामी न हो। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो हमारे लिये बड़े शर्म की चीज है कोई भी व्यक्ति जो जाकर मुआवजे की रकम हासिल कर रहा है वह समझता होगा कि कितनी कठिनाई पड़ती है और कितनी रकम प्राप्त होती है मेरी तो कोई बात नहीं है लेकिन हर आदमी जो जमींदार है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

उन सबके सिर पर से यह चीज गुजरती है। मैं राजस्व मंत्री जी के लिये क्या कहूं, उनके दिमाग में जो नक्शा बन गया है उसके अलावा वह दूसरा मानने के लिये तैयार नहीं हैं चाहे हजार अच्छी बात हो, मैं बार-बार कहा करता हूं कि हम लोग जो इधर बैठते हैं तो वह ऐसा करते हैं कि हम सोचने लगे हैं कि जब से हम यहाँ आये हैं अगर १०० बात कहें और सब गलत कहें तो हम पागल माने जायेंगे। हम मानने के लिये तैयार हैं अगर हम सारी की सारी बात गलत कहते हैं तो हम पागल हैं। अगर हम एक बात भी सच कहते हैं और वह नहीं मानते हैं तो अध्यक्ष महोदय आप ही बतलायें कि सरकार की बुद्धि को क्या कहूं। मुझको बड़ा दुख होता है इस बात को सुनकर और जानकर कि अगर हम एक बात भी सच कहते हैं तो उसको भी वह नहीं मानते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। लेकिन राजस्व मंत्री जी डैमोक्रेसी के सिद्धांत को मानते हैं, शिव नारायण जी का प्रत्यक्ष अनुभव है, उससे वह लाभ उठायें। अगर नहीं उठाना चाहते हैं तो मैं क्या कहूं। बहुत छोटी सी बात है लेकिन यह खास चीज है। इसमें कितनी मर्यादा और इज्जत है। अगर वह नहीं करना चाहता हैं तो न करें। मैं उनकी मनोवृत्ति की बात को क्या कहूं, लेकिन हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वह अपने मुखालिफ को चाहते हैं कि उसको बराबर करें उसको जिन्दा रहने नहीं देना चाहते हैं। यहां उनकी मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। जो मामूली सी चीज हम समझते हैं कि यदि किसी से पूछा जाय तो हर आदमी उसको पसन्द करेगा। वह अगर नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी है। चाहे वह मंजूर करें या न करें उनकी मरजी है। बाद को वह समझेंगे कि मैं गलत कहता हूं या सही कहता हूं।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लफ्ज पढ़ा था पहले इंज्योर्ड इन्नोसेंस। माननीय गेंदा सिंह जी ने इंज्योर्ड इन्नोसेंस का बड़ा भारी सबूत दिया है मतलब यह है कि मासूमियत इंनोसेंन्स को कहते हैं और इंज्योर्ड जो मासूम आदमी को धोखा हो गया है या उसको चोट पहुंचाई गई है। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह ने जिस तरह से बाद में जवाबी तकरीर की है वह तो ऐसी हुई जैसे किसी को डंक लग जाय और वह दूसरे को डंक मारे। ऐसा कोई मौका था नहीं कि इतना एंथ्यूजियाज्म व्हिप-अप करें। पहले तो मैंने यह कहा कि इम्परसोनेशन होने का अंदेशा है। हम जिसको रुपया भेजें उसको न मिल कर दूसरे को मिल जाय इसकी आशंका है। उसमें केवल जो डाकिया लेकर जाता है जितनी उसकी अक्ल है, खुद अपना अंगूठा वह मुश्किल से कर सकता है, उतना ही एतबार हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिये कि जिस आदमी का रुपया बाकी था वह मर गया और चार उसके लड़के हैं। अब उन लड़कों के नाम तो दर्ज है नहीं। ऐसी हालत में कौन रुपया ले? अब माननीय जोरावर जी जो कहने जा रहे थे वह यह शायद कि पेंशन कैसे मिल जाती है। तो एक तो पेंशन वालों की तादाद कम है। लेकिन इसको भी छोड़िये। सब से बड़ी बात यह है कि पेंशन पाने वाले जो हैं उनके सर्टिफाइड दस्तखत और अंगूठा जो अंगूठा लगाते हैं, खजाने में मौजूद होते हैं। फिर इस बात की तसदीक की जाती है कि वाकई उसके दस्तखत और अंगूठा है या नहीं। इसके अलावा हिदायत यह बर्ती जाती है कि हर छठे महीने एक लाइफ का सर्टिफिकेट जाता है। वह शायद पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये तसदीक हो कर जाता है। तो पेंशन से इस चीज का मुकाबिला नहीं किया जा सकता है। फिर मुश्किल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है वह यह कि पहले हम मनीआर्डर करें, उसकी रसीद हमारे रजिस्टर में कहां चिपकाई जाय और जो रसीद उसके पाने वालों की है वह आये और उसको उस जगह हम चिपकायें। अब जैसा लोगों को संदेह है और मुझे भी संदेह है, मैं नहीं कहता कि वहां शतप्रतिशत ठीक काम हो रहा है, तो अगर वे रसीदें निकाल ली जायं तो उसमें तो बाकायदा एक रजिस्टर रहता है अन्डर लाक ऐंड की और जो आदमी रुपया पाता है उसके और शिनाख्त करने वाले के अंगूठे रहते हैं। तो दो-चार रसीदें गायब हो सकती हैं, दस-बीस की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा यह रकम बहुत थोड़ी है। टेनेंट्स एक्वीजीशन

ऐंड प्रिविलेजेज ऐक्ट के मातहत जब दसगुना रुपया जमा करने का हक मिल गया था तो कुछ शिकमी भी जिनके क्षेत्रपति राजी हैं वे १५ गुना दाखिल करके भूमिधर बन सकते हैं। उनको वापस करने का कोई प्राविजन नहीं था। अब हम प्राविजन कर रहे हैं। फिर हमारी तरफ से यह भी हुक्म है कि इस तरह की जितनी रकमें हैं वे मालगुजारी में मुजरे दे दी जायं। मैं समझता हूं कि यह प्रोसीजर है लेकिन मैं इसकी तसदीक करने वाला हूं। अगर वह अमीन या नायब तहसीलदार को लिख कर दे देता है कि हमारा मुआविजा मालगुजारी में ऐडजस्ट हो जाय तो बुक ट्रांसफर हो जायगा, उसे तहसील जाने की जरूरत ही नहीं। माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि हर जिले में गबन हुआ है जैफ के सिलसिले में। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिवाय एक जिले के और किसी जिले में गबन नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आपकी नोटिस में न आया हो, गबन हुआ है।

श्री चरण सिंह—गबन ऐसी चीज है जो बिना गवर्नमेंट की नोटिस में आये हुए रह ही नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की सनदें हैं।

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपा करके बैठ जायं, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चरण सिंह—जी, अच्छा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा १४०-क की पंक्ति ५ में शब्द "मिल चुका हो" के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को जो पूर्वोक्त धारा ३-क की उपधारा (२) के अधीन रुपया जमा करने के दिनांक पर उसका क्षेत्रपति था, उसको उस प्रकार जमा की हुई धनराशि की एक तिहाई धनराशि मनीआर्डर द्वारा भेज देगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२३

विपक्ष में—९२।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

१९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १५३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ की धारा १५३ का रक्खा जाना।

"१५३—(१) जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो सीरदार और असामी के स्वत्व का न संक्रमण न हो सकेगा।

सीरदार अथवा असामी के स्वत्व का संक्रमण न हो सकेगा।

(२) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था को, सीरदार दान द्वारा अपनी भूमि का संक्रमण कर सकता है।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—खंड १९ में प्रस्तावित धारा १५३ की उपधारा (१) की तीसरी पंक्ति में पहला 'न' निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, १५३ धारा की उपधारा (१) की तीसरी में दो "न" छप गये हैं तो उनमें से पहला "न" निकाल दिया जाय। यह छपने से गलती रह गयी है।

(इस समय ८ बजकर ४७ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान जो अंग्रेजी में इस प्रकार से छपा हुआ है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार से है कि—

153. (1) Except as expressly permitted by this Act, the interest of a SIRDAR (or) and Asami shall not be transferable.

श्रीमन्, इसी को अगर आप हिन्दी में देखें तो यह लिखा हुआ है कि जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो सीरदार (अथवा) और असामी के स्वत्व का संक्रमण नहीं हो सकेगा। माननीय मौर्य जी 'न' हटा रहे हैं। तो जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो सीरदार अथवा (और) असामी के स्वत्व का संक्रमण नहीं हो सकेगा तो यहां पर अंग्रेजी का मतलब दूसरा है और हिन्दी का मतलब दूसरा है। श्रीमन्, अगर यहां पर अंग्रेजी की शब्दावली मानी जाय तो उससे मतलब यह नहीं निकलता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यह हिन्दी का सही है या अंग्रेजी का सही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री राजनारायण—श्रीमान्, मैं श्री द्वारका प्रसाद जी के संशोधन पर.....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपने श्री द्वारका प्रसाद मौर्य का नाम पुकारा है और वह खड़े हो गये हैं तो फिर क्या दूसरा माननीय सदस्य भी बीच में बोलने के लिये खड़ा हो सकता है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, बात यह हुई कि श्री नारायण दत्त तिवारी का उत्तर देने के लिये आपने श्री मौर्य जी को बुलाया था मगर फिर आपने इसकी आवश्यकता नहीं समझी तो श्री राजनारायण जी को बुलाया। तो अब वह अपना संशोधन मूव कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री राजनारायण अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री राज नारायण—श्रीमन्, १५३–ए में संशोधन करके जो एक 'न' निकाला जा रहा है। मैं उसे मौर्य जी के संशोधन में "सीरदार और" शब्द निकाल देना चाहता हूं जो कि दूसरी पंक्ति में है। तो अब यह इस तरह से हो जायगा कि "जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो असामी के स्वत्व का संक्रमण नहीं हो सकेगा"...

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर, यह मेरे संशोधन का संशोधन नहीं है।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मौर्य जी के संशोधन पेश करने का मतलब यह है कि तीसरी लाइन में जो दो 'न' आये हैं उनमें से पहला 'न' निकाल दिया जाय। यह

बिलकुल प्रिन्टिग की गलती है। इसमें दो 'न' छप गये हैं तो उसमें पहला 'न' निकालने की बात कही गयी है। उससे इसका मतलब साफ हो जायगा। मौर्य जी का जो संशोधन है वह केवल प्रिन्टिग एरर है। श्री राजनारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है उसमें असामी सीरदार का जिकर आया है तो उससे यह धारा ही बिल्कुल बदल जाती है और इसके मूल अर्थ के ही विपरीत यह हो जाता है। इस वजह से उनके संशोधन पर यह आपका संशोधन नहीं हो सकता। इसलिये वह पेश नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस संशोधन पर यह संशोधन नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, यह संसदीय तरीका है कि जो वह कहना चाहते थे, उसको तो सुन लेते।

श्री उपाध्यक्ष—श्री राजनारायण जी का संशोधन मेरे सामने है। मैं उसके विषय में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं उस धारा का विरोध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—जब समय आयेगा तब उसका विरोध कीजियेगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा १५३ की उपधारा (१) की तीसरी पंक्ति में पहला 'न' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह संशोधन रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन में आपकी इजाजत से मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देना चाहता हूं वह इस प्रकार है—

"खंड १९ में प्रस्तुत धारा १५३ (१) निकाल दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो रूप है वह इस प्रकार से है—

"१५३ (१) जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो सीरदार और असामी के स्वत्व का संक्रमण न हो सकेगा।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्वाइंट आफ आर्डर सर, माननीय गेंदासिंह जी का जो संशोधन है वह यह है कि खंड १९ में प्रस्तुत धारा १५३ (१) निकाल दी जाय। इस प्रकार वे धारा १५३ की उपधारा (१) का विरोध कर रहे हैं लेकिन यह कोई संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य सारी धारा को नहीं निकाल रहे हैं बल्कि उसके एक अंग को निकाल रहे हैं इसलिये यह पूरी धारा का विरोध नहीं माना जायगा।

श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस धारा के उपखंड (१) का विरोध इसलिये कर रहा हूं, कहा यह जा रहा है कि उनको संक्रमण का हक नहीं होगा उसको हम नहीं चाहते हैं। विरोध इसीलिये किया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि सीरदार को भी संक्रमण करने का अधिकार हो। हम यह चाहते हैं कि देश के भूमिधरों और सीरदारों में ऐसा परिवर्तन आ जाय कि यहां पर अधिक किस्म के किसान न रहें और किसानों में आपस में कई प्रकार के वर्ग न बनें। मैं चाहता हूं कि किसानों का एक वर्ग हो, एक जोतने वाला हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जब तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

दूसरी व्यवस्था हो उस वक्त तक संक्रमण का हक मिले या न मिले तो उसके लिये हमारा विचार यह है कि उस समय तक संक्रमण का हक सीरदार को मिलना चाहिये। अगर उसको हक नहीं मिलता है तो काम बिगड़ जायगा। हमारा दृष्टिकोण यह है कि अगर आज सीरदार की हालत अच्छी होती है तो सारे देश की हालत अच्छी होती है, क्योंकि आज देश भर में सीरदारों की संख्या अधिक है। हजारों उपाय करने के बाद भी हमारे प्रदेश में भूमिधर थोड़े ही लोग बन पाये हैं और सीरदार समूचे प्रान्त में १ करोड़ २२ लाख हैं उनका कुछ ही हिस्सा भूमिधर बन पाया है और बहुत बड़ा अंश सीरदार बना हुआ है। तो अगर ऐसे सीरदारों की माली हालत दुरुस्त होती है तो हमारे देश की भी माली हालत दुरुस्त होती है। इस प्रकार से हम उस सीरदार की हैसियत को बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते सीरदार को मजबूर होकर १० गुना देना पड़े। लेकिन सरकार इस बात को नहीं चाहती। वह किसी प्रकार उसे मजबूर करके १० गुना वसूल करना चाहती है। सरकार की जो १ अरब ५७ करोड़ रुपया वसूल करने की योजना थी उसमें से केवल ३४ करोड़ रुपया ही मुश्किल से वसूल हो पाया है लेकिन सरकार की मंशा है कि बाकी १ अरब २३ करोड़ रुपया भी वसूल किया जाय। अगर वह वसूल हुआ तो प्रदेश के विकास का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि सीरदार इतने रुपये के देने से दरिद्र हो जायगा, उसकी मालीहालत पर बहुत असर पड़ेगा। हमारे इस संशोधन के रखने का यही माली कारण है। इसलिये हम चाहते हैं कि और सीरदार तथा प्रदेश के हित में भी यही है कि सीरदार को मजबूर होकर १ अरब २३ करोड़ रुपया सरकारी खजाने में न जमा करना पड़े। अगर नेशनल प्लानिंग लोन के तरीके से किसी खजाने में जमा करता है तो उसे अगर हम भला नहीं कहेंगे तो बुरा भी नहीं कहेंगे। वह देश की भलाई के लिये नेशनल प्लानिंग लोन में अथवा छोटे-छोटे सेविंग्स में जमा करता है तो उसे हम पसन्द भी कर सकते हैं लेकिन सरकार के खजाने में इस योजना के अन्तर्गत रुपया जमा करना हम अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है उसमें यही है कि सीरदार को हक मिलना चाहिये। यद्यपि वह अप्रत्यक्ष रूप से है कि वह भी अपनी जमीन का संक्रमण कर सके। अभी राजस्व मंत्री जी की ओर से यह कहा जायगा कि छोटे-छोटे सीरदारों की जमीन महाजनों को चली जायगी लेकिन इसी प्रकार से छोटे-छोटे भूमिधरों की जमीन भी तो जायगी,। सरकार ने उसका क्या बन्दोबस्त किया है? इसलिये मैं समझता हूं कि सीरदार को भी यह हक मिलना चाहिये कि वह अपनी जमीन को बेच सके ताकि उसकी माली हालत अच्छी हो और इससे देश की हालत भी सुधरे। माननीय सदस्य इस पर गौर करें, क्योंकि मैं जानता हूं माननीय मंत्री जी तो इसे मानने वाले नहीं हैं क्योंकि इसमें जो नीति का सवाल आ जाता है कि यह संशोधन हम इसलिये रख रहे हैं कि सीरदारों की परचेजिंग कैपेसिटी न गिरने पाये। अगर उनकी परचेजिंग कैपेसिटी गिरती है और अगर वे बाजार में सौदा नहीं खरीद सकते तो हमारे प्रदेश की माली हालत भी खराब हो जायगी यही कारण है कि हम उसको १ अरब २३ करोड़ रुपया खराब काम में खर्च करने की सलाह नहीं दे सकते।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने अपना पुराना मजमून इस संशोधन के जरिये उठाया है। उन्हें बहुत शौक है इस बात को कहने का कि गवर्नमेंट बड़ी ज्यादती कर रही है इस सिलसिले में वह अपने खजाने में एक अरब ५७ करोड़ रुपया जमा कराना चाहती है। मान लो कि गवर्नमेंट के खजाने में वे दे रहे हैं तो गवर्नमेंट का खजाना कोई डाकुओं का खजाना तो है नहीं। फिर बराबर इस बात पर जोर देना कि गवर्नमेंट जबरदस्ती एक अरब ५७ करोड़ रुपया जमा करा रही है, यह उचित नहीं है। फिर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी

रुपया गवर्नमेंट के खजाने में जाता है चाहे वह किसी रूप में भी जाता हो लेकिन वह रुपया जनता के ही काम में आता है लिहाजा बराबर इस बात को साफ करने की कोशिश करना कि यह गवर्नमेंट जनता से अलग है। अगर कोई भी गवर्नमेंट इस डेमोक्रेसी के जमाने में आयेगी तो वह जनता की ही होगी और उसका भी विरोध होगा। इस तरीके से यह पुरानी मनोवृत्ति है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही हम विदेशी गवर्नमेंट समझते थे लेकिन अब बराबर अपने दिमाग में इस बात को लाना कि गवर्नमेंट का खजाना मानों गैरों का खजाना है, यह गवर्नमेंट जनता की गवर्नमेंट ही नहीं है, मुनासिब नहीं है। तीन साल के बाद फिर मौका मिलेगा, ढाई साल पहले एक बार मौका मिला था और ढाई साल बाद फिर मौका मिलेगा। उस वक्त आप आ जायेंगे, अगर यह निकम्मी गवर्नमेंट है तो आप खुद इसकी जगह पर आ जायेंगे। उस वक्त आप भी जनता के नुमायन्दे होकर आयेंगे और जनता के हित का ही काम करेंगे। लिहाजा उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जोरदार प्रोटेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरह से लोगों को बतलाने की कोशिश की जाय कि मानो वह गवर्नमेंट का खजाना किसी गैर का खजाना है। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बात ऐसी नहीं है कि कोई जबरदस्ती किसी से रुपया जमा कराया जाता हो बल्कि हमने लोगों को समझाया और हर तरह से समझाने की कोशिश की कि अगर किसी को भूमिधर बनना है तो उसमें उसी का लाभ है। अब लोग जमा करें या न करें उनकी मर्जी के ऊपर है। सारे सूबे में केवल ९ महीने तक तहरीक रही। दूसरी अक्तूबर सन् ४९ से ३० जून सन् ५० के बाद पूर्वी जिलों में चूंकि वहां वर्षा नहीं हुई सन् ५० में लिहाजा, वहां वालंटरी आन्दोलन चलाने की भी कोशिश नहीं की गयी। दूसरी छःमाही में कुछ और जिले छोड़ दिये गये तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई यह कहे कि लोगों के साथ जबरदस्ती की गयी, कई लोगों को धमकाया गया या कोई लोगों को धोका दिया गया, हरगिज ऐसी कोई बात नहीं की गयी। वह बिल्कुल वालंटिरी स्कीम थी।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने रुपया नहीं दिया है क्या उन लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गयी है बमुकाबले उन लोगों के जिनने कि रुपये दिये हैं? अगर उन्होंने रुपया दिया तो क्या उनको कोई कारेस्पांडिंग ऐडवांटेज नहीं मिला? जिन लोगों की ५ रु० मालगुजारी थी अगर उन लोगों ने ५० रुपया जमा कर दिया तो उनकी मालगुजारी तुरन्त ढाई रुपया हो गयी। यह कहना कि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हुई है, गलत है। कौन सा ऐसा जिला है जहां कि दसगुना कम जमा हुआ है वह ज्यादा मालदार है बमुकाबले उन जिलों के, जहां कि दस गुना ज्यादा जमा हुआ है। कौन सा ऐसा किसान है जिसको भूमिधर बन जाने के बाद पछतावा हुआ हो कि हम क्यों भूमिधर हो गये? श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी किसान से पूछ लें वह यही कहेगा कि अच्छा हुआ कि हम भूमिधर बन गये। उस वक्त मौका अच्छा था, हमारे पास रुपया भी मौजूद था। सब से बड़ा ऐडवांटेज तो यह हुआ कि उनकी मालगुजारी आधी हो गयी। असल में उपाध्यक्ष महोदय, तय करना यह था कि जमींदारों को मुआविजा देना था या नहीं देना था। अगर देना था तो किसानों से ही रुपया आना था। हमने कहा कि या तो बराबर पूरी लगान देते रहे या जमींदार की मालगुजारी काटकर जो मुनाफा वह अपनी जेब में रखता था वह मुनाफा अब गवर्नमेंट के खजाने में देकर जमींदारों का मुआविजा निपटा दो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि कोई कितनी ही चाहे, कितना ही लफ्फाजी करे लेकिन अगर मुआविजा देना है तो वह जनता से ही आना है और जनता किसानों की है और उन्हीं के ऊपर कर का बोझ पड़ेगा। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे सीरदार को बिना दस गुना जमा किये हुए ट्रांसफर का राइट दे दिया जाय। अगर दस गुना रुपया जमा कर दें तो मालगुजारी आधी हो जायगी और भूमिधर भी हो जायंगे और वे अपनी मर्जी के मालिक होंगे। अब वे इस चीज को करें या न करें उनके ऊपर है लेकिन

[श्री चरणसिंह]

इसको एक दूसरा ही रंग देना कि साहब गवर्नमेंट एक अरब ५७ करोड़ रुपया किसानों की जेब में लेकर अपने खजाने में भरना चाहती है मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी और उनके दोस्त इस तरह की गलतफहमी फैलाने की कोशिश न करें।

श्री कालीचरण टंडन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने बड़ी जोरदार तकरीर की। माननीय राजस्व मंत्री जी की तकरीर सुनते समय मुझे यह ख्याल आया कि जैसे एक घायल सांप हो जिसको किसी ने चोट पहुंचा दी हो और फिर एक मर्तबा वह बहुत जोरदार आक्रमण करना चाहता हो, उसी तरह से चोटइल सांप की तरह उठ कर वे खड़े हो गये और तकरीर शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमिधरी राइट को दिलाने की बात है यह दसगुना लगान की मनोवृत्ति जो है वह वही मनोवृत्ति है जिससे सारे प्रान्त में कोलाहल मच गया। क्या इसे जनहित का काम माना जाय, क्या इसे जनकल्याणकारी कार्य माना जाय ? खड़े होकर बड़ी लम्बी-चौड़ी तकरीर कर देना ही जनहित नहीं है। दूसरी बात यह है कि जनता जिसको एक्सेप्ट करे, जनता जिसको कबूल करे, जनता जिसको समझे कि जनहित का काम है, वही जनहित है। श्री राजस्व मंत्री जी के कहने से जनहित का काम नहीं हो सकता। अगर बस्ती को देखा जाय, गोरखपुर को देखा जाय, देवरिया को देखा जाय तो वहां दस गुना रुपया ज्यादा वसूल हुआ है। मगर क्या देवरिया की हालत, बस्ती की हालत, गोरखपुर की हालत अच्छी है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि दस गुना रुपया जहां से आया है वह रुपया वहीं खर्च होगा। यह एक ऐसी बात है .....

श्री चरणसिंह---मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, इनकी यही आदत है कि जब कोई बात ऐसी कह देते हैं तो खड़े होकर अपनी गलती मान लेते हैं। तो श्रीमन् मुख्य प्रश्न यह है कि सीरदार क्यों अपना राइट ट्रांसफर करे। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीरदार और भूमिधर में कोई फर्क नहीं है। केवल फर्क यही है जो भूमिधर होगा वह अपने लगान का दस गुना दे देगा। तो क्या दस गुना दे देने से ही उसका स्वत्व बढ़ गया ? यह रुपये की बात नहीं है तो क्या है ? माननीय गेंदासिंह जी ने सफाई के साथ बातें कह दी हैं लेकिन राजस्व मंत्री जी येन केन प्रकारेण दस गुना लगान की बात इस तरह से घुमा फिरा कर कर रहे हैं। श्रीमन्, आज सबेरे ही एक सवाल के जवाब में माननीय गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह यह कि सरकार भूमिधरों को भी लाइसेंस देने की बात सोच रही है। अब तक तो जानमाल की हिफाजत के लिये ही लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। तो क्या भूमिधर की कोई जिन्दगी है और क्या सारे सूबे की जिन्दगी से उसी की जिन्दगी ज्यादा कीमती है ? माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट का खजाना कोई डाकुओं का खजाना नहीं है। हम कब कहते हैं कि डाकुओं का खजाना है ? लेकिन आज मानसिंह को वहां की जनता क्यों त्राण दे रही है ? इस तरह की बात होम मिनिस्टर साहब कहते तो कहते लेकिन जब माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि गवर्नमेंट का खजाना कोई डाकू का खजाना है ? कौन कहता है कि गवर्नमेंट का खजाना डाकू का खजाना है वह खुद जो चाहे कहें। अगर जनता के हित में खजाने का इस्तेमाल होता है तो वह मान्य है लेकिन यहां आपके यहां उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है तो ठीक होने का सबूत तो यह है कि अभी पिछले साल के बजट को मैं देख रहा था उसमें कमेटी ने लिखा है कि राजस्व मंत्री सरकार के खर्च में

१९६४३ आबजेक्शन्स हैं तो जब इतने एतराज हों तो समझा जा सकता है कि उसका कहां तक जनहित में इस्तेमाल होता है। हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी जगह बे जगह मौके बे मौके हर अवसर पर कह देते हैं कि माननीय गेंदासिंह जी तो वही पुराने जजबात उभारते हैं और उन्हीं का इजहार किया करते हैं। वह अपने को देखें कि वह क्या कर रहे हैं, राजस्व मंत्री जी क्या कर रहे हैं वह खुद अपनी वही पुरानी दकियानूसी नीति को अपनाये हुये हैं जिसमें वह फेल हो चुके। हैं वह अब भी १ अरब ८० करोड़ रुपया जमा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। किसान उनकी स्कीम को बेकार कर चुका है। यह इसी से साबित है कि तमाम सरकारी, गैर सरकारी और अर्द्ध सरकारी साधनों को जुटा कर भी वह ३४, ३५ करोड़ रुपए से अधिक जमा नहीं कर पाये हैं और इससे क्या वह अब भी यह समझते हैं कि उनकी यह योजना जनप्रिय थी? माननीय गेंदासिंह जी ने कह दिया था कि विकास काम के लिये जनता से कर्ज लिया जा रहा है वह ठीक है जनता स्वयं उचित समझेगी तो देगी और प्रसन्नता से देगी लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी जो हर वक्त दबाव डाल कर वसूल करने की तरकीब निकाला करते हैं.....

श्री चरणसिंह---तो फिर मुआवजा देने के लिये आयेगा कहां से रुपया?

श्री राजनारायण---मुआवजा आयेगा, यह बड़े-बड़े जो सम्पत्ति को इकट्ठा किये हैं, जो बड़े-बड़े फार्म खोले बैठे हैं और जो कांग्रेसी कहाने वाले लोग हैं इन सब का लिंक है। जब यह तीनों चीजें खत्म होंगी तो मुआविजा मिलेगा। आपका जो ढांचा है वह बदलेगा। धन और कहीं से आने वाला नहीं है किसान के घर में जब है ही नहीं तो वह आयेगा कहां से? इस तरह से मुआवजा और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देने को कहां से आये?

श्री कालीचरण टंडन---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(श्री अवधेश प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य का संशोधन नहीं है। वह बाद में बोल सकते हैं। यह संशोधन हो जाय उसके बाद माननीय सदस्य विरोध कर सकते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---वह तो श्रीमन्, एक साथ ही है, एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को बाद में बोलना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, क्लोजर मूव हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---८६

विपक्ष में---२०।)

*श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी का भाषण जो बड़े जजबात के साथ हुआ वह सुनकर मैं तो दंग रह गया। उन्होंने कहा कि गेंदासिंह समझते हैं कि गवर्नमेंट का खजाना डाकू का खजाना है। डाकुओं के पास खजाना होता ही कहां है? वह तो जो कुछ होता है पीठ पर लादे फिरते हैं, पुलिस पीछा करती है तो वह भी छोड़ कर भाग जाते हैं। राजस्व मंत्री जी को कभी ऐसी गलतफहमी न होना चाहिये कि वह डाकू हैं, वह पवित्र हैं, डाकू नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खजाना जो है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

वह तो ठीक है और वह ऐसा है कि जिसमें हम भी पैसा रख आते हैं, नेशनल फंड में जो कुछ देते हैं वह भी जमा होता है उनको भी मैं मना नहीं करता। जो कोई जमा करते हैं तो हम भी उनकी सहायता कर सकते हैं हम भी लोगों से कहते हैं कि जमा कर दो तुम्हारे काम आयेगा। हम कभी किसी से सरकारी खजाने में जमा करने को मना नहीं करते और कभी अड़चन नहीं डालते। लेकिन अगर माननीय राजस्व मंत्री जी समझें कि वह खजाना किसान के पास है और कहीं १ अरब ८० करोड़ जमा है तो वह समझा करें। मैं कहता हूं कि किसान बेचारे को क्या फायदा हुआ भूमिधर बनने से वह तो लुट गया। उससे कहा गया था कि तुम्हारा लगान आधा होगा तुम्हारे खेत की पैदावार बढ़ जायगी लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पैदावार में कोई फर्क नहीं हुआ, उसकी खेती सूखती है, खेतों में पानी भरता है लेकिन कोई इन्तजाम नहीं हुआ है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने बयान उस वक्त दिया था कि सारे देश भर में इतने अरब रुपया सरकुलेट हो रहा है और इतना फिगर हो रहा है और किसान के भी घर में इतना मनी चला गया है। वह सारी थ्योरी उनकी ग़लत साबित हुई लेकिन उस थ्योरी को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मैं कहता हूं आप सीरदार को पंगु कर रहे हैं और उसको मजबूर करते हैं कि वह भूमिधर बने। मुआविजा देने की बात हो, तकावी देने की बात हो, कर्ज देने की बात हो, बन्दूक का लाइसेंस देने की बात हो तो जो कुछ भी कर सकते हैं हर जगह इस बात की कोशिश करते हैं कि सीरदार जो सारे समाज की रीढ़ है उसकी हैसियत कम हो। माननीय राजस्व मंत्री जी के मन में क्या है, कौन जानता है? लेकिन जो कुछ वह करते हैं उससे जो असर पड़ता है उससे हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। माननीय राजस्व मंत्री जी हर वक्त सोचते हैं कि हर आदमी की हालत दुरुस्त हो जाय, लेकिन कहीं हर आदमी की हालत सोचने से दुरुस्त हुआ करती है, कुछ करने से दुरुस्त हुआ करती है। १ अरब ८० करोड़ रुपये की ममता को अब छोड़िये और सीरदार की हैसियत को बढ़ाइये। जिस वक्त यह शिकायत दूर हो जायेगी उस वक्त लोग अपने बच्चों की तालीम को बढ़ायेंगे, उनको तालीम दिला पायेंगे और वह अपनी पोथियों को पढ़ पायेंगे। और तभी उनकी मुसीबत दूर हो सकती है। लेकिन आपको क्या? हम तो समझते हैं कि करते जाओ जुल्म। ईमानदारी की बात यह है कि मत करिये जुल्म किसानों के ऊपर, किसानों के दुख दर्द और तकलीफ को समझिये। एक ईमानदार की तरह जो सोचता हूं, कह देता हूं, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी उसे स्वीकार करें या न करें। उसका फल वह पायेंगे और हम भी भोगेंगे। हम क्या करेंगे, आखिर करेंगे। इस सारे कुकर्म से अपने को जहां तक समझेंगे आपको समझायेंगे कि सीरदार और भूमिधर की हैसियत में फर्क मत करिये। जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा किसानों को एक साथ लाने की कोशिश करें जिससे किसान अपनी उन्नति करे।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, जिस तरह से पहले से बहस चल रही थी ठंडी ठंडी तकरीरें हो रही थीं, लेकिन मैंने देखा कि न मालूम बीच में क्या बात हुई कि माननीय गेंदा सिंह लाबी में जाकर क्या पी आये जिससे बड़ी जोश की तकरीर हुई बाद में जो जोश का मजा-हरा था वह न रुका इसलिये जरा बुलन्द आवाज में मुझे भी जवाब देना पड़ गया। मैं इस वक्त केवल तीन बात कह दूं क्योंकि मैं तो पहले ही बुलन्द आवाज में जवाब दे चुका और माननीय गेंदा सिंह ने चूंकि पंचम स्वर छोड़ कर चतुर्थ स्वर में भाषण किया इसलिये मुझे भी पंचम स्वर में बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि राजस्व मंत्री यह कहते हैं कि जो लोग भूमिधर बन गये उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने तो यह कहा था कि जो लोग भूमिधर बन गये उनकी हालत खराब नहीं हुई जैसा माननीय गेंदा सिंह जी कह रहे हैं। इसके बाद माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि हमारे भूमिधर बन जाने से हमारे खेत में

तो ज्यादा नहीं पैदा हुआ। भूमिधर बनने से ज्यादा खेत में नहीं पैदा होगा, ज्यादा पैदा होगा ज्यादा मेहनत करने से, वह चाहे असामी का खेत हो, चाहे भूमिधर का खेत हो और चाहे सीरदार का हो। तो मैं कहता हूं कि बातें गलत क्यों कही जायं। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ यह कहा गया कि आदमी भूमिधर बनेगा उसकी मालगुजारी निस्फ कर दी जायगी और उसको राइट आफ ट्रांसफर मिल जायेगा। दोनों वादे जो किये थे दोनों कानून के अन्दर एम्बाडी कर दिये।

माननीय गेंदा सिंह जी ने तीसरी बात कही कि नेशनल प्लान लोन में रुपया जमा हो जाय उनको इन्कार नहीं है। उससे इन्कार नहीं हो सकता ठीक है वह रुपया भी डेवलेपमेंट के काम में आयेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भूमिधर नहीं बने, सीरदार ही रहे आये वह आज अगर रुपया देते हैं तो वह जमींदारों को हम मुआविजा दे रहे हैं। अब अगर इस सीरदार से हम रुपया न लें तो कहीं से कर्ज लेकर जमींदारों को मुआविजा दें। बुनियादी बात यह है कि जमींदारों को मुआविजा देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना है तब तो ठीक है। तो सीरदार की भूमिधर की मालगुजारी बिल्कुल माफ कर दी जाय और कहीं से नकदी लाकर हर छमाही उनको दे दिया जाय लेकिन अगर देनी है तो उसका मतलब हुआ कि आम जनता से रुपया आयेगा जैसे आम जनता से और सारा रुपया आता है। आम जनता किसान है और इन किसानों के लिये ही जमींदारी खत्म हुई है लिहाजा इन्हीं को मुआविजा पे भी करना है चाहे नकदी में कर दें चाहे किस्तबन्दी में कर दें। इससे उनकी परचेजिंग कैपेसिटी और विकास के काम में रुकावट कहां पड़ती है। फिर कहते हैं कि नेशनल प्लान लोन में दो, तो फायदा है। नेशनल प्लान लोन में देना तो चाहिये ही लेकिन नेशनल प्लान लोन में चार सवा चार प्रतिशत का सूद मिलता है और जिसने भूमिधरी दिया है उसको पांच प्रतिशत मिलता है। नेशनल प्लान लोन में जहां यह सत्य है कि हम विकास में योग दे रहे हैं उसके साथ साथ जो लोग रुपया दे रहे हैं वह इसलिये कि उसमें ४ फीसदी का सूद मिलेगा। मैं यह अर्ज करता हूं कि १० रुपया जिसका लगान था उसने सौ रुपया जमा किया था। पांच रुपये उसकी मालगुजारी हो गई तो उसको एकनामिक ऐडवान्टेज है। नेशनल प्लान लोन में जमा करता है तो एकनामिक फायदा है वह इससे भी है। यह कैसे समझा जा रहा है कि यह लूट में जा रहा है और इसका करेःपांडिग फायदा सीरदार को नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया है कि सीरदार की हैसियत घटा रहे हैं। उनकी हैसियत हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। वह पहले काश्तकार कहलाते थे हमने उसको सीरदार बना दिया। जो सीर जमींदार को हुआ करती थी उसका उसको सीरदार कर दिया। यह सही है कि भूमिधर और सीरदार के अधिकारों में कुछ फर्क है बस इतनी बात तो कह सकते हैं कि भूमिधर को मालगुजारी आधी और हके इन्तिकाल है, लेकिन सीरदार की हैसियत घटाई नहीं है। अगर भूमिधर की हैसियत घटी है तो सीरदार की भी हैसियट घटी है। लेकिन सीरदार की हैसियत उल्टी बढ़ी है। उतनी नहीं जितनी कि भूमिधर की लेकिन बढ़ाई है हमने। मसलन् सीरदार को चौगुना तकावी पहले मिला करती थी अब तकावी दस गुना दे रहे हैं। पहले दुगुना तिगुना कम्पेंसेशन मिलता था, अगर जमीन एक्वायर हो जाय, अब १५ गुना कम्पेंसेशन मिलता है। इसी तरह से न मालूम कितनी चीजें हैं। हां, बेशक भूमिधरों को ४० गुना मिलता है मान लो कि ६० गुना मिलता है तो उसका आधा यानी ३० गुना मिलेगा यानी १५ गुना का फर्क हो गया।

जहां तक लाइसेंस देने की बात है तो लाइसेंस भूमिधर को भी और सीरदार को भी दिये जायेंगे, यह नहीं कि केवल उन्हीं को मिले। सिर्फ उनकी मालगुजारी में कोई फर्क होगा ५० रुपये मालगुजारी देता है भूमिधर तो उसके हिसाब से वही आज सौ रुपये सीरदार देता है क्योंकि सीरदार देता तो उसकी मालगुजारी आधी

[श्री चरण सिंह]

यानी ५० रुपये रह जाती। अब यह कहा जाता है कि सीरदार से लेकर सीरदार का नुकसान किया जा रहा है। लेकिन जिस काम में हमने रुपया लिया है वह भी काम में आ रहा ह। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि यह संशोधन जो आपने किया उसकी बुनियादी चीज जो है वह हमने रखी है और उसको आप छोड़ना चाहते हैं बिला वजह और उसके लिये इस संशोधन विधेयक में क्या वास्ता? यह कहिये कि मूल अधिनियम की धारा १५३ निकाल दी जाय तो यह बात तो भूमिधर और सीरदार के लिये जो बुनियादी थी वह अनआन्सर्ड रह गयी। कहा यह गया कि कांग्रेस खत्म हो जाय, करोड़पंथ खत्म हो जायं, कंगाली खत्म हो जाय। तो कितने करोड़पति हैं जो खत्म हो जायं और उससे होगा भी क्या?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १५३ (१) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१९

विपक्ष में—९१)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमान्, हाउस आफ कामंस की परम्परा यह रही है कि जब कभी डिवीजन डिमांड किया जाय तो दो गिनती करने वाले होने चाहिये। यहां पर चूंकि गिनती करने वाले केवल एक ही व्यक्ति हैं इसलिये यहां पर जो विभाजन किया गया है वह अनियमित है।

श्री उपाध्यक्ष—(कई सदस्यों की मिली जुली आवाजों के बीच में) मैं आपका यह प्रश्न उचित नहीं समझता हूं।

***श्री अवधेश प्रताप सिंह**—मान्यवर, मैं खंड १९ का विरोध करता हूं। श्रीमान्, इस खंड के सम्बन्ध में अभी कुछ संशोधन आये और उसके विषय में जो कुछ कहा गया, माननीय गेंदा सिंह और राजनारायण जी ने जो जोश और खरोश दिखाया तो उसके बाद मैं यह नहीं समझ पाया कि उससे माननीय मंत्री जी कैसे क्रोध में आ गये और आवेश में, बहुत हद तक, वह भी बोलते रहे। श्रीमान्, जहां तक माननीय मंत्री जी का समाजवादियों को समझाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह अकारण ही इसका प्रयास करते हैं। श्रीमान्, जब सन् १९४६ में जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में एक कमेटी बनी थी जिसमें कि माननीय आचार्य नरेन्द्र देव जी सदस्य थे, उस समय उसमें रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का कोई प्रश्न नहीं उठा। उस समय कंपेंसेशन देने के विषय में माननीय आचार्य नरेन्द्र देव जी ने कोई ऐसी आपत्ति नहीं उठाई थी कि इनको कोई कंपेन्सेशन नहीं मिलना चाहिये। श्रीमान् एक बुनियादी चीज ह, भारत संविधान जो है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जब माननीय डा० लोहिया को छूटना था तो वह भी उसी संविधान के अन्तर्गत और उसकी धारा २२६ में वह आज इस लायक हैं और यह गौरव कर सकते हैं कि मैंने आज सरकार को चारोखाने चित कर दिया। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि सीरदारों को यह अधिकार देना कि वह ट्रांसफर कर सकें, कुछ उचित नहीं होगा। जहां तक माननीय मंत्री जी का उद्देश्य है कि संस्थाओं के लिये जो कि सार्वजनिक हैं, उनके लिये यह अधिकार दे दिया जाय तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। परन्तु श्रीमन्, इसका दुरुपयोग होगा। आज माननीय हरगोविन्द सिंह जी होते तो मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करता कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिलों में आज जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनका यह आलम है कि जिस तरह से, क्योंकि बहुत से जो हैं थोड़े ही परमानेन्ट हैं बकिया सब औफिशियेटिंग हैं, सरकार को प्रसन्न करना अपना परम कर्तव्य समझेंगे। इससे यह होगा बहुत से सीरदारों पर अनुचित दबाव डाला जायगा और साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि चाहे सरकार का उद्देश्य न हो, मंशा न हो, लेकिन खुश करने के लिये यह जिलाधीशों का कर्तव्य हो जायगा कि इन सीरदारों को किसी ऐसी कसौटी पर रक्खा जाय और इस तरह की उन लोगों में विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय जिससे वह विवश होकर कुछ न कुछ ट्रांसफर इन सार्वजनिक संस्थाओं के लिये करें। श्रीमन्, अगर ऐसा कर दिया जाय कि सरकार जिन संस्थाओं को पब्लिश करे अगर वही रखी जाती हैं तो मैं समझता हूं कि जिले में बहुत थोड़ी ऐसी संस्थायें होंगी जिनको कि सीरदार दे सके। परन्तु जो थोड़ी सी हैं उनके लिये उस सीरदार को नाजायज दवाब का शिकार बनना होगा और साथ ही साथ एक प्रश्न और उठता है कि वह अपने बच्चों या लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दे क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि पिता पुत्र से नाराज हो गया, चाहे थोड़ी देर के लिये ही सही, और उस अप्रसन्नता के कारण वह इस सीमा तक पहुंच सकता है कि वह सीरदार किसी संस्था के नाम ट्रांसफर कर दे। अगर वह हस्तान्तरण होता है तो उसका परिणाम यह होगा कि उसके जो बच्चे हैं वह वंचित हो जायंगे। श्रीमन्, मुझे इस विषय में इतना अवश्य कहना है कि जब हमारे इस दल के लोग इस बात का कम से कम प्रयास करें समझने का कि जो उनके सिद्धान्त हैं और उन सिद्धान्तों को केवल वही समझते हैं, उस पक्ष के समझने में भी कठिनाई है, जनता जनार्दन भी बहुत थोड़ा समझ पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आज रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट में किसी दल का कोई विश्वास नहीं रख सकता है। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट क्या बल्कि मैं समझता हूं कि अगर उनके खजाने पर विश्वास नहीं है तो उनसे कहीं अधिक इनकी नीति पर, इनके सिद्धान्तों पर लोगों का विश्वास है। अतः इन शब्दों के साथ मैं इस खंड १९ का विरोध करता हूं।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, अवधेश प्रताप सिंह जी का जो संशोधन है, मुझको मजबूर होकर उसका विरोध करना पड़ रहा है और क्योंकि सरकार की ओर से जो रखा हुआ है संशोधन इस अधिनियम में उस खंड १९ का एक खंड तो अच्छा है और जो पहला खंड है उसके बारे में गेंदा सिंह जी ने अपनी सम्मति प्रकट कर दी है और हम भी बोल चुके हैं। तो एक तरफ कितना विरोधाभास है इसको अवधेश प्रताप सिंह जी समझने की कृपा करें। सरकार खुद कहती है "कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था को, सीरदार दान द्वारा अपनी भूमि का संक्रमण कर सकता है।" हम सब यही चाहते हैं कि सीरदार को अपनी भूमि के ट्रांसफर का अधिकार हो और करीब करीब वह भी यही चाहते हैं।

एक सदस्य—नहीं चाहते।

श्री राजनारायण—यदि नहीं चाहते तो वह भूमिधर ही बनाये जायेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि श्रीमन्, उनको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिये मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर इसके पहले खंड को निकाल दिया जायगा तो हम उनके साथ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब आप वोट लें तो पहले दो बार वोट लें। पहले खंड पर एक बार और दूसरे पर दूसरी बार।

श्री उपाध्यक्ष—खंड १ के बारे में तो फैसला हो चुका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण——अगर आपने ले लिया है तो ठीक है। अगर वह दूसरे खंड को निकालना चाहते हैं तो हम उसका तीव्र विरोध करते हैं क्योंकि सीरदार अगर अपनी भूमि को अच्छे काम के लिये भी नहीं दे पायेगा तो आप उसको और पंगु बना देना चाहते हैं, और जकड़ देना चाहते हैं। एक खास बात मैं कहना चाहता हूं कि जब वह खड़े होते हैं तो दोलत्ती झाड़ देते हैं।

श्री कालीचरण टंडन——प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं कि क्या यह दोलत्ती शब्द पार्लियामेंटरी है ?

श्री उपाध्यक्ष——यह शब्द पार्लियामेंटरी है और इसका मनोरंजन के लिये प्रयोग हो सकता है।

श्री शिवनारायण——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह शब्द "दोलत्ती" पार्लियामेंटरी है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष——मैं रूलिंग दे चुका हूं कि यह शब्द पार्लियामेंटरी है और इसका प्रयोग किया जा सकता है, मनोरंजन के लिये।

श्री राजनारायण——मैं यह अर्ज कर रहा था कि नारायण दत्त जी ने एक बात कह दी थी तो मैं यह समझता था कि अवधेश प्रताप सिंह जी उसको सुनकर नरेन्द्रदेव जी और सोशलिस्ट पार्टी को घसीटने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं भी कह दूं कि हमारी टोपी लाल है तो उनकी जीभ लाल है जो गरीबों का रक्त चूसकर पल रहे हैं और वह लाल जीभ से जब लाल टोपी को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। यह शोभनीय बात नहीं है कि जब चाहा तब नरेन्द्र जी का नाम घसीट लाये। उनकी किताब छप गई है। एक बार राजस्व मंत्री जी ने भी कहा था। लेकिन सब लोगों ने देखा कि किसान तबका इसके कितना खिलाफ था। इसीलिये एक लाख गरीब किसानों का प्रदर्शन २५ नवम्बर, १९४९ को हुआ था। अवधेश प्रताप सिंह जी ऐसी बात कह देते हैं जो तबीयत को बुरी लग जाती है। उनको सरकार से लड़ना है तो लड़ें। लेकिन सरकार एक के बदले वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को दो बातें सुना देते हैं। करोड़पंथी, कांग्रेस और हुकूमत यह तीनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। मैं राजस्व मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि रुपया कहां से मिलेगा। मुआवजे के लिये उनको परेशानी है। नरेन्द्रदेव जी ने रिहैबिलिटेशन ग्रांट की बात कही है। अगर उसको बांट दिया जाय तो उनका बयान लिटरेचर का एक पार्ट बनेगा और उससे राजस्व मंत्री जी, जब तक जिन्दा रहेंगे, लाभान्वित होते रहेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक बड़े व्यक्ति को यहां इस तरह से ले आना और अन्याय के साथ कुछ कह देना ठीक नहीं है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी रिहैबिलिटेशन ग्रांट के देने की बात करें तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो उसको देने के लिये तैयार रहती है और हम देंगे। आपने चीनी के मिलमालिकों से १० करोड़ रुपया ले लिया और जितनी पूंजी उन्होंने कारखाने के चलाने में नहीं लगाई थी उससे ज्यादा मुनाफा उनको आपने कमवा दिया। अब इसी तरह से कानपुर में रेशनेलाइजेशन की स्कीम हो रही है। कम से कम उसमें एक करोड़ रुपया मजदूरों की कमाई का जायगा। यह कहां से आयेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर सही माने में राजस्व मंत्री जी किसी वादविवाद को पेश करें तो वह गरम न हों और न उनको प्रभावित करें तभी सारा मामला ठीक होगा।

*राजा वीरेन्द्र शाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड १९ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने अभी इसके विरोध में सरकार की ओर से बहस सुनी है और माननीय नेता विरोधी दल ने भी बड़ा जोशीला भाषण दिया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह देखना है और हम इसका विरोध नहीं करते हैं कि काश्तकारों और सीरदारों तथा भूमिधरों में कोई फर्क हो और देखना यह चाहिये कि जो सरकारें आई हैं जिन्होंने प्रबन्ध किया है किसानों की स्थिति को देखते हुये और उनकी हालत को देखते हुये, वह जानते हैं कि किसानों को ऐसे अधिकार न दिये जायं जैसे कि एक बच्चा खेल में अपना नुकसान कर लेता है और उसको पता नहीं चलता है उसी तरह से यह भोले भाले किसान भी अपनी जमीन को शिक्षा संस्था के लिये दे देंगे। इसलिये ऐसा कानून नहीं बनना चाहिये जिसके द्वारा उसका और उसके परिवार का नुकसान हो। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह रखा है कि सीरदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपनी जमीन बेंच सके और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा अपने फायदे के लिए जिसके लिये हम समझते हैं कि यह सरकार की ड्यूटी है जो हमसे टैक्स लेती है, वह हमें ऐजूकेशन देने के लिये उचित प्रबन्ध करे। आप दान देने के लिये ऐसी व्यवस्था रखेंगे तो सीरदार अपनी जमीन दे सकता है। इसलिये मुझे इसके दुरुपयोग होने का भय है। मुझे इसका विरोध नहीं है कि भूमिधर बनें या सरकार को पैसा मिले। मैंने पहले भी कह दिया है कि हमें विरोध नहीं है कि भूमिधर नहीं होने चाहिये। हम लोग तो इसके पक्ष में रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग यह समझ लें कि यह अधिकार जो उनको दिये जा रहे हैं दुधारी तलवार है। अगर आप यह अधिकार दे देंगे तो जो गांवों में प्रचार हो रहा है और जो स्कूल खोलने वाले हैं वह इन गरीब किसानों से जमीन ले लेंगे जिनके पास अपने बच्चों को पालने के लिये भी जमीन नहीं है। नतीजा यह होगा कि उनके बच्चे भूखे मरेंगे और आपको जो शिक्षा का इन्तजाम करना चाहिये वह इस तरह से बिचारे किसान परेशान होंगे। अभी तो १० गुना वगैरा जमा करने का झगड़ा है जिसके लिये किसान तैयार नहीं होता। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिये कि जब सरकार ने जमीन बेचने के अधिकार नहीं दिये हैं तो छोटे से फायदे के लिये यह चीज करना कहां तक उचित है। इससे दुरुपयोग होने का पूरा अंदेशा है और नेतागण जो गांवों में इधर से उधर घूमते हैं वह भोले भाले किसानों को फंसा लेंगे। इसलिये मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब श्री गेंदा सिंह जी ने यह मांग की कि मूल अधिनियम की धारा १५३ निकाल दी जाय जो कि खंड १९ में है; तब तो उन्होंने हमारे पक्ष में वोट दिया। उस समय वह इस पक्ष में थे कि १५३ न निकाली जाय और साथ ही वह स्वयं अपनी तरफ से यह मांग कर रहे हैं कि खंड १९ निकाल दिया जाय और उसकी दलील में और अपनी बात के पक्ष में किसानों के लिये आंसू बहा रहे हैं कि किसान जो सीरदार हैं उनसे भूमि ले ली जायगी। एक तरफ सीरदारों के लिये आंसू बहाये जाते हैं और दूसरी तरफ सीरदारों को या अधिवासियों को भूमिधर के अधिकार दिये जाते हैं तो कहते हैं कि उनको भूमि मिलनी नहीं चाहिये। मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी के भाषण को बराबर सुन रहा हूं। वह कहते हैं कि सरकार की नीति में विरोधाभास पाया जाता है। जहां तक इस विरोधाभास की बात के प्रमाण का संबंध है, वह उनके भाषण में ज्यादा मिलता है। अभी चन्द मिनट पहले जिस बात को वह कहते हैं कि निकालना ठीक नहीं है और फौरन कहते हैं कि निकाल दी जाय, उससे पहले उसी खंड के द्वारा जब माननीय गेंदा सिंह की यह मांग थी कि मूल अधिनियम की धारा १५३ निकाल दी जाय तो उन्होंने हमारे साथ वोट किया और गेंदा सिंह जी की मांग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महीलाल]

का विरोध किया। और अब कहते हैं कि पूरा खंड निकाल दिया जाय। तो इससे प्रगट हो जाता है कि आपकी नीति क्या है। जैसा राजनारायण जी ने कहा कि आप नहीं चाहते कि सीरदार को अधिकार आप जैसे मिल जायं। आप चाहते हैं कि आपकी हैसियत में और उनकी हैसियत में अन्तर बना रहे। इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी की भूमि ही छीन ली जायगी, केवल इतनी बात है कि सीरदारों को अधिकार दिये जा रहे हैं कि यदि वह चाहें तो शिक्षा संस्थाओं को दान दे सकें और साथ ही इसके आज कितने ही सीरदारों ने पूज्य विनोबा भावे को दान में भूमि दी है। तो आप इस बात को भी बुरा समझेंगे कि वह भी नहीं होना चाहिये था। इससे आपकी नीति प्रगट है कि क्या चाहते हैं और आप जो आंसू सीरदार के लिये बहा रहे हैं उसमें आपकी सही भावना क्या है।

श्री कालीचरण टंडन---मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी को मौका दिये देता हूं। उसके बाद प्रश्न उपस्थित किया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---पहले तो मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं गुस्से का आदमी नहीं हूं। शांतिप्रिय हूं और शांतिपूर्ण ढंग से चाहता हूं कि इस समय इस पर विचार हो। इस समय सौभाग्य से गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्रदेव ने किस परिस्थिति में मुआविजे की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के मातहत यह जरूरी है कि किसी की भूमि ली जाय तो उसको कम्पेंसेशन दिया जाय, तो इस तरह से एक नामिनल कम्पेंसेशन दिया जाय यह उन्होंने कहा था। अंग्रेजी जमाने की बात कही जाती है तो माननीय राजस्व मंत्री नाराज हो जाते हैं। क्या हम ऐसी स्थिति में थे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की विधान सम्बन्धी धारा को बदल सकते? कांग्रेस पार्टी उस वक्त गद्दी पर नहीं थी। उस वक्त मजबूरी थी, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट लागू था और हम गवर्नमेंट आफ इंडिया को नहीं बदल सकते थे, इसलिये अंग्रेजों के बनाये हुये गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार भी आचार्य जी ने कहा कि नामिनल कम्पेंसेशन दे दिया जाय और आज स्थिति बदल गयी है। आज सारी स्थिति फर्जी है, बनावटी है, क्योंकि विधान इसी कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है, इसी कांग्रेस पार्टी का बहुमत पार्लियामेंट में भी है। हम जब कहते हैं कि आपका प्रयोग असफल हो चुका है, आप १० गुना नहीं पा सकते इसलिये आप विधान में कम्पेंसेशन संबंधी धाराओं में परिवर्तन कर दीजिये, तो कौन सी अड़चन है जिसकी सारी परेशानी राजस्व मंत्री जी ले रहे हैं?

आज यही मौका है जबकि यह संशोधन विचाराधीन है। कम से कम यू० पी० कैबिनेट को तो यह तय कर ही देना चाहिये कि सही नीति यह है कि १० गुना न लिया जाय और यह इतनी थुक्का फजीहती जो सरकार की हो रही है वह समाप्त हो। कम्पेंसेशन का विधान नहीं बदल रहा है उसके लिये यह मिनिस्ट्री मांग करे कि विधान हमारा बनाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी चाहे तो बदल सकती है। आपने देखा कि जब कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ती है तो विधान बदल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर "रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन" धारा १६ में लगाये गये और यू० पी० स्पेशल पावर्स ऐक्ट जैसे काले कानून को उसी आधार पर लगाये जाने के लिये बात की गई। प्रेस पर पाबन्दी लगायी गई। लोगों को रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन के नाम पर जेलों में बन्द कर दिया जाता है, मुकदमे नहीं चलाये जाते और डिलिमिटेशन आफ कांस्टिट्युएंसीज के लिये भी विधान की धारायें बदली जा रही हैं। तो उस वक्त दूसरी परिस्थिति थी, लेकिन आज तो हम विदेशी गवर्नमेंट में नहीं हैं। कौन सी रुकावट है राजस्व मंत्री जी के रास्ते में कि भारतीय संविधान के कम्पेंसेशन संबंधी धारा न बदली जाय? रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने को तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं। यदि सरकार केवल पुनर्वास भत्ता ही देती तो, . . .

श्री कालीचरण टंडन—मैं आपके जरिये से वक्ता महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह संशोधन के संबंध में रेलेवेंट बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—हमारा काम ५१-५२ करोड़ रुपये में चल जाता। ३४ करोड़ रुपया वसूल हो चुका है, थोड़ा सा रुपया हम भी सहायता देकर वसूल करा देंगे जिससे छोटे जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिल जाय और अभी जो परेशानी माल मंत्री जी को है जो कि वह एक अधिकार देने जा रहे हैं उसका भार भी सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत थोड़ा कहना है। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राजा वीरेंद्र शाह जी ने कहा कि वह भी दस गुना जमा करने की योजना के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, उनकी बात मैं क्या कहूं? कमेटियों में कुछ और कहते थे और मीटिंगों में कुछ और कहते थे। चाहते यह थे कि रुपया ज्यादा जमा हो जाय। मीटिंग में कुछ और कहते थे। मैं और ज्यादा हवाला नहीं देना चाहता हूं। उनकी बात तो ज्यादा मानी रखती नहीं। क्योंकि उनको जमींदारी अबालीशन का विरोध करना ही था, लिहाजा हर चीज का विरोध करना था। वरना अगर रुपया नकद इकट्ठा हो जाता तो उसमें फायदा किसानों को तो था ही, लेकिन कम से कम जमींदारों का उसमें कोई नुकसान नहीं था। अगर कोई था तो फायदा था। बहुत से जमींदार कहते हैं कि उन्होंने गलती की। मगर उनकी मुखालिफत से कोई फर्क न कमी में पड़ा न ज्यादती में। यह बात जरूर थी कि पचास आदमी जिस मीटिंग में इकट्ठा होते थे तो अखबारों में रिपोर्ट पांच हजार की जरूर निकला करती थी।

दूसरी बात यह है कि गरीब किसानों से यह गिफ्ट लिया जायगा। अगर यह संशोधन मंजूर होगया, १५३का, और सीरदार को यह अधिकार मिल गया कि हिबानामा या दानपत्र अपनी जमीन का बना दे और शिक्षा संस्थाओं को दे सके तो राजा साहब यह फरमाते हैं कि गरीब किसानों की जमीन छिन जायगी। कैसे छिन जायगी? जिन सीरदारों के पास जमीन ज्यादा हो या औलाद न हो और वह धर्म कमाना चाहें तो आज नहीं लगा सकते हैं और दान का मेडिकल इंस्टीट्युशंस और एडुकेशनल इंस्टीट्युशंस से अच्छा इस्तेमाल कहीं हो नहीं सकता। इसके लिये हम उनको अधिकार दे रहे हैं। तो गरीब आदमियों की जमीन छिन जायगी, वह मेरी समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय राजनारायण जी से एक शिकायत है। वह यह कहते हैं कि एक लाख आदमियों ने प्रदर्शन किया, किसानों ने यहां आकर। मुझे शिकायत यह है कि जनाबवाला डा० लोहिया साहब की तरदीद कर रहे हैं। डा० लोहिया ने कहा कि ७० लाख किसानों ने प्रदर्शन किया। उनका बयान यह था कि ६० लाख किसानों ने प्रदर्शन किया एक गांव से दूसरे गांव जा कर। नौ लाख ने प्रदर्शन किया अपने गांव से जिले में जा कर। ६९ लाख हुये। और एक लाख ने प्रदर्शन किया लखनऊ हेडक्वार्टर्स पर आकर। तो ७० लाख किसानों ने विरोध किया था। तो मेरी उनसे शिकायत है कि उन्होंने अंडर एस्टीमेट किया। कहां ७० लाख किसान और कहां एक लाख किसान? कहते हैं कि आचार्य जी का नाम फजूल में लिया जाता है। आचार्य जी की सब इज्जत करते हैं। लेकिन अगर उनका हवाला दिया जाता है तो चिरागपा क्यों होते हैं? उनका बयान यहां मौजूद है। मैंने उनके बयान को अपने एक लेख में शब्द प्रति शब्द उद्धृत किया था। उनके हिसाब से पुनर्वासन अनुदान के लिये १०८ करोड़

[श्री चरण सिंह]

रुपया आता था, और हमारे हिसाब से १३७ करोड़ आता है। २९ करोड़ के फर्क से पूंजीपतियों के जरखरीद हो गये। २९ करोड़ के फर्क से वह लोग क्रांतिकारी और समाजवादी हो गये। माननीय राजनारायण जी का बड़ा स्टाक फ़ेज है कि जनता ने ठुकरा दिया उस स्कीम को। कैसे ठुकरा दिया? मेरे खयाल से अभी एलेक्शन में ठुकरा दिया उस स्कीम को! आखिर ठुकराने या स्वागत करने का पैमाना क्या है? एलेक्शन का मैदान पैमाना है। बड़ी हिम्मत है माननीय राजनारायण जी की कि इन आंकड़ों के सामने इस तथ्य और सच्चाई के सामने आदमी कुछ संकोच करता है लेकिन वह कहते हैं कि जनता ने ठुकरा दिया। कोई एलेक्शन जीता है। अगला एलेक्शन आने वाला है। वह चुनाव का मैदान होगा। वहां देखा जायगा कि जनता किस पार्टी को पसन्द करती है। अध्यक्ष महोदय, किसी की सरकार हो या किसी की सरकार न हो, लेकिन यह सही है कि यह उन लोगों की सरकार जरूर है जिन्होंने जमींदारी अबालीशन किया और यह स्कीम बनायी। उसमें कहा गया कि जो दस गुना दे वह भूमिधर बन जाय, न दे तब भी जमींदारी खत्म हो गयी। (एक आवाज) अध्यक्ष महोदय, मेरी बातों में इंटरवीन करने से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और सच्चाई यही है कि जो पिछले एलेक्शन के आंकड़े हैं।बाकी दलीलें हैं। उन दलीलों के सबूत में कोई बाकयात नहीं।

माननीय राजनारायण जी ने और माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने दोनों ने इसकी मुखालिफत की और एक दूसरे से कुछ बातें कहीं। लेकिन दोनों की बातें गलत हैं। ऐसे ही नागनाथ और ऐसे ही सांपनाथ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---एक प्रश्न जरा पूछ लूं क्योंकि परम्परा ऐसी है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले एलेक्शन में जितने वोट पड़े उसमें क्या यह सही नहीं है कि ४४ प्रतिशत वोट कांग्रेस के लिये और ५६ प्रतिशत कांग्रेस के विरोधियों को मिले।

श्री चरणसिंह---यह सही है कि सोशलिस्ट पार्टी को ११ फीसदी के करीब वोट मिले।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय राजनारायण जी ने आपसे यह प्रार्थना की थी उपस्थित खंड के उपखंड (१) को आप पहले ले लें और दूसरे खंड को बाद में तो उस समय आपने कहा था कि उपखंड (१) पर वोट ले चुके हैं। लेकिन ऐसी बात है नहीं। असल में तो माननीय गेंदासिंह के संशोधन पर आपने वोट लिये थे। इसलिये आपको अधिकार है कि आप पहले एक पर वोट ले लें फिर दूसरे पर लें क्योंकि ऐसा न होने से जरा हम लोग धर्मसंकट में फंस जायेंगे क्योंकि हम दो के पक्ष में हैं और एक के विरोध में हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है। श्री गेंदासिंह जी के संशोधन के संबंध में वोट लिया जा चुका है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

उ०प्र०अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा १५३-क का रखा जाना।

२०---मूल अधिनियम की धारा १५३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५३-क के रूप में रख दिया जाय :

"१५३-क---यदि दो या दो से अधिक सीरदारों के पास संयुक्त रूप से कोई खाता हो तो उनमें से कोई एक या एक से अधिक किसी दूसरे अथवा किन्हीं दूसरे के पक्ष में अपने पूर्ण स्वत्व का परित्याग (relinquishment) कर सकता है अथवा कर सकते हैं।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० के...

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइन्ट आफ आर्डर, श्रीमन्। मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ५३२ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है---

"If an amendment would make a clause, which is proposed as an amendment, unintellgible or ungrammatical, it is out of order."

मौर्य साहब को पढ़ने में ही दिक्कत हुई थी। इसमें यह है कि खाली दो ब्रैकेट एक इधर से और एक उधर से रख देंगे। चूंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है इसलिये आउट आफ आर्डर है। मैं चाहता हूं कि आप अवैधानिक करार दें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनइंटेलिजिबिल माननीय नारायण दत्त जी के लिये है। उनकी समझ में नहीं आता। उसको इंटेलिजिबिल बनाने के लिये दिमाग लगायें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह कह देना चाहता हूं कि यदि वह चाहें तो इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सेलेक्ट कमेटी ने धारा २० को निकाल दिया है। वह जो धारा निकल जाती है उसके दोनों तरफ ब्रेकेट होते हैं। अंग्रेजी में ऐसा ही है, ये ब्रेकेट्स दोनों तरफ हैं और निकाले हुये अंश को ब्रैकेट्स में रक्खा गया है, इसलिये भ्रम नहीं होना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें पृष्ठ ६ पर वह देख लें जिसमें लिखा हुआ है कि धारा २० निकाल दी गई। यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई धारा का संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ठीक कर दी जायगी।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि वह धारा रहे। श्रीमन्, मुझे वही बातें दोहरानी पड़ती हैं जो पहले यहां कही जा चुकी हैं। श्रीमन्, आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो एविडेंस दी थी उसका थोड़ा सा अंश मैं पढ़ देना चाहता हूं, उसको पढ़ने के बाद इस शंका का प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जाता है। उसमें लिखा है "जमींदारी प्रथा के उपद्रव, आज तक जमींदारों द्वारा किसानों पर किये गये अत्याचारों, निर्दयताओं तथा ज्यादतियों को ध्यान में रखते हुये यदि इस प्रश्न पर विचार करना है तो मुआविजा देना और जमींदारों के पास जमीन छोड़ने की बात पृष्ठभूमि में पड़ जाती है।" अब द्वारिका प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं उसको मैं बतला दूं "यदि दो या दो से अधिक सीरदारों के पास संयुक्त रूप से कोई खाता हो तो उनमें से कोई एक या एक से अधिक किसी दूसरे अथवा किन्हीं दूसरों के पक्ष में अपने पूर्ण स्वत्व का परित्याग कर सकता है अथवा कर सकते हैं।" यानी सीरदारों को इस विधेयक में एक अधिकार दिया गया है यदि एक खाते के कई सीरदार मालिक हैं तो सीरदार दूसरे के पक्ष में अपना हक दे सकता है मगर राजस्व मंत्री सीरदार को यह हक देना नहीं चाहते क्योंकि और भूमिधरों को यह हक होगा और सीरदारों को यह हक क्यों नहीं देना चाहते जरा इसका उत्तर माननीय द्वारिका प्रसाद जी दें। इन तमाम प्रतिबन्धों के अन्दर वह सीरदारों को बाध्य करना चाहते हैं कि सीरदार १० गुना रुपया जमा करके भूमिधरी के अख्तियार हस्तान्तरित करें। इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इस धारा के लाने से सीरदारों के साथ न्याय नहीं किया गया है और यह साफ कह दिया गया है कि उनके पक्ष में जो इस विधेयक में एक बात आई थी उसको मौर्य जी हटा देना चाहते हैं। यह किस बात का द्योतक है? घूम करके फिर वही बात आती है कि उनसे दसगुना लगान लिया जाय।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। यहां पर माननीय सम्पूर्णानन्द जी विद्यमान हैं, मैंने सवेरे ३४ नम्बर के प्रश्न के संबंध में जब एक प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

किया जा रहा है। उस प्रश्न पर साफ देख लिया जाय कि यह पूछा गया है कि एक हद तक लगान देने वाले भूमिधरों को लाइसेंस देने की बात क्या सरकार सोच रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हां, सोच रही है। इसलिये मैं जो कह रहा था कि हर तरफ से, सरकार के जितने साधन हैं, हर विभाग के हर तरीकों का इस्तेमाल करके इस बात की कोशिश की जा रही है कि लोग भूमिधर बन जायं, सही है और अब इसके बाद और क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है कि माननीय चरण सिंह जी कहते हैं कि ७० लाख को कम करके हमने १ लाख बता दिया? हमने एक लाख के लगभग किसानों का प्रदर्शन किया था। लेकिन वह बाद में लोहिया जी के हिसाब को समझ गये और समझ कर जब उन्होंने अपनी भूल का सुधार किया तो मैं तो, ऐसे मस्तिष्क की बलिहारी है, ऐसा ही कहूंगा। हमारी तरफ से जो भी बात कही जाती है उसका माननीय राजस्व मंत्री तत्काल ही विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि यदि यह आदत माननीय राजस्व मंत्री बढ़ने न दें तो अच्छा है। मैं माननीय मौर्य जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वह ऐसा हक एक सीरदार को क्यों नहीं देना चाहते कि जिसमें कई साझीदार हैं उसमें वह अपना हक किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सके। मैं नहीं समझता कि इसमें क्या अड़चन है। क्या तिकड़म है और कौन सा वह कानूनी धोखा, इसे मैं कानूनी धोखा कहता हूं, है, जिसके कारण वह ऐसा करने पर मजबूर हैं कि इसे न मानें? अभी माननीय राजस्व मंत्री महोदय का सिर नतमस्तक हो जाना चाहिये था जिस समय उन्होंने चुनाव की बात कही थी। मैंने कहा था कि नहर रेट के विरुद्ध मैं कहीं भी इस्तीफा दे कर चुनाव लड़ने के लिये तैयार हूं। मैं आज भी तैयार हूं। अगर वह कानपुर में चुनाव लड़ेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री राजनारायण---उन्होंने चूंकि एलेक्शन की बात उठाई इसलिये उसका जवाब देना पड़ रहा है। मैं उनको आज भी चुनौती देता हूं कि नहर रेट के खिलाफ आज भी कहीं से वह चुनाव लड़ सकते हैं। कानपुर में जिस तिकड़म से वह चुनाव जीत गये उसे वह अपनी जीत कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं।

मैंने मौर्य जी के संशोधन को विरोध माना है धारा २० का। मैं इस पर राय लूंगा लेकिन इसके पहले मेरे लिये जरूरी यह हो जाता है कि यहां गेंदासिंह जी के संशोधन पर विचार हो जाय।

*श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं---

"खंड २० में प्रस्तावित धारा १५३-क के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि इस अधिनियम के अनुसार परित्याग करने वाले सीरदार के कोई उत्तराधिकारी न हो अन्यथा ऐसा परित्याग ऐसे उत्तराधिकारी के हक में समझा जायगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस संशोधन से यह अर्थ है कि जब कोई साझी खातेदार एक खाते में एक से अधिक हैं और अगर साझीदार यह चाहते हैं कि उसमें से हम इस्तीफा दे दें, सरेंडर कर दें या उस जमीन से अपने को अलग कर लें, तो वह ऐसा कर सकें। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि खानदान में झगड़े की वजह से एक साझी खातेदार इस्तीफा देना चाहता है बशर्ते कि वह जमीन किसी दूसरे को मिल जाय। तो इसलिये मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर इस तरह का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह संशोधन इसमें सम्मिलित कर लिया जाय तो फिर नाराज हो कर जो लोग ऐसा कर देते हैं और उससे एक खानदान की जमीन दूसरे के हाथ में चली जाती है, वैसा न हो सकेगा। तो इसलिये मैं सोचता हूं कि इस प्रतिबन्ध को रखा जाय जिसमें कि अगर कोई आदमी अपनी जमीन से इस्तीफा दे तो वैसी हालत में अगर इस्तीफा दे देने के बाद जिसको कानून के मुताबिक उत्तराधिकारी होना चाहिये अगर उसके वारिस लोग मौजूद हैं तब तो वारिस को चली जाय और अगर उसके वारिस नहीं हैं, ऐसी हालत है तो फिर मजबूरी है कि वह जिसके हक में इस्तीफा देना चाहता है उसके हक में चली जाय। यह मेरे सीधे साधे संशोधन का मतलब है। ऐसा कानून जब काश्तकारी कानून सन् ३९ में अपने देश में प्रचलित था उस जमाने में भी था कि कोई आदमी जो अपनी जमीन से इस्तीफा दे तो इस्तीफा देने के बाद पहले वह जमीन उसके वारिस को पहुंचती थी और अगर उसके वारिस नहीं हैं तो वैसी हालत में वह जमीन जमींदार को या दूसरे को जाती थी .....।

श्री उम्मेद सिंह—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। रूल १७९ के मुताबिक कोई मेम्बर इस सदन में न्यूज या लेटर या बुक नहीं पढ़ सकता। तो शायद हमारे गृह मंत्री जी के हाथ में नावेल है। यह एक वैधानिक प्रश्न है और मैं इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अपना भाषण जारी रक्खेंगे।

श्री गेंदासिंह—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय नहीं लेकिन मैं सजा पा गया हूं। उन्होंने प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा दिया हमारे ही बीच में और हमको सजा हो गई। खैर, अगर हमारी सजा से माननीय गृह मंत्री का जिम्मा बच जाय तो मुझे खुशी है। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह का अख्तियार जो कि सन् १९३९ के ऐक्ट में मौजूद था तो वही अख्तियार इस वक्त हम चाहते हैं कि अगर वह अपने हक से बरी होना चाहता हो तो सबसे पहले उस आदमी को जमीन जानी चाहिये जो उसका उत्तराधिकारी हो और अगर यह बात नहीं रखी जायगी तो फिर खानदान का एक आदमी कहीं नाराज हो गया, पिता पुत्र से क्षणभर के लिये नाराज हो गया, भाई भाई तो आपस में नाराज ही हो जाते हैं। और खास तौर से जिस वक्त कोई बेवा हो जाती है खानदान में तो उनकी नाराजी बहुत आसान है, तो फिर अगर वह नाराज हो गई तो खानदान बरबाद हो गया और जायदाद बरबाद हुई। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे प्रतिबन्ध को रहने दिया जाय जिसके मुताबिक वह अगर इस्तीफा दे तो उत्तराधिकारी को पहुंच जाय और अगर उत्तराधिकारी न हो तो चाहे जिसके हक में चली जाय। बस यही मेरा संशोधन है। मौर्य जी मालूम नहीं क्यों नाराज हो गये! सेलेक्ट कमेटी में तो इसको स्वीकार किया था उन्होंने, यहां आ करके मालूम नहीं क्यों उनका विचार बदल गया और अपने बनाये हुये विधेयक की मुखालिफत करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि मौर्य जी जो कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पार्लियामेंटरी पद्धति के मुताबिक अब यह सही है या गलत है, वही समझ सकते हैं लेकिन अपने ही लाये हुये विधेयक का आज विरोध कर रहे हैं जब कि राजनारायण जी ताईद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मौर्य जी जरा इसको सोचें और सोच करके इस धारा को रहने दें और जो संशोधन है उसे स्वीकार कर लें, बहुत खूबसूरत हो जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दिक्कत यह है कि हमारे माननीय मित्र गेंदासिंह जी को कानून की वाकफियत न होने की वजह से ही उन्होंने यह संशोधन उपस्थित कर दिया है। अगर वह कानून को देखें तो जब रेलिन्क्विशमेंट होगा तो जो नीयरेस्ट वारिस होता है उसी के हक में जाता है यानी कोई ट्रांस्फर नहीं है, कोई बिल नहीं है। यह तो जब कोई आदमी रेलिन्क्विश करता है तो नीयरेस्ट वारिस जो होता है उसी के हक में जायगा और आप संशोधन यह करते हैं कि "कोई उत्तराधिकारी न हो अन्यथा ऐसा परित्याग ऐसे उत्तराधिकारी के हक में समझा जायगा"। तो जब उत्तराधिकारी होगा तो वह तो समझा ही जायगा। और जहां तक गेंदासिंह जी ने कहा कि खुद अपने ही लाये हुये विधेयक का विरोध

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

कर रहा हूं तो मैं उनका ध्यान सेलेक्ट कमेटी की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उसने इस धारा २० को निकाल दिया था। अगर आप कहते हैं कि धारा २० यहां रह गई, और रहना मानते हैं, तो मेरा विरोध है कि धारा २० निकाल दी जाय इसमें से और माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन ठीक नहीं है अपनी जगह। मुझे आशा है कि वह उसे वापस ले लेंगे ।

*श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात के मानने में तो कोई आपत्ति होती नहीं कि कानून की जानकारी कम है। लेकिन कानून की जानकारी अगर माननीय मौर्य जी को कम हो तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि अब रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से जब वह बैठें और वह पकड़े जायं ऐसे मामले में कि कानून की जानकारी कम है तो गड़बड़ हो जायगा और वहां से मामला बच नहीं सकता। हम तो बच सकते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि यह गलती यह बात इस वक्त कही जा सकती है कि ड्राफ्टिंग की गलती हो गई। इसलिये सेलेक्ट कमेटी ने जो फैसला किया उसकी मंशा के खिलाफ विधेयक हाउस के सामने आ गया। लेकिन कोई वही एक अकेली धारा ही हो, सो बात नहीं है। सेलेक्ट कमेटी ने जिसको सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे भी तो माननीय मौर्य जी के दर्जनों अमेंडमेंट आये हैं। हम लोगों ने वहां पर सोचा भी नहीं था कि क्या-क्या इसमें होने वाला है। इसलिये मैं सोचता हूं कि हम अपनी कानून की जानकारी कम होने की बात मानते हुये भी यह समझते हैं कि इसका रहना आवश्यक है और बहुत सोच समझ कर के हमारे कानूनी सलाहकार लोग जो थे उन्होंने इसको रखा था। शक होता है माननीय राजनारायण जी को जैसा कि उन्होंने कहा कि सीरदारों के साथ कुछ हमारी सरकार जो है वह कुछ सौतेले लड़के की तरह से सलूक रखना चाहती है। उसमें सीरदार को कुछ थोड़ा सा हक मिलता है क्योंकि सीरदार रखे जायेंगे तो उसके उत्तराधिकारी को वह जमीन मिल जायगी; इसलिये इसको निकाल देने की जरूरत अब आप समझते हैं। अब मैं जरूर माफी चाहूंगा कि मेरी समझ में बात अगर नहीं आती है तो, अब इस वक्त, नई समझ उपाध्यक्ष महोदय, आ नहीं सकती है। जो समझ है मेरे पास उसी समझ से काम हम लेंगे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि बड़ी मुश्किल पड़ती है कि माननीय मौर्य जी भी कभी-कभी समझ से दूर जा पड़ते हैं और कुछ और लोग भी दूर जा पड़ते हैं और उसी में हम सब लोग फंस जाते हैं और खास तौर से जब जमीन संबंधी कानून आता है सामने। अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा कि आप अकेले अकेले बुलाकर पूछें तो सबका इम्तहान हो जायगा। दूसरे लोग और जो हैं वह भी इम्तहान में बैठा दिये जायं और मैं भी बैठा दिया जाऊं। अकेले अकेले आप उनसे पूछिये कि अब आप बतलाइये किस धारा के संबंध में कहां से कहां कड़ी है तो हम भी समझें कि उनसे हम कम जानकारी रखते हैं या अब क्या कहूं ? तो उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं अपने संशोधन को ऐसा समझता हूं कि यह रहना चाहिये और यह भी मैं समझता हूं कि उस धारा को भी रहना चाहिए। बहुत सोच समझकर के उसको कानूनी सलाहकारों ने रखा था। वह कानूनी सलाहकार यहां दिखाई नहीं पड़ते और अगर हों भी तो वह यहां बोल नहीं सकते ।

श्री उपाध्यक्ष ---प्रश्न यह है कि खंड २० में प्रस्तावित धारा १५३-क के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि इस अधिनियम के अनुसार परित्याग करने वाले सीरदार के कोई उत्तराधिकारी न हो अन्यथा ऐसा परित्याग ऐसे उत्तराधिकारी के हक में समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--जैसा मैंने कहा, मौर्य जी के संशोधन को मैंने माना है कि वह खंड २० को हटा देना चाहते हैं यानी उनका विरोध है। इसलिए अब प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१

२१--मूल अधिनियम की धारा १५४ में शब्द "पक्ष में" और शब्द "कोई" के बीच में शब्द "चाय के बाग से भिन्न भूमि का" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१, की धारा १५४ का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड २१-क

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ के बाद निम्नलिखित नया खंड २१-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"२१-क--मूल अधिनियम की धारा १५४ में शब्द "विक्रय या दान" के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय --

"तथा किसी तरह से अर्जित भूमि।"

मुझे बहुत अफसोस है कि आज यहां का वातावरण बहुत गरम है। पूरी गवर्नमेंट का दिमाग अच्छा नहीं है वरना मेरा जो संशोधन है वह माननीय राजस्व मंत्री जी को जरूर मान्य होता, वह मैं जानता हूं, मेरी उनकी बात भी हो चुकी है। आज चाहे वातावरण खराब है, गरम है इसलिए न माना जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि सारी बातों को छोड़ करके वह मानना चाहिये। यह दफा जो है मैं उसको सुना देना चाहता हूं। "यदि किसी भूमिधर द्वारा किये जाने वाले विक्रय (sale) या दान (gift) के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति इतनी भूमि का अधिकारी हो जाता हो, जितने से मिलकर उसके परिवार की समस्त भूमि ३० एकड़ से बढ़ जाय तो जब तक वह व्यक्ति कोई दानोत्तर स्थापित संस्था न हो, तब तक उक्त भूमिधर को यह अधिकार न होगा कि वह ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई ऐसा संक्रामण कर सकें।"

मेरा संशोधन अगर मिल जाता है तो उसमें यह हो जायगा कि किसी तरह भी वह भूमि अर्जित न हो जिससे ३० एकड़ से बढ़ जाय। इस धारा का मतलब मैं जहां तक समझता हूं राजस्व मंत्री जी ने इसी ख्याल से रखा है कि जमीन ज्यादा इकट्ठी न होने पावे। जमीन गरीब लोगों के पास खयादा से ज्यादा जाय। तो मेरा संशोधन यह मंशा पूरा करता है। अधिनियम के अनुसार दान से तो नहीं जायगी, यह सही बात है लेकिन कोई आदमी वरासत ले सकता है या उसे किसी से तबादला करने का अधिकार है जिससे जमीन ३० एकड़ से अधिक मिल सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी मेरे संशोधन को मान करके उस अपनी मंशा को पूरी कर लें। अगर उनको एतराज हो कि यह संशोधन विरोधी पक्ष की ओर से आ गया है तो मैं उनसे बहुत विनम्र प्रार्थना करूंगा कि अपने किसी सदस्य का नाम वहां रखवा लें और इसको मंजूर कर लें। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट का जो दिमाग विकृत हो गया है, जो उसकी दिमागी कैफियत खराब हो गई है, उससे निवृत्त होकर एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लें और मेरे संशोधन को मान लें।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, अगर मीठे लफ्जों से कोई गलत बात मंजूर की जा सकती है तो माननीय उमाशंकर जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यानी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसे रखा है और दलीलें क्योंकि उनके पास कुछ थीं नहीं लिहाजा मेरी गुड सेंस को उन्होंने बार-बार अपील की। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि

[श्री चरण सिंह]

संशोधन की कोई आवश्यकता भी नहीं क्योंकि सेल और गिफ्ट दोनों आ गया। केवल विल रह गया है। उसे विल कहें या दूसरे तरह से कहें या उत्तराधिकार कहें। तो इस तरह से अगर कोई दे दे तो ३० एकड़ से जरूर ज्यादा हो जाता है। बाकी जो तरीके ज्यादातर बरते जाते हैं जमीन के ट्रांसफर के सिलसिले में बैनामा या हिबानामा उन दोनों की हमने मनाही कर दी। लेकिन उत्तराधिकार एक ऐसा है कि जिसमें हम मना नहीं करना चाहते। उत्तराधिकार में अगर एक आदमी को नाना या चाचा या किसी से कोई जायदाद मिली तो आखीर वह उसकी मिल्कियत हो गयी पूरे तरीके से। तो जब तक हम उसका मुआविजा न दें, उसको कैसे रोक सकते हैं? बैनामे के लिए तो हम मना कर सकते हैं कि तुम इससे ज्यादा न खरीदो। अगर आपके पास ३० एकड़ जमीन है तो और न खरीदिये। २८ एकड़ है तो दो एकड़ से ज्यादा न खरीदिये तो जरे समन नहीं देना पड़ेगा। उत्तराधिकार में कानून के जरिये एक जायदाद की विरासत मिलती है। उसका वह मालिक हो गया। अब अगर हम उसको ३० एकड़ से ज्यादा जमीन लेते हैं तो फिर उसको मुआविजा दें। जिस वक्त हम ड्राफ्ट कर रहे थे तो इसी वजह से सेल और गिफ्ट को रखा और उत्तराधिकार को इसमें से निकाल दिया। तो यह मजबूरी थी।

श्री उमाशंकर—उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री का जहां तक सवाल है वह तो लिखा हुआ है लेकिन एक तरीका नहीं है जमीन देने का। आज गांव के लोग अनेक तरीके निकाल लेते हैं, जैसे मुसम्मात मर गई और बाकायदा उसका कोई वारिस या अधिकारी नहीं है तो उसकी जमींन लेने के लिये अनेक जाल करके लोग हड़प ही लेते हैं, फलस्वरूप ३० एकड़ तो उसके पास पहले से है और ५० एकड़ और मिल गयी तो पूरे ८० एकड़ हो गयी। इसके रोकथाम के लिये इसमें कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं जानता हूं कि सरकार का यह मकसद है कि ३० एकड़ से बड़ा कोई टुकड़ा जमीन का न हो। जमीन उन लोगों के पास जानी चाहिये जो छोटे टुकड़े जोतते हैं या जो गांव में भूमिहीन लोग हैं। अगर यह मंशा सरकार की है तब तो मेरा संशोधन जरूर माना जाय। मैं चाहता हूं कि इसमें ऐसा संशोधन लिख दिया जाय ताकि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन का टुकड़ा किसी के पास न हो, और जो लोग बिला जमीन के हैं उनके पास जमीन पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री जी को कुछ कहना है?

श्री चरण सिंह—अब और माननीय उमाशंकर जी से बात कर लूंगा जैसा कि वह कहते हैं कि पहले भी हो चुकी है। लेकिन संशोधन अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ के बाद निम्नलिखित नया खंड २१-क के रूप में रख दिया जाय—

"२१-क— मूल अधिनियम की धारा १५४ में शब्द 'विक्रय या दान' के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय —

"तथा किसी तरह से अर्जित भूमि"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१, की धारा १५६ का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा १५६ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(१) कोई भूमिधर, सीरदार अथवा असामी निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर अपने खाते की भूमि लगान पर किसी भी अवधि के लिये नहीं उठायेगा—

(क) धारा १५७ में व्यवस्थित दशाओं में, अथवा

(ख) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था को।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२-क

उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१, की धारा १५७ का संशोधन।

२२-क---मूल अधिनियम की धारा १५७ की उपधारा (१) के खंड (ङ) के अन्त में आये शब्द "हो" के पश्चात् शब्द "और जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो" रख दिये जायं।

श्री कालीचरण टंडन---श्रीमन्, माननीय भगवती प्रसाद जी मुझे अपना संशोधन मूव करने की आज्ञा दे गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, क्या श्री भगवती प्रसाद जी की लिखित अनुमति आपके पास आ गयी है?

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास तो नहीं आया लेकिन मैंने उनको अनुमति दे दी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में तो मेरा यह प्रस्ताव है कि यह तो ३६ घंटे पहले आना चाहिये था। यह तो नया प्रस्ताव है इस तरह से एकदम नहीं आ सकता।

श्री चरण सिंह---यह संशोधन नया है और इसकी कापी आपके पास पहुंच चुकी है।

श्री राजनारायण---नहीं पहुंची है।

श्री उपाध्यक्ष---आपकी सुविधा के लिये मैं इसकी कापी आपके पास भिजवा रहा हूं।

श्री कालीचरण टंडन---श्रीमन्, मैं आपके सन्मुख आपके आदेश से यह संशोधन रखता हूं कि विधेयक के खंड २२-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"२२-क--- मूल अधिनियम की धारा १५७ की उपधारा (१) में---

(१) खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

(क) अविवाहिता स्त्री अथवा यदि वह विवाहिता हो तो अपने पति से परित्यक्त हो (divorced) या अलग हो गयी हो (separated) या उसका पति खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी अक्षमता (disability) से ग्रस्त हो अथवा विधवा स्त्री हो,

(ख) ऐसा अवयस्क जिसका पिता खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी अक्षमता से ग्रस्त हो या मर गया हो, और

(२) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

(ङ) किसी स्वीकृत संस्था (recognized institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो और जिसका पिता खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी अक्षमता से ग्रस्त हो या मर गया हो।"

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइंट आफ आर्डर। मैंने आपके सम्मुख इस २२ (क) के सम्बन्ध में पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार प्रीवियस क्वेश्चन के नोटिस के सम्बन्ध में रक्खा है। इस २२ (क) पर विचार होने के पहले प्रीवियस क्वेश्चन के नोटिस पर विचार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---अभी तक तो सदन में प्रीवियस नोटिस की जरूरत ही नहीं रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मुझे निवेदन करना है कि सिलेक्ट कमेटी गम्भीरता-पूर्वक विचार करके सिफारिश दे चुकी है। अतएव २२ (क) के पुनर्संगठन पर विचार करने से इंकार करती है। श्रीमन्, यह क्वेश्चन पहली बार उपस्थित हुआ है लेकिन हाउस आफ कामन्स में जब इस प्रकार के संशोधन उपस्थित होते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन उपस्थित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो प्रक्रिया नियमावली से अपने को बाध्य समझता हूं और इसलिये इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण---जहां पर असेम्बली नियमावली साइलेंट हो वहां हाउस आफ कामन्स के नियमों को माना जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इससे सहमत नहीं हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने देखा होगा मैं भाषण में भाग नहीं ले रहा हूं ताकि शीघ्रातिशीघ्र यह प्रस्ताव पास हो जाय। लेकिन यह संशोधन इतना लम्बा है जिसका एक लफ्ज भी हम समझ नहीं पाये और इतना समय भी नहीं मिला कि हम अध्ययन कर पाते। इतने कम समय में बहस करना असंभव बात है। मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि सारे संशोधन पास हो जायं, उन पर बहस न की जाय और विधेयक पास करा दिया जाय यह मुनासिब न होगा। यह इतना गम्भीर और महत्व का संशोधन है कि उस पर हमको विचार करने का और अध्ययन करने का समय दिया जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह घोर अनुचित बात है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो अपना निश्चय दे चुका हूं और मैंने संशोधन को पेश करने की इजाजत दे दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं आपकी फायनल रूलिंग चाहता हूं। क्या कोई सदस्य इस सदन में प्रीवियस क्वेश्चन के नोटिस को किसी अमेंडमेंट के बारे में कभी नहीं उठा सकेगा?

श्री उपाध्यक्ष---यहां की प्रक्रिया नियमावली को देखते हुए इसके लिये कोई स्थान नहीं है।

श्री कालीचरण टंडन---अगर हमारे मित्र इस संशोधन को जरा शान्ति के साथ सुन लें और इसका क्या अर्थ निकलता है उसको समझने का कष्ट करें तो शायद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और न उन्हें ऐसी कोई बात अनुभव होगी जो उनकी राय में जनता के लिये अहितकर हो। जो मूल अधिनियम है उसमें यही है "अविवाहिता, परित्यक्ता या विधवा स्त्री"। क्योंकि यह जरा सा साफ नहीं हो रहा था लिहाजा इसमें यह कर दिया गया है, "अविवाहिता स्त्री या यदि वह विवाहिता हो और पति से परित्यक्ता हो" इसमें परित्यक्ता के साथ साथ यह भी रख दिया गया है "(ग) कि जिसका पति पागल या वह ऐसी असमर्थताग्रस्त हो जिसमें कि वह विधवा स्त्री हो की सी असमर्थ खेती बाड़ी में हो।" तो इस तरह से इसमें जो क्लाज (क) है उससे

यह चीज और स्पष्ट हो जाती है कि उन अवस्थाओं में उसको अधिकार प्रयोग करने का अधिकार है। (ख) में पितृहीन व्यक्ति है अगर वह उसका पिता जिन्दा है लेकिन अगर (ग) के अनुसार पागल है या असमर्थ हो गया है तो तब भी उसके पुत्र को उसका अधिकार रहे। इसको क्लियर करने के लिये यह चीज रखी गयी है। इसी तरह से (ग) के अनुसार अगर उसकी आयु पूर्ण नहीं है और उसका पिता पागल या असमर्थतावश काम नहीं करता है तो उसको इसमें सुविधा मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सिद्धान्त मान लिया गया है महज यहां पर शाब्दिक जो कमी थी वह पूरी की गयी है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---धारा २२ (क) में इस संशोधन विधेयक के लिये कई संशोधन आये हुये हैं और उन संशोधनों में से १, २ को मैं स्वीकार करना चाहता था लेकिन कुछ कम्पलीट न होने की वजह से वह लिये नहीं गये और उसका ड्राफ्ट भी ठीक नहीं था। इसलिये यह जो संशोधन है ६७ (ख) नम्बर पर श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद के नाम का संशोधन है तो उसमें भी यह बात दी गयी है और उन बातों की तरफ इशारा किया गया है। उनके मंशा को इस संशोधन में रखा गया है जो कि अभी भी श्री काली चरण टंडन ने यहां पर रखा है। मैं मोटे अल्फाज में उसको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि जिस स्त्री का पति न हो तो उसको हमने अधिकार दिया है कि वह अपनी जमीन को आगे से शिकमी पर लगान पर दे सकती है लेकिन मान लीजिये कि जिसका पति जिन्दा है और वह इसी धारा १५७ (ग) की परिभाषा के अन्दर है अर्थात् पागल है, जड़बुद्धि है या अन्धा है या किसी शारीरिक असमर्थता के कारण खेती करने से मजबूर है तो वह उठा सकता है। तो जो दलील है इसके पीछे वह यह है कि जायदाद रखने वाली स्त्री विधवा या सधवा के लिये इस तरह से नहीं होना चाहिये कि वह लगान पर अपनी जमीन उठा सके लेकिन उसका पति जिसमानी तरीके से और दिमागी तरीके से ठीक है और वह खेती कर सकता है तब तो उसको उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिये लेकिन अगर स्त्री खेती नहीं कर सकती है और उसका पति खेती करने के काबिल नहीं है असमर्थ है, या पागल है तो उसके लिये हमने रखा है कि पति सीर रखता है और अगर पति खुद पीड़ित है और असमर्थ है, अक्षम है पागल है, जड़बुद्धि है, पति की सहायता का उसको लाभ नहीं है तो उसको उठाने का अधिकार है। आगे चल कर यह भी है कि हमने नाबालिग को अख्तयार दिया है कि वह अपनी जमीन को शिकमी पर दे सकता है लेकिन ऐसा नाबालिग ही दे सकता है जिसका बाप मर गया है। अगर जिन्दा के लिये रखते तब तो सब ही ऐसा करने लगते लेकिन हमने ऐसा किया है कि अगर नाबालिग का पिता मर गया है तो वह अपनी सीर को दे सकता है। जो हमने स्त्रियों के पति के लिये रखा था वही हमने नाबालिग के लिये रखा है। बाप अगर जिन्दा भी हो और अगर वह पीड़ित है, अन्धा है या असमर्थ है तो वह उठा सकता है। ऐसे नाबालिग के बाप को इजाजत होगी कि वह लगान पर शिकमी को उठा सके। इसी तरह से उन विद्यार्थियों के लिये जो स्कूल या कालेज में पढ़ते हैं और १२२ (क) के अनुसार अगर उनका बाप जिन्दा है तो वह अपनी जमीन को लगान पर नहीं दे सकता है। बाप जिन्दा है और वह अन्धा है तो चाहे वह नाबालिग हो या १८ वर्ष से अधिक हो गया हो, बालिग हो गया तो उसको भी इजाजत होगी कि वह अपनी जमीन को लगान पर दे सके। इन सब बातों को महसूस करते हुये यह बातें इसमें नोट की गयी हैं और उसके ड्राफ्ट को भी ठीक कर दिया गया है। उसकी यह मंशा है, मैं समझता हूं कि इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। माननीय राजा साहब तो पीछे बैठे हुए हैं, समझने की कोशिश तो वे करते नहीं हैं फिर उनकी समझ में कैसे आये? यह अमेंडमेंट लम्बा जरूर मालूम पड़ता है लेकिन बहुत ही सरल है। आशा है, हाउस इसको मंजूर करेगा।

*श्री उम्मेद सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो संशोधन है उसमें कुछ बातें अच्छी हैं लेकिन अगर वे एक बात और मान लें तो बहुत अच्छा हो, वह यह कि यदि वह भूमि किसी दूसरे गांव की हो और पिता अलग रहता हो उसको भी यह अधिकार दे दिया जाय तो हम फिर अपना संशोधन २२--क निकाल दिये जाने की बाबत जो है उसको मूव नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ऐतराज यह है कि १५७--बी में मौजूदा कानून यह है कि कोई भी छात्र जो किसी रिकग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ता है वह २५ वर्ष तक सब लैटिंग कर सकता है तो संशोधित कानून में कह दिया है कि ऐसा छात्र जिसका पिता न हो। हमारा ऐतराज यह है और हमने असहमति की टिप्पणी भी लगायी थी कि छात्र की अलहदा की जायदाद हो जिसका मौरूसी जमीन से कोई वास्ता न हो, यह कोई असंभव बात नहीं है कि कोई लड़का अपनी ननिहाल से कोई गिफ्ट पाये और चूंकि बाप गरीब है वह दूसरे गांव में नहीं जा सकता तब उसके लिये वहां जाकर खेती करना मुश्किल होगा।

(इस समय रात्रि के ११ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

१५७--क में जो संशोधन है वह कानून को तब्दील करता है क्योंकि बिला बाप के तो पहले ही आ चुका है, यह ऐसे छात्र के लिये था जो पढ़ रहा हो, जो खेती करने के नाकाबिल हो अपने पढ़ने की वजह से, यह कोई जरूरी नहीं है कि उसके पिता की कोई अलग जायदाद हो। ऐसी हालत में अगर माननीय मंत्री जी यह भी मान लेते हैं कि अगर वह लड़का ऐसा है जिसकी दूसरी मां है तो उसके लिये एक्सेप्शन कर दिया जाय कि छात्र की जायदाद अलहदा हो और जिसका बाप दूसरे गांव में रहता हो। अगर माननीय मंत्री जी इसको मान जाते हैं तो हम अपना २२--क वाला अमेंडमेंट वापिस लेने को तैयार हैं। मैं आशा करता हूं कि क्योंकि यह बहुत ही सामान्य सी बात है इसलिये माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय टंडन जी ने जो संशोधन रक्खा है, मैं उसकी खिलाफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जब उसमें 'परित्यक्ता' और 'विधवा' स्त्री का प्रस्ताव था, तभी विरोध किया था लेकिन इसमें तो और भी ज्यादा स्कोप कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि परित्यक्ता के माने अलहदा रहने वाली के होते हैं तो जितने राजा महाराजा हैं, बड़े बड़े किसान हैं, उनकी स्त्रियां तो हमेशा ही पति से अलहदा रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके कई-कई मकान होते हैं जिनमें से किसी में उनका लड़का रहता है, किसी में वे रहते हैं, किसी में उनकी स्त्री रहती है। अधितकर सब अलग-अलग ही रहते हैं। छोटे-छोटे किसानों के पास मकानों की कमी रहती है इसलिये वे लोग इकट्ठा रहते हैं। इसलिये अगर उन लोगों को अधिकार दे दिया जायगा तो किसानों की जो गाढ़े पसीने की कमाई है उसका ये लोग दुरुपयोग करेंगे और गरीब लोगों को बेदखल करा देंगे। मैं तो यह समझता हूं कि हमारा जो जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट है उसमें यह संशोधन विधेयक एक खाज है तथा उसमें इस परित्यक्ता का बढ़ाया जाना खाज में कोढ़ के समान है क्योंकि इसके द्वारा माननीय टंडन जी जो चाहते हैं उसके द्वारा, उसके बहाने से न जाने कितने किसानों को बेदखल कर दिया जायगा। जितने बड़े-बड़े काश्तकारों के किसान हैं उन सब को बेदखल कर दिया जायगा और वे लोग उस जमीन को सब लेट कर लेंगे। जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य तो यह था कि जो खेती करे उसी को जमीन पर अधिकार मिलना चाहिये लेकिन यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह इसके बिल्कुल विपरीत जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक २५ वर्ष तक के छात्र की उम्र का प्रश्न है, यह कोई नहीं चाहता कि छात्र न पढ़े, उन्हें पढ़ना चाहिये, लेकिन देखा यह गया है कि जब कोई लड़का १०वीं कक्षा में ही पढ़ता है तो वह खेती की ओर जाना ही पसंद नहीं करता लेकिन जब वह कालेज में पढ़ेगा तब भी वह खेती करेगा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। पढ़े लिखे खेती करें यह माननीय राजस्व मंत्री जी का एक नया आविष्कार ही होगा। इसलिये मैं तो यही समझता हूं कि यह भी शिकमी काश्तकार के अधिकारों पर कुठाराघात है और जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है।

श्री कालीचरण टंडन—अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि पहले अनुरोध किया, अगर माननीय जोरावर जी उसको गौर से सुनते अथवा माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो सफाई दी उसको समझते तो मेरा खयाल है कि वह इसका स्वागत करते। मैं अब फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि वे फिर इसको समझ लें। मूल अधिनियम में ही परित्यक्ता, विधवा और अविवाहित स्त्री का स्थान है, जिसे आप स्वीकार कर चुके हैं। अब एक दशा ऐसी भी आती थी कि अगर कोई स्त्री ऐसी है जिसका पति पागल हो गया है या अंधा अथवा असमर्थ हो गया है तो विधवा या परित्यक्ता स्त्री की भांति असमर्थ, पागल या अंधे की स्त्री को भी अपने खेत उठाने का अधिकार दिया गया है।

दूसरे खंड में यह दिया गया है कि जिस नाबालिग बच्चे के पिता पागल या असमर्थ हों तो उस नाबालिग के केस में भी जमीन उठाने का अधिकार दिया गया है।

इसी तरह से तीसरे खंड में जो स्वीकृत संस्थायें हैं जिसको कि मूल अधिनियम में स्वीकार कर चुके हैं पहले उसमें भी ऐसे विद्यार्थी के पिता जो कि बालिग हैं लेकिन वह पागल, अंधा या और दूसरी तरह से बिलकुल असमर्थ हैं तो उन बच्चों के नाम भी जो काश्त है वे भी उठाये जा सकते हैं।

यह इस संशोधन का तात्पर्य है। इससे कोई उस बात पर असर नहीं पड़ता जिसको हमें कहना चाहिये या जो किसानों से खेत छीन लेने का खतरा माननीय जोरावर वर्मा जी को मालूम पड़े। इसमें तो यह है कि अब तक की असमर्थता के अनुसार जो आपने स्वीकार किया है कि वे लोग अपनी काश्त को शिकमी काश्तकार के पास उठा सकते हैं। उन लोगों को वे अपना सीरदार नहीं बना सकते। उसी तरह से यह असुविधा महसूस करते हुये उसको रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आन ए प्वाइंट आफआर्डर सर। आपने परसों यह व्यवस्था दी थी कि अगर किसी अधिष्ठाता द्वारा या उपाध्यक्ष द्वारा दी हुई रूलिंग कोई निराधार हो तो इस प्रश्न को मेरे सामने लाया जा सकता है। मैंने २२(क) के संबंध में जो प्रीवियस क्वेश्चन है .....।

श्री अध्यक्ष—मैंने ऐसी बात को अपने कमरे में कहने को कहा था। उपाध्यक्ष की रूलिंग को इस वक्त यहां सदन में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मैंने तो यह कहा था कि आप बजाय सदन में उपस्थित करने के इस बात को लेकर मेरे कमरे में आ जायं तो मैं उसके ऊपर गौर करके यदि उचित समझूंगा तो अपनी ही रूलिंग उसे मान कर उसको चेंज कर सकता हूं। इस तरह से आप तत्काल इस सदन में किसी पहले निर्णय के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उपस्थित कर सकते हैं। मैंने तो आपसे अपने कमरे में आने को कहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्रश्न यह है कि.....

श्री अध्यक्ष—इस वक्त ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठ जायं। इस वक्त पहिली रूलिंग के संबंध में कोई फैसला मैं नहीं देने जा रहा हूं।

श्री कालीचरण टंडन--मैंने इसीलिये अपने मित्र को स्पष्ट कर दिया था कि आपने अब तक की जो अयोग्यता स्वीकार की है वह तो खत्म हो गया है, जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि उस संबंध में कई संशोधन आये और उनके मुताल्लिक वैधानिक रूप, एक सुन्दर रूप, आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे आशा है कि इसके ऊपर काफी प्रकाश डाला जा चुका है इसलिये अब इस पर ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है और इसलिये मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड २२-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

२२-क--मूल अधिनियम की धारा १५७ की उपधारा (१) में (१) खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(क) अविवाहिता स्त्री अथवा यदि वह विवाहिता हो तो अपने पति से परित्यक्त हो (divorced) या अलग हो गयी हो, (separated) या उसका पति खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी अक्षमता (disability) से ग्रस्त हो अथवा विधवा स्त्री हो ;

(ख) ऐसा अवयस्क जिसका पिता खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी अक्षमता से ग्रस्त हो या मर गया हो, और

(२) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(ङ) किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो और जिसका पिता खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी अक्षमता से ग्रस्त हो या मर गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक चीज सदन के सामने रख देना चाहता हूं और वह यह है कि इस वक्त एजेंडा के ९ सफे से लेकर २८ सफे तक, कुल १९ सफे बाकी हैं। अगर उनको मैं पढ़ना ही शुरू कर दूं तो मैं समझता हूं कि १९ सफे पढ़ने में १२ बज जायंगे। मैं समझता था कि अब तक प्रगति काफी हो जायगी लेकिन यह प्रतीत होता है कि प्रगति बहुत धीरे हुयी ऐसी अवस्था में अब .....

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि साढ़े ११ बजे के बाद .....

श्री अध्यक्ष--आप अभी बैठने की कृपा करें। मैं पहले अपनी बात कह लूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, यह तो अजीब सी बात हो जायगी कि आप अपनी रूलिंग को बदलते रहें। आपको अभी से क्या जरूरत पड़ गई....

श्री अध्यक्ष--आप खामोश रहें। जब तक मैं बोलता हूं आप खामोशी से सुनिये तो मैं चाहता हूं कि अब साढ़े ११ बजे तक जो खंड आयें उनमें हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि संशोधनों पर ज्यादा न बोल कर एक ही सज्जन बोलें, मैंने आपके सामने सुझाव रखा कि इस तरह से दो तीन खंड साढ़े ११ तक और निकल सकते हैं और उसके बाद मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करूं।

श्री उमाशंकर---अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक संशोधन आपके पास लिख कर भेजा था। वह मैं पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं अब ऐसा कोई संशोधन स्वीकार नहीं करूंगा। आप अपना ६९ नम्बर का संशोधन जो एजेंडे पर है पेश कर सकते हैं।

नया खण्ड २२--कक

श्री उमाशंकर---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२--क के बाद निम्नलिखित खंड २२--कक के रूप में जोड़ दिया जाय---

"२२--कक---मूल अधिनियम की धारा १६९ की उपधारा (२) में जहां 'दित्सा (वसीयत)' शब्द है उसके आगे शब्द 'या किसी तरह से (ट्रांसफर) संक्रमण' बढ़ा दिये जायं।"

श्रीमन्, इसमें भी मेरी भावना वही है जो पहले संशोधन में थी। मैं तो यह विश्वास करता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी यह चाहते हैं कि जमीन के छोटे टुकड़े न हों बल्कि अब से जमीन जो बंटे वह उचित तरीके से बंटा करे। लेकिन यहां जो वातावरण है उससे माननीय राजस्व मंत्री जी का दिमाग बिलकुल विक्षिप्त हो गया है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारी नुक्सान हो जाने वाला है। एक तरफ तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने.....

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे यह कहूंगा कि आप 'विक्षिप्त' का जो अर्थ समझते हैं वह अर्थ उसका है नहीं। उसका तो 'पागल' का अर्थ हो जाता है। इसलिये इसको आप वापस लें।

श्री उमाशंकर---मैं उसको वापस लिये लेता हूं, मेरा मतलब भी पागल का नहीं था लेकिन वातावरण जो गर्म हो गया है ....

श्री अध्यक्ष---आप उसको 'क्षुब्ध' कह सकते हैं।

श्री उमाशंकर---तो मैं यह कह रहा था कि जहां अविवाहिता स्त्री वगैरह को अधिकार नहीं दिया गया है कि वह वसीयत कर सकें, वहीं यह भी कर दिया जाय कि वे किसी तरह संक्रमण न कर सकें। अगर ऐसा न किया गया तो जमीन दूसरी उचित जगह न जाकर गैरवाजिब जगह चली जायगी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह शब्द जोड़ कर इस धारा की मंशा को और मजबूत कर दिया जाय और जहां जमीन उचित हो उस जगह जाय।

मैं स्पष्ट करता हूं कि मेरी मंशा केवल यह है कि इस १६९ धारा का मंशा हल हो जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरे पीछे जो संशोधन आये हैं उनको ले लिया गया है, यह मैं समझता हूं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मेरा संशोधन नहीं आया और दूसरे संशोधन ले लिये गये हैं, उससे मुमकिन है कि औरतों को भुलावे में लाया जा सकता है। लोभ देकर भुलवाया जा सकता है। मुकदमे दायर हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें तमाम सूबे भर में हो रही हैं इसलिये कानून में जो राजस्व मंत्री जी का मंशा है वह पूरा नहीं हो रही है और मेरा जो संशोधन है वह उनकी मंशा को पूरा करने वाला है। मुझे उम्मीद तो यही है कि माननीय राजस्व मंत्री जी मेरे इस संशोधन को मान लेंगे लेकिन अगर कुयें में भांग ही पड़ जाय तो उसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जो चीज मैं ठीक समझता हूं उसको उनके कानों में डाल दूं।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यह लिमिटेड ओनर्स हैं, स्त्रियां सब इसमें गिनाई गई हैं जो वह जब तक जीवित हों तब तक जायदाद रखने का उनको हक है। जब मर जायंगी तो फौरन उनकी जायदाद दूसरे लोगों को पहुंच जाती है। इसलिये वसीयत का हक नहीं था क्योंकि वसीयत का एफेक्ट मरने के बाद होता है। और मरने के बाद हक किसका हो? इसलिये औरतों को वसीयत की मनाही की गई और ट्रांसफर की मनाही

[श्री चरणसिंह]

इसलिये नहीं होती है कि जब तक ट्रांसफर अथारिटी होती है तब तक वह जिन्दा है। मान लो कि वह ट्रांसफर न करे जब तक वह जिन्दा रहे और अपने पास जायदाद रखे तो वह किसी दूसरे आदमी के पास पहुंच नहीं सकती और मर जाय तो रिवर्शनर्स को जायदाद पहुंचेगी। इसीलिये बिल की मनाही की गई ट्रांसफर की नहीं। ट्रांसफर की मनाही की जाती तो उनका राइट खत्म हो जाता है और ट्रांसफर का रोकना तो बिलकुल ही गलती हो जाती। असल में वसीयत का रोकना ही ठीक था।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२-क के बाद निम्नलिखित नयेख ण्ड २२-कक के रूप में जोड़ दिया जाय--

"२२-कक मूल अधिनियम की धारा १६९ की उपधारा (२) में जहां 'दित्सा (वसीयत)' शब्द है उसके आगे शब्द 'या किसी तरह से (ट्रांसफर) संक्रमण' बढ़ा दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२-क के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २२-कक के रूप में रख दिया जाय--

"२२--कक--मूल अधिनियम की धारा १६९ की उपधारा (२) में शब्द 'विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामह, पितामही, अविवाहित पुत्री या अविवाहित बहिन' के स्थान पर शब्द 'विधवा पत्नी, पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent), माता, पुत्री, पितामही (father's mother), पुत्र की पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन (half-sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो' रख दिये जायं।"

श्री नारायण दत्त तिवारी--प्वाइण्ट आफ आर्डर सर। माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने जो नया खंड २२-कक जोड़ने के लिये रखा है इसका संबंध अगर आप इसको देखें तो मालूम होगा कि इससे नहीं है और यह अमेंडमेंट रिलीवेंट नहीं है। यह अमेंडमेंट जो क्लाज मूल अधिनियम की धारा का है खंड २२-क उससे संबंधित नहीं होता। तो इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को अनियमित करार दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आपका सिर्फ इतना ही कहना है कि २२-क से यह संबंधित नहीं होता यह तो नया खंड २२-क के पश्चात् २२-कक है। इसके लिये संबंधित होना आवश्यक नहीं है और इसलिये मैं इसको वैध करार देता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२-क के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २२-कक के रूप में रख दिया जाय--

"२२-कक--मूल अधिनियम की धारा १६९ की उपधारा (२) में शब्द 'विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामह, पितामही, अविवाहित पुत्री या अविवाहित बहिन' के स्थान पर शब्द' विधवा पत्नी, पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant in the male line of descent) माता, पुत्री, पितामही (father's mother) पुत्र की पुत्री बहिन या सौतेली बहिन (half-sister) जो मृतक के पिता की पुत्री हो' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---९६

विपक्ष में---२०।)

श्री अध्यक्ष---अब साढ़े ग्यारह बजने में एक मिनट बाकी है इसके बाद कोई विवाद नहीं होगा। इसलिये एक तरीका मैंने यह रखा है कि मैं संशोधन के लिये नाम पुकारूंगा जो खड़े होंगे उनके संशोधन के लिये मैं राय ले लूंगा, जो नहीं खड़े होंगे मैं समझूंगा कि वह नहीं चाहते हैं कि उसके ऊपर मत लिया जाय।

प्रश्न यह है कि नया खंड २२-कक इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैं विभाजन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब घंटी नहीं बजेगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यह किस नियम के मुताबिक आप कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह किस नियम के अनु सार आप घंटी बजाने के लिये कह रहे हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि कामनसेंस है।

श्री अध्यक्ष---मैं आर्गूमेंट नहीं चाहता। आप अपनी सीट रिज्यूम कीजिये। मैंने यह निश्चय किया है कि तीन मिनट का समय जो घंटी बजानेमें लगता है, अब एक मिनट का समय दूं। अब दरवाजे भी बन्द हैं। दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं अब जो कोई माननीय सदस्य आयेंगे और दरवाजे खटखटायेंगे तो हमारे आदमी दरवाजों पर रहेंगे और उनको अन्दर कर लिया जायगा लेकिन घंटी बार-बार बजाने की जरूरत नहीं है। इसके लिये नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है मैं आब्सट्रक्शन्स के लिये किसी तरह से मदद नहीं कर सकता हूं बार-बार के घंटी बजाने में तीन तीन मिनट खराब होते हैं इसलिये बार-बार घंटी नहीं बजेगी। जो बाहर से अन्दर आना चाहेंगे उनको अन्दर ले लिया जायगा।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय यह तो एक नई परम्परा देखी जा रही है आप जैसा चाहें करें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, परम्पराये नई ही कायम होती है मैं माननीय सदस्यों का नाम लूंगा जिनके नाम संशोधन है। जो अपने संशोधन पर मत लिवाना चाहते हैं वह कृपा करके अपनी जगह खड़े हो जांय जब उनका नाम पुकारा जाय और मैं उन पर मत ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नया खंड २२-कक इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---९५

विपक्ष में---२०।)

खण्ड २२-ख

२२---ख---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

१७१---"यदि कोई पुरुष भूमिधर सीरदार या असामी मर जाय, तो उसके खाते में उसके स्वत्व को उत्तराधिकार धारा १६९ और १७३ के निदेशों को बाधित न करते हुये निम्नलिखित क्रम से होगा---

(क) पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज (male lineal descendants in the male line of descent) किन्तु;

प्रतिबन्ध यह है कि पिता के पूर्व मरे हुये पुत्र के पुत्र या पुत्रों को, वे चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो मृत पुत्र को, यदि वह उस समय जीवित होता मिलता।

(ख) विधवा पत्नी।

(ग) पुत्र, पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशजों में से किसी की विधवा पत्नी (Widow of male lineal descendants in the male line of descent)।

(घ) पिता।

(ङ) माता जिसने अपना पुनर्विवाह न किया हो।

(च) भाई अर्थात् मृतक के पिता का पुत्र।

(छ) पुत्री।

(ज) नवासा (Daughter's son)।

(झ) भतीजा अर्थात् मृतक के पिता के पुत्र का पुत्र।

(ञ) पितामह (Father's father)।

(ट) पितामही (Father's mother) जिसने अपना पुनर्विवाह न किया हो।

(ठ) पुत्र की पुत्री।

(ड) बहिन।

(ढ) बहिन का पुत्र।

(ण) सौतेली बहिनें।

(त) भाई के पुत्र का पुत्र

(थ) पितामह का पुत्र।

(द) पितामह का पौत्र।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२-ख में प्रस्तावित धारा १७१ की उपधारा (क) नीचे प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "या पुत्रों" निकाल दिये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने अभी संशोधन पेश नहीं किया है। वोटिंग कैसे हो रही है?

श्री अध्यक्ष---मैंने पहले ही कह दिया है कि सदस्यों का नाम लूंगा और माननीय सदस्य जो खड़े होंगे उनके संशोधन पर मैं मत ले लूंगा इसलिये आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर अवैध है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर मत लिये गये, इस बीच में नीचे लिखी कार्यवाही हुई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, आपके गणक ने बहुत जल्दी-जल्दी में गिना है। मैं समझता हूं कि जो ठीक नहीं है इसलिये मैं चाहता हूं गणना करने के लिये आप फिर से इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष---पता चल जायगा। पहले ९५ पक्ष में और २० विपक्ष में थे अब भी वही होंगे क्योंकि बाहर से अभी कोई नहीं आया है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसमें तो और भी शक की गुंजाइश है।

(हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार प्रश्न स्वीकृत हुआ

पक्ष में---९५

विपक्ष में---२०।)

(श्री ब्रजवासीलाल का नाम पुकारे जाने पर श्री काली चरण टंडन खड़े हुये। इस पर श्री नारायणदत्त तिवारी ने आपत्ति की)

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य की आप के पास लिखित परमिशन आई है।

श्री अध्यक्ष---यही प्रश्न मैंने आप से भी एक मर्तबा पूछा था और आप को अनुमति दी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह तो आपने मुझ पर कृपा की थी।

श्री अध्यक्ष---बस तो ठीक वही कृपा उनके लिये समझ लीजिये।

प्रश्न यह है कि खंड २२-ख में प्रस्तावित धारा १७१ की उपधारा (ग) के अन्त में शब्द "जिसने अपना पुनर्विवाह न किया हो" तथा अंतिम पंक्ति में शब्द " descent " के बाद शब्द " who has not remarried " बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---९५

विपक्ष में---९।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२---ख में प्रस्तावित धारा १७१ की उपधारा (छ) को (च) तथा (च) को (छ) लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ -

पक्ष में---२०

विपक्ष में---८९।)

सदन का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालीचरण टंडन---मैं एक प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा चाहता हूं। चूंकि १७ सितम्बर, १९५४ में सदन उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को अपने तारीख १५ सितम्बर, १९५४ के निर्णय के अनुसार पारित करने में कुछ कठिनाई अनुभव करता है, अतः सदन निश्चित करता है कि १७ सितम्बर के रात को १२ बजे के बाद भी सदन की बैठक की कार्यवाही एक घंटे और जारी रखी जाय और सदन उक्त विधेयक पारित कर के ही उठे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं आपका ध्यान नियम की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो कि रेजोल्यूशन्स के संबंध में है। इसके अनुसार किसी भी ड्राफ्ट के लिये पहले तो ७ दिन की नोटिस आने की जरूरत है, यह तो सब से पहला प्वाइंट है .....

श्री अध्यक्ष---सदन की चालू बैठक का समय बढ़ाने के लिये कोई नोटिस की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक बात और है मैं आपका ध्यान नियमावली के पेज १८, नियम ८८ की तरफ दिलाना चाहता हूं ---

"संकल्प की पुनरावृति---जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका हो, तब ऐसा कोई संकल्प या संशोधन जिससे सारतः वही प्रश्न उठाया जाय, पहले संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायगा।"

तो श्रीमन्, अभी जो प्रस्ताव इसी सार का आज ही के दिन के लिये और इसी सिटिंग के लिये ५-४ दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से हो चुका है, तो चाहे संशोधन मोशन हो या रेजोल्यूशन हो, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नियमावली के नियम ८८ के अनुसार आ ही नहीं सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मेरा दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा निवेदन यह है कि आपने रूलिंग दे दी थी कि साढ़े ग्यारह के बाद विवाद बन्द हो जायगा और जो संशोधन रह जायंगे उनके उठाने वालों के आप नाम पुकारेंगे और जो लोग खड़े हो जायंगे उनके संशोधन पर वोट ले लेंगे। उसके बाद अब कोई नया प्रस्ताव आ सकता है और विवाद हो सकता है? इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जहां तक श्री नारायण दत्त तिवारी जी का आक्षेप है वह तो मैं समझता हूं कि वैधानिक नहीं है। एक तो उन्होंने यह बताया कि रिपीटीशन है। रिपीटीशन उसको कहते हैं जिससे पहिले का संकल्प दुहराया हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सारतः

श्री अध्यक्ष---न प्रस्तुत संकल्प वह सार है और न वह आशय है क्योंकि जो संकल्प पहले था उसका आशय यह था कि आज १२ बजे तक विधेयक खत्म होना चाहिये। और इसमें सिर्फ यह है कि चूंकि खत्म नहीं हो रहा है इसलिये समय बढ़ाया जाय। एक नया विचार उनके सामने आया क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। यह बिलकुल नयी बात है। इसलिये यह रिपीटीशन नहीं कहा जा सकता है। नियम में 'रिपीटीशन' शब्द है जो नहीं होना चाहिये। दूसरा प्वाइंट आप का क्या था?

श्री नारायण दत्त तिवारी---मेरा प्वाइंट यह था कि या तो उसका प्रस्ताव माना जाय, और अगर ऐसा हो तो सात दिन के नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये मैंने आप से कहा कि मोशन जो है वह सदन का जो टाइम मुकर्रर हो चुका है उसको बढ़ाने का है। १७३ नियम में दिया हुआ है ---

Motion without notice—The following motions may be made, if the Speaker permits, without notice.

(ix) motion to extend duration of a meeting.

तो आज मीटिंग खत्म होने का समय १२ बजे तक था। अब वह चाहते हैं कि उसका समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि विधेयक पारित करना इस समय में फिजिकली इम्पासिबिल है। इसलिये वह एक संशोधन चाहते हैं। इसलिये इसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने यह बताया कि मैंने एक रूलिंग दी थी कि मैं साढ़े ग्यारह बजे वोट लेना शरू कर दूंगा। मैंने उसके साथ-साथ यह भी कहा था कि यह भी तरीका हो सकता है कि बारह बजे घड़ी बन्द कर दें। लेकिन घड़ी बन्द करने की आवश्यकता तब है जब सदन कोई दूसरा रास्ता न निकाले। अगर कोई दूसरा रास्ता निकाल ले तो अधिक अच्छा हो क्योंकि मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता हूं कि घड़ी को बन्द करके अपने को हिप्नोटाइज सदन कर दें और समझ ले कि घड़ी चल नहीं रही है। मैंने कहा था कि यह है एक तरीका ऐसा हुआ करता है। लेकिन अगर दूसरा तरीका कोई उचित निकल सकता है कि सदन खुद अपनी राय से कुछ समय अधिक बैठ जाय, अब

भी सदन की राय हो जाय कि दो दिन बैठा जाय तो मुझे आपत्ति नहीं हो सकती है। इसलिये इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि अगर सदन राय बदलना चाहता है तो वह बदल सकता है और मैं सदन के ऊपर छोड़ सकता हूं कि सदन अपना निर्णय कर ले समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर। अगर कोई इस संकल्प पर संशोधन हो तो उसको भी मैं ले लूंगा। आप कह सकते हैं कि सबेरे तक, या दो रोज तक समय बढ़ा दिया जाय। लेकिन कम से कम यह बात मान कर संशोधन इस संकल्प पर होगा कि सिटिंग जारी रहेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। चूंकि आपने बतलाया कि नियम १७३ के अनुसार एक मोशन का प्रस्ताव है इसलिये नियम १७४ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसको अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में पढ़े देता हूं।

"A motion must not raise a question substantially identical with one on which the Assembly has given its decision in the same session:

Provided that nothing herein contained shall, unless the Speaker in any case otherwisex directs, be deemed to prevent the making of any of the following motions'.

श्री अध्यक्ष—बस रहने दीजिये। 'सबस्टेंशियली दी सेम' यह नियम के शब्द आप ध्यान में नहीं रखते। इसमें सीधी सी बात है। इसलिये यह आपत्ति अवैधानिक है।

श्री शिवनारायण —मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन तीन घंटे और बैठे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आप ने तो इसे अनियमित करार दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन मैंने संकल्प में संशोधन करने की तो अनुमति दे दी है। आप पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं।

महाराजकुमार बालेंदुशाह—अध्यक्ष महोदय, एक प्रतिलिपि मुझे भी प्रदान करने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष—आप जो सारांश समझ रहे हैं अगर वह मुझे बतला दें तो मैं आप का भी संशोधन ले लूं। अपने संशोधन को आप जबानी पेश कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जब तक लिख कर न दिया जाय तब तक समझ में आना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—समझ में आ जायगा। जो लोग भी संशोधन देना चाहते हैं वे दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—मुझे संशोधन देना है।

श्री अध्यक्ष—संशोधन देना आप शुरू कर दें।

श्री राजनारायण—मेरा संशोधन यह है कि जब माननीय टंडन जी के संशोधन द्वारा सदन अपना एक निश्चय बदल रहा है जिसमें पहले आज १७ तारीख के १२ बजे तक इस विधेयक को पास करने के लिये कहा गया है था तो हम सोचते हैं श्रीमन्, कि जो धारायें रह गई हैं उन पर अच्छी तरह से वादविवाद हो सके। अब श्रीमन् आप भी महसूस करते होंगे कि किस एक विचित्र परिस्थिति में आप भी पड़ गये हैं इस सदन के हम सब लोग पड़ गये हैं। सबेरे आप ने एक तरह का सुझाव दिया था और इस घड़ी को कैद करने की बात कही थी और हमने भी एक सुझाव दिया था माननीय राजस्व मंत्री जी को कैद कर लिया जाय, लेकिन वह बात हो नहीं सकती, वह तो जनता ही कर सकती है.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । यह दरवाजा इसलिये बन्द किया गया था कि गिलोटिन प्रस्ताव पर विवाद हो रहा था, लेकिन अब तो समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव आ गया है । इसलिये पहले दरवाजे खोले जायं ताकि लोग बाहर जा सकें ।

श्री अध्यक्ष---दरवाजे खोल दिये जायं ।

(दरवाजे खोल दिये गये ।)

*श्री राजनारायण---इस समय कुछ अच्छा नक्षत्र मालूम होता है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी यहां हैं, माननीय हाफिज साहब भी यहां पर हैं । केवल पन्त जी यहां पर नहीं हैं । कमला पति जी भी अभी दिखाई दिये थे । तो इन सब लोगों के सामने मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग माननीय राजस्व मंत्री जी की हठवादिता को देखें । एक समय यह विधेयक इस सदन के सामने आया और फिर यह सेलेक्ट कमेटी में सरकार के द्वारा ही भेजा गया । सेलेक्ट कमेटी में सारी बातें हुयीं । श्रीमन्, दुनिया की हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है इसलिये मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी को सम्बोधित कर के विशेषरूप से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी इसको सुन लें कि इस प्रकार का एक भी उदाहरण वह हमको दे दें कि जहां पर सरकार के द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत हुआ हो और फिर वह विधेयक सरकार द्वारा सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया हो और सेलेक्ट कमेटी से फिर जब वह विधेयक विचार करने के लिये आया हो तो उस विधेयक में सरकार की ओर से ६० संशोधन आये हों । वे करीब १४४ संशोधन हैं जिसमें से आधे संशोधन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के हैं.....

श्री कालीचरण टंडन---श्रीमन्, एक प्रस्ताव सदन के सामने पेश हो चुका है तो उसी पर बहस करना चाहिये । दूसरी तरफ हमारे दोस्त इसलिये प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं कि घड़ी में १२ बज जायं और यह प्रस्ताव सदन के सामने पेश न हो सके । मैं समझता हूं कि इस पर उचित व्यवस्था की जरूरत है जिससे इसके ऊपर विचार हो सके । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इसके ऊपर पहले वोट लें और फिर बाद में दूसरी बात पर बहस करने की इजाजत दें ।

श्री अध्यक्ष---वह तो उनका अमेंडमेंट है और उसके ऊपर वह बोल रहे हैं । दूसरे सदन के सामने समय बढ़ाने का प्रस्ताव है । वह पेश हो चुका है । उसके ऊपर कितनी भी बहस होती जाय लेकिन फिर भी उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद निश्चय होगा । आप का प्रस्ताव बैठक का समय बढ़ाने के बारे में है तो सदन उस समय तक अवश्य बैठेगा जब तक कि इस प्रस्ताव पर मतदान न हो जाय । चूंकि आप ने १२ बजे के पेश्तर समय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है इसलिये अगर सदन १२ बजने के बाद भी बहस करता रहे तो उस पर वोटिंग होगी और फिर उसके अनुसार ही फैसला होगा ।

*श्री राज नारायण---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसके पूर्व इस सदन में जब-जब मैंने अपना यह तुच्छ निवेदन माननीय राजस्व मंत्री की सेवा में किया है तो मुझे निराशा ही हुई है किन्तु आज इस समय केबिनेट के और माननीय मेम्बर भी यहां पर बिराजमान हैं तो मैं कुछ साहस रखते हुये उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा वह देखें और इस पर विचार करें कि ५५ क्लाज का यह विधेयक रहा है और सेलेक्ट कमेटी से हो कर आया है सरकार की ओर से इसके अन्दर करीब ९५ संशोधन पेश हुये हैं यह सब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के नाम से हैं जो कि इसको पायलेट कर रहे हैं । माननीय द्वारका प्रसाद जी के नाम से यह सब संशोधन आये हुये हैं और कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप श्री राम नरेश शुक्ल के नाम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी करीब २० संशोधन हैं। कहने का मतलब यह है कि एक प्रकार से सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद भी इस विधेयक में इतने मौलिक चेंज हो रहे हैं और वह भी सरकारी पक्ष के सदस्यों की ओर से जिससे यहां पर अजीब हालत पैदा हो जाती है और फिर उस अजीब हालत को पैदा करके हम लोगों की वजह से यहां पर गिलोटिन का प्रस्ताव आता है कि तीन दिन के अन्दर बैठ कर जल्द से जल्द इसको पारित कर दिया जाय। एक-एक धारा के ऊपर ५,५ संशोधन हैं ऐसे अहम सवाल पर यों ही ५,५ मिनट बोलने से ही क्या लाभ है। जब हम अपने विचार ही इतने समय में मंत्री जी के सामने नहीं रख पाते हैं। आज हम अपने अहम सवाल पर गौर कर रहे हैं जिसमें अधिवासी का सवाल है, स्त्रियों को हक देने का सवाल है, सीरदारों को जमीन छोड़ने या न छोड़ने का सवाल है, तमाम सीरदार हैं और तमाम खातेदार हैं, एक खातेदार दूसरे खातेदार को जमीन दे सकता है या नहीं दे सकता है इस तरह के तमाम सवाल हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं और जिन का तमाम प्रदेश के किसान और ग्रामीण जीवन से सम्बन्ध है, उन तमाम चीजों को माननीय राजस्व मंत्री जी हमारी जबान बन्द कर के जादू से करना चाहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह स्वस्थ जनतंत्र प्रणाली है और क्या यही परम्परा है जिसको जनतंत्र की परम्परा कहते हैं। मैं तो श्रीमन्, आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि यह आप के सामने ही जनतंत्र प्रणाली पर कुठाराघात हो रहा है। मैं तो कहना नहीं चाहता यह तो एक तरह से हम सब इस सदन का अपमान कर रहे हैं कि इस तरह के बार बार प्रस्ताव सरकार की तरफ से आते हैं और दूसरों की जबान को बन्द करके कानून पास कराने की चेष्टा की जाती है। माननीय कमलापति जी ने कहा था उस दिन कि अब हम सब आज जनतंत्र के वृक्ष की शीतल छाया में बैठे आनन्द विभोर हो रहे हैं। क्या यही उस जनतंत्र के वृक्ष की कलुषित छाया है जिस का बड़ा चाव माननीय कमलापति जी और उनके साथी करते हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि थोड़े से मीठे शब्दों में कहें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण—मैं श्रीमन्, यह कह रहा हूं कि यहां पर इस समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी बैठे हैं, मैं उनका बहुत अदब करता हूं और माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब भी बैठे हैं मैं उन्हीं की भावनाओं को अपील करता हूं और उन्हीं को पंच मानता हूं क्योंकि वह पुरानी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और पिछली मिनिस्ट्री से केबिनेट में चले आते हैं तो आज वह बतावें कि इस तरह से जनतंत्र की परम्परा की और जनतंत्र प्रणाली की और जनतंत्र के अधिकारों की रक्षा होती है या नहीं या यह मुनासिब है कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी जिस तरह से चाहें कैबिनेट के दूसरे लोगों को घुमाया करें। मैंने इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से करीब सवा दो बजे टेलीफोन पर बातचीत की थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं माननीय चरण सिंह जी से बात करूंगा और अगर कोई तरीका निकल सकता है तो उसको निकालूंगा ऐसा उन्होंने कहा था। मैं समझता था कि जब मुख्य मंत्री जी आये थे और माननीय चरण सिंह जी की बगल में बैठे थे। तो कुछ कह कर गये होंगे कि सोशलिस्ट पार्टी द्वारा अगर कोई बात आये तो उसे मान लें। जनतंत्र व्यवस्था का और किसानों के हित का हमें लालच है कि हम हर क्लाज पर अपने विचार सदन के सामने रखने की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि सदन और सरकार को अपने दृष्टिकोण से अवगत करा सकें कि हम किसानों का हित किस चीज में समझते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं फिर निवेदन करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री के अलावा यहां पर कैबिनेट के दूसरे सदस्य माननीय सम्पूर्णानन्द जी, माननीय हाफिज जी और माननीय कमलापति जी विराजमान हैं वही आकर जनतंत्र की रक्षा करें और अपनी प्रतिभा का असर उन पर डालें। मैं श्रीमन् आप को सुझाव देता हूं कि कल और परसों हम ११ से ६ बजे तक बैठें और इसे खत्म कर दें। समझौते के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी तैयार हो जायं तब तो कोई बात ही नहीं है लेकिन वह मानते कब हैं क्योंकि मानने से तो उनके चरित्र को दोष लग जायगा।

श्री अध्यक्ष---कभी-कभी विरोधी दल की जिद भी थोड़ी रखनी ही चाहिये।

श्री चरण सिंह---जैसा आप चाहें वैसा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त इस विषय पर प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री चरण सिंह---माननीय राजनारायण जी जो चाहें करें, मैंने बिल्कुल अपना हथियार डाल दिया है।

श्री अध्यक्ष---तो मतलब यह है कि अगर आप सब लोग उचित समझें तो सर्वसम्मति से यह तय हो जाय कि कल ११ बजे से ६ बजे तक हम बैठें और परसों ११ बजे से ६ बजे तक बैठें। इस तरह से काफी समय मिल जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---वैधानिक बात यह है कि अब १२ बज चुका है, एक मिनट ज्यादा बीत चुका है और जब तारीख १८ सितम्बर शुरू हो चुकी है। तो इस सम्बन्ध में स्पीकर की रूलिंग लिखी हुई है कि सन् ५० में अन्न कंट्रोल बिल के सम्बन्ध में जब ऐसा मौका आया था तो ठीक १२ बजे सभी सदस्यों को दस्तखत करने के लिये लाबी में जाना पड़ा था। उसी तरह से जब तक सभी सदस्य लाबी में जाकर १८ सितम्बर के रजिस्टर में दस्तखत नहीं कर लेते उसके पहले कोई विवाद नहीं हो सकता। इस तरह से सदन में बैठ कर विवाद करना अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष---खैर, इसको मैं कुछ उचित आक्षेप नहीं समझता हूं क्योंकि सदन बैठा हुआ है और सदन हमेशा अपनी बैठक कंटिन्यू कर सकता है। इसके बारे में कोई रूलिंग नहीं है और यदि कभी कोई हुई हो तो उस रूलिंग को मैं ठीक मानता भी नहीं हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मुझे यह अर्ज करना है कि १२ बज चुका है, १७ तारीख खतम हो गयी। अब १८ तारीख हो गयी है। तो मेरे यहां की जो नियमावली है उसकी धारा १७ में यह लिखा हुआ है कि जब तक कार्यक्रम हमारे सामने न हो तब तक आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती। १८ तारीख का कोई कार्यक्रम हमारे सामने नहीं है, न एजेंडे में ही लिखा हुआ है यह तो १७ तारीख का एजेंडा है और १८ तारीख हो गयी है इसलिये आज इस पर वादविवाद नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं। एक समझौते की बातचीत में इस तरह से कोई झगड़े की बात नहीं उठानी चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---समझौते की बातचीत तो रही अलग जैसा कि आप हमेशा कहा करते हैं, वह सभा भवन के बाहर होगी। यहां समझौते की बात मैं नहीं कहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव १७ तारीख के १२ बजे तक के लिये था कि यह पास हो जायगा। आपने घड़ी को रोक देने के लिये कहा था लेकिन वह भी नहीं रोकी गयी तो...

श्री अध्यक्ष---मैं फैसला दे चुका हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---नियम के अनुसार हाउस को ऐडजर्न हो जाना चाहिये। आप हाउस ऐडजर्न कर दें जिससे हम लोग बाहर चले जायं। आखिर किस नियम के अनुसार कार्यवाही हो रही है, यह हम लोगों को मालूम तो हो।

श्री अध्यक्ष---इस विषय में जब मैं बोल रहा हूं तो आप कृपा करके खड़े न हों। इस विषय में मैंने फैसला दे दिया था कि जब तक यह समय बढ़ाने के संकल्प का विषय सामने रहेगा तब तक सदन बैठा रहेगा जब कि इसके ऊपर वैधानिक आपत्ति उठायी गयी थी इसी बीच में राजनारायण जी ने कहा कि एक हमारा यह संशोधन है। तो मैंने एक सुझाव दिया कि अगर यह बात सदन में तय हो सकती हो आसानी से तो हो जाय। विरोधी दल के नेता की तरफ से जब एक संशोधन हुआ और माननीय वित्त मंत्री तथा डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से अपील की गयी तो विरोधी दल का नेता जब अपील करता है तो उसकी कोई वकत होती है, और उसकी इज्जत होती है। विरोधी दल की तरफ से जो वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है उसके ऊपर उनको न बोलने देना भी उचित नहीं है तो इस बीच में अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब मिल जाय तो मैं कोई और सुझाव दे सकता हूं। और अगर कोई रास्ता नहीं निकल सकता तब तो श्री टंडन जी का संशोधन का संकल्प जो पेश ही है उसके ऊपर विवाद जारी रहेगा। हम लोग और समय तक बैठेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता ने जो अपील की कि उनको कल और परसों का दिन इस बिधेयक पर विवाद के लिये और दे दिया जाय तो क्या आप वह देने के लिये राजस्व मंत्री तैयार हैं ?

श्री चरणसिंह---मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक विरोधी दल के नेता की अपील की बात है और सहयोगी से अपील की बात है उसके लिये मैं क्या कहूं। आप जैसा उचित समझें करें। तो कैसे उनकी अपील यहां रोकी जा सकती थी। मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि ११ बजे के बाद हम कल बैठें और यह जो गिलोटीन का फैसला हम कर चुके हैं यह कायम रहे क्योंकि इस फैसले के बाद भी हम २ घंटे ले लेते हैं अपने संशोधनों को पढ़ने के लिये और आगे एक संशोधन ४ सफे का है। यह भी नामुनासिब है कि समय न दिया जाय। तो फिर ऐसा कर दिया जाय कि तीन बजे तक बहस हो और फिर तीन बजे के बाद जो गिलोटीन है वह हो। मैं परसों रह नहीं सकूंगा वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) इस विषय में आप भी बोलेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह मेरा पहला सौभाग्य है कि ढाई वर्ष में कम से कम पहली बार हमारी बात का माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ ख्याल कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि यह आखिरी होगी या क्या होगी लेकिन हम समझते हैं कि आगे भी हो और एक स्वस्थ प्रणाली कायम हो। मैं ऐसा चाहता था कि कल तो मुझे भी इलाहाबाद जाना था और परसों का प्रोग्राम बलिया का है। मैं तो खुद जल्दी चाहता हूं कि हो जाय क्योंकि सालिगराम जी का उपनिर्वाचन होने वाला है और मुझे उसी का कान्फरेंस में जाना था। इसलिये मैं लगातार बैठने के पक्ष में हूं लेकिन अगर उनको बहुत परेशानी हो और लगातार न बैठ सकते हों तो फिर कल ११ बजे से ६ बजे तक हो और उसके बाद परसों भी इसी तरह से हम बैठें। इसी के साथ साथ माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी यहां हैं और हमारे हाफिज साहब भी यहां हैं। वे लोग इन तमाम बातों का ख्याल कर सकते हैं कि हमारी क्या परेशानी है। बहरहाल अगर इतवार को ५ बजे तक न पास हो तो हम आगे भी चलें। और हम समझते हैं कि हो जायगा और अगर न हो सके तो सोमवार को भी बैठें। और अगर सोमवार को बैठक न की जाय तो उसी रोज इतवार को बैठें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उनका जो सुझाव है कि इतवार को भी बैठें। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी को इतनी जल्दी कोई नहीं है। उनका सप्लीमेंटरी बजट बजाय सोमवार के मंगलवार को लिया जाय और सोमवार को हम लोग बैठें तो सोमवार तक तो यह विधेयक जरूर ही पास हो जायगा। अगर मंत्री जी को यह बात स्वीकार हो तो मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता भी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष---(मान नीय राजस्व मंत्री से) आपका सुझाव था कि इतवार को चाहे ५ बजे के बाद बैठें, ९ या १० बजे तक बैठें। लेकिन अब एक नवीन बात समझौते से निकलने वाली है इसीलिये अगर इतवार के बजाय सोमवार को यह ले लिया जाय और सोमवार के बजाय बजट मंगलवार को लिया जाय तो कैसा रहेगा ?

श्री चरणसिंह---कल शनिवार है। कल तो खत्म हो जायगा। बात यह है कि मैं नहीं रहूंगा। कल के बाद मैं चला जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---आप नहीं रहेंगे तो वह तो (मौर्य जी तो) आपके स्थान पर रहेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शनिवार को तो बैठा जाय और सोमवार को इस विधेयक को लिया जाय और सप्लीमेंटरी बजट मंगलवार को लिया जाय। इसमें कोई हानि राजस्व मंत्री जी को नहीं होगी।

श्री राजनारायण---राजस्व मंत्री जी की दिक्कत को हम महसूस करते हैं कि रविवार के दिन उनका प्रोग्राम है तो ऐसी हालत में यह बिल सोमवार को ले लिया जाय और सप्लीमेंटरी बजट को एक या दो दिन बाद से शुरू किया जाय। वह बजाय सोमवार को शुरू करने के मंगल या बुधवार से शुरू किया जाय। ऐसा करने से इस पर लगातार बहस हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मतभेद की बात यह है कि अगर ऐसा तय न किया गया तो कल फिर ३ बजे प्रस्ताव आ जायगा और फिर वही सारी बहस शुरू हो जायगी। चूंकि रविवार को सरकारी कर्मचारियों को भी दिक्कत होगी इसलिये रविवार का सदन की बैठक न होकर सोमवार को हो और उसमें इसी बिल पर विचार किया जाय और सप्लीमेंटरी बजट एक या दो दिन बाद लिया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को कोई आपत्ति न होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं इन संशोधनों को, जो संकल्प पर दिये गये हैं, अब ले लेता हूं।

श्री राजनारायण---मेरे इस प्रस्ताव को मानने में क्या दिक्कत है। मैं समझता हूं कि इससे माननीय राजस्व मंत्री की दिक्कत भी हल हो जायगी और काम भी बन जायगा।

श्री चरण सिंह---सप्लीमेंटरी बजट पर तो बेशक एक दो दिन बाद भी बहस शुरू हो सकती है लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि १२, १३ अक्टूबर तक इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने चाहिये ; अगर यह सोमवार को पास होता है तो दो तीन दिन प्रेस में लगेंगे, दो तीन दिन लेजिस्लटिव कौंसिल में नोटिस होगा, फिर पास होने के बाद राज्यपाल के दस्तखत होंगे और फिर यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की कई मिनिस्टरियों में एक्जामिन होता है, इस सब में काफी समय लगेगा। यह तो मेरे माननीय मित्र मानेंगे कि मैं बहस से बचना नहीं चाहता। मैंने यह कहा था कि शनिवार को यह काम शाम तक खत्म हो जाय और इसी का आखिरी फैसला कर दिया जाय ताकि इस पर बहस भी हो सके और काम भी न रुके। रविवार को मैं बाहर जा रहा हूं इस वजह से उस दिन के लिये मेरी मजबूरी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री की एक यही दिक्कत है और वह यह चाहते हैं कि इस कानून पर १२ अक्टूबर तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जायं लेकिन उन्होंने जो आर्डिनेंस निकाल रखा है वह जुरिस्डिक्शन आफ कोर्ट्स के बारे में है। इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वे आर्डिनेंस धाराओं का एक विधेयक कल यहां ले आयें और हम उसे तुरन्त पास कर देंगे। मैं समझता हूं कि उसके बाद उनके सामने कोई दिक्कत नहीं रह जायगी।

श्री अध्यक्ष--- मैं तो चाहता हूं कि कोई एक तस्फिया हो जाय। यह एक नयी बात है, इस बात को स्वीकार करना राजस्व मंत्री को सम्भव न होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---The speaker should not anticipate any Thing. मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि यहां पर वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं और इसीलिये मेरी यह कहने की हिम्मत पड़ी। वह एक बार ऐसा ही कर चुके और हैं इसके अलावा उनसे यह भी कहा जा सकता है कि सप्लीमेंटरी बजट पर बजाय सोमवार के बहस मंगल अथवा बुधवार से शुरू की जाय। अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि सारा मामला आसान हो जायगा।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का प्रोटेस्ट करता हूं कि माननीय हाफिज साहब और सम्पूर्णानन्द जी का नाम लेकर मुझ पर हमला किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---(श्री चरण सिंह से) मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम इसको सोमवार को खत्म कर दें और सप्लीमेंटरी बजट मंगलवार को लिया जाय, क्या आप इसके लिये राजी हैं?

श्री चरण सिंह---जब आपकी ऐसी इच्छा है और माननीय नेता विरोधी दल अगर इससे खुश हो जायं तो मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझता हूं कि कल (शनिवार को) ११ बजे बैठेंगे और ६ बजे तक वादविवाद चलेगा। सोमवार को बैठेंगे, इतवार को नहीं बैठेंगे। मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से आज रात को यह खुशी की बात तय हुई। अब हम उठते हैं और कल (शनिवार को) ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन रात्रि के १२ बजकर १५ मिनट पर शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ सितम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे ४८५ पृष्ठपर)

प्रश्न २४ में मांगी गयी सूचना—

१—एक सुनहली घड़ी तथा सुनहला पट्टा।
२—६ सोने की चूड़ियां।
३—एक जोड़ इय रिंग।
४—एक नाग बुज्जी।
५—दो सोने की अंगूठियां।
६—एक जोड़ चांदी की छागल।
७—हिसाब रखने की एक बही तथा कुछ कागजात।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०१ पर)

Statement showing particulars in respect of instructors M. E. and S. S. T. U. P.

Serial number	Name	Past Experience		Place of Posting
		Military Services	Training attended and other qulaification	
1	2	3	4	5
1	Sri R. Sinha ..	Served in Army as Jem. and was commissioned as 2nd Lt. Thereafter promoted to the rank of Captain.	Passed Anti-Gas Training Served as Assistant Comdt. Home Guard and then transferred to P. R. D. in 1948.	Dehradun.
2	Sri Harswaran Singh..	2nd in command of Offrs. Trg. School I. N. A. Commanded a Coy. in Indian Army.	Appointed as Bn. Comdr. in S. S. T. Camp Faizabad.	Meerut.
3	Sri Amar Singh ..	Commanded a Platoon in 11/6th Rajput Regt.	Army special certificates small arms. Musketry Course. Passed A and B War Grade certificates. Held the rank of Lt. for 4 years while his service as Lecturer in Mili. tary Sc. B. R. College, Agra.	Banaras.

Statement showing particulars in respect of instr uctors M. E. and S. S. T. U. P.

Serial number	Name	PAST EXPERIENCE		Place of posting
		Military Services	Training attended and other qualification	
1	2	3	4	5
4	Sri Hanuman Prasad	Remained in Pioneer Force for 3 years, held the rank of under officer 6th Bn. Special Armed Constab.	Trained in Musketry, P. T. small arms training and also field craft, map reading and Sig. etc. Served as Field Publicity Officer for 2 years and also as Assistant Relation Officer for 6 months. Then served as Adjt. in Home Guard and as Comdt. Government Refugee Camp for 1 year.	Gorakhpur.
5	Sri S. S. Ram ..	Was attached to 1st. Kamauon R. fles. in 47	Attended cadre course in 1944 at OTS Banglore, was an Officer in UOTC, commanded 'D' Coy. 1st N.C.C., till 1948.	Lucknow.
6	Sri R. D. Sharma ..	..	Member of 1st Bn. UOTC U. P., for 5.1/2 years and held the rank of Adjt. passed War grade Attended 5 certificates 'A' and 'B' both parts. annual camps and one cadre camp each of two months duration at Mhow(C.I.) passed diploma Examination in S. S. and Rural up-lift from Allahabad University. Was declared best student for the session 46-47 under Muir College prize fund of Alld. University, Served as Coy. Comdr. in S. S. Camp Faizabad from Dec. 47 to Aug. 48, and as Adjt. from August, 1948 to October, 1948.	Allahabad.

7	Sri L. Muttoo ..	Officer cadet (U/T Pilot) G. D. Br. R.I.A.F. Officer cadet ITF.	Attended I. O. and C. T. S. R.I.A.F. Poona, and EFTS Jodhpur also O.T.S. Mhow, was attached to Indian School Artly. Deolali for trainjng.	Mathura
8	B. P. Singh Rathi ..	..	Member of UOTC held the rank of C.S.M. Served as Lecturer in economics at M. S. J. College, Bharatupur, also served as Field Instructor P. R. D.	Morabadad.
9	Sri K. C. Bali ..	Joined Army in 1944 and remained upto 1948.	Field Instructor in P.R.D, appointed as Coy. Comdr. in Social Service Camp Faizabad in 1948.	Faizabad.
10	Sri B. D. Chopra ..	Attended 2 months course 12/7 Rajput Regt. and Inf. Course at Jhansi. Joined Army as V.C.O.	..	Agra.
11	Sri H. N. Deenger	Attended full term course at United Services Pre-Cadet college (Army GHQ. Delhi)	UOTC and I.T.F. membership held the rank of C.S.M of S.A.J.B. appointed as Pl. Comdr. and thereafter Officiated as Coy. Comdr. also.	Bareilly.
12	Sri L. C. Jain ..	Joined Army in 41 as 2nd Lt. and left in 1947. ..	Attended small arms course and Intelligence course. Served as Assistant Comdt. in P.A.C. from 47 to 49.	Badaun.
13	Sri R. R. Ghosh ..	War service for 5 years.	3 years membership in ITF. Served as Coy. Comdr. in P.A.C., for 2 years.	Kanpur.
14	Sri G. W. Khan ..	..	Member of UOTC Attended 9 annual Camps, appointed as Coy. Comdr. in S. S. Camp Faizabad in 47 and retrenched in 49. Thereafter joined as District Social Service Organiser in July, 50 and left in Oct. 50. Remained in B. Coy. U. P. Urban Inf. from 39 to 47.	Almora.

Statement showing particutars in respect of instructors M. E. and S. S. T. U. P.

Serial number	Name	Past Experience		Place of Posting
		Military Services	Training attended and other qulaification	
1	2	3	4	5
15	Sri B. N. Singh ..		Certificate 'A' (with distinction N.C.C.) held the rank of Senior under officer, worked as Adjt. 6th Bn. N. C. C. from 48 to 50 specialist in P. T.	Nainital.
16	Sri Indo Prakash Singh		Member of UOTC, Appointed as Pl. Comdr. in P.A.C. and thereafter promoted to the rank of Coy. Comdr. in III Bn. P. A. C. Lucknow and still holds his lien there.	Aligarh.
17	Sri P. B. Bajpai. ..		Remained in UOTC for 3 years held the rank of Corporal. Passed the prescribed course of S. Is. at P. T. C., Moradabad. Also under taken the training of C. I. D. and D. I. S. at Lucknow. Served as Sub-Inspector Police from 7th December, 1948 to 5th April, 1954 and officiated as Inspector from 10th April, 1953 to 14th August, 1953. Then served as Inspector Police from 6th April, 1954 to 16th April, 1954.	Jhansi.

पी०एस०डब्लू०पी० ए०पी० १६७ एल०ए०—१९५४—८५० ।